सप्तम माला खंड 1 अंक 1

मंगलवार 15 दिसंबर 1981

24 अग्रहायण 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवाँ सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 17, मंगलवार, 15 दिसम्बर, 1981/24 अग्रहायण 1903 (शक)

विषय

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

*तारांकित प्रश्न संख्या 329 से 332, 334, 337, 338, 340 और 341 ... 1-20

प्रश्नों के लिखित उत्तर :

*तारांकित प्रश्न संख्या 333, 335, 336, 339, 342 से 350 और 226 ... 20-28

अतारांकित, प्रश्न संख्या 3722 से 3748, 3750 से 3793, 3795 से 3806, और 3808 से 3954 ... 28-189

सभा-पटल पर रखे गए पत्र ... 189

राज्य सभा से संदेश ... 190

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में हाल ही में आये तूफान के कारण हुई क्षति ... 190-207

श्री रेणुपद दास ... 190-197

राव बीरेन्द्र सिंह ... 190-206

श्री के. पी. सिंह देव ... 194-197

श्रीमती जयन्ती पटनायक ... 198-199

श्री रामअवतार शास्त्री ... 200-203

श्रीमती गीता मुखर्जी ... 199-205

*किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र में बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के विशेष संदर्भ में राज्य विद्युत बोर्डों के सम्बन्ध में राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशें

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी ... 207-208

(दो) उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्टेशन पर सवारी गाड़ियों में माल लादने/उतारने की बेहतर सुविधाएं

डा. ए. यू. आजमी ... 208

(तीन) केरल के मलाबार क्षेत्र में दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए माइक्रोवेव सम्पर्क स्थापित किया जाना

श्री वी. एस. विजयराघवन ... 208-209

(चार) बिहार में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पीने के पानी की सप्लाई की समस्या

श्री रामावतार शास्त्री ... 209

(पाँच) कुटीर क्षेत्र की इकाइयों में माचिसों के उत्पादन पर पुनः अधिकतम सीमा लागू किया जाना

श्री ईरा मोहन ... 209-210

(छः) दिल्ली में ईंट-भट्टों पर कार्यरत मजदूरों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना

श्री चन्द्रपाल शैलानी ... 210-211

(सात) बिहार में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयां

श्रीमती कृष्णा साही ... 211-212

(आठ) देश भर में कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा एक दिन का काम रोको आह्वान

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ... 212

(नौ) देश में मिट्टी के तेल की कमी

श्री मनीराम बागड़ी ... 212

(दस) पोलैंड में आपात-स्थिति की घोषणा

प्रो. मधु दण्डवते ... 213-214

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल), 1979-80

अनुदानों की अनुपूरक माँगे (रेल), 1981-82

प्रो. नारायण चन्द पाराशर ... 214-217

डा. सरदीश राय ... 217-221
श्री मोहन लाल सुखाड़िया ... 221-223
श्री नारायण चौबे ... 223-226
श्री शान्तुभाई पटेल ... 226-228
डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ... 228-230
श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर ... 230
श्री ईरा मोहन ... 233-235
श्री रामनगीना मिश्र ... 235-238
श्री रवीन्द्र वर्मा ... 238-241
श्री उमा कांत मिश्र ... 241-243
श्री फूल चन्द वर्मा ... 24[illegible]-245
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव ... 245-247
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी ... 247-248
श्री राम लाल राही ... 249-2[illegible]0
श्री केदार पांडे ... 250-256

विनियोग (रेल) संख्यांक 6 विधेयक, 1981—पुरःस्थापित

विचार करने का प्रस्ताव

श्री केदार पांडे ... 258
श्री रामावतार शास्त्री ... 258-259
श्री टी. आर. शमन्ना ... 259-260
श्री मोतीभाई आर. चौधरी ... 260-261

खंड 2, 3 और 1

पारित किए जाने का प्रस्ताव

श्री केदार पांडे ... 261

विनियोग (रेल) संख्यांक 7 विधेयक, 1981—पुरःस्थापित

विचार करने का प्रस्ताव

श्री केदार पांडे ... 262

खण्ड 2, 3 और 1

पारित किए जाने का प्रस्ताव

श्री श्री केदार पांडे ... 262

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई

श्री हरिकेश बहादुर ... 263

लोक सभा

मंगलवार, 15 दिसम्बर, 1981/24 अग्रहायण 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, पहले आप हमारी बात सुन लीजिये। आज बिहार का काम-काज बिल्कुल ठप्प हो गया है। (व्यवधान)

श्री डी. पी. यादव : वहां 6 लाख एम्लाईज हड़ताल पर हैं। (व्यवधान) सारे स्कूल और अस्पताल बंद हो गये हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया मैंने। अब आप लोग बैठिये। आप आकर मुझे समझाइयेगा कि इसको कैसे लें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बताइयेगा आ करके कि कैसे यह हो सकता है; फिर करेंगे। (व्यवधान) आप मेरे साथ विचार विमर्श करिए। आप मेरे कक्ष में आइये और विचार-विमर्श करिये।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशी औषध कम्पनियों की अतिरिक्त क्षमता को विनियमित करना

*329. **श्री जैनूल बशर** : क्या **पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी औषध कम्पनियों की ऐसी अधिष्ठापित क्षमता को अपनी मंजूरी देने का निर्णय किया है जो उनकी अनुज्ञप्त क्षमता के अतिरिक्त है,

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनको अनुमति दी गई है और किन औषधियों के उत्पादन के लिये अनुमति प्रदान की गई है,

(ग) क्या उक्त अनुमति उन औषधियों के लिये भी दी गई है जिनके लिये सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में आवश्यक उत्पादन क्षमता उपलब्ध है,

(घ) यदि हां, तो ऐसी औषधियों के नाम क्या हैं, और

(ङ) उनके लिये अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं,

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर) : (क) से (ङ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से कुछ चुनीदा और महत्वपूर्ण उद्योगों और अधिक खपत वाली मदों का निर्माण कर रही स्वदेशी और विदेशी दोनों निर्माताओं की स्थापित क्षमताओं को मान्यता देने के लिए उद्योग मंत्रालय ने दि. 29 अगस्त 1980 के अपने प्रेस नोट में सरकार के निर्णय की घोषणा की थी। इस प्रेस नोट के अनुसार दि. 4-9-1980 को स्थापित क्षमता को मान्यता दी जायेगी। औषध और भेषज उद्योग इस योजना के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों में से एक है।

2 मार्च 1978 में घोषित की गई औषध नीति में अन्य बातों के साथ-साथ असम्बद्ध निर्माताओं को बल्क औषध की सप्लाई, बल्क औषधों और फार्मूलेशनों आदि के उत्पादन के मूल्य के बीच अनुपात की कुछ शर्तों के साथ लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक उत्पादन को विनियमित करने की भी व्यवस्था है। 1978 की औषध नीति के संदर्भ में 1980 की नीति के कार्यान्वयन के प्रश्न की जांच की गई है और दि. 17-10-1981 को जारी किये गये प्रेस नोट में की गयी घोषणा के अनुसार भारतीय और विदेशी कम्पनियों सहित उन औषध कम्पनियों की स्थापित क्षमता को मान्यता देने पर विचार करने का निर्णय किया गया है जिनके आवेदन पत्र उद्योग मंत्रालय में सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा अर्थात 30-11-1980 तक प्राप्त हो गये थे। और जो (i) उद्योग मंत्रालय के दि. 29-8-1980 के प्रेस नोट में अधिसूचित मार्ग दर्शनों और (ii) इस मंत्रालय के दि. 17-10-1981 के प्रेस नोट में घोषित और प्रतिबन्धों के अनुरूप हों।

बल्क औषधों और फार्मूलेशनों की स्थापित क्षमताओं की मान्यता के लिए निर्धारित अवधि के अंदर 62 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे। इन मामलों की जाँच शुरू कर दी गई है और अब तक केवल दो भारतीय कम्पनियों के दो मामलों पर निर्णय किया गया है। प्रत्येक मामले में मान्यता दी जा सकने वाली अतिरिक्त क्षमताएं इस स्तर पर दर्शाना संभव नहीं है।

श्री जैनूल बशर : क्या सरकार को पता है कि कुछ विदेशी औषध कम्पनियां अपनी अनुज्ञप्त क्षमता के अतिरिक्त अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पहले से ही उपयोग कर रही हैं ? यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं ? क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जहां तक अधिष्ठापित क्षमता से अधिक का सम्बंध है, उनके साथ 1978 के औषध नीति संकल्प के आधार पर वर्ताव किया जाना था। लेकिन बाद में जब उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा था, तो उद्योग मंत्रालय से एक नया मार्गदर्शी सिद्धान्त प्राप्त हुआ जिसे 29-8-80 को अधिसूचित किया गया था और उसके बाद एक और नोट (टिप्पण) मेरे मंत्रालय से 17-10-81 को जारी किया गया। इन्हें

दृष्टि में रखते हुए, इन 113 कम्पनियों की जिनमें से 62 कम्पनियों ने आवेदन किया है, अतिरिक्त क्षमता को औषधि की थोक (बल्क) सप्लाई के अनुसार विनियमित अथवा नामंजूर किया जायेगा। असम्बद्ध निर्माताओं को अपने उत्पादन का 50/40/30 प्रतिशत प्राप्त होगा और फार्मूलेशन्स की तुलना में बल्क औषधियों का उत्पादन 1:5/1:10 के अनुपात में होगा।

श्री जैनूल बशर : क्या सरकार को पता है कि कुछ विदेशी औषध कम्पनियाँ अपनी अनुज्ञप्त क्षमता के अतिरिक्त अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पहले से ही उपयोग कर रही हैं ? यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : 29 भारतीय नौन एम. आर. आई. पी. कम्पनियां हैं, 10 भारतीय एम. आर. आई. पी. कम्पसियाँ हैं, 15 एफ. ई. आर. ए. नौन-एम. आर. आई. पी. कम्पनियाँ और 4 एफ ई. आर. ए. और एम. आर. आई. पी. कम्पनियां हैं। यदि माननीय सदस्य कम्पनियों के नाम जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री जैनूल बशर : मैं जानना चाहता हूं क्या किसी के खिलाफ कार्यवाही की गई है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस समय कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना को और बाद में इस मंत्रालय की अधिसूचना को दृष्टि में रखते हुए, विनियमित करने का प्रश्न मंत्रालय में निर्णयाधीन पड़ा है।

श्री जैनल बशर : भारतीय गैर-सरकारी तथा सरकारी औषध कम्पनियों को आशंका है कि सरकार विदेशी कम्पनियों को ऐसी औषधियों का निर्माण करने की अनुमति दे देगी जिन्हें भारतीय क्षेत्र में पहले ही सन्तोषजनक रूप से तैयार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह आशंका सही है और इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक इन कम्पनियों के विस्तार के नियमित किये जाने का सम्बन्ध है, इसे पूर्णतः उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार किया जायेगा और मैं माननीय सदस्य को अश्वासन दे सकता हूं कि उन्हें हाथी समिति के प्रतिवेदन के पैरा 38 में उल्लिखित लघु क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

बिहार में टेलीफोन लाइनों की क्षमता में वृद्धि

*330. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे बिहार राज्य में कितनी टेलीफोन लाइनें हैं और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल तथा कर्नाटक राज्यों में कितनी-कितनी टेलीफोन लाइनें हैं;

(ख) क्या बिहार में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिये 35,000 आवेदन-पत्र लम्बित हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार बिहार में टेलीफोन लाइनों की क्षमता बढ़ाने का है ?

संचार उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) बिहार तथा अन्य राज्यों में टेलीफोन लाइनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

राज्य	1-10-81 को लाइनों की संख्या
1. विहार	57,023
2. महाराष्ट्र	4,45,402
3. तमिलनाडु	2,09,789
4. उत्तर प्रदेश	1,45,201
5. केरल	2,03,091
6. कर्नाटक	1,27,312

(ख) और (ग) जी नहीं । बिहार में 1-10-81 को केवल 4619 आवेदन की प्रतीक्षा-सूची में दर्ज थे । माँग पूरी करने के लिए बिहार के टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का प्रस्ताव है ।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : उन्होंने आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ नहीं पूछा है, क्या मंत्री महोदय आँध्र प्रदेश के बारे में आंकड़े दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप एक पृथक प्रश्न की सूचना दीजिये, तब वह उत्तर देंगे ।

श्री विजय एन. पाटिल : आंध्र प्रदेश के बारे में मुझे आंकड़े नहीं मिले हैं ।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो फीगर्स दी हैं, यदि उसको देखा जाये तो मालूम होगा कि बिहार में सबसे कम टलीफोन की लाइन हैं और सब से कम आवेदन पत्र हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार सेकन्ड लार्जेस्ट स्टेट इन दि कन्ट्री है, तो क्या यह बात सही है कि बिहार में टेलीफोन सेवाएं दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही हैं जिसके कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) उपरि लाइनों तथा वितरण स्थानों में त्रुटियाँ ।

(2) पुराने एक्सचेंज उपकरण अब भी प्रयोग में हैं जबकि उन्हें हटा दिया जाना चाहिये ।

(3) फालतू पुर्जों, औजारों तथा कर्मचारियों की अतिरिक्त कमी, लम्बी प्रतीक्षा सूची और गलत बिल बनाने । क्या इसके कारण वहाँ के लोगों ने आवेदन पत्र बहुत कम दिया है—मैं यह मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं बिहार में इन्डस्ट्रीज हैं, माइन्स हैं, कोल हैं और रेलवे का हैडक्वार्टर भी है, 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 587 ब्लाक हैडक्वार्टर्स हैं और फर्टिलाइजर है—इतने उद्योग होने के बावजूद भी वहाँ क्यों आवेदन पत्र कम हैं और क्यों कनैक्शन कम हैं ?

श्री विजय एन. पाटिल : बिहार में टेलीफोन्स का फंक्शन वर्स्ट है, यह बात हम डिनाई करते हैं । दूसरी बात हम चाहते हैं कि बिहार से ज्यादा से ज्यादा आवेदन पत्र आयें, मगर बिहार इतना बड़ा स्टेट होते हुये भी .977 की वेटिंग लिस्ट 455 थी और आज 4619 हो गई है । दूसरी स्टेट्स में टेलीफोन के जो छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या किसी शहर की वेटिंग लिस्ट है, उनके मुकाबले में बिहार राज्य की वेटिंग लिस्ट बहुत छोटी है । फिर भी 1980-85 के प्लान में 92 हजार टेलीफोन लाइन्स बिहार को देने का तय हुआ है । इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आवेदन-पत्र आयें और हम वहाँ अच्छी सर्विस दे सकें ।

श्रीमती कृष्णा साही : छटे प्लान के ड्राफ्ट में बताया गया है कि 1982 में इण्डियन नेशनल सैटेलाइट जब आर्बिट में आ जाएगा, उसके बाद 4 मेन-एरियाज के एलोकेशन होंगे, जिनमें कलकत्ता, मद्रास और बम्बई भी हैं। उसके बाद 8 प्राइमरी एरियाज के एलोकेशन होंगे जिसमें पटना को भी कवर किया जायगा। इस योजना के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

श्री विजय एन. पाटिल : मैं यह तो यहाँ नहीं कह सकता, लेकिन सैटेलाइट के बारे में जो कहा गया है उसमें रिमोट एरियाज को कवर करने का प्रयास किया जायगा जिनमें पटना भी शामिल है और प्लान के टारगेट के मुताबिक उसको कवर करेंगे।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं पूछ रही हूं, केवल एक बात आपके ध्यान में लाना चाहती हूं—मेरे गांव में डेढ़ साल से टेलीफोन लगा हुआ है लेकिन एक दिन भी उसमें लाइन नहीं रही है। मैं जब भी जाती हूं मुझे कभी भी उसमें लाइन नहीं मिलती है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने सोचा होगा कि इनके कानों को गड़बड़ न हो जाय।

श्री डी. पी. यादव : अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ टेलीफोन व्यवस्था की जो हालत है उसकी चर्चा अभी सदन में हुई है ··

अध्यक्ष महोदय : छोटा सा सवाल पूछिये।

श्री डी. पी. यादव : क्या टेलीफोन सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एअर-कण्डीशनिंग इक्विपमेन्टस का प्रावधान टेलीफोन एक्सचेन्ज में होगा ?

श्री विजय एन. पाटिल : अब आगे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें बिल्डिन्ग का कंस्ट्रक्शन पहले करते हैं, उसके बाद एअर-कण्डीशनिंग करते हैं और बाद में एक्सचेन्ज का काम शुरू होता है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या पहले भी हो सकता है ?

श्री विजय एन. पाटिल : बिल्डिन्ग के बाद करते हैं।

श्री राम विलास पासवान : मन्त्री महोदय ने अभी आंकड़े बतलाये हैं जो सबसे छोटा राज्य है, उसके मुकाबले 50 परसेन्ट टेलीफोन बिहार में हैं और जो टेलीफोन वहां लगे हुए हैं उनमें से 75 परसेन्ट खराब हैं। अध्यक्ष जी, आपका टेलीफोन भी आज खराब है, मैंने लगाया था। मेरी भी खराब है और आप लोगों का भी खराब होगा-यह हालत यहां टेलीफोन्ज की है।·····

श्री बसन्त साठे : जो अच्छे आदमी हैं उनका टेलीफोन खराब रहता है।

श्री मनीराम बागड़ी : यह कहना कि टेलीफोन खराब है-यह कोई नई बात नहीं है। कोई यह कहे कि मेरा टेलीफोन सही है तब सही बात मानूंगा।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : गुप्तचर विभाग ने सरकार से शिकायत की है कि वे बातचीत नहीं सुन पाते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा टेलीफोन कभी खराब नहीं होता है और कभी खराब होता भी है तो कम्प्लेंट करते हैं और पाँच मिनट में ठीक हो जाता है।

श्री राम विलास पासवान : मैं यह जानना चाहता हूं-क्या आवेदन-पत्रों के कम होने का

यही कारण है कि लोगों को टेलीफोन में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि टेलीफोन की लाइन लेना या न लेना बराबर है, पैसा भरते रहना होगा लेकिन टेलीफोन मिलेगा नहीं। आपने बिहार में 57023 टेलीफोन लाइनें दी हुई हैं, क्या आपने पता लगाया है कि इन 57023 लाइनों में से कितने टेलीफोन काम कर रहे हैं। और कितने बेकार हैं ? पिछले दिनों बिहार में एक जिले में, रोहतास-मौजपुर में कम से कम 500 टेलीफोन प्रदर्शन करके वापस किये गये और सरकार को लौटा दिये गये कि ऐसे खराब टेलीफोनों की आवश्यकता नहीं है। क्या आपके नालिज में यह बात आई है और अगर आई है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री विजय एन. पाटिल : आवेदन पत्रों के बारे में जो बात माननीय सदस्य ने कही है, उसको हम नहीं मानते क्योंकि आज भी देश भर में 5 लाख 30 हजार की वेटिंग लिस्ट है। बिहार में जो वेटिंग लिस्ट है, वह बहुत कम है, सबसे कम है। इसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि बिहार में टेलीफोनों के लिए ज्यादा एप्लीकेशन्स आयेंगी रूरल एरिया में और अर्बन एरियाज में, तो हम जरूर वहां पर टेलीफोन देगें। बिहार राज्य के लिए हमने 1 लाख टेलीफोन लाइनों का प्रावधान किया है।

श्री राम विलास पासवान : टेलीफोन खराब हो जाते हैं।

श्री विजय एन. पाटिल : खराब हो जाते हैं, तो हम उनको इमीजीएटली रिपेयर करवा देते हैं और यह तो मशीनरी है, खराब हो ही जाती है।

श्री राम विलास पासवान : मैंने कहा था कि बिहार में टेलीफोनों की बहुत सी लाइनें खराब पड़ी हैं और वहाँ एक जिले में 500 टेलीफोन वापस किये गये, यह अखबार में आया है और मन्त्री महोदय को इसके बारे में लिखा भी गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपके पास कोई जानकारी है और जानकारी है, तो कितने टेलीफोनों को ठीक किया गया है।

संचार मन्त्री (श्री सी. एम स्टीफन) : बार-बार यह कहने से कि टेलीफोन खराब हैं इस कथन का महत्व खत्म हो रहा है। टेलीफोन कैसे काम कर रहे हैं इसका निर्धारण करने के लिए हमारी अपनी विधि है। जैसा मैंने पहले बताया टेलीफोन प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी टेलीफोन हमेशा ठीक नहीं रह सकता। कितने टेलीफोनों के बारे में शिकायतें आ रही हैं इसके आंकड़े हमारे पास होते हैं।

बिहार के बारे में, यदि प्रश्न की सूचना पहले प्राप्त हुई होती तो मैं उसका जवाब दे देता। प्रश्न यह पूछा गया था कि प्रतीक्षा सूची छोटी है क्योंकि टेलीफोन प्रणाली खराब है। इसका सीधा-सादा जवाब यह है। कुछ राज्यों का यहाँ उल्लेख किया गया है। इन राज्यों के सम्बन्ध में, आप प्रतीक्षा सूची, उदाहरणार्थ, इस प्रकार देखेंगे बिहार 4000 से अधिक, उत्तर प्रदेश 21000, तमिलनाडु-31000, कर्नाटक 23000, केरल-28000 और महाराष्ट्र 1,82000। यदि टेलीफोन प्रणाली हर जगह खराब है तो आप यह अन्तर नहीं देख सकते। यदि वह केवल बिहार में ही खराब है तो उसके पीछे कोई और कारण होगा और उसे मालूम करना पड़ेगा कि वहाँ क्या हुआ है।

जहाँ तक अतिरिक्त कनेक्शनों का सवाल है, यही केवल एक ऐसा स्थान है जहाँ नये

केन्द्र के लिए कोई आवेदन लम्बित नहीं है। हमने अभी हाल ही में छह केन्द्र आवंटित किये हैं यद्यपि कि आवेदन थोड़े थे जबकि अन्य राज्यों में आवेदन लम्बित हैं क्योंकि उनके लिए नये केन्द्र खोलने की जरूरत है। जहाँ तक विद्यमान केन्द्रों का सम्बन्ध है उनमें 19648 कनेक्शन बढ़ाने की योजना है। लगभग 21 केन्द्रों के लिए 19000 से अधिक कनेक्शन मंजूर किये गये हैं। विस्तार किया जा रहा है। बिहार की आवश्यकता शत प्रतिशत पूरी कर दी गई है,

श्री उमा कांत मिश्र : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में हमारे जिले में ··

अध्यक्ष महोदय : इसमें उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है।

श्री उमा कांत मिश्र : उत्तर प्रदेश की चर्चा आई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में हजारों प्रार्थना-पत्र पेंडिंग हैं और सामग्री भी वहाँ उपस्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं देता क्योंकि इसका सम्बन्ध केवल बिहार से है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, पटना बिहार की राजधनी है, यह आप जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इससे इन्कार करवाना चाहते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार के जी. एम. टी. ने अभी हाल में एक प्रेस बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि पटना का टेलीफोन एक्सचेन्ज खराब है और इस वजह से शहर के बहुत सारे टेलीफोन काम नहीं करते। अगर यह बात सच है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां के टेलीफोन एक्सजेन्ज को रिप्लेस करने के लिए आपने कोई कार्यवाही की है या नहीं ? अगर की है, तो वह क्या है ?

श्री सी. एम. स्टीफन : मैं इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार हूं कि बिहार में टेलीफोन प्रणाली का कार्य तुलनात्मक रूप से सन्तोषजनक नहीं है। इस बारे में गहन रूप से जांच की जा रही है। सर्वोत्तम महा प्रबन्धकों में से एक को वहाँ का प्रभारी बनाया गया है। कुछ अधिकारियों को भी इस हेतु वहां नियुक्त किया गया है। पटना की स्थिति पर रोजाना निगरानी रखी जाती है। स्थिति में सुधार होगा। स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी वहां होनी चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : टेलीफोन केन्द्र के बारे में क्या स्थिति है ? क्या उसकी जगह नया केन्द्र स्थापित किया जायेगा अथवा नहीं ? प्रश्न तो यह है और आपने जवाब कुछ और ही दिया है।

तेल की खोज के लिए उपकरणों के बारे में सोवियत संघ के साथ बात-चीत

*331. **श्री चिन्त महाटा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ के तेल उद्योग का उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिनिधि-मण्डल हाल में भारतीय अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के लिए भारत आया था;

(ख) क्या उस बैठक में सोवियत संघ द्वारा आगामी 10 वर्षों में भारत को तेल की खोज तथा उत्पादन के लिए उपकरण सप्लाई करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क)

जी, हां। यू. एस. एस. आर. के उद्योग मंत्री श्री एन. ए. माल्तसेव के नेतृत्व में एक सोवियत शिष्टमण्डल ने 23 नवम्बर से 30 नवम्बर 1981 तक भारत का दौरा किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चित्त महाटा : सोवियत संघ का जो प्रतिनिधि मंडल भारत आया था उसमें विश्व विख्यात रूसी तेल विशेषज्ञ प्रो. एन. ए· कालिनिरू भी थे। उनकी धारणा के अनुसार सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल तेल से भरा पड़ा है। उनका विश्वास है कि सुन्दरबन क्षेत्र में हाइड्रो-कार्बन है। इस बात को देखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से बहुत स्पष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा कि समूचे पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में तेल की खोज के लिए रूस के तकनीकी विशेषज्ञ की सहायता क्यों नहीं ली जायेगी।

क्या माननीय मंत्री जी से मैं यह भी जान सकता हूं कि तेल की खोज तथा उत्पादन के लिए भारत को उपकरणों की सप्लाई के प्रश्न पर इस बैठक में विचार-विमर्श न करने के क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, हमने रूस के साथ और रूसी विशेषज्ञों के साथ करार कर लिया है। वे पश्चिम बंगाल में लगभग 2000 वर्ग किलो मीटर में हाइड्रो-कार्बन्स के लिए खोज कार्य करेंगे। यह तय हो गया है और इस कार्य के ब्यौरों पर विचार-विमर्श करने के लिए अब एक दल भारत आ रहा है और मुझे आशा है कि वे पश्चिम बंगाल के रानाघाट जामुली कृष्ण नगर में भी कार्य करेंगे। इसलिए पश्चिम बंगाल में हाइड्रो-कार्बन्स के भंडारों को ध्यान में न रखने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री चित्त महाटा : भारत का लक्ष्य 1984-85 तक 3 करोड़ टन तेल प्राप्त करना था। समाचार पत्रों में खबर छपी है कि प्रतिनिधि-मंडल के नेता एन. ए. माल्तसेव ने एक संयुक्त विचार-विमर्श में कहा कि खोज तथा ड्रिलिंग के काम को पांच गुना बढ़ाना पड़ेगा, यदि भारत 3 करोड़ टन तेल के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है।

माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि 3 करोड़ टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक 3 करोड़ टन के लक्ष्य का पूरा करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसे तटवर्ती विद्यमान कुओं तथा बम्बई-हाई से प्राप्त किया जाना है और हमें आशा है कि 1984-85 तक इस लक्ष्य को पूरा करने में हम सफल हो जायेंगे।

किन्तु यह अन्य खोज कार्य तथा ड्रिलिंग के कार्य से भिन्न है जिसे हम आरम्भ करेंगे। हम तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इन्डिया के माध्यम से देश के भिन्न-भिन्न भागों में खोज कार्य के सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया ने देश के भिन्न-भिन्न भागों में खोज कार्य आरम्भ कर दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद बहुत से विशेषज्ञों ने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में तेल

प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन बाद में जब रूसी तथा रूमानियां के विशेषज्ञों ने सर्वेक्षण किया, तो उन्होंने कहा कि भारत में तेल प्राप्त करने की काफी अच्छी संभावना है और अपने देश में तेल के अच्छे भंडार पाकर हमें उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। किन्तु तेल के आयात का इस समय हमारी अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक दबाव है।

इस बात को देखते हुए, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने तेल की खोज के लिए समुचित परिप्रेक्ष्य बनाने के प्रयोजनार्थ 10 वर्ष या 15 वर्ष की कोई योजना तैयार की है और यदि कोई सर्वेक्षण किया गया है तो भारत के आगामी 10 वर्षों में तेल में आत्मा-निर्भर बनने की क्या संभावना हैं?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हम छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान बंगाल की खाड़ी के अतिरिक्त विभिन्न तटवर्ती क्षेत्रों जैसे रत्नागिरी स्ट्रक्चर्स, खम्बात-खाड़ी स्ट्रक्चर्स, डहम-मीरी स्ट्रक्चर्स, डीप कान्टिनेंटल शैल्फ, शैल्फ मार्जिन, केरल कच्छ आदि में 59 खोज-कुए' खोदेंगे और सात कुओं की खुदाई चल रही है इसलिए कुल कुओं की संख्या लगभग 64 होगी। तट से दूरवर्ती क्षेत्रों में हमने छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान 95 कुए खोदने का कार्यक्रम बनाया है। इसके अलावा, हाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तकनीसियनों तथा अधिकारियों के साथ हुई बैठक में हमने उनसे तेल उत्पादन के लिए एक दस वर्षीय कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है और उस दृष्टि से सर्वेक्षण तथा कुओं की ड्रिलिंग का काम आरम्भ किया जायेगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वेस्ट-बंगाल में आपने कितने कुओं पर कितनी रकम खर्च की है और वहाँ पर अभी तक कितना तेल प्राप्त हुआ है और राजस्थान में कुओं की खुदाई 7-8 साल पूर्व रोक दी गई थी—जो अभी तक शुरू नहीं की गई है जबकि पाकिस्तान में सुई में गैस और आयल निकला है जिसको देखते हुए राजास्थान में भी तेल और गैस निकलने की पूरी संभावना है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्य कब तक शुरू किया जायेगा और कितने इनवेस्टमेंट से कितने कुंए खोदे जायेंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहाँ तक राजस्थान का सम्बन्ध है, हमने जहाँ तेल मिलने की संभावना है उस क्षेत्र में जैसलमेर क्षेत्र में कुओं की खुदाई आरम्भ करने का कार्यक्रम तैयार किया है और इस क्षेत्र को आयल इण्डिया और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच विभाजित कर दिया गया है और उपकरण वहाँ भेजे जा रहे हैं, फरवरी से ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाने की आशा है। जहां तक पश्चिम बंगाल में खर्च का सवाल है, मेरे पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी दे दूंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां पर इतना पैसा खर्च किया गया वहां पर फिर भी तेल नहीं निकला और जहां संभावना है वहाँ पर आप खर्च नहीं कर रहे हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से सहयोजित वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों ने कहा है कि भविष्य में तेल की खोज तट दूर क्षेत्र में ही हो सकेगी और इस क्षेत्र में सोवियत संघ को कोई विशेष जानकारी नहीं है ? क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि तटदूर क्षेत्र में खोज को, जो इस

समय प्राथमिकता प्रदान की गई है, सोवियत संघ के दबाव में आकर नहीं बदला जायेगा और इसके बदले तटवर्ती खोज को आरम्भ नहीं किया जायेगा ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि सोवियत संघ का कोई दबाव नहीं है और हम किसी अन्य दबाव में भी नहीं आयेंगे। जहां तक तटदूर खोज का सम्बन्ध है, तटदूर खोज का कार्यक्रम, भूकम्पीय सर्वेक्षण और अन्य चीजें कार्यक्रम के अनुसार होती रहेंगी और उनमें कोई ढील नहीं आने दी जायेगी।

श्री एम. गोपाल रेड्डी : मैं तो समझता था कि डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी को काफी ज्ञान है, परन्तु उसने यह प्रश्न पूछ कर अपनी अनभिज्ञता प्रदर्शित की है। स्वर्गीय श्री के. डी. मालवीय ने सोवियत संघ के साथ बातचीत की थी। पश्चिमी देशों ने कहा था कि भारत में तेल नहीं है जबकि सोवियत संघ ने कहा था कि भारत में भारी मात्रा में तेल है। हम सोवियत सघ पर निर्भर कर सकते हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह इस समय किस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं, उसमें क्या प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है और निर्णयों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं पहले बता चुका हूं कि बातचीत कई बार हो चुकी है और त्रिपुरा में रोखिया में खोज कार्य आरम्भ हो चुका है। प्रेजीडेंट ब्रेजनेव की यात्रा के दौरान एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये थे। हाल में सोवियत मंत्री की यात्रा के दौरान भी 30-11-1981 को सोवियत संघ की टेक्नोएक्सपोर्ट कम्पनी के साथ सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये थे और अब एक तकनीकी दल आ रहा है जिसमें 40 तकनीशन हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि 1984-85 तक के लिए बनाई गई योजनायें पूरी हो जाती हैं तो माननीय मंत्री के अनुसार हमें दोनों तटवर्ती तथा तटदूर क्षेत्रों से 3 करोड़ टन कच्चा तेल उपलब्ध हो जायेगा जिसका तत्पश्चात शोधन करना होगा। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या योजना में कच्चे तेल का पता लगाने के साथ साथ तेल को साफ करने की क्षमता में वृद्धि करने का भी कोई उपबन्ध है क्योंकि अन्यथा, यदि तेल साफ करने की क्षमता से हम तेल की बढ़ी हुई मात्रा को साफ न कर सके, तो हमें पेट्रोलियम पदार्थ बहुत ही अधिक कीमत पर बाहर से मंगाने पड़ेंगे ? अत: इसके लिए क्या योजना है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : तेल शोधक कारखानों की क्षमता में वृद्धि करने की भी योजना बनाई गई है और वर्तमान क्षमता में 1.2 करोड़ टन से भी अधिक वृद्धि हो जायेगी···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वर्तमान क्षमता कितनी है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : वर्तमान क्षमता 30··· मैं आपको सही आंकड़े नहीं दे सकता। वर्तमान कारखानों की क्षमता में वृद्धि करने की योजना के साथ साथ मथुरा शोधनशाला निर्माणाधीन है जिससी क्षमता 60 लाख टन है। इसका काम अगले महीने से आरम्भ हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त दो आधारभूत शोधनशालाओं की स्थिति के बारे में भी लगभग निर्णय कर लिया गया है। इनमें से एक उत्तर में और दूसरी दक्षिण में लगाई जायेगी। उन स्थानों के बारे में शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है जहां इन्हें स्थापित किया जायेगा।

प्रो. एन. जी. रंगा : मंत्री महोदय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।

महिला डाकिया

*332. **श्री निहाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला डाकियों की नियुक्ति के बाद डाक वितरण में सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में सभी स्थानों पर हम व्यवस्था को आरंभ करने का है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) महिला अथवा पुरुषों की पोस्टमैनों के रूप में भर्ती का डाक के वितरण में सुधार से सीधा ताल्लुक नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री निहाल सिंह : मंत्री महोदय ने कहा है कि महिलाओं की भरती से सुधार का कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। फिर उनकी भरती क्यों करते हैं ?

मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के उपडाकघरों और शाखा डाक घरों में कितनी महिलाएं नियुक्त हैं और कितनी काम कर रही हैं ?

श्री विजय एन. पाटिल : महिलाओं की भरती से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ईक्वल अपरचुनिटीज बोथ सैक्सिस के लिए हैं। फिगर्ज चाहिये तो मैं दे सकता हूं। करीब 50476 पोस्टमैन हैं। उनमें से पांच सौ के करीब इनकी संख्या है यानी, 5 प्रतिशत। जो रिक्रूमेंट होता है वह डिपार्टमेंट से पचास प्रतिशत और आउटसाइडर्ज में से पचास प्रतिशत होता है। डिपार्टमेंट में ज्यादा महिलाएं नहीं हैं। बाहर से महिलाएं आ सकती हैं अगर वे क्वालीफाइड होती हैं। हमें उनको भरती करने में कोई एतराज नहीं है।

श्री निहाल सिंह : ग्रामीण क्षेत्रों के उप डाकघरों और शाखा डाक घरों में उसी क्षेत्र की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं की भरती करने पर क्या आप विचार कर रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : जैसा कि मेरे साथी ने बता दिया है, भर्ती के मामले में हम उम्मीदवार के मुंह को तरफ नहीं देखते कि क्या वह पुरुष है या महिला। हर व्यक्ति प्रार्थना-पत्र दे सकता है। नियमित रूप से भर्ती होती है ··

अध्यक्ष महोदय : एक आंख से देखते हैं।

श्री सी. एम. स्टीफन : हम भेद नहीं करते हैं। बात यह है कि भर्ती प्रणाली के अनुसार पोस्टमैन के 50 प्रतिशत पद विभागीय कर्मचारियों को तरक्की दे कर और शेष 50 प्रतिशत बाहर से भरे जाते हैं। विभागेतर कर्मचारियों को अधिमान दिया जाता है। अतः बहुत कम पद अन्य व्यक्तियों के लिए रह जाते हैं। भर्ती गुण-दोषों के आधार पर की जाती है। चाहे वह महिला हो या पुरुष, उसकी योग्यता इस आधार पर नहीं आंकी जाती कि क्या महिला पोस्टमैन बेहतर कार्य कर रही है या कि पुरुष पोस्टमैन अधिक अच्छा कार्य कर रहा है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मंत्री महोदय ने अभी उत्तर दिया है कि महिला डाकिया केवल 5 प्रतिशत हैं। जबकि हमारे देश में महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत है, और इस लिहाज से महिलाएं ज्यादा सक्षम है और अच्छा काम करती हैं। अगर वह योग्य हैं तो क्यों नहीं उस क्वालिफिकेशन की महिलाएं काम कर सकती हैं ? इसलिए उन्हें प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है ? मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने

बताया कि 5 प्रतिशत ही महिलाएं काम कर रही हैं। इसी से स्पष्ट है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो क्या आप और अधिक महिलाओं को डाकिये का काम करने के लिए नियुक्त करेंगे?

श्री सी. एम. स्टीफन : यदि नौकरी करने के लिए अधिक महिलायें आगे आती हैं तो मुझे इससे न अप्रसन्नता होगी और न ही मुझे यह अप्रिय ही लगेगा। मैं यहाँ अनुपात का उल्लेख कर देता हूं।

राज्य	कुल प्रतिशत पोस्टमैन
तमिलनाडु	100
केरल	98
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	5
उत्तर पश्चिमी प्रदेश	4
राजस्थान	1
दिल्ली	14

यह सब सामाजिक दशाओं और महिलाओं की इच्छा पर निर्भर करता है (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या महिलाओं को नौकरियां देना प्रशासन की नीति नहीं है?

श्री सी. एम. स्टीफन : मेरे पास आँकड़े नहीं है कि कितने प्रार्थना पत्र आये और उनमें से कितने रद्द कर दिये गये। पर मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो महिलाएं योग्य होती हैं उन्हें ले लिया जाता है। मैं किसी को जबरदस्ती यहां नहीं ला सकता। तथापि उनके आने पर कोई प्रतिबन्ध भी नहीं है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ई. डी. ए. में जो महिलायें काम करती हैं और पुरुष काम करते हैं क्या इस बात की उनको जानकारी है कि जो महिलायें काम करती हैं उन्हें कम तनख्वाह दी जाती है, जिसके लिये मैंने कई बार अपको लिखा भी है? और यदि ऐसा है तो क्या संविधान के प्रिन्सिफल के यह खिलाफ नहीं है-ईक्वल पे फोर ईक्वल वर्क। इस सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री सी. एम. स्टीफन : जी, नहीं, यह सच नहीं है, सभी को समान वेतन दिया जाता है।

बीमाकृत पत्रों की चोरियों का समाचार

*334. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 17 सितम्बर, 1981 के 'मुंबई सकाल' में लाखों रुपये के मूल्य के उन हजारों बीमाकृत पत्रों की चोरी के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जो साकी विहार नाका डाकघर से सिग्नन सार्टिंग को भेजे गये थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) बम्बई के वे कौन से अन्य डाकघर हैं जहां से बीमाकृत पत्र खो जाते हैं; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या सुरक्षा प्रबन्ध किए गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) से (घ) जी हाँ। यह समाचार कुली नाथ डाकघर, सिग्रांन आर. एस. डाकघर तथा साकी नाका डाकघर द्वारा बंद किए गये रजिस्टर्ड थैलों से सिग्रांन सार्टिंग कार्यालय सैंट नम्बर 2 से 10-8-81 की रात को 242 बीमाकृत पत्रों (बीमाकृत मूल्य 100457 रु.) की कथित चोरी से सम्बद्ध है। विभागीय अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में तुरन्त जांच प्रारम्भ की गई तथा पुलिस को इसकी रिपोर्ट कर दी गई। सिग्रांन सार्टिंग कार्यालय के दो कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया तथा उनको निलंबित किया गया। अब राज्य सी. आई. डी. इस मामले की जांच कर रही है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये पर्यवेक्षण को सख्त कर दिया गया है तथा यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी थैला बगैर खुला न रहे।

श्री प्रमिला दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहती हूं कि आपने एक पोस्ट आफिस के बारे में कहा है। लेकिन बबई में मेरे पास भी शिकायतें आयी हैं और कई पोस्ट आफिसेज हैं जहां इंश्योर्ड लैटर्स की चोरी हुई हैं। अगर आप नाम चाहेंगे तो मैं आपको उन पोस्ट आफिसेज का नाम भी दे सकती हूं।

मेरा सवाल यह है कि इस प्रकार की चोरियां बंबई और बंबई के बाहर जगह-जगह पर इस प्रकार की कितनी ही चोरियाँ हुई हैं क्या इस प्रकार की शिकायतें आपके पास आयी हैं ? और उनको कम्पेन्सेशन दिया गया है, मुझे पता है। लेकिन उसमें भी कई लोगों को पैसा वापिस दे दिया गया है और कई को नहीं दिया गया है। तो इस बारे में आपने क्या कार्यवाही की है ? मुझे पता है कई लोगों को आपने पैसा दिया है। तो आप बतायें कि ऐसी शिकायतें कितनी जगह पर हो रही हैं।

श्री विजय एन. पाटिल : जहां-जहां इंसोर्ड लैटर्स होते हैं वहां ऐसी घटनायें होती हैं। मगर सुपरवीजन टाइट होता है, और अगर डिटेक्ट हो जाय तो कार्यवाही की जाती है।

जहां तक क्लेम्स की बात आपने कही है जैनुइन क्लेम असर्टेन करके पूरा का पूरा पैसा दिया जाता है। इस पार्टिकुलर कैस में कुछ लोगों को दिया गया है। कुछ लोगों का क्लेम असर्टेन हो रहा है कि उनका कितने का इंश्योर्ड आर्टिकिल था। यह असर्टेन हो जाने के बाद उनको पूरा पैसा दिया जायगा।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मिनिस्टर साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया है कि क्या उनके पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि मौलाना आजाद रोड पोस्ट आफिस, मदनपुरा पोस्ट आफिस और फाकलैंड रोड पोस्ट आफिस में ऐसी चोरियाँ होती हैं और उन्होंने वहां पर क्या कार्यवाही की है। क्या उन्हें इस बात की जानकारी है या नहीं कि वहां पर चोरियाँ हुई हैं और क्या वह इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करेंगे ? जिन लोगों को अब तक क्लेम्ज नहीं दिए गए हैं, वे कब तक दिए जाएंगे ?

श्री सी. एम. स्टीफन : महोदय, यह प्रश्न सिग्रान से सम्बन्धित है और मेरे साथी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। मौलाना आजाद डाकघर के बारे में एक मामले का मार्च 1981 में पता लगा था। धनराशि वसूल करके वापस कर दी गई है। इस बात पर बल देने की जरूरत

है किइस मामले का पता स्वयं डाकघर के कर्मचारियों ने ही लगाया था। बैग जाली में रखा गया था और जब जाली खोली गयी तो बैग खुला हुआ पाया गया। स्वयं डाकघर के कर्मचारियों ने ही इसका पता लगाया था और पुलिस को बुला लिया था। जांच हो रही हैं। इस बारे में कुछ सुराग मिले हैं। श्रीमन् पिछले वर्ष में कुल 403 करोड़ रुपए की बीमाकृत वस्तुओं में से छह लाख की वस्तुएं चोरी गई हैं।

पश्चिम बंगाल में व्यक्त तेल के कुओं से पुनः तेल निकाला जाना

*337. **श्री मुकुन्द मण्डल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के 24 परगना में व्यक्त तेल के कुओं का उनमें तेल की सम्भावना का अनुमान लगाने के लिए किसी विदेश के तेल प्रोद्योगिविज्ञों द्वारा सर्वेक्षण कराया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में डेल्टा माडल अध्ययन करने हेतु अगस्त, 1980 में मैसर्स ज्योकन्सलटेंट्स इन्टरनेशनल (जी. सी. आई.) नामक एक अमेरिकन परामर्शदात्री फर्म के साथ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने एक ठेका किया है। 24 परगना जिला सहित पश्चिम बंगाल में खोदे गये कुओं में पहले से ही किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षणों के आंकड़ों को इस फर्म द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के भूगर्भ वैज्ञानिकों के सहयोग से पुनः ससाधन एवं विश्लेषण किया जा रहा है। अध्ययन की रिपोर्ट फरवरी, 1982 तक उपलब्ध होगी।

इसके अतिरिक्त 24 परगना में भूकम्पीय सर्वेक्षणों को जारी रखने के लिए 16 अप्रैल, 1980 को सोवियत संघ की वी/ओ टैक्नी एक्सपोर्ट नामक कम्पनी के साथ एक ठेका किया गया है। इन सर्वेक्षणों को मध्य दिसम्बर 1981 तक आरम्भ करने का कार्यक्रम है और ऐसी आशा की जाती है कि प्रथम रिपोर्ट नवम्बर, 1982 तक उपलब्ध हो जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकुन्द मंडल : श्रीमन्, 24 परगना के सुन्दरबन क्षेत्र में विशेष कर बेनिंग और बकुलतला क्षेत्र में सारा सर्वेक्षण कार्य बंद कर दिया गया है। विनिर्दिष्ट गहराई तक खोदने से पहले ही अधिकांश कुओं की खुदाई बंद कर दी गई है। हाल में सुनाई पड़ा है कि विनिर्दिष्ट गहराई तक खोदने से पूर्व डायमंड हार्बर में भी कुएं की खुदाई बंद कर दी जायेगी। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करायेंगे और अधिकारियों को विनिर्दिष्ट गहराई तक कुओं की खुदाई करने तथा तत्पश्चात् सरकार के रिपोर्ट देने के लिये कहेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : श्रीमन् जहां तक 24 परगना का सम्बन्ध है, हमें तेल नहीं मिला है। परन्तु यह सच है कि हम तकनीकी कठिनाइयों के कारण वांछनीय गहराई तक नहीं पहुंच पाये। तथापि अब सर्वेक्षण के लिये सोवियत संघ और इस कम्पनी के साथ समझौता हो गया है। और हमने उन्हें तेल और गैस का पता लगाने

के लिये फिर से सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र का पूरी तरह से विकास किया जायेगा, उचित सर्वेक्षण कराया जायेगा और इसमें तेल की खोज की जायेगी।

श्री मुकुंद मंडल : डायमण्ड हार्बर के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : डायमंड हार्बर के बारे में 5500 मीटर की अभूतपूर्व गहराई तक खुदाई की गई है और अग्रतर परीक्षण करने का विचार है।

श्री मुकुन्द मंडल : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है : श्री डेविड ए. रास ने संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन को समुद्रतल में संसाधनों के शोषण पर जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कहा गया है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में तेल और गैस के भारी भंडार हैं।

उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट आफ ओश्यानोग्राफी के पोत से बंगाल की खाड़ी का सयुक्त वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए अमरीका की उत्कट इच्छा है। इस प्रेस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री महोदय अमरीका सरकार से सम्पर्क स्थापित कर उसे कहेंगे कि वह बंगाल की खाड़ी और हिन्द महासागर के क्षेत्रों की खुदाई कराये ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने श्री डेविड ए रोस को अपना प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व ऐसा अध्ययन करने की अनुमति दी थी ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सोवियत तेल मन्त्री की यात्रा के दौरान 2300 कि. मी. के बारे में प्रस्ताव देने के अतिरिक्त कलकत्ता ग्रेवीटी हाई और पोर्ट केनिंग डाइमंड क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल बेसिन क्षेत्र में बोदरा क्षेत्र में भी ड्रिलिंग में सहायता देने के प्रस्ताव दिये थे। इसलिये हम पहले ही सोवियत संघ के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। हमारे विचार में इस समय किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुकंद मंडल : श्री डेविड ए रोस के बारे में बताइए। उन्हें यह अध्ययन करने की अनुमति किसने दी थी ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या नादिया तथा बुर्दवान जिलों में परित्यक्त कुओं का सर्वेक्षण करने के बारे में समझौता हुआ था ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या नादिया और बुर्दवान जिलों तथा गलसी और गूशाकरा क्षेत्रों में परित्यक्त कुओं की खुदाई 5,500 मीटर से अधिक गहराई तक की गई है ? मैं माननीय मंत्री से यह जानकारी चाहता हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य ने जिन जिलों का उल्लेख किया है उनके बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है। इस समय मेरे पास 24 परगना के बारे में जानकारी है।

मण्डया में मैसूर ऐसीटेट एंड कैमिकल्स कम्पनी का काम और बिक्री

*338. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने माण्डया में मैसूर एसीटेट एण्ड कैमिकल्स कम्पनी के रंगीन पोटो फिल्म यूनिट की संभावनाओं के बारे में प्रतिवेदन मांगा है,

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी हिन्दुस्तान फिल्म द्वारा ऐसीटेट संयंत्र का उपयोग न किए जाने के कारण रुग्ण हो गई है,

(ग) क्या यह भी सच है कि 30 करोड़ रुपये की लागत की उपर्युक्त कम्पनी मामूली दामों में बेची जा रही है, और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मैसूर एसीटेट एवं कैमिकल्स कम्पनी लि. कर्नाटक राज्य सरकार का उपक्रम है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उपक्रम को उसके वर्तमान स्वरूप में ही बनाये रखने का निर्णय लिया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

डा. बसन्त कुमार पंडित : क्या मंत्री महोदय सभा को सूचित करेंगे कि यह मैसूर ऐसीटेट एण्ड कैमिकल्स कम्पनी कब तक स्थापित की गई थी ? सरकार ने किस कारण कम्पनी का वांछनीयता प्रतिवेदन मांगा था ? क्या प्रतिवेदन दे दिया गया था और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : यह कर्नाटक सरकार का उपक्रम है । यह 1963 में स्थापित किया गया था । कम्पनी की स्थापना से ही इसके समक्ष वित्तीय कठिनाइयां पेश आ रही हैं । इसे स्थापना से अब तक कुल 10.19 करोड़ से अधिक का घाटा हो चुका है । इसमें अभी तक किसी भी वस्तु का उत्पाद स्थापित लाइसेंस शुदा क्षमता के अनुसार नहीं हुआ है । इसलिए उद्योग मंत्रालय को वांछनीयता प्रतिवेदन देने को कहा गया है । उद्योग विभाग अभी तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाया है ।

डा. बसन्त कुमार पंडित : महोदय, यह कहा जाता है कि मैसूर ऐसीटेट एण्ड कैमिकल्स कंपनी कच्चे माल का उत्पादन करती है, जिसका उपयोग केवल एक एकाधिकार प्राप्त कंपनी जैसा कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म एक्स में होता था और वह कम्पनी उस उत्पादन का इस्तेमाल नहीं कर कर रही है जिसके कारण यह एक आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद हो गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या करार या समझौते के अन्तर्गत मैसूर ऐसीटेट एण्ड कैमिकल्स कंपनी का उत्पादन हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस ने खरीदना था और यदि हां, तो वे कच्चा माल क्यों नहीं ले रहे हैं, जिससे इस कंपनी का घाटा हो रहा है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हिन्दुस्थान फोटो फिल्मस की कुल जरूरत एक हजार टन है और यह कंपनी अभी तक 700 टन की सप्लाई कर सकी है और इस तरह वह अभी तक हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस की जरूरत ही पूरी नहीं कर सकी है । तथा प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ।

श्री के. लक्कप्पा : महोदय, मैं नहीं जानता कि श्री पंडित ने यह प्रश्न क्यों पूछा है । मुझे ज्ञात है कि यह उपक्रम बहुत समय से मौजूद है । कंपनी अपनी क्षमता के अनुसार पूरा उत्पादन नहीं कर सकी है और इसे वित्तीय सहायता की जरूरत है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि

क्या सरकार का विचार इसे वित्तीय दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने का है। क्या भारत सरकार इस कंपनी को उदार वित्तीय सहायता देगी, ताकि इसे पुनर्जीवित किया जा सके या राज्य सरकार ने कोई वैकल्पिक सुझाव दिया है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह राज्य सरकार का उपक्रम है और उन्होंने घाटा अपने कोष से पूरा किया है। तथा इस कम्पनी की स्थिति में सुधार करने के लिए हमने उन्हें सुझाव दिया है कि वे रंगीन फिल्म एकक हमें दे दें। यदि उन्होंने उद्योग विभाग, भारत सरकार को वांछनीय प्रतिवेदन दिया होता, तो कम्पनी को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया होता।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जुखाला में "एस. ए एक्स." टेलीफोन व्यवस्था

*340. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जुखाला में "एस. ए एक्स. टेलीफोन व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति की तारीख क्या है और अनुमानतः किस तारीख को व्यवस्था स्थापित हो जायेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो स्वीकृति और स्थापना की सम्भावित तारीखें क्या हैं तथा स्वीकृति में विलम्ब होने का क्या कारण है; और

(घ) उपभोक्ताओं द्वारा टेलीफोन कनेक्शनों के लिये धनराशि कब जमा कराई गई थी;

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटील) : (क) से (ग) : जी नहीं। जुखाला में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए बिलासपुर के मूल एक्सचेंज हेतु ट्रंक लाइन की आवश्यकता है। इसे हाई वोल्टेज पावर लाइन के करीब से गुजरना होगा-जिसके लिए पावर टेलीकाम-को-आर्डिनेशन समिति से पहले स्वीकृति आवश्यक है। अगस्त 1981 में पावर टेली काम-को-आर्डिनेशन समिति से स्वीकृति मांगी गई थी, जिसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है। समिति से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही परियोजना को मंजूरी दी जाएगी। परियोजना की मंजूरी तथा उसके संस्थापन के बीच समय का सामान्य अन्तर 23 महीने है।

(घ) धनराशि निम्न प्रकार जमा कराई गई थी :

4-12-1976 को 3
26-4-1980 को 7
21-1-1981 को 1

प्रो. नारायण चन्द पराशर : महोदय, इस बात को देखते हुए कि उपभोक्ताओं ने इतने वर्ष पहले जैसा कि 1976 में ही राशि जमा करा दी थी और राज्य सरकार ने 4 मार्च, 1977 को 15000 रुपये अदायगी कर दी थी, इस परियोजना की स्वीकृति में बहुत अधिक विलम्ब हुआ है और इस बारे में दिनांक 28 अगस्त, 1980 के प्रश्न संख्या 1209 तथा दिनांक 24 नवम्बर, 1981 के प्रश्न संख्या 253 में भी उल्लेख किया गया था। अब पी. टी. सी. सी. बहुत अधिक समय ले रही है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि समिति इस परियोजना को स्वीकृति कब तक दे देगी और संस्थापन कार्य कब आरम्भ किया जायेगा, क्यों कि पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उस क्षेत्र में विद्युत तारें लगाये जाने के कारण संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है और

इस से जिला मुख्यालय सहित समूचा क्षेत्र संचार सुविधा से वंचित हो गया है ? इस परियोजना को स्वीकृति तथा मंजूरी कब तक दी जाये और संस्थापना कब तक की जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमें पी. टी. सी. सी. से हाल ही में स्वीकृति मिली है तथा मैं यह आश्वासन देता हूं कि अधिक से अधिक छः महीने में यह परियोजना पूरी हो जायेगी।

बम्बई में रसोई गैस वितरकों को आबंटित सिलिंडरों की संख्या की अधिकतम सीमा निश्चित करना

*341. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई में एक रसोई गैस वितरक को प्रति माह दिये जाने वाले सिलेंडरों की अधिकतम संख्या निश्चित की है;

(ख) यदि हां, तो अधिकतम संख्या क्या है और यह कब लागू की गई थी;

(ग) क्या रसोई गैस की मांग में हो रही वृद्धिय को देखते हुए बम्बई के ऐसे क्षेत्रों में, जहां वितरक अपनी अधिकतम संख्या तक पहुंच चुके हैं, अधिकतम संख्या लागू करने के बाद से अब तक कोई नए डीलर नियुक्त किए गए हैं और यदि हां तो तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि उपरोक्त (ग) में उल्लिखित क्षेत्रों में नए डीलरों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे, साक्षात्कार का आयोजन हुआ था, लेकिन कोई नियुक्ति नहीं की गई ; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) क्या उपरोक्त संख्या निर्धारण से उपभोक्ताओं को विशेषरूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, हो रही कठिनाइयों को देखते हुए सरकार का विचार अधिकतम संख्या को समाप्त करने का या शीघ्र नई नियुक्तियां करने का है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई में प्रति वितरक के लिए प्रतिमास 6,000 रिफिल देने की अधिकतम सीमा निश्चित की गई है। इसका निर्णय अप्रैल, 1978 में लिया गया था।

(ग) जबकि कुछ नये डीलरों की नियुक्ति की गई है और कुछ और डीलर नियुक्त किये जा रहे हैं, इनका सम्बन्ध सीधे तौर पर अधिकतम सीमा से संबंधित नहीं हो सकता है। यह बम्बई क्षेत्र में विभिन्न एजंसियों के हाल ही में किये गये पुनर्गठन के कारण है।

(घ) 1980-81 की योजना के मुताबिक आरक्षित श्रेणियों के अन्तर्गत दी जाने वाली वितरक एजेंसियों में विलम्ब डीलरों और वितरकों के चयन के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्तों के परिचालित संशोधन किये जाने में हुए विलम्ब के कारण था। संशोधित मार्गदर्शन सिद्धान्त किये गये हैं, और तेल कम्पनियाँ लम्बित वितरक एजेंसियों को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए सभी प्रयास कर रहीं हैं। सरकार द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों के ब्यौरे नहीं रखे गये हैं।

(ङ.) अधिकतम सीमा में संशोधन करने से संबंधित मामले की जांच एक कार्यकारी

दल द्वारा की जा रही है। जहां तक नई नियुक्तियां शीघ्र किये जाने का संबंध है, यह पहले से ही किया जा रहा है।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, अपने अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं आप का संरक्षण चाहत हूं। मेरे प्रश्न बहुत विशिष्ट हैं और मैं विशिष्ट जानकारी चाहता हूं, परन्तु जिस तरह से उत्तर दिये गये हैं, उन से कोई विशिष्ट जानकारी नहीं मिलती। इस लिए मैं आप से निवेदन करता हूं कि पहले आप मंत्री को मेरे पहले प्रश्नों के उत्तर देने का निदेश दें तथा उसके बाद ही मैं अपने अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं।

मैं आप का ध्यान अपने प्रश्न के भाग (ग) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उस में मैंने कहा है कि रसोई गैस की मांग में वृद्धि हो रही है। कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, वितरकों के पास उपभोक्ताओं की इतनी संख्या हो गई है जितनी की अधिकतम हो सकती है, जिस से उन व्यक्तियों को असुविधा होती है, जिन के नाम उन के पास पंजीकृत हैं और जिन की बारी नहीं आती। मैंने पूछा है कि क्या उन विशिष्ट क्षेत्रों में नये वितरक नियुक्त किये गये हैं और यदि हां, तो कितने नये वितरक नियुक्त किये गये हैं ? मैंने यह प्रश्न इस लिए पूछा है क्योंकि मेरा विचार है कि कनैक्शनों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बाद अब तक एक भी नया वितरक नियुक्त नहीं किया गया है। उत्तर यह कि कुछ वितरक नियुक्त किये गये हैं और कुछ नियुक्त किये जा रहे हैं। प्रश्नों का उत्तर देने का यह सही तरीका नहीं है।

प्रश्न के भाग (ख) में मैंने स्पष्ट रूप से पूछा है कि डीलरों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन भी किया गया था, लेकिन फिर भी कोई डीलर नियुक्त नहीं किया गया। मैंने पूछा था कि क्या यह बात सही है अथवा नहीं। मंत्री ने न तो इस का नाकारात्मक उत्तर नहीं है और न ही साकारात्मक। इस लिए मेरा आप से पहला निवेदन यह है कि आप मंत्री को मेरे प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के विशिष्ट उत्तर देने का निवेश दें।

अध्यक्ष महोदय : आप श्री बनातवाला को संतुष्ट कीजिए।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : जहां तक उन क्षेत्रों का सम्बन्ध है, जहां वितरकों के पास कनैक्शनों की सख्या अधिकतम सीमा तक पहुंच गई है, मैं माननीय मत्री को उदाहरण के तौर पर यह बताना चाहता हूं कि कोलाबा में दियाना गैस सर्विस और काकर गैस सर्विस के पास क्रमशः 7423 और 7077 कनैक्शन हैं हालांकि अधिकतम सीमा 6000 की है। तथापि मैंने कहा है कि एजेंसियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि छः एजेंसियां दी जा चुकी है और 13 एजेंसयों के बारे में एक महीने तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है।

श्री जी. एम. बनातवाला इन पुनरीक्षित मार्गदर्शी निदेशों का परिचालन कब किया गया था? सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियुक्तियां मार्गदर्शी निदेशों के अनुसार हों और किन्ही अन्य बातों या अवछनीय प्रभाव के कारण इन मार्गदर्शी निदेशों के अनुसार अर्हत व्यक्तियों की अवहेलना न की जाये, क्या उपाय कर रही है ? यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन मार्गदर्शी निदेशों का सही ढंग से पालन किया जाये, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

श्री प्रकाश चन्द सेठी : महोदय, मैं मार्गदर्शी निदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखूंगा।

जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि अब एक बोर्ड का गठन कर दिया गया है और इस लिए प्रभाव का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। बोर्ड उम्मीदवारी की योग्यता के आधार पर निर्णय करने को स्वतंत्र है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बंगाल की खाड़ी में तेल खोज

*333. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लि. दोनों की ही तेल की खोज सम्बन्धी व्यापक योजनाओं में बंगाल की खाड़ी में तटदूर खोज भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो सम्भावित स्थलों सहित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) छठी योजना के दौरान, बंगाल की खाड़ी के विभिन्न भागों में जिसमें महानदी, पाक खाड़ी, कृष्णा-गोदावरी और अण्डमान और निकोबार थाले शामिल हैं, में अन्वेषी खुदाई किये जाने की परिकल्पना है।

अध्यापकों की डाक एजेंट के रूप में नियुक्ति

*335. **श्री के. प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के सभी गांवों में विशेषकर दूर-दराज के पिछड़े क्षेत्रों में डाक वितरण की सुविधायें आसानी से उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(ग) क्या वहां जहां डाकघर की सुविधा उपलब्ध नहीं है माननीय एवं कमीशन के आधार पर डाक एजेंटों के रूप में गांव के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नियुक्त करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटील) : (क) जी नहीं। दूरवर्ती एवं पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के सभी गांवों में डाक वितरण सुविधायें यथासंभव एवं व्यवहार्य पाए जाने पर उपलब्ध कराई जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है

गोदावरी बेसिन में तेल छिद्रण-कार्य

*336. **श्री के. राममूर्ति** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी बेसिन में सितम्बर, 1980 में तेल मिलने के बाद किन प्रौद्योगिकीय समस्याओं का सामना करना पड़ा है; और

(ख) इन पर काबू पाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि तट-दूर छिद्रण कार्य पुन: शुरू किया जा सके ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सामना की जा रही मुख्य प्रौद्योगिक कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं : समुद्र के भीतर (सब-सी) की प्रतिकूल स्थितियां, तीव्रगति महासागर प्रवाह, बहुत कम क्षमता सहित मुलायम चिकनी मिट्टी तथा कीचड़ की मौजूदगी।

(ख) इनका तकनीकी आधार पर मूल्यांकन व अध्ययन किया गया है तथा अस्थायी हलों को बताया गया है। इनका कार्यान्वयन तब किया जायेगा जब गोदावरी अपतटीय के लिए अब आयोजित किये गए प्रचालनों को शुरू किया जायेगा।

सोडा ऐश के आयात पर प्रतिबन्ध

*339. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि देश में सोडाऐश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है,

(ख) यदि हां, तो इसका आयात करने के क्या मुख्य कारण हैं,

(ग) क्या लघु उद्योगों के व्यापक हितों को देखते हुए सोडा ऐश के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1978, 1979 और 1980 के प्रारम्भ में सोडा ऐश की कम सप्लाई थी। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप सोडा ऐश की उपलब्धता स्थिति काफी अच्छी हो गई है।

(ख) उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से 14-1-1979 से सोडा ऐश को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है।

(ग) और (घ) : सोडा ऐश के निर्माताओं ने अभ्यावेदन दिया है कि 31.10.81 को सोडा ऐश का लगभग 81.690 टन स्टाक नहीं बिका था जबकि जनवरी 1981 के अन्त में 17,053 टन नहीं बिका था। निर्माता इसलिए अभ्यावेदन कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर आयात और कम उठाने कारण स्टाक जमा हो रहा है। जब तक आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता, उद्योग बुरी तरह प्रभावित रहेगा। तथापि अखिल भारतीय कांच निर्माता संघ और अखिल भारतीय सिलिकेट निर्माता संघ जैसे उपभोक्ता संघ, वर्तमान आयात नीति को जारी रखने की दलील दे रहे हैं। उनका तर्क है कि देश में सोडा ऐश का निर्माण, मांग से कम पड़ सकता है सरकार ने अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया है। आयात नीति की लगातार समीक्षा की जा रही है, मांग और स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आयात का विनियमन किया जाता है।

एकाधिकार तथा अवरोधक यापारिक व्यवहार आयोग को मामले भेजने के लिये कम्पनियों की पूंजी सीमा

*342. **श्री अरूण कुमार नेहरू** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को भेजे जाने वाले मामलों के लिए कम्पनियों को 20 करोड़ रुपए की पूंजी सीमा को बढ़ाये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्सम्बधी कारण क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) से (ग) उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) जो सरकार द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनयम, 1969 और कम्पनी अधिनियम, 1956 में क्या क्या परिवर्तन किये जाने आवश्यक थे, पर विचार करने तथा अपनी रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई थी, उसने सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस प्रयोजन के लिये विद्यमान पूंजी सीमा में किसी भी बढ़ोतरी का सुझाव नहीं दिया है। इस विषय में समिति के सुझावों और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में अन्य संशोधनों के सम्बन्ध में, सरकारी उच्च स्तर पर सक्रिय विचार किया जा रहा है यथाशीघ्र इन पर निर्णय होते ही, आवश्यक विधान निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले छोटे समाचार-पत्रों को प्रोत्साहन

*343. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव है कि क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले छोटे समाचार पत्रों को, जिन्हें गांवों में वितरित किया जाता है प्रोत्साहन दिया जाए तथा इन्हें आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार छोटे समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का है ताकि वे प्रभावलशाली ढंग से अपना कार्य कर सकें और "यलो जनरज्लिम" से अपने आपको दूर रख सकें ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) : छोटे और मझौले समाचारपत्रों के विकास को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति के अनुरूप, कई सुविधाओं/रियायतों की सरकार की अखबारी कागज आवंटन नीति और विज्ञापन नीति में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, इनको अनेक अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं। छोटे और मझौले समाचार-पत्रों के लिए काम करने वाले पत्रकारों को भी कतिपय सुविधायें प्रदान की जाती हैं। एक विवरण, जिसमें इनमें से कुछ सुविधाओं/रियायतों का उल्लेख किया गया है, सदन की मेज पर

रख दिया गया है। क्योंकि लगभग सभी क्षेत्रीय भाषायी समाचार पत्र छोटी और मझौली श्रेणी से संबंधित हैं, अतः ये इन रियायतों/सुविधाओं से लाभान्वित होते हैं।

विवरण

सरकारी विज्ञापन देने, प्रचार सामग्री, लेखे और फोटो सप्लाई करने और अखबारी कागज का कोटा रिलीज करने, आदि के मामले में सरकार कतिपय सुविधाएं, रियायतें देती रही है।

2. वर्तमान विज्ञापन नीति, जो 1 अक्तूबर, 1980 से लागू है, में छोटे और मझौले समाचार पत्रों के लिए निम्नलिखित रियायतें हैं :—

(1) पहले निर्धारित 2,000 प्रतियों की न्यूनतम बिक्रीत प्रसार संख्या की तुलना में 1,000 प्रतियों की न्यूनतम प्रसार संख्या वाला समाचारपत्र अब सरकारी विज्ञापन पाने का पात्र बन गया है।

(2) पिछड़े, सीमावर्ती या दूरस्थ क्षेत्रों में या जन जातीय भाषाओं में या मुख्यतया जनजातीय लोगों के लिए प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन पाने का पात्र बना दिया गया है, यदि उनकी न्यूनतम बिक्रीत प्रसार संख्या प्रति अंक 500 प्रतियां हो।

(3) पहले निर्धारित 6 महीने की अवधि की तुलना में 4 महीने तक अनवरत प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र/पत्रिकाएं अब सरकारी विज्ञापन पाने के पात्र हो गए हैं।

(4) पात्रता के लिए अपेक्षित मानक मुद्रित स्थान दैनिक समाचार पत्रों के लिए 1260 मानक कालम से. मी. से कम करके 760 मानक कालम से. मी., साप्ताहिकों/पाक्षिकों के लिए 720 मानक कालम सें. मी. से कम करके 480 मानक कालम से. मी. तथा मासिक और अन्य पत्रिकाओं के लिए 1200 मानक कालम से. मी. से कम करके 960 मानक कालम से. मी. कर दिया गया है।

(5) 2,000 प्रतियों की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्र अब अपनी प्रसार संख्या का प्रमाण-पत्र संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों से भी लेकर प्रस्तुत कर सकते हैं।

(6) नई विज्ञापन नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता भाषायी समाचारपत्रों और अंग्रेजी के समाचापत्रों के बीच दरों की समानता है।

3. इसी प्रकार, अखबारी कागज के आवंटन के मामले में वृद्धि की उच्चतम दर अखबारी कागज के आरम्भिक आबंटन के समय पर उपलब्ध की गई है। नई आवंटन नीति में बड़े समाचारपत्रों के लिए 5% की तुलना में छोटे समाचारपत्रों के लिए प्रतिशत की आरम्भिक वृद्धि दर की अनुमति है। वे यदि चाहें तो अखबारी कागज का अपना कोटा एक ही बार में उठा सकते हैं, जबकि बड़े समाचारपत्रों को अखबारी कागज का आवंटन मासिक आधार पर किया जाता है। 2,000 से कम की प्रसार संख्या वाले छोटे समाचारपत्रों को अब चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, छोटे समाचारपत्रों की सहायता करने के लिए अखबारी कागज की कुछ मात्रा शीटों में आयात की जा रही है। देश में अधिक डिपो खोले जा रहे हैं।

4. उपर्युक्त के अलावा, छोटे और मझौले समाचारपत्रों को प्रचार सामग्री लेख, फोटो और चर्बा (लिथोग्राफ उर्दू पत्रों के लिए) नियमित रूप से सप्लाई किए जाते हैं। छोटे और मझोले समाचारपत्रों की निम्नलिखित सामग्री भी सप्लाई की जाती है :—

(1) सरल और कैप्सूल फार्म में लिखी विकास कहानियां।
(2) कृषि न्यूज लैटर।
(3) विज्ञान न्यूज लैटर।
(4) रक्षा स्निपेट्स।
(5) यूनेस्को फीचर्स-हिन्दी और उर्दू।
(6) ग्रामीण पत्र सेवा हिन्दी में।
(7) साप्ताहिक समाचार समीक्षा-हिन्दी में।
(8) एबोनाइड ब्लाक।

5. छोटे और मझोले समाचारपत्रों को देश की विभिन्न विकास परियोजनाओं में ले जाए जाने वाली प्रेस पार्टियों में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक अदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत छोटे समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को विदेशों की यात्रा पर जाने वाले भारतीय पत्रकारों के दलों में सम्मिलित किया जाता है।

6. प्रत्यायन के मामले में, नियमों को उदार बनाया गया है ताकि छोटे और मझोले समाचारपत्र भारत सरकार के मुख्यालय में अपने संवाददाताओं के लिए प्रत्यायन प्राप्त कर सकें। अब दो या इससे अधिक छोटे समाचारपत्र अपनी संयुक्त प्रभार संख्या के आधार पर एक संयुक्त संवाददाता के लिए प्रत्ययान की मांग कर सकते हैं। इन प्रत्यायित संवाददाताओं को रेलवे द्वारा रियायती किराए पर माइलेज कूपन जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारें भी अपनी अपनी प्रत्यायन नीतियों के माध्यम से राज्य की परिवहन बसों इत्यादि में यात्रा करने के लिए रियायती परिवहन पासों सहित अनेक सुविधाएं प्रदान करती है।

7. समाचारपत्र उद्योग के लिए अब वित्तीय सहायता दिये जाने के लिये वित्तीय संस्थानों से सम्पर्क करना संभव है। इसके अलावा, समाचारपत्र लघु उद्योग यूनिट जो लघु उद्योग की परिभाषा में आते हैं, के लिए लघु व्यापार (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अन्तर्गत डिपोजिट इन्स्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन की गारंटी द्वारा कवर होते हैं।

डी. ए. वी. पी. द्वारा समाचारपत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों की दरों में वृद्धि

*344. **श्री कमल नाथ :**

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डी. ए. वी. पी. (दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय) द्वारा विभिन्न समाचारपत्रों को दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों की दर में वृद्धि करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) नई दरों से छोटे समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को कहां तक लाभ होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने विज्ञापनों की दरों में 1-10-81 से 20% वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

(ग) दरों में वृद्धि सभी श्रेणियों के समाचारपत्रों पर समान रूप से लागू होगी।

नरौरा परमाणु बिजली संयंत्र से उत्तर प्रदेश को बिजली देने का प्रस्ताव

*345. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरौरा परमाणु बिजली संयंत्र से उत्तर प्रदेश को बिजली देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने मेघावाट बिजली दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) नरौरा परमाणु विद्युत केन्द्र से विभिन्न राज्यों को विद्युत के आवंटन के लिए अपनाए जाने वाले फार्मूले के बारे में अभी सरकार ने निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला और ऊर्जा के सम्बन्ध में भारत और फ्रांस के बीच समझौता

*346. **श्री बी. वी. देसाई :**

श्री जी. वाई. कृष्णन् : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और फ्रांस ने कोयला और ऊर्जा के संबन्ध में एक प्रोटोकॉल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या कोयले के संबन्ध में प्रोटीकौल में उड़ीसा में कोयला खनन सम्बन्धी खोज में सहयोग और कोयला प्रौद्योगिकी में साझेदारी सम्मिलित हैं;

(घ) समझौते को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) फ्रांस द्वारा कुल कितनी पूंजी लगाए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समझौता ज्ञापन में कोयला उद्योग के विकास के लिए सहयोग की और साथ ही वित्तीय सहायता तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। इसमें कोयला संबन्धी भारत-फ्रांस कार्यकारी दल की स्थापना और उड़ीसा में अनन्त खान के विकास के लिए फ्रांसीसी सहायता शामिल है।

(घ) समझौते का कार्यान्वयन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें सहयोग की प्रगति की वार्षिक पुनरीक्षा करने की व्यवस्था है।

(ङ) अभी इस समय उस राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है जिसका फ्रांस द्वारा निवेश होने की संभावना है।

विज्ञापन के मामले में क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों को महत्व दिया जाना

*347. **श्री उत्तम राठौर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विज्ञापनों के मामले में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित समाचारपत्रों को उचित महत्व देने की घोषणा की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्षेत्रीय भाषाओं के पत्रों की तुलना में अंग्रेजी के दैनिक

समाचार पत्रों को जिनकी बिक्री संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, विज्ञापनों के मामले में प्राथमिकता दे दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के सामाचारपत्रों के बीच इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) इस समय लागू सरकार की विज्ञापन नीति में छोटे और मझोले समाचारपत्रों जिनमें से अधिकांश क्षेत्रीय भाषाओं की श्रेणी से संबंधित हैं, के लिए पहले ही उपलब्ध धन की व्यवस्था है। इसके अलावा, सरकार ने समान प्रसार संख्या वाले अंग्रेजी और हिन्दी के समाचार पत्रों के बीच दरों में समानता लाई हैं।

(ख) से (घ) सरकारी विज्ञापनों को विज्ञापन नीति, जो सदन की मेजपर पहले ही रखी जा चुकी है, में निहित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार जारी किया जाता है। विज्ञापनों को रिलीज करने के लिए समाचारपत्रों का विज्ञापनों का संतुलित और न्यायसंगत वितरण करने के उद्देश्य नहित लक्ष्य जन संख्या और इस सदर्भ में यथासंभव अधिक से अधिक कवरेज प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

कल्पक्कम और महाबलीपुरम के लिए एम. टी. डी. सुविधाएं

*348. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के आणविक ऊर्जा परियोजना और रिएक्टर अनुसधान केन्द्र कलाक्कम (जिला चिंगलीपुट) को दिल्ली से या कल्पक्कम और महाबलीपुरम को मद्रास से एस. टी. डी. की सुविधा देने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार कल्पक्कम और महाबलीपुरम को एस. टी. डी. को सुविधाएं देने पर विचार करेंगी।

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय ऐन. पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) कल्पक्कम और महाबलीपुरम हेतु एस. टी. डी. सुविधा की व्यवस्था पर अगली पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विचार किए जाने की संभावना है।

अटारी (उत्तर प्रदेश) में डाकघर

*349. **श्री राम नाथ दुबे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के अटारी कस्बे में जहां चालीस हजार से अधिक जनसंख्या है, केवल एक ही डाकघर है; और

(ख) लोगों के अनुरोध पर अटारी में एक और डाकघर न खोलने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय ऐन. पाटिल) : (क) जी हां। कुछ दिन पहले तक अटारी कस्बे (बांदा जिला) में केवल एक डाकघर था।

(ख) अटारी के पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में एक और गैर वितरण डाकघर की मन्जूरी दी गई है तथा 5 दिसम्बर, 1981 को यह डाकघर खोल दिया गया है।

असम के लिऐ विद्युत पारेषण योजनाएं

*350. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम के लिए अतिरिक्त विद्युत पारेषण कार्य योजनाओं को योजना आयोग द्वारा स्वीकति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्योरा क्या है और उनकी अनुमानित लागत क्या है और वे किस समय तक पूरी हो जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए. बी. ऐ. गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जनवरी, 1981 में स्वीकृत किये गये पारेषण तथा ट्रांस्फारमेशन कार्यों के अतिरिक्त, योजना आयोग ने असम के लिए 23.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के निम्नलिखत पारेषण तथा ट्रांस्फारमेशन कार्यों को भी नवम्बर, 81 में अनुमोदन दे दिया है। ये कार्य छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिये जाने हैं।

इस अतिरिक्त स्कीम में निम्नलिखित पारेषण तथा ट्रांस्फारमेशन कार्यों की परिकल्पना है :—

(क) **पारेषण लाइनें** :

(1) 220 के. वी. पारेषण लाइनें—200 सर्किट किलोमीटर

(2) 130 के. बी. पारेषण लाइनें—393 सर्किट किलोमीटर

(ख) **उप केन्द्र**

(1) दिफू, धामाजी, अगिआ, नजिरा, अमीन गांव, गौरीपुर, जामीरोड, हाफलाग, जोरहाट में 132 के. वी. के नए उप-केन्द्र स्थापित करना।

(2) गोसाई गांव, लकवा, लंका, मग्यिानी, तिनसुकिया, मार्गेटा, चन्द्रपुरा, उत्तरी लखीमपुर में 132 के. वी. उपकेन्द्र का विस्तार।

(3) गोहाटी में 220 के. वी. उप-केन्द्र का विस्तार। विद्युत लाइन कैरियार संचार उपस्कर। सिविल कार्य।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के एक एकक को पश्चिम बंगाल में स्थापना करना

*226. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के एक एकक की स्थापना पश्चिम बंगाल में की जाये।

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाई की गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया गया था कि फिलहाल इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के लिए पश्चिम बंगाल में एक यूनिट लगाने पर विचार करना संभव नहीं है और अन्य कोई यूनिट लगाते समय पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखा जाएगा।

भाखड़ा निर्माण बोर्ड द्वारा विद्युत संचार टावरों का निर्माण-कार्य बन्द किया जाना

3722. **श्री सुबोध सेन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि भाखड़ा किर्माण बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले में विद्युत संचार टावरों का निर्माण-कार्य रोक दिया गया है जिससे कि 1500 से भी अधिक श्रमिकों की नौकरियां खत्म हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में व्यास निर्माण बोर्ड द्वारा किया जा रहा 400 के. वी. देहर-पटियाला-दादरी लाइन का कार्य, हिमाचल प्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने तक रोक दिया गया है। लगभग 800 कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी और 240 कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर भेजा गया।

यह मामला हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यान में ला दिया गया है ताकि इसका हल निकाला जा सके।

"रिफाइनरी एक्सप्लोजन्समैन-मेड डिजाइस्टर एण्ड वर्स" शीर्षक लेख

3723. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई से प्रकाशित 16 अक्तूबर, से 1 नवम्बर, 1981 के 'आनलुकर' में 'रिफाइनरी एक्सप्लोजंस-मैन-मेड डिजास्टर एण्ड वर्स' शीर्षक प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें (एक) हल्दिया में 7 जुलाई 1980 को हुई विस्फोट तथा उसके बाद हुये दंगों उस भीषण दुर्घटना को अत्यन्त गोपनीय रखने की बात करी गई है जिसमें संयत्र में ही दो कर्मचारी मारे गये थे और लगभग एक करोड़ रुपये की क्षति पहुंची थी और साथ ही साथ 10 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादन की भी हानि हुई थी तथा 4 अप्रैल, 1981 को मद्रास के एल. पी. जी. यूनिट में आग लग गई थी, जिसके फलस्वरूप कई लाख की संपत्ति की हानि हुई थी, और (दो) लागबुक में हेराफेरी तथा उनके अनुमति रख-रखाव का जिक्र नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) जी हां। सरकार ने समाचार रिपोर्ट देख ली है। दोनों घटनाओं की विशेषज्ञ समितियों द्वारा पूरी तरह जाँच पड़ताल की गई है। और भविष्य में ऐसी घटनाओं के पुनः घटने से रोकने की कार्यवाई

दिखाने वाली समितियों की सिफारिशों सहित उनकी रिपोर्टें देश की सभी शोधनशालाओं को परिचालित की गई हैं।

कर्नाटक में आकाशवाणी केन्द्र

3724. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छठी योजना के दौरान कर्नाटक में और अधिक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना के लिए कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में विद्युतीकृत किये गये गांव

3725. **आचार्य भगवान देव** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में चालू वर्ष के दौरान कितने गांव विद्युतीकृत किए गए; और

(ख) अगले वर्ष कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)। (क) अगस्त, 1981 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में चालू वर्ष (1981-82) के दौरान 126 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ख) अगले वर्ष (1982-83) के लक्ष्यों की अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राजस्थान में बिजली की स्थिति

3726. **श्री मोहन लाल सुखाड़िया** :

श्री जयनारायण रोट : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बिजली की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में कोई सुपर ताप बिजली परियोजनाएं स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें पूरा करने का कार्यक्रम क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में सिंगरौली में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित किए जा रहे सुपर ताप विद्युत केन्द्र की 600 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाले प्रथम चरण से 53 मेगावाट का तथा 2000 मेगावाट की चरम प्रतिष्ठापित क्षमता में से 300 मेगावार्ट विद्युत का आबंटन राजस्थान को किया गया है। परियोजना का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है तथा 200 मेगावाट क्षमता के पहले यूनिट को फरवरी, 1982 तक चालू कर लिए जाने की आशा है।

कोयले के लिये नये क्षेत्रों का सर्वेक्षण

3727. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला क्षेत्र का पता लगाने के लिये गत तीन वर्षों के दौरान नये क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों का; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बड़े उद्योग गृहों की आस्तियां

3728· **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गत तीन वर्षों के दौरान बड़े-बड़े उद्योग-गृहों की आस्तियों में नियमित रूप से वृद्धि हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रथम 10 बड़े उद्योग गृहों की आस्तियों के बारे में उपलब्ध नवीनतम आंकड़े क्या हैं और उसमें गत तीन वर्षों के दौरान किस दर से वृद्धि हुई है; और

(ग) सरकार ने अपनी, समाजवादी नीति के अनुसरण में इन उद्योग गृहों की आस्तियों में इन आश्चर्यजनक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) तथा (ख) देश के वृहद औद्योगिक घरानों की परिसंपत्तियों का रौपिक मूल्य, 1977 से 1980 में, तीन वर्षों की अवधि में 45 प्रतिशत तक बढ़ गया था। प्रथम दस वृहद घरानों की परिसम्पत्तियों का मूल्य तथा साथ ही इनकी गत तीन वर्षों में परिसंपत्तियों में वृद्धि, नीचे दी जाती है :

औद्योगिक घराना	1980 में परिसम्पत्तियां (करोड़ रु. में)	1977 से वृद्धि का प्रतिशत
टाटा	1538.97	44
बिड़ला	1431.99	34
मफ्तलाल	427.54	50
जे. के. सिंहानिया	412.72	54
थापर	348.06	61
आई. सी. आई.	343.01	63
साराभाई	317.94	132
ए. सी. सी.	274.51	63
बांगुर	264.33	40
लार्जन एण्ड टीब्रो	246.48	33

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक प्रणाली का संचालन, जनहित के विरुद्ध आर्थिक शक्ति के

संकेन्द्रण का परिणामी न हो। केन्द्रीय सरकार द्वारा यह उद्देश्य इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अथवा पंजीकरण योग्य उपक्रमों के सारवान विस्तारार्थ नवीन उपक्रमों की स्थापना संविलियन, एकीकरण तथा अधिकार में लेने, आदि के प्रस्तावों की परीक्षा तथा विनियम के माध्यम से प्राप्त करना होता है। अधिनियम में उपक्रमों के विकास को इस रूप में रोकने के लिए प्रावधान नहीं है।

रायपुर दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के लिये परामर्शदाता समिति

3729. **श्री कयूर भूषण** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायपुर दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के लिये एक परामर्शदाता समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हाँ तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं तो उक्त समिति कब गठित कर दी जायेगी; और

(घ) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हाँ।

(ख) दोनों सलाहकार समितियों के सदस्यों के नाम क्रमश: विवरण-1 और विवरण-2 में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-1

उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर

कार्यक्रम सलाहकार समितियों की संरचना

1. श्री महा सिंह चन्द्राकर, दुर्ग।	एक सांस्कृतिक सोसाइटी सोन्हा विहन के निदेशक
2. डा. स्नेहलता पाठक, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय बीरोन बाजार, रायपुर।	शिक्षा शास्त्री, महिलाओं की गतिविधियाँ
3. श्री विनोद कुमार शुक्ल, रायपुर।	प्रख्यात कवि और लेखक
4. डा. ए. के. सेन, कुलपति, संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, रायपुर	प्रख्यात संगीत शास्त्री लोक कलाओं के ज्ञाता
5. श्री मधुकर खान, रायपुर।	प्रख्यात पत्रकार
6. डा. प्रेमचन्द शानलारे, डूंगरगढ़, जिला दुर्ग।	चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता
7. श्री रमेश मुक्तिबोध, भिलाई स्टील संयंत्र, भिलाई।	प्रख्यात लेखक
8. श्रीमती ज्योति वर्मा, डा. एम. सी. वर्मा के सामने, सदर बाजार, जूनी लेन, बिलासपुर।	संगीतज्ञ

विवरण-2

आकाशवाणी रायपुर

कार्यक्रम सलाहकार समिति की संरचना

क्र. सं.	नाम और पता
1.	प्रो. इन्द्र देव सिंह, समाज शास्त्री, रायपुर ।
2.	डा. रमेश चन्द्र मल्होत्रा, भाषाविद्, रायपुर ।
3.	श्री विमलेन्दु मुखर्जी, संगीतकार तथा इन्जीनियर, भिलाई ।
4.	श्री ललित सुरजन, सम्पादक, देशबन्धु प्रेस, रायपुर ।
5.	श्री धनेश्वर शर्मा, छत्तीसगढ़ी कवि, भिलाई ।
6.	डा. रामचन्द्र देशमुख, (लोक कलाकार, संगीत और संस्कृति) ग्राम बाघेरा, पो. ओ. दुरा ।
7.	स्वामी आत्मा नन्द जी, आर. के. मिशन, रायपुर ।
8.	श्री एम. पी. गौतम, कुलपति, इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़
9.	श्री जी. एल. बोरा
10.	श्री चित्रकान्त जायसवाल
11.	श्रीमती शशि प्रभा देवी
12.	श्री एस. डी. शोक जलन्धरी, प्रशासनिक निदेशक, ग्रास मैमोरियल सेंटर, जयस्तम्भ चौक, रायपुर ।
13.	श्री लतीफ घोंघी, एडवोकेट, महासमुन्द, जिला-रायपुर ।

दूरसंचार निदेशक के कार्यालय (उत्तर मुजफ्फरपुर) का विकेन्द्रीकरण

3730. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकेन्द्रीयकरण के बावजूद भी दूर संचार निदेशक का कार्यालय (उत्तर मुजफ्फरपुर), दो वर्स से भी अधिक अवधि बीत जाने पर भी पटना से बहुत थोड़े से कर्मचारी लेकर कार्य रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय को मुजफ्फरपुर स्थानान्तरित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) 1979 में विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर के लिए निदेशक, दूरसंचार (उत्तरी) का कोई पद मंजूर नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अवैध कोयला खानें

3731. **श्री अजीत बाग** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय कितनी अवैध कोयला खानें चल रही हैं और उनका राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियमों में 1976 में संशोधन करके यह निषेध कर दिया गया था कि जिन व्यक्तियों को अधिनियम के द्वारा प्राधिकृत किया गया है उन्हें छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति भारत में किसी भी रूप में कोयला खनन का कार्य नहीं कर सकता और जो गैर सरकारी पार्टियां लोहा और इस्पात का उत्पादन करती हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी को दिये गये कोयला निकालने या कोयले के खनन से सम्बन्धित सभी खनन पट्टे भी समाप्त कर दिये गये थे। इस संशोधन के बाद देश में कोयले का कोई भी गैर-सरकारी खनन कानूनी नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को चुनौती देते हुए प्रादेश याचिकायें दाखिल कीं और इस आशय के अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिए कि प्राधिकारी और कोयला कम्पनियां उनके कोयला खनन कार्य में हस्तक्षेप न करें। उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल और मई, 1980 के अपने निर्णयों में उक्त अधिनियम को वैध ठहराया और सभी प्रादेश याचिकायें खारिज कर दीं। इन निर्णयों के बाद गैर-कानूनी कोयला खनन की शरारत एक बड़ी सीमा तक बन्द कर दी गई है।

देश की कोयला पट्टी विशाल है और कुछ लोग कभी-कभी कानून की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं और कुछ इलाकों में चोरी छिपे कोयले का गैर-कानूनी खनन करते हैं किन्तु यह मामले छुटपुट ही हैं। कोयला कम्पनियों और राज्य सरकारों को यह अनुदेश जारी कर दिये गए हैं कि वे जब कभी पता चले तो अपराधियों को सजा दिलाने के लिए दण्ड और निवारण दोनों प्रकार की कार्यवाही करें। राज्य सरकारों की कानून लागू करने वाली एजेंसियों कोयला कंपनियों के सुरक्षा कर्मचारियों के सहयोग से समय-समय पर छापे भी मारती हैं।

दार्जीलिंग कर्शियांग तथा कालिपोंग को सीधी डायल सेवा द्वारा दिल्ली से जोड़ना

3732. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग, कर्शियाँग तथा कालिमपोंग को दिल्ली तथा भारत के अन्य नगरों के साथ सीधी डायल सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) दार्जिलिंग, कारशियाँग एवं कालिमपोंग को चालू योजना अवधि के अन्त तक दिल्ली और देश के अन्य शहरों के साथ सिलीगुड़ी ट्रंक स्वचल एक्सचेंज जिसका संस्थापन किया जा रहा है, के माध्यम से जोड़े जाने की सम्भावना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डोम्बीवाली, जिला थाना (महाराष्ट्र) के लिये टेलीफोन ऐक्सचेंज

3733. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **संचार मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें महाराष्ट्र चेम्बर आफ कामर्स (जन सम्पर्क) के सचिव से 26 फरवरी को कोई पत्र मिला है जिसमें डोम्बीवाली जिला थाना (महाराष्ट्र) के लिए एक काफी बड़ा तथा सुसज्जित टेलीफोन एक्सचेंज प्रदान करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त माँग को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन पाटलि) : (क) जी, हाँ।

(ख) किराए के भवन में स्थित मौजूदा 1200 लाइनों वाले एक्सचेंज के विस्तार की कोई संभावना नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना में एक नए भवन का निर्माण करके एक 3500 लाइनों वाला नवा क्रासवार एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस बीच डोम्बिवाली एम. आई. डी. सी. क्षेत्र के 400 लाइनों वाले टेलीफोन एक्सचेंज में वृद्धि करके उसे 500 लाइन का एक्सचेंज बना दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण रसायनों को सविधिक नियंत्रण के अधीन लाने का प्रस्ताव

3734. **श्री के. मालन्ना** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सोड़ा ऐश, काष्टिक सोडा, बोरिक एसिड ट्रिसोडियम फास्फेट तथा अन्य आवश्यक रसायनों जैसे महत्वपूर्ण रसायनों का कालाबाजारी रोकने के लिए तथा उनके मूल्य घटाने के लिए उन्हें सांविधिक नियंत्रण के अधीन लाने के किसी, प्रस्ताव पर विचार कर रही है'

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, बोरिक एसिड और ट्रिसोडियम फ.स्फेट आदि जैसे महत्वपूर्ण रसायन पर कानूनी मूल्य नियंत्रण नहीं है। इन रसायनों की उपलब्धता स्थिति अच्छी है। सोडा ऐश का मूल्य जो 1978 में 3600 रुपये प्रति मी. टन तक था और जो एक वर्ष से अधिक से लगभग 3000 रुपये प्रति मी. टन चल रहा था अब 2100-2400 रुपये प्रति मी. टन तक कम हो गया है। कास्टिक सोडा का खुला बाजार मूल्य (ठोस और फ्लेक्स) जो 1979 में 7000 रुपये प्रति मी. टन तक था और एक वर्ष से अधिक तक लगभग 6500 रुपये प्रति मी. टन तक चल रहा था अब लगभग 5500 रु. प्रति टन तक कम हो गया है।

महत्वपूर्ण रसायनों पर कानूनी मूल्य नियंत्रण लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तालचेर में कोयले का कम उत्पादन होना

3735. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तालचेर कोयला खानों में गत छः महीनों में कोयले के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) तालचेर की सभी कोयला खानों में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसके मन्त्रालय ने क्या प्रयास किए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) तालचर कोयला खानों में अप्रैल-सितम्बर, 1981 में कोयले का उत्पादन 6.93 लाख टन रहा जबकि इसके मुकाबले पिछले वर्ष इसी अवधि में उत्पादन 8.30 लाख टन रहा था। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में उत्पादन में कमी के मुख्य कारण हैं—भूमिगत खानों में खनन कार्य के समय

अप्रत्याशित भू-वैज्ञानिक बाधाएं आना और एक पुरानी ड्रैग लाइन में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाना ड्रैग लाइन की अब मरम्मत कर ली गई है। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने इस क्षेत्र में प्रबंध को युक्तिपूर्ण बनाने के लिए कदम उठाए हैं और परिणामस्वरूप उसे विश्वास है कि इस क्षेत्र में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य वर्ष के शेष महीनों में पूरा हो जाएगा। तालचर कोयला क्षेत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजनायें भी बनाई गई हैं जिनमें वर्तमान खानों का पुनर्निर्माण/-पुनर्गठन तथा नई खानें खोलना शामिल है।

सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा बल्क औषधों का उत्पादन

3736 **श्री हरिहर सोरन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सरकारी क्षेत्र के एकक किन-किन बल्क औषधियों का उत्पादन कर रहे हैं,

(ख) क्या कोई उच्च, प्रौद्योगिकी युक्त बल्क औषध सरकारी क्षेत्र के एककों में बनाई जा रही है,

(ग) यदि हां, तो किन-किन एककों में तथा कौन-कौन सी बल्क औषधें बनाई जा रही है, और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान उनसे कुल उत्पादन का ब्यौरा क्या है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड और बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड नामक सरकारी क्षेत्र के यूनिटों द्वारा उत्पादन की जा रही बल्क औषधों के नाम विवरण-I पर दर्शाये गए हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) उच्च प्रौद्योगिकी समिति को केवल विदेशी कम्पनियों द्वारा उत्पादित और उत्पादन करने के लिए प्रस्तावित बल्क औषधों के निर्माण की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया था। सरकारी क्षेत्र की यूनिटों द्वारा उत्पादन की जा रही और उच्च प्राद्योगिकी निहित बल्क औषधों के रूप में समिति द्वारा वर्गीकृत की गई इन औषधों के ब्यौरे विवरण-II पर विवरण पत्र में दर्शाए गए हैं।

विवरण

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

1. पेनिसिलिन
2. स्ट्रेप्टोमाइसिन
3. टेट्रासाइक्लीन
4. आक्सीटेट्रासाइक्लीन
5. एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट
6. एरीथोमाइसीन
7. एमोक्सीसाइलीन
8. डाइक्लोसाइक्लीन

9. एसीटाजोलामाइड
10. एनलजिन
11. क्लोरोपौपमाइड
12. फोलिक एसिड
13. मैट्रोनिडाजोल
14. फ्यूराजोलीडाइन
15. क्विट्रोफ्यूरेन्टाइन
16. पेरासीटामोल
17. I (पी. फिनाडिटाइन (टी)
17. II (पी. फिनाडिटाइन (डी)
18. फिनासिटिन
19. फिनावारविटोन/सोडियम.
20. पिपराजाइन हाइड्रेट
21. पिपराजाइन एडीपेल
22. पिपराजाइन फास्फेट
23. पिपराजाइन सिट्रेट
24. सोडियम पी. ए. एस.
25. पिथाइल सल्फाडिथाजोल
26. सल्फासिटामाइड/सोडियम
27. सल्फाडि मिडाइन
28. सल्फागुआनिडीन
29. सल्फानिलेमाइड
30. सल्फौमथाजोल
31. सल्फोफेनाजोल
32. सल्फोमथोक्साजोल
33. ट्राइमेथोप्रिम
34. विटामिन बी।
35. फिनटोन सोडियम
36. विटामिन बी-2
37. थियामिन प्रोपाइन-डाइ सल्फाइड
38. सोडियम एस्कोरेक्ट
39. रिबोफ्लोविन 5-फास्फेट
40. डोक्सीसाइक्लीन
41. ग्लाइक्लेनमाइड
42. फ्रेसमाइड
43. नियासीन
44. निकोटिनामाइड

हिन्दुस्तान एन्टीवायोटिक्स लिमिटेड

1. पेनिसिलिन
2. स्ट्रेप्टोमाइसीन
3. एम्पीसिलिन
4. विटामिन सी
5. जेन्टामाइसीन

बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

1. कैफीन एनहाइड्स
2. डेप्सोन आई. पी.
3. निकेथामाइड
4. टोलब्यूटेमाइड
5. टेटनस एन्टीटोक्सिन

विवरण-2

सरकारी उपक्रम का नाम	यूनिट	निम्न वर्षों के दौरान उत्पादन 1979-80	1980-81
इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड			
1. टेट्रासाइक्लीन	टन	27.85	91.30
2. अक्सीटेट्रासाइक्लीन	टन	53.42	68.30
3. ट्राइमेथोपिम	टन	0.20	5.26
4. सल्फामेथाक्साजोल	टन	9.36	12.07
5. मेट्रोनिडाजोल	टन	2.10	3.87
6. ग्लाइक्लेन्माइड	टन	0.04	0.06
7. सोडियम पी. ए. एस.	टन	151.20	124.35
हिन्दुस्तान एन्टीवायोटिक्स लिमिटेड			
बेन्जीथाइल पेनिसिलिन	एम. एम. यू.	2.72	6.82
बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड			
डेप्सोन	टन	4.19	4.53

कुकिंग गैस एजेंसियां देने के लिए मानदण्ड

3737. **श्री डी. पी. जदेजा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी नगर विशेष में कुकिंग गैस की एजेंसी देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) किसी व्यक्ति को उक्त कुकिंग गैस एजेंन्सी देने के लिये क्या मानदण्ड अपनाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को कुकिंग गैस एजेन्सियां देने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तेल उद्योग ने क्षेत्र में ग्रहाकों की माँग, सप्लाई स्रोत्र से बाजार की निकटता तथा प्रचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुये सभी जिला मुख्यालयों तथा उन शहरों में जिन की जनसंख्या 50,000 से ऊपर है चरनबद्ध रूप में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के वितरक नियुक्त करने की योजना तैयार की है। अधिक जनसंख्या वाले शहरों को इसके बाद लिया जायेगा।

(ख) विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति को नई एजेंसी प्रदान नहीं की जायेगी अगर उसके पास या उसके किसी निकट समबन्धी जैसे कि पति/पत्नी पिता/माता या भाई/अविवाहित बहिन पुत्र/अविवाहित पुत्री पुत्री/अविवाहित पुत्र (उस मामले ने जिसमें उम्मीदवार समाज की मातृक प्रणाली से हो) के पास किसी तेल कंपनी की एजेंसी पहले ही हो। सभी नियुक्तियाँ संबंधित क्षेत्र में प्रचलन में समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित करने के बाद की जायेगी। उम्मीदवार की व्यापार योग्यता, धन की व्यवस्था करने की सामर्थ्य सुविधाएं इत्यादि प्रदान करने की सामार्थ्य इत्यादि के आधार पर, उम्मीदवार का चयन इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित तेल कम्पनियों द्वारा विधिवत गठित की गयी चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया ज येगा।

(ग) और (घ) शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा उपचारी कार्यवाही के लिये जहां आवश्यक होता है तुरन्त जांच पड़ताल की जाती है।

उच्च न्यायलयों तथा उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले

3738. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में नि:शुल्क विधिक सहायता देने संबंधी स्थिति क्या है; और

(ख) क्या इसके लिए कोई योजना तैयार की गई है; यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है;

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) उच्चतम न्यायालय नियम के आदेश 21 के अधीन दांडिक मामलों में यदि किसी जेल अपील के कि किसी अर्जीदार को मृत्यु दंड दिया गया है तो न्यायालय का रजिस्ट्रार न्याय-मित्र पेनल में से किसी काउंसेल की व्यवस्था करेगा और इसके पश्चात् वह याचिका को न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार लगाए गए काउंसेल की फीस न्यायालय द्वारा नियत की जाती है और यह फीस संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संदेय है।

उच्चतम न्यायालय नियम के आदेश 27 के अधीन, न्यायाधीश किसी अपील या किसी

आवेदन में किसी अकिंचन (पापर) की सहायता के लिए किसी अभिलेख अधिवक्ता की व्यवस्था कर सकता है। अकिंचन के अधिवक्ता को फीस संदेय नहीं है किन्तु यदि विरोधी पक्षकार के विरुद्ध खर्च देने का अधिनिर्णय किया जाता है या अकिंचन के पक्ष में डिग्री की गई सम्पत्ति में से खर्च दिलवाया जाता है तो न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि अकिंचन के अधिवक्ता को खर्च का संदाय किया जाए।

अन्य उपयुक्त मामलों में उच्चतम न्यायालय अपने समक्ष किसी निर्धन पक्षकर की सहायता के लिए किसी न्याय-मित्र की व्यवस्था कर सकेगा।

(ख) सरकार ने अपने तारीख 9 जुलाई, 1981 के संकल्प सं. एफ. 6 (34)/81-का. से. के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री डी. ए. देसाई की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समित का गठन किया है। संकल्प की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। इस समिति की पूर्ववर्ती समिति ने 263 मामलों में विधिक सहायता मंजूर की है और इस समिति ने इन मामलों को अपने हाथ में ले लिया है। समिति पत्र व्यवहार द्वारा भी सलाह दे रही है और मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों को निदेश दे रही है कि उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में क्या कार्रवाई करनी चाहिये। **[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिये संख्या एल. टी. 3097/81]**

कुछ स्वैच्छिक संगठन भी उच्चत्तम न्यायालय में विधिक सहायता के उपयोगी कार्य कर रहे हैं।

बांकुरा जिले में टेलीफोन में खराबियों की सूचना

3739. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांकुरा जिले में अगस्त से अक्तूर 1981 के दौरान टेलीफोन में खराबियों की कितनी सूचना मिली;

(ख) इनमें से कितने दोष एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में तथा इसी तरह की अवधियों में ठीक कर दिये गये; और

(ग) टेलीफोन में खरबियों को रोकने और सूचना मिलते ही तुरन्त उनको ठीक करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन. पाटील) : (क) 1944 टेलीफोन दोष दर्ज कराए गए।

(ख) (I) एक दिन के भीतर दोष निवारण की प्रतिशतता—85%

(II) एक सप्ताह के भीतर दोष निवारण की प्रतिशतता—15%

(III) एक माह के भीतर दोष निवारण की प्रतिशतता—शून्य

(ग) एक्सचेंजों के निरोधात्मक अनुरक्षण के द्वारा आंतरिक दोष दूर करने हेतु कार्यवाई की गई है। उपभोक्ता की लाइनों को एलुमीनियम तारों के स्थान पर तांबे की तारों से प्रतिस्थापित करके तथा उपभोक्ता लूपों में ड्राप वायर प्रयोग करके बाह्य दोष उत्तरोत्तर दूर किये जा रहे हैं। दोषों को शीघ्रता से दूर करने हेतु पहले ही अनुदेश दे दिए गये हैं।

दूरर्शन पर विज्ञापनों के लिए दरें

3740. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर विज्ञापन देने की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो क्या उक्त दरें सभी केन्द्रों के लिये समान होगीं, अथवा अलग-अलग;

(ख) क्या उक्त दरें प्रतिदिन समान ही होती हैं ताकि उन दिनों भिन्न होती हैं जबकि रविवारी फिल्म अथवा साप्ताहिक चित्रहार /प्रादेशिक चित्रहार जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं;

(ग) क्या प्रतिदिन इन विज्ञापन कार्यक्रमों के लिये कोई सीमा रखी जाती हैं। ताकि दर्शक इन विज्ञापनों से सुन सुन कर उक्ता न जायें; यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दूरदर्शन पर विज्ञापनों के लिये एक अलग चैनल शुरू करने सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिये वर्तमान दर ढांचे को कार्यक्रमों की लोकप्रियता पर निर्भर करते हुये कार्यक्रमों की "सुपर-'ए' 'ए" और "बी" जैसी विभिन्न श्रेणियों के आधार पर तय किया जाता है। इस दर ढांचे में संशोसधन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) विज्ञापनों के लिये आवंटित किए जाने वाले समय पर सीमा रखी हुई है। इस समय यह सीमा कुल प्रेषण समय की 10% है।

(घ) अतिरिक्त चैनल का चालू किया जाना वित्तीय और भौतिक दोनों प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बर्दवान जिले में बताये गए टेलीफोन दोष

3741. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला बर्दवान में अगस्त और अक्तूबर, 1981 के दौरान कितने टेलीफोन दोष बताये गये;

(ख) इनमें से कितने दोष एक दिन ,एक सप्ताह, एक मास अथवा अधिक अवधि के भीतर दूर किये जा सकें; और

(ग) सरकार ने दोषों को रोकने और दोषों की सूचना के बाद उनको तेजी से दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) (क) कुल 15939 टेलीफोन दोष दर्ज कराये गये।

(ख) (I) एक दिन के भीतर दोष निवारण की प्रतिशतता—80%

(II) एक सप्ताह के भीतर दोष निवारण की प्रतिशतता—20%

(III) एक माह के भीतर दोष निवारण की प्रतिशतता—शून्य

(ग) एक्सचेंजों के निरोधात्मक अनुरक्षण के द्वारा आंतरिक दोष दूर करने हेतु कार्यवाई

की गई है। उपभोक्ता की लाइनों को एलुमीनियम तारों के स्थान पर ताँबे की तारों से प्रतिस्थापित करके तथा उपभोक्ता लूपों में ड्राप वायर प्रयोग करके उत्तरोत्तर वाह्य दोष दूर किये जा रहे हैं। दोषों को शीघ्रता से दूर करने हेतु पहले से ही अनुदेश दे दिये गये हैं।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के समाचार बुलेटिनों की सरल भाषा

3742. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार बुलेटिन आसान भाषा में प्रसारित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आकशवाणी/दूरदर्शन के विभिन्न राज्य एककों को इस बारे में मार्गदर्शी निदेश दिये गये हैं; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसत साठे) : (क) से (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन ने हमेशा समाचार बुलेटिनों में सरल और सुन्दर अभिव्यक्तियों पर जोर दिया है। यह वास्तव में एक सतत् प्रक्रिया है। इस क्षेत्र में कार्यक्रमों की उनमें यथावश्यक सुधार लाने के लिये निरन्तर पुनरीक्षा होती रहती है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों/बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा ब्रांड नामों का दुरुपयोग

3743. **श्री एन. ई. होरो** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये हैं कि बहुत सी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियां/बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लघु एककों तथा अन्य भारतीय कम्पनियों द्वारा निर्मित उत्पादों को कम्पनी कानून बोर्ड तथा एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की अनुमति के बिना विविधीकरण के नाम पर अपने ट्रेड मार्क के अन्तर्गत बेच रही है;

(ख) यदि हां तो सरकार का भारतीय निर्माताओं के हितों के संरक्षण तथा विदेशी उद्योगों के विकास की सहायता के लिये ऐसे निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) सरकार को जानकारी है कि कुछ एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार/बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने स्वयं व्यापारिक नामों के अन्तर्गत अन्य एककों द्वारा विनिर्मित उत्पादों को बाजार में बेच रही हैं। तथापि कम्पनी अधिनियम तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए कम्पनी विधि बोर्ड/एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक आयोग को अनुमति की अपेक्षित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

रेडियो टेलीफोन प्रणाली का सिविल प्रयोजनों के लिए विकास

3744. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेडियो टेलीफोन प्रणाली का देश में सिविल प्रयोजनों के लिये विकास करने के लिये कोई योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हाँ तो तत्संबधी ब्यौरे क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल (क) जी, हां ।

(ख) संक्षेप में, बहुदेशीय ग्रामीण रेडियो प्रणाली (एम. ए. आर. एस.) परिक्षिप्त रेडियो टेलीफोनों के बड़ी संख्या में रेडियो केन्द्रीकरण के सिद्धान्त यह कार्य करती है । एम.ए. आर. आर. प्रणाली की एक यूनिट जिसे एक्सचेंज-छोर-यूनिट कहते हैं परिक्षिप्त रेडियो टेलीफोन को कुछ रेडियों चैनलों पर केन्द्रित करता है । जिस प्रकार भूमि लाइनें उपभोक्ता से काल की जाती है ठीक उसी प्रकार डायरेक्टरी नम्बर डायल करके ग्रामीण उपभोक्ता से काल की जाती है। चूंकि काल को एक्सचेंज के जरिए भेजना पड़ता है अत: एक ही रेडियो ग्रुप में किसी भी दो उपभोक्तताओं के बीच दो आर. एफ चैनलों की आवश्यकता होगी । इस प्रणाली में वार्तालाप की गोपनीयता बनी रहती है ।

एक बेस स्टेशन में 10 या अधिक उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने में यह प्रणाली कम खर्चीली होगी वशर्ते कि स्टेशन से यह दूरी 15-20 कि. मी. हो ।

भयान्दर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना करना

3745. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भंयान्दर ग्राम पंचायत (जिलाठाणे-महाराष्ट्र) ने 26 सितम्बर, 1970 को पारित अपने संकल्प संख्या 18 के द्वारा भंयान्दर में सार्वजनिक टेलीफ़ोन केन्द्रों की स्थापना का अनुरोध किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि जनरल मैनेजर, बम्बई टेलीफोन को भेजे गये अपने पत्र संख्या 040/80-81 दिनांक 27 जनवरी, 1981 के द्वारा ग्राम पंचायत ने उल्लेख किया था कि भंयान्दर में अपेक्षित सार्वजनजिक टेलीफोन केन्द्रों को लगाने के लिये कोई कार्यवायी नहीं की गई है;

(ग) ग्राम पंचायत के अनुरोध के अनुसार भंयान्दर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र न बनाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस बात के लिये क्या कार्यवाई की जा रही है कि सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र के लिए की जा रही यह माँग शीघ्र पूरी हो;

(ङ) मांगें हुए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना कब तक की जाएगी; और

(च) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपन्मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) से (च) तक सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

उड़ीसा के चुने हुये पिछड़े एवं आदिवासी जिलों में डाक तथा दूरसंचार सुविधायें

3746 **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने उड़ीसा परिमंडल में डाक तथा दूरसंचार सुविधाओं के लिये पिछड़े जिलों एवं क्षेत्रों को चुनने व पता लगाने । हेतु क्या सिद्धान्त तथा कसौटी अपनाई; और कौन-कौन से जिले तथा क्षेत्र चुने गये हैं ;

(ख) उनके मंत्रालय ने चुने गए पिछड़े तथा आदिवासी जिलों में डाक तथा दूर-संचार सुविधाओं के विकास हेतु उड़ीसा परिमंडल को क्या मार्गदर्शी निर्देश तथा आदेश जारी किए गए हैं और उड़ीसा परिमंडल ने उन मार्गदर्शी निर्देश के आधार पर क्या उपबंध किये हैं, क्या प्रस्ताव बनाए हैं और क्या प्राथमिकता नियत की है; और

(ख) इन जिलों में 1980-81 तथा 1981-82 वर्षों के लिये क्या डाक तथा दूर-संचार कार्यक्रम एवं प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं और जिला-वार कितना काम पूरा किया गया है;

संचार मंत्रालय में उप-मत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) डाक

(1) गृह मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित जनजातीय केन्द्रीकरण के क्षेत्रों को उदारीकृत नीति के आधार पर डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वतः ही विचार किया जाता है । इसके अतिरिक्त, जिन क्षेत्रों में प्रति डाकघर द्वारा सेवित औसत जनसंख्या/क्षेत्र संवंवित डाक सर्कल तथा समग्र देश के तदनुरूपी आंकड़ों के संदर्भ में पर्याप्त कम है उन्हें भी डाक सुविधाओं के विस्तार के प्रयोजन से पिछले क्षेत्रों के बतौर माना जाता है ।

फिलहाल भिन्न जिलों/क्षेत्रों को जन जातीय/पिछड़े माना गया है ।

1. मयूरभंज जिला
2. सुन्दर गढ़ जिला
3. कोरापुर जिला
4. संबलपुर जिले की कुचिन्दा तहसील ।
5. क्योंझर जिले में क्योंझर उपमंडल की क्योंझर तथा टेलकोई तहसी तथा वमास उपमंडल की चम्पुआ तथा बारबिल तहसील

6. बोद्ध खोण्डमालस जिले में खोण्डामाल्स उपमंडल की खाण्डमाल्स तहसील तथा बल्लीगुडा उपमंडल की बल्लीगुडा और जीया उदमगिरि तहसील

7. गंजम जिले में परलाखे मुण्डी उपमंडल की घाट उदय गिरि तहसील तथा परलाखे मुण्डी तहसील के गुना तथा रायगढ बलाक, तथा घुमसुर उपमंडल की सुरावा तहसील (गाजालबाडी) और गौचा ग्राम पंचायतों को निकालकर)

8. कालाहांडी जिले के भवानी पटना उपमंडल में कालाहांडी तहसीलका थुआमुल रामपुर बलाक तथा लोजी गढ़ और कालाहांडी तहसीलों में पड़ने वाला लाँजीगढ़ ब्लाक ।

9. बालासोर जिले के नीलगिरि उपमंडल की निलगिरि तहसील का नीलगिरि समुदाय विकास खंड ।

उड़ीसा के अन्य क्षेत्र जिन्हें डाक सुविधाओं के प्रयोजन से पिछड़ा माना जाता है ।

काल.हांडी, फूलबनी और गंजम जिलों के अनुसूचित क्षेत्र । पुरी जिले के दसपौली तहसील, बाल.सोर जिले का राजनीलगिरि ब्लाक-I तथा-II

(ii) दूरसंचार

उड़ीसा सर्कल में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए पिछड़े जिलों तथा क्षेत्रों का निर्धारण योजना आयोग में उपलब्ध सूचना के अनुसार किया गया है । पिछड़े जिले तथा क्षेत्रों को विवरण में दर्शाया गया है ।

(ख) और (ग) :

(i) डाक :

प्रत्येक वार्षिक योजना के आरंभ में जनजातीय/पिछड़े क्षेत्रों में रियायती मानकों के अंतर्गत प्रत्येक डाक सर्कल में खोले जाने वाले ग्रामीण डाकघरों की संख्या संबंधित सर्कल को सूचित कर दी जाती है । जनजातीय क्षेत्रों के मामलों में अन्य ग्रामीण डाक योजनाओं के संबंध में भी वैसे ही सीमा निर्धारण किया जाता है जैसे चलते-फिरते डाकघरों के माध्यम से डाक काउण्टर सुविधा प्रदान करना, अतिरिक्त विभागेतर एजेंटों की नियुक्ति आदि । 1980-81 में जनजातीय/पिछड़े क्षेत्रों में उड़ीसा सर्कल में खोले गए डाकघरों तथा प्रदान की गई सुविधाओं और वार्षिक योजना 1981-82 के अन्तर्गत प्रस्तावित सुविधाओं के विवरण क्रमशः अनुबंध-2 तथा-3 में दिए गए हैं ।

(ii) दूर संचार

पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों की एक प्रति अनुबंध-4 में दी गई है । 1 इन क्षेत्रों में दूर संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिलेवार कार्यक्रम अनुबंध-5 में दी गई है ।

(ग्रन्थालम में रखे गए देखिए संख्या एल टी 3098-81)

विवरण

उड़ीसा राज्य में पिछड़े क्षेत्रों की सूची:

1. बालासोर	समूचा जिला
2. बोलनगिर	
3. धेनकलान	
4. कालाहांडी	
5. क्योंझर	
6. कोरापुट	
7. मयूरभंज	
8. मधुबनी	
9. सुन्दरगढ़	
10. पुरी	राजनगर पुलिस स्टेशन

जबलपुर टेलकाम फैक्टरी में समयोपरि-भत्ता तथा रिक्त पद

3747. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर स्थित टेलकाम कारखाने में 1979-80 और 1981-82 के दौरान कुल कितना समयोपरि भत्ता अदा किया गया ; और

(ख) क्या कारखाने में इस समय कोई रिक्त पद है और यदि हां, तो उनकी श्रेणी-वार संख्या क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटील) :

(क) 1979-80 11.90 लाख रु.

1980-81 15.74 लाख रु.

(ख) रिक्त मदों की संख्या नीचे दी गई है :

औद्योगिक स्टाफ	250
गैर औद्योगिक स्टाफ	56

विदेशी सहयोग के साथ टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

3748. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीफोन उपकरणों के निर्माण तथा इन्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के सहयोग के साथ समकालीन डिजाईन की "क्रिटिकल सब-असेम्बलीज" के निर्माण के लिए किसी विदेशी कम्पनी से कोई पेशकश अभी तक प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) उनकी पेशकश के ब्यौरे क्या हैं;

(घ) देश को उक्त उपकरणों की मांग और आवश्यकता क्या है और कब एवं कितनी लागत पर उनका उत्पादन किया जाना है;

(ङ) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिये किसी विदेशी कम्पनी का चयन करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है और

(च) यदि हां, तो उन शर्तों का ब्यौरा क्या है जिन पर चुनाव किया गया है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) और (ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टेलीफोन उपस्कर और समसामयिक डिजाइन के सहत्वपूर्ण उपांगों के उत्पादन में सहयोग-प्रस्ताव के लिए जारी सूचना के उत्तर में सरकार को मैसर्स फेस स्टेण्डर्ड आफ इटली और मैसर्स सोमेन्स आफ फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी से प्रस्ताव मिले हैं।

(ग) प्रस्ताव, समसामयिक डिजाइन से रोटेरी डायल वाले टेलीफोन के सारे उपकरणों के सहयोगी-उत्पादन के लिए हैं। प्रस्ताव में ऐसे टेलीफोन उपकरणों के उत्पादन की तकनालाजी का स्थानान्तरण भी शामिल है, जिनमें स्वचालित पुश बटन की डाइलिंग प्रणाली काम में आती है।

(घ) वर्ष 1980-85 के दौरान देश में टेलीफोन उपकरणों की अनुमानित मांग 34.52 लाख और वर्ष 1985-90 के लिए 78.58 लाख हैं। इन उपकरणों का उत्पादन, परियोजना पर सरकार की मंजूरी की तारीख से, 12 महीने के बाद शुरू हो जाने की सम्भावना है। इन उपकरणों की उत्पादन लागत, उस प्रस्ताव पर निर्भर करेगी जिसका अन्ततः चुनाव होता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) सवाल पैदा नहीं होता।

होने वाली सदन की बैठक के लिए प्रश्न आसाम में तेल संस्थापनाओं का कार्यकरण

3750. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में विभिन्न तेल संस्थापनाओं का (एकक-वार) कार्य किस सीमा तक पुनः आरम्भ किया गया है और वे क्षमता से अभी भी कितने कम स्तर पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) आसाम में प्रत्येक एकक द्वारा इस वर्ष कितना उत्पादन किया गया;

(ग) आसाम में आन्दोलन आरम्भ होने से लेकर तेल संस्थापनाओं में काम के निलम्बन के परिणामस्वरूप अब तक कुल कितनी उत्पादन हानि हुई है ; और

(घ) इन एककों द्वारा अपनी क्षमता पर उत्पादन करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इसे कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जनवरी, 1981 में असम आन्दोलन के समाप्त होने के बाद, दिग्बोई, गोहाटी और बोगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड नामक समस्त शोधन शालाओं के कार्य-संचालनों में सामान्य स्थिति पुनः वापस कायम हो गयी थी। असम के समस्त तेल क्षेत्र भी अपनी सामान्य क्षमता पर उत्पादन कर रहे हैं।

(ख) अप्रैल से अक्तूबर, 1981 तक असम में प्रत्येक यूनिट का उत्पादन निम्नलिखित रूप में है :—

यूनिट	उत्पादत/संसाधित खनिज तेल की मात्रा ("000" मी. टनों में)
1. खनिज तेल का उत्पादन	
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	982
आयल इण्डिया लिमिटेड	1759
भूपपूर्व असम तेल कम्पनी के क्षेत्रों से उत्पादन	23
2. खनिज तेल का ससाधन	
गोहाटी रिफाइनरी	408
बोगईगांव रिफाइनरी	242
डिग्बोई रिफाइनरी	275

(ग) खनिजतेल के उत्पादन में हुई हानि का अनुमान लगभग 3.86 मिलियन मी. टन का लगाया गया है। जनवरी, 1981 तक परिशोधन क्षमता के सन्दर्भ में खनिज तेल के उत्पादन में कुल हानि का अनुमान 4.6 मिलियन मी. टन का लगाया गया है। जनवरी 1981 तक पेट्रोलियम उत्पादों में हुई हानि के मूल्य का अनुमान 1024 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सोडा ऐश का मूल्य

3751. **श्री मोती भाई आर. चौधरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को पता है कि सोडा ऐश की खुले बाजार की कीमत जो 1980 से लगातार गिर रही थी और चालू वर्ष के आरम्भ से लगभग 2000/2100 रुपये, प्रति टन के भाव से बिक रही थी, अब लगभग एक महीने से अचानक बढ़ कर 2500 रुपये, प्रति टन हो गई है,

(ख) सोडा ऐश की कीमत में इस अचानक वृद्धि के क्या कारण हैं।

क्या इसका कारण उत्पादकों द्वारा उत्पादन में कटौती करने अथवा उत्पादन बन्द करने की धमकी दिया जाना है, (घ) सोडा ऐसा की कीमतों में फिर से होने वाली वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाई की है अथवा करने का विचार है, और

(ङ) क्या सरकार का विचार आयात शुल्क घटाने का है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जनवरी 1981 और दिसम्बर 1981 में विभिन्न वित्तीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में मूल्य की सूचनाओं से यह देखा जा सकता है कि जनवरी 1981 से सोडा ऐश के खुले बाजार मूल्य में कोई, प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सोडा ऐश के निर्माताओं ने अभ्यावेदन दिया है कि 31.10.81 को सोडा ऐश का लगभग 81.690 टन स्टाकन हीं बिका था जबकि जनवरी 1981 के अन्त में 18.053 टन नहीं था। निर्माता इसलिए अभ्यावेदन कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर आयात और कम उठाने के कारण स्टाक जमा हो रहा है और जब तक आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता, उद्योग बुरी तरह प्रभावित रहेगा। तथापि अखिल भारतीय कांच निर्माता संघ और अखित भारतीय सिलिकेट निर्माता संघ जैसे उपभोक्ता संघ वर्तमान आयात नीति को जारी रखने की दलील दे रहे हैं। उनका तर्क है कि देश में सोडा ऐश का निर्माण, मांग से कम पड़ सकता है। सरकार ने अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया है। आयात नीति की लगातार समीक्षा की जा रही है। मांग और स्वदेशी उललब्धिता को ध्यान में रखते हुए आयात का विनियमन किया जाता है।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड द्वारा एन्डोसुल्फान का उत्पादन

3752. **श्री केशव राव पारधी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड ने हेक्सर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सहयोग से एण्डोसुल्फान का उत्पादन करने के लिये सरकार से अनुमति कब मांगी थी और सहयोग समझौते वाणिज्यिक उत्पादन के लिये क्या अवधि निर्धारित थी;

(ख) क्या यह सच है कि निदेशक राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला की सलाह पर यह आवेदन पत्र रद्द कर दिया गया था, यदि हाँ, तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला द्वारा क्या सलाह दी गई; और

(ग) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड ने राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला की प्रौद्योगिकी के आधार पर उत्पादन कब आरम्भ किया, अब तक कितना उत्पादन किया गया है, और इस बीच एण्डोसुल्फान तकनीकी का आयात करने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) दिसम्बर, 1972 में हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड (एच. आई. एल.) ने पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स फेवर-वर्क्स हेक्स्ट के सहयोग से प्रतिदिन 1600 टन इन्डोसाल्फान के निर्माण के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस व्यवहार्यता रिपोर्ट में यह बताया गया था कि प्लांट को अन्तिम रूप

दिए जाने की तिथि से 36 महीनों के भीतर पूरा कर दिया जाएगा और परीक्षण निर्माण प्रारंभ किया जाएगा।

(ख) जब मैसर्स फेवरवर्क्स हेक्स्ट के साथ सहयोग को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए बातचीत चल रही थी, तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूणे ने सरकार और एच. आई. एल. को सूचित किया कि उन्होंने इन्डोसल्फान के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है और सुझाव दिया कि विदेशी सहयोग प्रस्ताव को समाप्त कर दिया जाए। उचित रूप से विचार करने के बाद सरकार ने एन. सी. एल. प्रौद्योगिकी अपनाने का फैसला किया और 11 जून, 1976 को एन. सी. एल. प्रौद्योगिकी पर आधारित 1600 टन प्रतिदिन की क्षमता से इन्डोसल्फान के निर्माण के लिए प्लांट लगाने के लिए एच ए. एल. को अनुमोदन की सूचना दी।

(ग) अब एच. आई. एल. के प्लांट को लगा दिया गया है और परीक्षण संचालन की तैयारी की जा रही है। जुलाई, 1980 में मै. भारत पालवेराइजिंग मिल्स लि. ने एन. सी. एल. प्रौद्योगिकी पर आधारित इन्डोसल्फान के वाणिज्यिक निर्माण प्रारंभ करने की सूचना दी है। अप्रैल, 1980 में मैसर्स इन्सेल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी प्रौद्योगिकी पर आधारित इन्डोसल्फान का वाणिज्यिक निर्माण प्रारंभ किया। सितम्बर, 1981 के अन्त तक देश में स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित 1276 टन इन्डोसल्फान का निर्माण किया गया। पर्याप्त स्वदेशी निर्माण को ध्यान में रखते हुए 1-4-1981 से इन्डोसल्फान के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

भारतीय कीटनाशी संघ द्वारा सुव्यवस्थित सूचना के अनुसार वर्ष 1976-77 से 1980-81 की अवधि में 14.51 करोड़ रुपये (सी. आई. एफ.) मूल्य के 2889 टन इन्डोसल्फान की कुल मात्रा का आयात किया गया। अक्तूबर, 1980 सितम्बर 1981 अवधि के दौरान 53 लाख रुपये (एम. ओ. बी.) मूल्य के इन्डोसल्फान की 103 टन की मात्रा का निर्यात भी किया गया।

राज्यों द्वारा वक्फ संपत्तियों को किराया नियंत्रण कानूनों से छूट

3753. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने मुस्लिम वक्फ संपत्ति को किराया नियंत्रित कानूनों से छूट प्रदान की है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां वक्फ संपत्ति पर किराया नियंत्रण कानून लागू हैं और तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधान मंत्री ने किराया नियंत्रण कानूनों से वक्फ संपत्ति को छूट देने हेतु 1976 में किन-किन राज्यों को पत्र लिखे थे और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही; और

(ग) क्या सरकार का विचार वक्फ संपत्ति को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषित करके इससे अवैध कब्जों को खाली कराने हेतु कदम उठाने का है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) आंध्र प्रदेश, हरियाणा पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों ने वक्फ संपत्तियों को यह छूट दे दी है कि उन्हें स्थानीय भाटक नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होंगे। उड़ीसा गृह भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1967 के उपबन्ध वक्फ संपत्तियों के लिए लाभकारी हैं और इसलिए उड़ीसा वक्फ बोर्ड इस बात से सहमत हैं कि यदि वक्फ संपत्तियों को इस अधिनियम की परिधि से बाहर कर दिया जाता है तो

मामलों को अन्तिम रूप से निपटाने में अधिक समय लगेगा। कर्नाटक और केरल में राज्य के भाटक नियंत्रण अधिनियमों की परिधि से केवल उन्हीं वक्फ संपत्तियों को छूट दी गई है जो सीधे ही वक्फ बोर्डों के प्रबंध के अधीन हैं। किन्तु इन राज्यों में सभी वक्फ संपत्तियों को इस प्रकार की छूट देने का प्रश्न विचाराधीन है। अरुणाचल प्रदेश, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप तथा नागालैंड में कोई भी भाटक नियंत्रण अधिनियम नहीं है। मिजोरम और सिक्कम से सूचना मिली है कि उनके राज्य क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण वक्फ संपत्ति नहीं है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों ने खेद प्रकट करते हुए कहा है कि वे अपने भाटक नियंत्रण अधिनियमों से वक्फ संपत्तियों को छूट देने में असमर्थ हैं। शेष राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं।

(ख) प्रधान मंत्री ने जिन राज्यों को लिखा था कि वे वक्फ संपत्तियों को अपने भाटक नियंत्रण अधिनियमों से छूट दे दें, वे हैं दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पंजाब और राजस्थान। इनमें से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान वक्फ़ संपत्तियों को भाटक नियंत्रण अधिनियमों से पहले ही छूट दे चुके हैं। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने ऐसी छूट देने में अपनी असमर्थता के लिए खेद प्रकट किया है। दिल्ली और महाराष्ट्र इस विषय पर अभी तक विचार कर रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

शहरघाट पी. सी. ओ. को जिला मुख्यालय मधुबनी से सीधा जोड़ना

3754. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **संचार मंत्री** शहरघाट पी. सी. ओ. को जिला मुख्यालय मधुबनी से सीधा जोड़ने के बारे में 24 नवम्बर, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 292 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परसोमी पी. सी. ओ. बनी पट्टी से केवल 2 मील के अन्तर पर और उसके दक्षिण में है, शहरघाट पी. सी. ओ. बेनीपट्टी से केवल लगभग 5 मील के अन्तर पर और उसके उत्तर पश्चिम में है, खिरहार पी. सी. ओ. बेनीपट्टी से केवल 4 मील के अन्तर पर और उसके उत्तर-पूर्व में है;

(ख) यदि हां, तो क्या बेनीघाट में एक छोटे स्वचालित एक्सचेंज की स्थापना करने और बेनीपट्टी से उपरोक्त, पी. सी. ओ. को सीधा मधुबनी के साथ जोड़ने का विचार है जिसके लिये सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा जिलों के रास्ते जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या चक्करदार रूट होने के कारण उपरोक्त पी. सी. ओ. से एक भी ट्रंक काल नहीं मिल पाई है, यदि हां, तो रूट न बदलने के क्या कारण हैं?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) परसौनी सार्वजनिक टेलीफोन घर शहर घाट सार्वजनिक टेलीफोन घर से आठ किलोमीटर (5 मील) दूर है तथा खिरहाट सार्वजनिक टेलीफोन घर बेनीपट्टी से दस किलोमीटर (6.25 मील) दूर है।

(ख) जी हां।

(ग) पिछले छह महीनों के दौरान शहरघाट तथा परसौनी सार्वजनिक टेलीफोन घरों से

मधुबनी के लिए कोई काल बुक नहीं की गई। बेनीपट्टी के छोटे स्वचालित एक्सचेंज में परिवर्तित कर दिए जाने के बाद रूट बदला जाएगा।

दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात में जनरल तथा अपना टेलीफोन स्वयं खरीदें योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए नए टेलीफोन

3755. **श्री नन्द किशोर शर्मा :**

श्री हीरा लाल आर. परमार : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में जनरल तथा अपना टेलीफोन स्वयं खरीद योजना के अधीन अवधि के भीतर दिये जाते हैं, और

(ख) क्या 1973 में अपना नाम पंजीकृत कराने वाले व्यक्तियों को अभी तक टेलीफोन कनैक्शन नहीं दिये गये हैं और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार उनको टेलीफोन कनैक्शन देने के लिये कोई कदम उठा रही है और यदि हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) कुछ अव्यवहार्य मामलों को छोड़ कर टेलीफोन कनेक्शन हेतु आवेदन करने से 3 से 5 वर्ष का सामान्यतया औसत समय टेलीफोन कनेक्शन देने में लगता है। सही समय अवधि निम्न पर निर्भर करती है :

(I) एक्सचेंज क्षमता की उपलब्धता।

(II) ओ. वाई. टी. सामान्य तथा विशेष श्रेणी के आवेदकों के बीच आवंटन।

इस समय दिल्ली, मध्य प्रदेश, तथा गुजरात में एक्सचेंजों की संख्या तथा प्रतीक्षा सूची निम्न प्रकार है :—

ओ. वाई, टी. प्रतीक्षा सूची	गैर ओ. वाई. टी. प्रतीक्षा सूची	एक्सचेंजों की संख्या
दिल्ली 9262	70182	30
मध्य-प्रदेश 1044	10634	354
गुजरात 3509	39650	648

(ख) 1973 में टेलीफोन कनेक्शन हेतु दर्ज किए गए आवेदन केवल दिल्ली में ही लंबित पड़े हैं और गुजरात और मध्य प्रदेश में कोई आवेदन लंबित नहीं है। आवश्यक वित्तीय तथा सामग्री साधनों की कमी के कारण ही पर्याप्त मात्रा में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना संभव नहीं हो सकता है। इन बकाया पुरानी मांगों को पूरा करने के लिए वर्तमान एक्सचेंज का विस्तार करने तथा नए एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

पणजी टेलविजन रिले ट्रांसमीटर का प्रसारण क्षेत्र

3756. **श्री बापू साहेब पारुलेकर :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पणजी टेलीविजन रिले ट्रांसमीटर गोआ के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपने प्रसारण रेंज में लेगा;

(ख) कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके अन्तर्गत आयेगा और कितने नगर, ग्राम तथा कितनी जनसंख्या ट्रांसमीटर के प्रसारण रेंज में आएंगे;

(ग) टेलीविजन की कितनी पारेषण शक्ति अरब सागर की ओर जाकर नष्ट हो जायेगी; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि गोआ में टेलीविजन के रिले ट्रांसमीटर की स्थापना के लिये चुना गया स्थल केवल 46 मीटर का है जबकि समुद्रतल से 314.7 मीटर से 1022.50 मीटर ऊंचाई वाली 36 मुख्य पहाड़ियां उसके चारों ओर स्थित हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) पणजी रिले ट्रांसमीटर द्वारा गोवा का लगभग 3.6 हजार किलोमीटर का लगभग समूचा क्षेत्र कवर किया जायेगा। इस सेवा क्षेत्र के गोवा के सभी शहरों और गांवों, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 8.5 लाख (1971 की जनगणना) है, को दूरदर्शन सेवा प्राप्त होगी।

(ग) जैसा कि तटवर्ती शहरों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने की परिपाटी है, ट्रांसमीटर के एंटेना को समुद्र की ओर न्यूनतम विद्युत विकिरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से बनाया जायेगा।

(घ) विभिन्न बातों, अवस्थापना की उपलब्धता, लक्ष्य क्षेत्र इत्यादि को ध्यान में रखते हुए एलथीनो पहाड़ा पर स्थान, जहां पर एंटेना लगाने के लिए 150 मीटर ऊंचा टावर लगाया जाएगा, का चयन कर दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

3757. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सयंत्रों को कोयला की सप्लाई में सुधार करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रमुख बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में कोयले के प्रमुख उपभोक्ता इस्पात कारखानें, बिजलीघर और उर्वरक कारखानें हैं। इन तीनों क्षेत्रों को कोयले की सप्लाई युक्तिपूर्ण बनाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जाते है :

(1) **बिजली** : बिजलीघरों की कोयले की मांग पर स्थायी संयोजन समिति की बैठकों में चर्चा की जाती है। यह बैठकें हर तिमाही में होती हैं और इनमें रेलवे, विद्युत विभाग और कोयला विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा कोयला कंपनियों के प्रतिनिधि रहते हैं। इनमें विभिन्न ताप बिजलीघरों को उनकी जरूर के अनुसार कोयला आवंटित करने पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, ताप बिजलीघरों को कोयले के प्रेषण की विभिन्न स्तरों पर निगरानी भी की जाती है। वह निगरानी कोयला कंपनियां, बिजलीघर और रेलवे तथा आधारभूत औद्योगिक सुविधाओं सम्बन्धी मंत्रिमंडलीय समिति भी करती है।

(2) **इस्पात कारखानें** : इस्पात कारखानों को कोयले की सप्लाई पर कोयला नियंत्रक द्वारा आयोजित मासिक बैठकों में चर्चा की जाती है। इन बैठकों में इस्पात कारखानों, कोयला कंपनियों और रेलवे के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा इस्पात कारखानों को कोयले

की सप्लाई की समय समय पर अन्तर-मंत्रालयी स्तर पर, तथा आधारभूत औद्योगिक सुविधाओं सम्बन्धी मंत्रीमंडलीय समिति द्वारा भी, निगरानी की जानी है।

(3) **उर्वरक कारखानें** : उर्वरक कारखानों की कोयले की कुल जरूरतें पूरी की जा रही हैं और जब कभी आवश्यक होता है तो उनकी जरूरत पूरी करना सुनिश्चित करने के लिए अन्तर-मंत्रालयी परामर्श भी किये जाते हैं।

कोयला कंपनियां आम तौर पर सभी उपभोक्ताओं को और खासतौर पर सरकारी क्षेत्र के कारखानों को कोयले की सप्लाई पर कड़ी नजर रखती हैं।

तेल साफ करने के कारखाने में बेन्जीन का उत्पादन

3758. **श्री ए. ए. रहीम** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने में बेन्जीन का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिये सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) कोचीन रिफाइयनरीज लिमिटेड में बेन्जीन के उत्पादन के लिये सम्भाव्यता रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

दिल्ली में एच. पी. गैस सिलैण्डरों की सप्लाई

3759. **श्री चतुर्भुज** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/दिल्ली छावनी में उपभोक्ताओं को नवम्बर, 1981 के अन्तिम दिनों में एच. पी. गैस सिलैण्डरों की सप्लाई नहीं की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) शीघ्रता से सप्लाई सुनिश्चित करने और भविष्य में इस स्थिति को घटित होने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) इस वर्ष नवम्बर के अन्तिम सप्ताह के दौरान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन (एच. पी. सी. एल) द्वारा दिल्ली/दिल्ली छावनी क्षेत्र में एल. पी. जी (कुकिंग गैस) की सप्लाईज में उनके वितरण व्यवस्था का पुनर्गठन किये जाने के कारण कुछ गड़बड़ी आई थी। पुनर्गठन कार्य के पूरे हो जाने के साथ एच. पी. सी. एल की कुकिंग गैस सप्लाईज क्षेत्र में सामान्य हो गई है।

60 चैनल की क्षमता की यू. एच. एफ. रेडियो रिले प्रणाली द्वारा गंगावती को होस्पेट (कर्नाटक) के साथ जोड़ना

3760. **श्री एच. जी. रामूलू** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 60 चैनल की क्षमता की यू. एच. एफ. रेडियो रिले प्रणाली द्वारा गंगावती को होस्पेट (कर्नाटक) के साथ जोड़ा जाना आर्थिक दृष्टि से सक्षम पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) देश में भारी कमी के कारण निकट भविष्य में पारेषण माध्यम का पर्याप्त उपयोग करने के लिए पारेषण उपस्कर तथा स्विचिंग उपस्कर प्राप्त होने की संभावना नहीं है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के उन कर्मचारियों द्वारा लौटाई गई अन्तरिम राहत का पुनः भुगतान जिन्होंने नवम्बर, 1981 के पूर्व त्यागपत्र दिया था

3761. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों को अस्थाई रूप से 'अन्तरिम राहत' का भुगतान किया जा रहा है, यदि हाँ, तो कब से;

(ख) क्या जिन कर्मचारियों ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की सेवा से नवम्बर, 1981 से पहले त्यागपत्र दे दिए थे, उनको अन्तरिम राहत की कुल राशि लौटानी पड़ी थी, यदि हाँ, तो उन कर्मचारियों का तथा उनके द्वारा लौटाई गई राशि का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा इस बीच उस बारे में अपनी नीति में एकरूपता दे दी गई है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के उन कर्मचारियों (अब भूतपूर्व कर्मचारियों) को जिन्होंने अपने त्यागपत्र के समय अन्तरिम राहत की राशि लौटानी पडी थी, उनको अब उनकी राशि वापस की जाएगी, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इस विषमता के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि संस्थान की सेवा में जिन कर्मचारियों की भर्ती 30-11-1977 के पश्चात की गई है उन कर्मचारियों को छोड़कर तथा जो कर्मचारी तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ऐसे वेतनमानों के अन्तर्गत आते हैं—जिनके लिए अन्तरिम सहायता की अदायगी स्वीकार्य नहीं है, उन कर्मचारियों को छोड़कर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के नियमित कर्मचारियों को 1-4-72 से 'अन्तरिम सहायता" की अदायगी अनन्तिम तौर पर की जा रही है।

(ख) जिन कर्मचारियों ने दिल्ली विद्युत प्रदाय सस्थान की सेवा से 17-11-1981 से पहले त्यागपत्र दे दिया है उनके लिए आवश्यक था कि 1-4-1972 से या संस्थान में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से, जो भी बाद में हो, दी गई अन्तरिम सहायता की कुल राशि वे लौटायें। जिन भूतपूर्व कर्मचारियों ने त्यागपत्र दिया है, उनकी कुल संख्या 233 है तथा अंतरिम सहायता के कारण उनसे वसूल की गई कुल राशि लगभग 3.52 लाख रुपये बैठती है।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया था, और यह निर्णय 17-11-1981 के कार्यालय आदेश के जरिए कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ इसमें निम्नलिखित की व्यवस्था है :—

(1) सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामलों पर विचार करते समय उन्हें अंतरिम सहायता लौटाने के लिए नहीं कहा जाए तथा इस निर्णय को 10-8-1973 से लागू माना जाए।

(2) त्यागपत्र देने वालों के मामले में भी उपरोक्त (1) के समान ही, परन्तु इस निर्णय को उन्हीं मामलों में लागू माना जाएगा जिसमें त्याग पत्र इस कार्यालय आदेश की तारीख से या इसके बाद की तारीख से स्वीकार किए जाते हैं, तथा

(3) इस कार्यालय आदेश की तारीख से पहले स्वीकार किए गए त्यागपत्रों के मामले में अन्तरिम सहायता की वसूली की जाएगी।

(घ) जी, नहीं। जिन भूतपूर्व कर्मचारियों, के त्यागपत्र 17-11-1981 से पहले स्वीकार किए जा चुके थे, उन्हें अन्तरिम सहायता का भुगतान अन्तरिम तौर पर औद्योगिक न्यायाधिकरण दिल्ली द्वारा निर्णय दिए जाने तक किया गया था यह मामला उक्त न्यायाधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णय के लिए पड़ा हुआ है। 17-11-1981 को या उसके पश्चात त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों के मामले में अन्तरिम सहायता की राशि की वसूली न करने के लिए भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है। अतः उपरोक्त निर्णय को भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित करने तथा जिन कर्मचारियों के मामलों को पहले निपटाया जा चुका है उनके मामलों को खोल कर वसूल की जा चुकी अन्तरिम सहायता की राशि की अदायगी उन्हें पुनः करने का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 के अन्तर्गत सीधी भर्ती वाले तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को वरीयता की सुरक्षा

3762. **श्री आर. पी. यादव :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्री द्वारा दिये गये इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि सरकार वरीयता और स्थायीकरण आदि के मामलों में अपने कर्मचारियों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी हितों की रक्षा करेगी सरकार ने केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 के अन्तर्गत स्थायी रिक्तियों के कोटे में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जून, 1975 में सीधी भर्ती के बैच में चुने गये कर्मचारियों की वरीयता को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ख) उस मामले में संघ लोक सेवा आयोग तथा कार्मिक विभाग ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है;

(ग) क्या दिसम्बर, 1959 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ज्ञापन के अनुसार उनकी वरीयता निर्धारित करने के मामले में मार्ग दर्शी सिद्धान्तों को लागू करने के प्रश्न पर उनके प्रारम्भिक दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन हुआ है; यदि हां, तो किन विवशताओं से परिवर्तन हुआ है; और

(घ) इस बैच के उन अधिकारियों के सेवा सम्बन्धी हितों की रक्षा के लिये क्या कदम उठाये गये हैं जिन पर इस परिवर्तन का बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) केन्द्रीय सूचना सेवा के जूनियर प्रशासनिक ग्रेड में सीधीभर्ती कई वर्ष के बाद उन 7 रिक्तियों के लिए 1977 में की गई थी जो सीधे भर्ती के कोटे के अन्तर्गत इकट्ठी हो गई थी। सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त किये गए इन अधिकारियों और पदोन्नति द्वारा नियुक्त विभागीय अधिकारियों की परस्पर वरीयता निश्चित करते समय यह पाया गया था कि सामान्य नियमों, जिनके अन्तर्गत सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारियों और पदन्नति द्वारा नियुक्त विभागीय अधिकारियों के बीच कोटे के आधार पर स्लाट निर्धारित किए जाते हैं, को लागू करने से यह गम्भीर विषमता उत्पन्न होगी कि सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त कुछ अधिकारी उन अनेक अधिकारियों से वरिष्ठ हो जाएंगे जो वर्षों पहले ग्रेड में पदोन्नत किए गए थे। स्पष्टत: यह एक ऐसा मामला था जिससे सामान्य नियम सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारियों के उक्त ग्रुप को अनभिप्रेत लाभ पहुंचाते थे।

मामले पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विस्तार से विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वरीयता के रूप में किसी भी ग्रुप के अधिकारियों को कोई अनभिप्रेत लाभ न पहुंचे केन्द्रीय सूचना सेवा, नियम, 1959 में यथोचित संशोधन दिया जाए।

ई. आई. एल. की परामर्श और इंजीनियरिंग सेवाएं उड़ीसा में एन. ए. एल. सी. में ओ को उपलब्ध कराना

3763. **श्री के पी. सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ई. आई. एल., उड़ीसा में एल. ए. एल. सी. ओ. परियोजनाओं को परामर्श और इंजीनियरी सेवा प्रस्तुत करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या ई. आई. एल. ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगा लिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ई. आई. एल. राज्य में तकनीकी कालेजों और स्कूलों में उपलब्ध तकनीकी व्यक्तियों का उपयोग करने का प्रयत्न करेगी; और

(च) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या योजना बनाई गई है ?

पेट्रोलियम. रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) से (च) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किये गए अनुमानों के अनुसार, ऐसी आशा की जाती है कि इंजीनियरिंग, प्रापण और प्रायोजना प्रबन्ध कार्य के लिए सर्वाधिक तकनीकी जनशक्ती की आवश्यकता 300 व्यक्ति होगी। इसके अतिरिक्त, निर्माण स्थालों पर पर्यावेक्षण के लिए अन्य 300 व्यक्तियों की आवश्यकता हो सकती है। कंपनी के लिए कार्मिको की समग्र आवश्यकताओं पर इजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में तकनीकी कार्मिकों की भर्ती की जाती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत इम्फाल के दो दैनिक पत्रों के संपादकों की गिरफ्तारी

3764. **श्री चित्त बसु :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल के दो दैनिक पत्रों के सम्पादकों को हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) क्या यह मामला इम्फाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सरकार के ध्यान में लाया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हाँ। इन दो सम्पादकों को मणिपुर सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर नजरबन्द किया गया था कि उन्होंने ऐसे लेख लिखे जो सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल थे।

(ख) जी, हाँ।

"7 सुपर गियान्ट आयल फील्ड्स यट टु बी टेप्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3765. **श्री रेणु पद दास :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नवम्बर, 1981 के "स्टेट्समैन" (कलकत्ता संस्करण) में "7 सुपर गियान्ट आयल फील्ड्स यट टु बी टेप्ड" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि हिन्द महासागर की ओर अरेबियन पेनितसुला के तटदूर क्षेत्र से पांच बिलियन बैरिल या इससे भी अधिक तेल निकाला जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में पर्याप्त भूगर्भीय तथा भू-भौतिकीय सूचना शामिल नहीं है जिस पर अरेब्यिन पेनितसुला क्षेत्र में तेल क्षेत्रों की विद्यमानता के बारे में किया गया मूल्यांकन आधारित है।

पानीपत तापीय बिजली संयंत्र का चालू करना

3766. **श्री डी. एम. पुत्तेगोडा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पानीपत बिजली परियोजना के दूसरे चरण के चालू करने में एक वर्ष का विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के विलम्ब को दूर करने तथा परियोजना को शीघ्र चालू करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सलाहकारों को नियुक्त करने में विलम्ब। इसके फलस्वरूप सिविल कार्यों के लिए ठेका देने, आर्डर देने और सिविल और अन्य कार्यों को शुरू करन में विलम्ब हुआ है।

(ग) परियोजना को शीघ्र शुरू करने के लिए समय-समय पर राज्य बिजली बोर्ड के साथ और मुख्य सप्लाईकर्त्ताओं के साथ आगे सावधानीपूर्वक मानीटरिंग और समीक्षा करते रहने का प्रस्ताव है।

स्थाई मतदान केन्द्रों की स्थापना और कम्प्यूटरों की सहायता से मतदाता सूचियां बनाना

3767. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने स्थाई मतदान केन्द्र स्थापित करने तथा कम्प्यूटरों की सहायता से मतदाता सूचियां तैयार करने का संकेत दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में कुछ राज्यों में होने वाले निर्वाचनों में इस योजना का प्रयोग करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका पूरा ब्यौरा क्या है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) से (घ) निर्वाचन आयोग ने स्थायी रूप से मतदान केन्द्र स्थापित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निदेश पहले ही जारी कर दिए थे। किन्तु, मतदान क्षेत्रों को अधिक सुसंबद्ध बनाने और आमतौर पर मतदाताओं की ओर विशेष रूप से कमजोर वर्ग के मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं सुलभ करने की दृष्टि से आयोग ने ये निदेश भी दिए हैं कि इससे पूर्व कि ,यथास्थिति, निर्वाचक नामावलियों का सघन पुनरीक्षण या संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाए, मतदान केन्द्रों की सुचियों का पुनर्विलोकन किया जाए और उन्हें पुनः तैयार करके उनका प्रारूप प्रकाशित किया जाए। निर्वाचक नामावलियों के सघन पुनरीक्षण या संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम राज्यों में वर्ष 1982 में प्रारम्भ किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग, निर्वाचक नामावलियों को कम्प्यूटर की सहायता से तैयार करने के लिए किसी उपयुक्त अभिकरण का पता लगाने का प्रयास कर रहा है।

औषधियों के उत्पादन में कमी

3768. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री जगदीश टाईटलर : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये मूल्य, जैनेरिक नामों का आरम्भ करना और अधिक क्षमता का नियमित करने जैसे अनेक मामलों के कारण जो न्यायालयों अथवा सरकार के पास अनिर्णित पड़े हैं, देश भर में औषध यूनिटों में उत्पादन कम होता हुआ प्रतीत हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या औषध उत्पादन में जिसमें गत वर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, चालू वर्ष में कमी होगी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसीन, एम्पीसिलिन, सल्फासीटामाइड सोडियम, सल्फामेथोक्साजोल,

सल्फागुनीडाइन, विटामीन बी. 1, विटामिन बी. 2, फोलिक एसिड, विटामिन सी, एनलजीन, एस्पिन, फिनाइलब्रटाजोल, आक्सी फिनाइल-ब्रटाजेन, डेक्सामेथासीन, वेटामेथासीन, इथमब्रटोल, क्लोरोक्वीन, मेट्रोनिडाजोल, डि-आयडो-हाइड्रोक्सीक्वीनोलाइन, इन्सुलिन, ग्लाईवेन्कलाइट, टोलब्रटामाइड, प्रोकेन, ट्रिपल वैक्सीन, डिप्थीरीया एण्डीटोक्सीन ट्राइमेथोप्रिम आदि जैसे अनेक आवश्यक और जीवन रक्षक औषधों के उत्पादन में अप्रैल, सितम्बर 1980 तक की अवधि की तुलना में वर्ष 1981 की तदनुरूपी अवधि के दौरान महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। तथापि क्लोरमफेनीकोल चूर्ण, टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड, डाक्सीसाइक्लीन, एरिथोमाइसीन, सल्फाडिमिडाइन, विटामिन ए, विटामिन बी. 12 प्रेडनीसोलोन, पी. ए. एस. और इसके लवण, आई. एन. एच., एमोडियाक्वीन, आयडो-क्लोरो-हाइड्रोक्सीक्वीनोलाइन, क्लोस्पोपामाइड, इफेड्राइन, पिपराजाइन हेक्साहाइडेट, डेप्सोन, डी. ई. सी. साइट्रेट, टेटनस एण्डीटोक्सीन और आदि जैसे कुछ औषधों का उत्पादन, 1980 की उक्त अवधि की तुलना में 1981 की तदनुरूपी अवधि में कम हुआ है। संलग्न विवरण पत्र में कुछ आवश्यक और जीवन रक्षक औषधों के उत्पादन के ब्यौरे दिये गये हैं। औषधों के उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी माँग और आयातों से उपलब्धता, नई औषधों की चिकित्सीय दक्षता, चिकित्सा वरीयता, औद्योगिक संबंध, विद्युत जल, कच्ची सामग्री का मूल्य निर्धारण आदि जैसे मूल निवेशों की उपलब्धता आदि जैसे तथ्यों पर निर्भर करती है। अप्रैल-सितम्बर 1981 के दौरान क्लोरमफेनीकोल चूर्ण के उत्पादेन में कमी बाजार में उपलब्ध आयातित एलवेस से। परिवर्तित सस्ते क्लोरमफेनीकोल के कारण हुई है। आयातों से डाक्सीसाइक्लीन, एस्पिन प्रेमलीसो प्रेडनीसोलोन, पिपराजाइन हेक्साहाइड्रेट और इफेड्राइन जैसी औषधों के स्वदेशी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। सल्फाफेनाजोल, सल्फासोतिडाइन (मै. ससीत्रा गंगी द्वारा निर्मित) के उत्पादन पर दोनों कारखानों में औद्योगिक असंतोष के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा था। टी. बी. विरोधी औषधों के मामले में चिवित्सीय कारणों से नई औषधों के लिये अच्छी खासी वरीयता है।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है सरकार ने लागत अध्ययन करने और उचित लाभ की व्यवस्था करने के पश्चात् अनेक मूल्य नियंत्रित बल्क औषधों के मूल्य निर्धारित/संशोधित किये हैं। यह सत्य है कि कुछ औषध निर्माता युनिटों ने संशोधित मूल्यों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

जहां तक अधिक क्षमता को विनियमित किये जाने का संबंध है, कुछ शर्तों के साथ दिनांक 4 सितम्बर, 1980 को विद्यमान बल्क औषधों के उत्पादन को मान्यता दी जा रही है। जहां तक सामान्य नामों का संबंध है, पांच औषधों के एकल-अवयव फार्मूलेशनों और एकल क्रियाशील अवयव के रूप में कोई नई औषध निहित सम्पाक के संबंध में ब्राण्ड नामों को कानूनी रूप से समाप्त करने हेतु औषध और प्रसाधन नियम 1905 को संशोधित करते हुए जनवरी, 1981 में एक गजट अधिसूचना जारी की है। यह संशोधन 1 अगस्त 1981 से लागू है। तथापि कुछ यूनिटों से उक्त अधिसूचना को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता में निरन्तर सुधार करने की दृष्टि से स्वदेशी में निर्मित औषधों की श्रेणी में वृद्धि करने और औषधों की स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार अथक प्रयास कर रही है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाये गये कुछ कदमों का वर्णन दिनांक 24 नवम्बर, 1981 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 24 के उत्तर में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	औषध का नाम	यूनिट	उत्पादन अप्रैल-सितम्बर 1981	उत्पादन अप्रैल-सितम्ब 1980	प्रतिशत भिन्नता कालम 4 और कालम 5
1	2	3	4	5	6
	एन्टीबायोटिक्स :				
1.	पेनिसिलिन	एम.एम.यू.	155.31	147.47	+5.3
2.	स्ट्रेप्टोमाइसीन बेस	टन	121.71	89.92	+35.4
3.	एम्पीसिलिन	,,	22.35	9.22	+141.4
4.	एम्फोटेरीसीन	,,	0.97	0.54	+79.6
5.	केनामाइसीन	,,	0.20	9.09	+122.2
6.	क्लोरोफेनीकल चूर्ण	,,	37.16**	46.41**	—19.9
7.	टेट्रासाइक्लीन एच. सी. एल.	,,	76.34	81.22	—6.00
8.	एरिथोमाइसीन	,,	15.66*	23.21	—31.5
9.	डाक्सीसाइक्लीन	,,	0.62	0.70	—11.4
	सल्फा औषधें :				
10.	सल्फासिटामाइड सोडियम	,,	32.36*	18.76	+72.5
11.	सल्फोमथोक्साजोल	,,	63.27	37.86	+67.0
12.	सल्फोमथीजोल	,,	1.85	1.36	+36.0
13.	थइलाइल सल्फा-सीटामाइड	,,	1.89	10.08	+75.0
14.	सल्फामोक्सोन	,,	82.32	71.18	+15.7
15.	सल्फागुनीडाइल	,,	168.30	104.20	+61.5
16.	सल्फाडियाजाइल	,,	27.66*	23.17	+19.4
17.	सल्फानिलामाइड	,,	20.93	2.68	+681.0
18.	सल्फाडिमिडाइन	,,	140.70	198.50	—29.1
19.	सल्फाफेनाजोल	,,	0.40	24.42	—98.4
20.	सल्फासोमिडाइल	,,	11.08	70.48	—84.3
	विटामिन्स :				
21.	विटामिन बी. 1	,,	26.30	8.04	+227.1
22.	विटामिन बी. 2	,,	8.39	3.98	+110.8
23.	फोलिक एसिड	,,	2.91	2.32	+25.4

1	2	3	4	5	6
24.	विटामिन सी.	टन	363.56*	248.26	+46.4
25.	विटामिन ई.	,,	3.00	2.85	+5.3
26.	विटामिन ए.		25.89	28.52	—9.2
27.	विटामिन बी. 12	कि. ग्रा.	83 31	87.50	—4.8
28.	विटामिन डी. 3	टन	0.04	0.14	—71.4
29.	विटामिन के.	,,	0.45*	0.86	—47.7
	एनलगेसिक्स, एन्टीपाइरिटिक्स आदि :				
30.	एनलजिन	कि. ग्रा.	260.57	166.16	+56.8
31.	एस्प्रीन	टन	386.49	336.68	+14.8
32.	फिनाइल बुटाज़ोन	,,	23.51*	21.61	+8.7
33.	आक्सीफिनाइल बुटाजोन	,,	32.94	25.51	+29.1
34.	फेनिसिटीन	,,	104.70	44.10	+137.4
35.	कोडिईन और इसके लवण	,,	1.38*	3.46	—60.1
	कोर्टिकोस्टेरोइट्स :				
36.	डेक्सोमेथासोल	कि.ग्रा.	88.27	58.32	+42.8
37.	वेटामेथासीन	,,	205.51	193.14	+6.4
38.	प्रेडनीसोलोन	,,	462.00	660.00	—30.0
	टी. बी. निरोधी औषधें :				
39.	इथाम्बुटोल	टन	28.28*	14.00	+102.2
40.	पी. एस. एस. और इसके लवण	,,	122.22	215.16	—30.0
41.	आई. एच. एच.	,,	53.70	69.18	—22.4
	मलेरिया निरोधी :				
42.	क्लोरोक्वीन	,,	18.66	13.38	+39.5
43.	अमोडोक्वीन	,,	13.92	15.26	—8.8
44.	कुनैन	,,	4.91	4.95	—0.8
	पेचिस निरोधी औषधें :				
45.	मेट्रोनिडाजोल	,,	67.66	64.60	+4.7
46.	डि-आयोडो.काइड्रोक्सी-क्वीनालाइन	,,	6.54	4·01	+63.1
47.	आईडो-क्लोरो-हाइड्रोक्सीक्वीनो लाइन	,,	46.73*	77.65	—39.8
48.	इन्टेस्टोपान सब्सटेन्स	,,	22.50	22.55	—0.2

1	2	3	4	5	6
मधुमेह विरोधी औषधें :					
49.	इन्सुलिन	एम. यू.	955.00	581.00	+64.4
50.	ग्लाइबेंक्लामाइड	टन	0.43*	0.28	+53.6
51.	टोलबुटामाइट	,,	18.74*	16.03	+16.9
52.	क्लोरप्रोपामाइड	,,	5.02	12.81	—60.8
दमा विरोधी :					
53.	इफेड्राइन	,,	8.29	11.26	—26.4
एनस्थेटिक्स :					
54.	प्रोकेन	,,	33.11	23.97	+38.1
55.	लिग्नोकेड/जाइलोकेड	,,	2.19	2.21	—0.9
एण्टी हिस्टामिन्स :					
56.	पेनिरामाइन मेलिएट	,,	6.10	3.34	+82.6
57.	डिफेनहाइड्रामाइन	,,	4.07	3.24	+25.6
एण्टी हेल्मेन्टिक्स :					
58.	पिपराजाइन हेक्साहाइड्रेट	,,	4.20	6.30	—33.3
	ट्रेन्कलाइर्चस और सिंडेटिब्ज :				
59.	फेनोवारविटोन	,,	14.22	3.38	+320.7
कोढ़ निरोधी :					
60.	डेप्सोन	,,	10.17	10.28	—1.1
फलेरिया निरोधी :					
61.	डीइसी साइट्रेट	,,	8.42	10.58	—20.4
इम्युनोलोजीकल एजेंट :					
62.	ट्रिपल वेक्सीन	कि. लि.	11.13*	6.62	+68.1
63.	डिप्थीरिया एन्टीटोक्सिन	एम.यू.	514.26*	295.96	+73.8
64.	टेटनस एन्टीटोक्सिन	,,	5695.97*	6413.43	—7.0
विविध औषधें :					
65.	ट्राइमेथोप्रिम	टन	22.88*	10.86	+110.7

* अस्थायी आंकड़े ।

** संगठित क्षेत्रों के एककों के आँकड़े ।

राष्ट्रीय औषध नीति

3769. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय औषध नीति तैयार की है जिससे देश में गरीब लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण औषधियों का उत्पादन कम लागत से होगा, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति (हाथी) की सिफारिशों पर विचार करने के बाद औषध नीति के बारे में दिनांक 29-3-1978 को एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत किया था। औषध नीति का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता के स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में औषधें पर्याप्त रूप से और उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। अब यह नीति कार्यान्वयनाधीन है।

राजस्थान के बाड़मेर और नागोर जिलों में लिग्नाइट के निक्षेप

3770. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बाड़मेर और नागोर जिलों में लिग्नाइट के निक्षेप पाये गये हैं, यदि हां, तो किस क्षेत्र में तथा लिग्नाइट के कितने क्षेत्र का पता लगा है;

(ख) उस एजेंसी अथवा विभाग का नाम क्या है जो उसके सर्वेक्षण और खोज कार्य में संलग्न है;

(ग) क्या इस एजेंसी अथवा विभाग में पर्याप्त संख्या में छिद्रण मशीनों और अन्य उपकरणों आदि की व्यवस्था नहीं की जिसके परिणामस्वरूप खोज कार्य में बहुत धीमी गति से प्रगति हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो कार्य की गति बढ़ाने के लिये क्या विशेष कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ। राजस्थान के बाडमेर जिले के कपुर्डी गांव के निकट और नागौर जिले में रोड क्षेत्र के निकट लिग्नाइट के भंडार पाये गये हैं। इन भण्डारों की मात्रा का निश्चय अभी होना है।

(ख) सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य राजस्थान सरकार का खान और भूतत्व विभाग कर रहा है।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार उसके खनन और भूतत्व विभाग के पास समन्वेषण कार्य करने के लिए ड्रिलिंग मशीनें आदि पर्याप्त संख्या में हैं।

(घ) राज्य सरकार ने पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के समन्वेषण के लिए एक योजना तैयार की है और यदि सर्वेक्षण के परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे तो इस काम को और बढ़ाया जाएगा।

रेलवे को कोयले की सप्लाई

3771. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** . क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे, तापीय संयंत्रों, बिजली घरों, और सीमेंट संयंत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए कोयले की शीघ्र सप्लाई के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) 1981-82 के दौरान सार्वजनिक उपयोगिता के उपर्युक्त उपक्रमों की आवश्यकता क्या है; और

(ग) उनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) वर्ष 1981-82 के दौरान रेलवे, ताप बिजली घरों और सीमेंट कारखानों को कोयले की जरूरत नीचे दी गई है :

क्षेत्र	आवश्यकता (मि. टनों में)
रेलवे	12.50
बिजली घर	48.00
सीमेंट कारखानें	7.00

कोयले की ढुलाई करते समय इस्पात कारखानों, ताप बिजली घरों, रेलवे और सीमेंट कारखानों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। रेलवे कोयला विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सीमेंट नियंत्रक आदि के प्रतिनिधियों की एक "स्थायी संयोजन समिति" की बैठक प्रत्येक तिमाही में होती है जिसमें ताप बिजली घरों और सीमेंट कारखानों को कोयले के आबंटन का निश्चय किया जाता है। रेलवे अपनी स्वयं की कोयले की जरूरत पूरी करने के लिये एक सम्मत कार्यक्रम के अनुसार कोयले की ढुलाई करती हैं। कोयला कंपनियाँ और रेलवे यह सुनिश्चित करने के लिये परस्पर लगातार संपर्क बनाये रखती हैं कि कार्यक्रमों के अनुसार कोयले की ढुलाई विशेषकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को होती रहे। कोयले के उत्पादन और बिजली घरों, सीमेंट कारखानों, रेलवे आदि को कोयले के प्रेषण की निगरानी "आधारभूत औद्योगिक सुविधाओं सम्बन्धी मंत्रिमंडलीय समिति" भी करती है।

दामोदर घाटी निगम और बोकारो इस्पात संयन्त्र के बीच संविदागत व्यवस्था

3772. **डा. सरदीश राय :**

श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम का बोकारो इस्पात संयंत्र को 145 एम. डब्ल्यू. फार्म पावर सप्लाई करने का संविदागत दायित्व है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दामोदर घाटी निगम संयन्त्र को संविदागत बिजली का कोटा सप्लाई कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो दामोदर घाटी निगम द्वारा 1981 में बोकारो को सप्लाई की गई बिजली का महीनेवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या करार के अनुसार बिजली का कोटा सप्लाई न करने पर कोई दण्डात्मक क्लाज भी है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) दामोदर घाटी निगम का बोकारो स्टील लि. को 145 एम. वी. ए. विद्युत सप्लाई करने का संविदात्मक दायित्व है।

यदि दा. घा. नि. विद्युत प्रणाली में कमी न हो तो निगम सामान्यतः उपर्युक्त संविदात्मक कोटे के अनुसार बोकरो स्टील लि. को विद्युत सप्लाई करता है। कमी की स्थितियों में बोकारो स्टील लि. तथा अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत का आवंटन विद्युत की उपब्धता तथा वर्गीकृत प्राथमिकताओं की अनुसूची के आधार पर किया जाता है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा बोकारो स्टील लि. को 1981 में सप्लाई की गई विद्युत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

महीना	रिकार्ड की गई अधिकतम मांग एम. बी. ए. में	ऊर्जा खपत यूनिटों में
जनवरी	100.80	37.83
फरवरी	80.80	30.28
मार्च	142.20	47.99
अप्रैल	135.20	54.64
मई	122.40	43.16
जून	106.40	41.04
जुलाई	124.00	54.53
अगस्त	120.80	55.27
सितम्बर	140.00	55.76
अक्तूबर	144.00	65.76
नवम्बर	144·80	63.19

विद्युत के करार शुदा कोटे की सप्लाई न किये जाने पर दण्डात्मक खंड जैसा कोई खंड इस करार में नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष दण्ड का एक खण्ड इसमें है। दामोदर घाटी निगम विद्युत प्रणाली में अपर्याप्त विद्युत उत्पादन होने पर जब कभी अधिकतम विद्युत लेने पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता दा. घा. नि. को होती है तब उच्चतम मांग प्रभार का हिसाब समूचे महीने के दौरान दर्ज की गई अधिकतम माँग के आधार पर लगाने के बजाय प्रतिबन्ध की इस अवधिक में रिकार्ड की गई वास्तविक माँग के आधार पर लगाया जाता है। प्रचालन तथा अनुरक्षण में सुधार लाने के लिए संयन्त्र सुधार कार्यक्रम जैसे विभिन्न कदम उठाये जाने से तथा कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी स्कीमों आदि के जरिये दा. घा. नि. के विद्युत उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। इससे बोकारो स्टील संयंत्र को बेहतर विद्युत सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है।

यूरिया संयंत्र की स्थापना के लिये जापान से ऋण

3773. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने एक यूरिया संयन्त्र की संस्थापना के लिए भारत को ऋण दिया है।

(ख) क्या यह सच है कि उस संयंत्र में बम्बई तट दर पर विकसित प्राकृतिक गैस संसाधनों का उपयोग किया जायेगा, और

(ग) यदि हां तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) तक जापान सरकार ने थाल उर्वरक परियोजना के लिए 20 बिलियन येन का ऋण दिया है। इस सहायता के एक अंश को यूरिया प्लांट के कुछ उपकरणों की खरीद के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। यह परियोजना बम्बई हाई/बसीन क्षेत्र से प्राप्त सम्बद्ध/प्राकृतिक गैस का प्रयोग करेगी। इसकी वार्षिक क्षमता 6.8 लाख टन यूरिया की है।

शांत घाटी परियोजना

3774. **श्री ई. के. ईम्बीत्तीबाबा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस शांत घाटी परियोजना की क्या स्थिति है जो प्रति वर्ष 522 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए तथा पाल घाट और मल्लपुरम जिलों में 100,00 हेक्टर भूमि की सिंचाई के लिए तैयार की गई थी तथा जिसकी मंजूरी योजना आयोग द्वारा 1973 में दी गई थी तथा 1980 में उस परियोजना के परिस्थिति संबंधी पहलू पर जांच करने के लिए जिस पर तीन महीने के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु जिसे एक विशेषज्ञ समिति को सौंपा गया था;

(ख) क्या विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) पर्यावरण की दृष्टि से व्यक्त की गई गंभीर आशंकाओं के कारण साइलेन्ट वैली परियोजना का कार्यान्वयन रोक दिया गया है। पर्यावरण विभाग में मामले की जांच की जा रही है। साइलेंट वैली जल-विद्युत परियोजना पर केन्द्र-राज्य की संयुक्त समिति संभवतः अपनी रिपोर्ट मार्च, 1982 तक दे देगी। इस समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद, साइलेंट वैली जल-विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा।

प्रोग्राम एग्जीक्यूटिवों की सहायक निदेशकों के पदों पर पदोन्नति

3775. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पदों पर कार्यरत बड़ी संख्या में अधिकारियों को हाल में सहायक निदेशक के पदों पर पदोन्नत किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1977 में भी बहुत से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिवों को पदोन्नत किया गया था तथा बहुतों को सीधे सहायक केन्द्र निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस समय दिल्ली में कार्यरत प्रोग्राम एग्जीक्यूटिवों को सहायक केन्द्र निदेशक के पद पर पदोन्नत करके दिल्ली से बाहर नियुक्त किया गया था क्योंकि उस समय पदोन्नति पर दिल्ली से बाहर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस बार सहायक केन्द्र निदेशक के पद पर पदोन्नत किये गये प्रोग्राम एग्जीक्यूटिवों को दिल्ली में ही नियुक्त किया गया है यद्यपि वे दिल्ली में 6 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो नियमों को बदलने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हाँ। आकाशवाणी में 57 कार्यक्रम एग्जीक्यूटिवों को सहायक केन्द्र निदेशक के पद पर पदोन्नत करने के आदेश 31-10-1931 को जारी किये गए थे।

(ग) ऐसा कोई नियम नहीं था जिसमें यह व्यवस्था हो कि सहायक केन्द्र निदेशक के रूप में पदोन्नति पर प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों का स्थानांतरण किया जाना चाहिए। तथापि उस समय यह निर्णय लिया गया था कि उस संवर्ग के सभी पदोन्नत अधिकारियों और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारियों को दिल्ली से बाहर तैनात किया जाए।

(घ) जी, हाँ। 57 अधिकारियों में से 7 अधिकारी 6 वर्ष से अधिक समय सेदिल्ली में रहे थे। पदोन्नति पर दिल्ली में उनका रखा जाना स्वीकृत स्थानान्तरण नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रावधानों अर्थात् पदोन्नतियां शैक्षिक सत्र के मध्य में हुई थी, उनकी पति/पत्नी के कार्य स्थान, 3 वर्ष के अन्दर उनकी सेवानिवृति की तारीखें और मिश्रितता सम्बन्धी निर्देश को और इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि 13 रिक्तियाँ दिल्ली में उपलब्ध थीं। इस सिद्धान्त का रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए अन्य केन्द्रों में भी कार्यक्रम एक्जीक्यूटिवों की तैनाती में अनुसरण किया गया है।

सोवियत संघ द्वारा राजस्थान में तेल की खोज

3776. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने राजस्थान में तेल की खोज के लिए छिद्रण कार्य आरम्भ करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या उसी भूवैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण किया था तथा राजस्थान में तेल होने के बारे में भारी संभावनायें व्यक्त की गई थी;

(ग) क्या राजस्थान तथा देश के अन्य भागों में तेल के लिए छिद्रण हेतु सोवियत संघ को ठेका देने का विचार है; और

(घ) क्या सोवियत संघ के तेल मंत्री ने योजना पर विचार के लिए 23 नवम्बर, 1981 को राजधानी का दौरा किया था; यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं। तथापि यू. एस. एस. आर. के तेल उद्योग मंत्री श्री एन. ए. माल्तसेव, के नेतत्व में एक सोवियत शिष्डमण्डल द्वारा नवम्बर, 1981 में किये गये दौरे के दौरान, सोवियत पक्ष ने राजस्थान थाले में भूकंपीय और अन्य आँकड़ों के तैयार करने और उनकी व्याख्या करने और आगे और भूगर्भीय और अन्वेषी कार्य के लिए नीति निश्चित करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहायता देना मान लिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जहाँ तक राजस्थान का संबन्ध है, कूपों की खुदाई के लिए सोवियत संगठनों को ठेका देने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। त्रिपुरा में रोखिया कूप में सोवियत भारतीय दल द्वारा अन्वेषी खुदाई किये जाने के अतिरिक्त, यह प्रस्ताव किया गया है कि सोवियत संगठन समेकित अन्वेषी कार्य जिसमें पश्चिम बंगाल के चुने हुए क्षेत्र में खुदाई करना शामिल है, के लिये सहायता देगा। तटीय कृष्णा गोदावरी थाले में खुदाई और अन्य कार्य के लिए ठेके संबंधी एक सुझाव सोवियत पक्ष की ओर से भी प्राप्त किया गया है।

(घ) जी, हाँ। ब्यौरे उपर्युक्त (क) जैसे ही हैं।

आकाशवाणी के सिल्चर केन्द्र पर मणिपुरी भाषा के कार्यक्रम

3777. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के सिल्चर केन्द्र पर मणिपुरी भाषा के कार्यक्रमों के बारे में आसाम के कछार जिले के विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषी लोगों को दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : आकाशवाणी ने यह आश्वासन दिया था कि "विष्णुपुलिया में दैनिक कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है किन्तु "विष्णुपुलिया मणिपुरी" में नहीं क्योंकि इस प्रकार का नाम भारत की जनगणना 1971 में नहीं है। यदि यह नाम नवीनतम जनगणना, 1981 में आया तो आकाशवाणी मामले का पुनरीक्षण करने की स्थिति में होगा।

आल इण्डिया फेडरेशन आफ इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स द्वारा मांगपत्र

3778. **श्री के. ए. राजन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया फैडरेशन आफ इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स ने दिनांक 15 सितम्बर, 1981 को एक मांगपत्र मंत्री को प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या हैं;

(ग) उन पर यदि कोई निर्णय किया गया है, तो वह क्या है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि भारत भर के विद्युत श्रमिकों के प्रतिनिधि बोट कलब नई दिल्ली में धरने पर बैठे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो बिजली श्रमिकों की माँग पूरी करने तथा उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) आल इण्डिया फ़ेडरेशन आफ इलेक्ट्रिसिटी इम्पलाइज ने दिनाँक 15.8.1981 का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। आल-इण्डिया फ़ेडरेशन आफ इलेक्ट्रिसिटी इम्पलाइज ने 16 से 24 नवम्बर, 1981 तक बोट क्लब पर धरना भी दिया था।

फ़ेडरेशन की मांग में, अन्य माँगों के साथ-साथ, राज्य बिजली बोर्डों की प्रबन्ध व्यवस्था में संगठनात्मक परिवर्तन करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार आदि माँगें शामिल थीं। इन माँगों में से अधिकाँश का सम्बन्ध मुख्यत: राज्य सरकारों से है।

संचार मंत्रालय के अधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के डाक्टरों की प्रतिशतता

3779. **श्री भीखाभाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में 1 जनवरी 1979 को कुल कितने डाक्टर थे और उनके मंत्रालय/-विभाग के अधीन अनूसूचित जन जातियों और अनुसूचित जातियों के डाक्टरों की प्रतिशतता कितनी थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए निर्धारित कुल कितने पदों का आरक्षण समाप्त किया गया;

(ग) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में पदों का आरक्षण समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन्होंने उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) के संबंध में कोई जानकारी और विवरण माँगा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सिन्दरी स्थित कोक ओवन एकक को पुनः चालू करना

3780 **श्री ए. के राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी संयंत्र के कोक ओवन एकक को सभी उप-उत्पादों सहित पूरा उत्पादन करने के लिए पुन. चालू किया जा रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं तथा उसके लिए कितनी जनशक्ति अपेक्षित है और कितनी बैटरियां चालू स्थिति में हैं तथा उत्पादों का ब्यौरा और उनका प्रतिदिन का मूल्य क्या है,

(ग) क्या यह भी सच है कि कोक ओवन से गैस उत्पादन का अमोनिया बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है तथा पुराने सिन्दरी संयंत्र की नीलामी के बाद रखे गये कितने उपकरणों का उस प्रयोजन के लिए थोड़े निवेश के साथ उपयोग किया जा सकता है, और

(घ) यदि हाँ, तो ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया के सिन्दरी यूनिट में 60 कोक ओवनों में से 30 कोक ओवनों की कोक और इसके उप-उत्पादों के निर्माण के लिए मरम्मत की जा रही है।

(ख) कोक ओवन बैटरी के कार्यकलापों से संबंधित लगभग 350 व्यक्तियों की वर्तमान जन-शक्ति से मरम्मत शुदा कोक ओवन बैटरी को चलाने का विचार है। उत्पाद के ब्यौरे और उनके वर्तमान मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

उत्पाद का नाम	मात्रा	मूल्य (लाख रुपये में)
कोक	257 टन प्रतिदिन	10.41
कोक बीज	49 टन प्रतिदिन	0 064
कोलतार	12 टन प्रतिदिन	0.12
मोटर स्पिरिट	2 किलो लिटर प्रतिदिन	0.05

(ग) कोक ओवन से निर्मित संपूर्ण कोक ओवन गैस को ओवन के अण्डर फायरिंग तथा लवण प्लांट को गर्म करने और सुखाने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। इस गैस की किस्म अमोनिया के निर्माण के लिये उपयुक्त नहीं होगी। इसलिए पुराने सिन्दरी प्लांट के शेष उपकरणों को अमोनिया निर्माण करने में प्रयुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल राज्य में दूरसंचार कारखाना

3781. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इस समय कोई दूर संचार कारखाना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में एक नया दूरसंचार कारखाना आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कारखाने का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक आरंभ किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) और (ख) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में केरल पालघाट में कम क्षमता वाले इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज (निजी स्वचल शाखा तथा निजी स्वचल एक्सचेंज) बनाने के लिए एक कारखाना जनवरी, 1976 में स्थापित किया था। कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता एक पाली में 10,000 समतुल्य लाइनें हैं। सरकार ने इस कारखाने में डिजिटल इलैक्ट्रानिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज तथा डिजिटल ग्रामीण स्वचल एक्सचेंजों का उत्पादन शामिल कर, इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता को 1.5 लाख समतुल्य लाइनों तक बढ़ाने के लिये, मार्च 1981 में एक परियोजना को मजूरी दे दी है। अनुमान है कि इस परियोजना की पूंजीगत लागत 15.75 करोड़ रुपये आयेगी जिसमें 7.99 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा के घटक भी शामिल हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

चुनावों में इलैक्ट्रोनिक मशीनों का उपयोग

3782. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चुनावों में इलैक्ट्रोनिक मशीनों का उपयोग करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो उसके लिए अब तक कितनी इलैक्ट्रोनिक मशीनें खरीदी गई हैं;

(ख) विश्व के किन-किन देशों में चुनावों में इलैक्ट्रोनिक मशीनों का उपयोग होता है; और

(ग) क्या इलैक्ट्रोनिक मशीनें जाली मत डाल जाने को रोकने में सक्षम होंगी।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर सरकार ने 250 इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों को खरीदने के प्रस्ताव का

अनुमोदन कर दिया है और यह तय किया है कि प्रारम्भ में इन मशीनों की आजमाइश स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में की जाए।

(ख) जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) निर्वाचन आयोग की राय है कि इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीन का उपयोग करने से इस बात का शीघ्र पता चल जाएगा कि जो मत डाले जा रहे हैं उनमें से कौन से जाली मत हैं।

स्वदेशी सप्लाई में विलम्ब के कारण उपकरण का आयात और लागत में वृद्धि

3783. **श्री रामविलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) स्वदेशी सप्लायरों द्वारा मुख्य उपकरण सप्लाई करने तथा सिविल निर्माण कार्य आदि के निर्माण में हुए विलम्ब के कारण (राज्यों के नामों सहित) कितनी विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है;

(ख) स्वदेशी उपकरण की सप्लाई में विलम्ब के कारण जिस उपकरण का आयात करना पड़ा उसकी लागत क्या है;

(ग) चूंकि एकक के साथ-साथ चालू करने से पहले कोल-हैण्डलिंग संयंत्र तैयार नहीं हो सका इसलिए कोयले के स्थान पर तेल का उपयोग करके यदि कोई परियोजनायें चालू की जाती थी तो वे कौन सी थी; और

(घ) भाग (क) और (ख) के परिणामस्वरूप परियोजनाओं की लागत में अनुमानत: कुल कितनी वृद्धि हुई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना एक जटिल कार्य है, जिसमें विभिन्न एजेन्सियां कार्यरत होती हैं और इसके लिए बहुत प्रकार के आदानों की सिलसिलेवार व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। किसी भी एक एजेंसी द्वारा विलम्ब कर देने या प्रमुख सामग्रियों की सप्लाई उपयुक्त रूप से क्रमवार न होने के परिणामस्वरूप अधिक समय लग सकता है। अधिकांश विद्युत उत्पादन स्कीमें निवेश संबंधी निर्णय लेते समय बनाई गई समय सूची की तुलना में पिछड़ जाती हैं।

(ख) स्वदेशी उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब होने के कारण मात्र से ही जिस उपस्कर का आयात करना पड़ा उसकी कीमत उपलब्ध नहीं है।

(ग) ताप विद्युत यूनिट को पहले-पहल तेल से समकालित किया जाता है। इसलिए यूनिट को समकालित करने से पूर्व ही कोयला हैण्डलिंग संयंत्र को तैयार रखना आवश्यक नहीं होता।

(घ) केवल स्वदेशी सप्लाई कर्त्ताओं द्वारा मुख्य उपस्कर सप्लाई में तथा सिविल कार्यों के निर्माण आदि में विलम्ब होने के कारणों से ही परियोजनाओं की लगात में हुई वृद्धि को सही-सही बता सकना संभव नहीं है क्योंकि यह कई कारणों पर निर्भर करती है। तथापि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार किए संशोधित अनुमानों से यह पता चलता है कि सामग्री और श्रम सम्बन्धी लागत में प्रतिवर्ष 8% से 12% की वृद्धि हो रही है।

भारत और इंग्लैण्ड के बीच क्रिकेट टेस्ट मेच शृंखला का दूरदर्शन पर सीधे दिखाया जाना

3784. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री के. मालन्ना : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि इस शरद ऋतु में भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच शृंखला में अधिकांश टेस्ट-मैचों को डाक तथा तार के माइक्रोवेव लिंक का उपयोग करते हुए सीधे दूरदर्शन पर दिखाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कौन-कौन से केन्द्रों में माइक्रोवेव लिंक हैं जो मद्रास, बम्बई और बंगलौर में खेले जाने वाले टेस्ट मैचों को सीधे दिखायेंगे;

(ग) क्या यह भी सच है कि बम्बई, मद्रास और बंगलौर जिले केन्द्र कलकत्ता में होने वाले टेस्ट को दूरदर्शन पर सीधे नहीं दिखा पायेंगे; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली बम्बई बंगलौर और मद्रास के मध्य माइक्रोवेव लिंक न होने से इन स्थानों पर होने वाले टेस्ट मैचों को इन सभी केन्द्रों से तथा पुणे और मसूरी के रिले केन्द्रों से सीधे टेलीकास्ट किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। अन्य स्थानों पर होने वाले टेस्ट मैचों को कलकत्ता से सीधे टेलीकास्ट करना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि कलकत्ता और दिल्ली के बीच माइक्रोवेव लिंक अभी तैयार नहीं है। इसके अगले वर्ष के अन्त तक ही तैयार होने की आशा है।

दण्ड कारण्य एम्प्लाईज (एन. जी.) एसोसिएशन को सुविधाएं

3785. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंडकारण्य एम्प्लाईज (एन. जी.) एसोसिएशन एक मान्यता-प्राप्त एसोसिएशन है और इसे जे. सी. एम. के प्रयोजनों के लिए सभी सुविधाओं का आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसी सुविधायें उक्त एसोसिएशन को प्रदान की जा रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी सुविधाएं न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिना लाइसेंस के टेलीविजन, रेडियो और ट्रांजिस्टर सैटों का पता लगाया जाना

3786. **श्री आर. एन. राकेश :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1980-81 के दौरान बिना लाइसेंस के किन्हीं टेलीविजन, रेडियो तथा ट्रांजिस्टर सैटों का पता लगया था;

(ख) यदि हाँ, तो बिना लाइसेंस के प्रत्येक प्रकार के कितने रिसिविंग सैटों का पता लगाया गया और जुर्माने के रूप में वसूल की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि जाँच कर्मचारी आलीशान या अतिविशिष्ट व्यक्तियों की कालोनियों में जाने से झिझकते हैं, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी, हां

(ख) 1.4.1980 से 31.3.1981 तक की अवधि के दौरान पकड़े गए बगैर लाइसेंस के रेडियो एवं टेलीविजन सैटों की संख्या तथा वसूल किए गए राजस्व का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

	पकड़े गये बगैर लाइसेंस के सैटों की संख्या	बगैरलाइसेंस के सैटों से वसूल किया गया राजस्व		
		लाइसेंस शुल्क	प्रभाव	कुल
		रुपया	रुपया	रुपया
रेडियो	2,91,564	44,64,128	38,32,653.50	82,96,781.50
टेलीविजन	14,200	3,91,466	3,23,579.50	7,15,045.50
	3,05,764	48,55,594	41,56,233.00	90,11,827.00

(ग) जी, नहीं।

विद्युत तथा ऊर्जा के लिए उच्च शक्ति प्राप्त आयोग

3787. **श्रीमती माधुरी सिंह :**

श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में हुए सेमीनार के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया था कि ऊर्जा की आयोजना तथा विकास के लिए प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में भारत में उच्च शक्ति प्राप्त आयोग गठित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो सुझाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के ऊर्जा अध्ययन केन्द्र में एम. टेक कार्यक्रम के अन्तर्गत "विकासशील देशों के लिए क्षेत्रीय ऊर्जा आयोजन" शीर्षक एक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई थी। इस पाठ्यक्रम को सेमिनार कहा गया था। अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त ऊर्जा विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया था। सेमिनार के दौरान यह सिफारिश की गई थी कि ऊर्जा आयोजना का समन्वय किया जाना चाहिये परन्तु प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकारी प्राप्त आयोग की स्थापना किये जाने के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के ऊर्जा अध्ययन केन्द्र में ऊर्जा नीति पर अभी अध्ययन किया जा रहा है और इसलिये संगठनात्मक या नीति सम्बन्धी कार्यवाई के लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

(ग) चूंकि कोई विशेष सुझाव नहीं दिया गया है अत: सरकार द्वारा कोई कार्यवाई

अपेक्षित नहीं है। तथापि यह उल्लेनीय है कि भूतपूर्व सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में गठित ऊर्जा नीति हेतु कार्यकारी दल ने ऊर्जा-स्थिति की समीक्षा की थी तथा ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा ऊर्जा की पर्याप्त सप्लाई किए जाने के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं। अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं तथा मंत्रिमण्डलीय ऊर्जा समिति तथा ऊर्जा हेतु सचिवों की समिति द्वारा इसकी विधिवत् मानीटरिंग की जाती है।

बदायूं सिटी और दिल्ली के बीच सीधा ट्रंक टेलीफोन सम्बन्ध

3788. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बदायूं सिटी (उत्तर प्रदेश) और दिल्ली के बीच बदायूं सिटी के लोगों की जोरदार माँग को ध्यान में रखते हुये सीधी ट्रंक लाइन द्वारा सीधे ट्रंक टेलीफोन सम्बन्ध के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक प्रदान की जायेगी;

(ग) क्या बदायूं और लखनऊ तथा बदायूं और दिल्ली के बीच सीधे डायल से टेलीफोन करने की व्यवस्था मार्च, 1982 तक कर दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटलि) : (क) जी हां।

(ख) बदायूं शहर से दिल्ली के लिए सीधा ट्रंक सर्किट, 8-12-981 को उपलब्ध करा दिया गया है।

(ग) केवल आपरेटर डायल सर्किट ही बदायूं और लखनऊ के बीच उपलब्ध हो सकेगी।

(घ) बदायूं-लखनऊ तथा बदायूं-दिल्ली के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा की योजना तैयार की गई है परन्तु इसके 31-3-82 तक संस्थापित किए जाने की उम्मीद नहीं है क्योंकि इस तारीख तक उपस्कर प्राप्त हो सकने की उम्मीद नहीं है।

ऊर्जा के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सेमीनार में दिए गए सुझाव

3789. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हाल ही में ऊर्जा आयोजना के बारे में सेमीनार आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त सेमीनार में एकत्र हुए अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने देश में ऊर्जा के विकास के लिये सुझाव दिया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के ऊर्जा अध्ययन केन्द्र में एम-टैक कार्यक्रम के लिए विकासशील देशों के लिये क्षेत्रीय ऊर्जा आयोजना" शीर्षक एक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई थी। इस पाठ्क्रम को सेमिनार कहा गया था। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऊर्जा विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया था।

देश में ऊर्जा के विकास के लिये उसमें कोई विशेष सुझाव नहीं दिया गया था। ऊर्जा नीति तथा इसमें सम्बन्धित मामलों के बारे में एक अध्ययन, ऊर्जा अध्ययन केन्द्र में किया जा रहा है।

(ग) चूंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में उपरोक्त पाठ्यक्रम के दौरान ऊर्जा के विकास के लिए उसमें कोई सुझाव नहीं दिया गया है अतः सरकार द्वारा कोई कार्यवाई की जानी अपेक्षित नहीं है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में गठित ऊर्जा नीति हेतु कार्यकारी दल ने ऊर्जा स्थिति की समीक्षा पहले ही कर ली है तथा कुछ नीति सम्बन्धी उपाय किये जाने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। सचिवों की समिति की सहायता प्राप्त, मंत्रिमंण्डलीय ऊर्जा समिति, ऊर्जा विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की तथा ऊर्जा नीति हेतु कार्यकारी दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की पहले ही मानीटरिंग कर रही है ऊर्जा के अतिरिक्त तथा नवीकरणीय स्रोत के विकास के लिए कार्यक्रम आरम्भ करने तथा इन्हें कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिये एक आयोग गठित किया है।

लघु इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की स्थापना

3790. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार ने देश में लघु इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो आगामी तीन वर्षों के दौरान ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जाने हेतु किन-किन कस्बों का चयन किया गया है और

(ग) उक्त प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हाँ।

(ख) 1982 के दौरान नैनीताल, अल्मोड़ा और उज्जैनी में छोटे इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार प्रणाली में सुधार हेतु व्यापक योजना तैयार करने के लिए डाक तार विभाग ने एक कार्यबल का गठन किया है। कार्यबल द्वारा मंजूरी हेतु पेश की गई रिपोर्ट में निम्नलिखित जिलों में छोटे इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज संस्थापित करने पर विचार करने के लिए कहा गया है :-

1. आगरा
2. एल्लेप्पी
3. बाड़मेर
4. बेलगाम
5. भोपाल-सिहोर
6. जलपाईगुड़ी
7. कोहिमा, मोकेकचुंग/त्वीनसांग
8. कोटद्वार/पूर्णिया
9. कोलाबा
10. कोरापुट
11. कृष्णा
12. उत्तर लखीमपुर
13. कटिहार
14. मेहसाना
15. मुर्शिदाबाद
16. नादियाड
17. दक्षिण आरकोट और पांडिचेरी
18. संगरूर

(ग) तीनों एक्चेंजों की अनुमानित लागत 1·21 करोड़ रुपये हैं जिसमें से 59.02 लाख रुपये लागत हेतु हैं जो नार्वेजियन वस्तु सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त होनी है। 1981-82 हेतु आवंटित निधि केवल 3 लाख रुपये हैं।

पश्चिम बंगाल में स्वचालित एक्सचेंजों और माइक्रोवेव प्रणालियों की स्थापना हेतु आयात किये गये उपकरणों का बेकार पड़ा रहना

3791. **श्री मोहम्मद इस्माइल :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संचार मंत्रालय द्वारा तैयार किए गये कार्यक्रम के अनुसार मार्च, 1983 तक स्वचालित एक्सचेंजों और माइक्रोवेव या यू. एच. एफ. प्रणालियों की स्थापना पूरी की जानी है;

(ख) यदि हाँ, तो पश्चिम बंगाल के जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज प्रणालियों के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपकरण पहले ही आयात किए जा चुके हैं परन्तु बेकार पड़े हैं या अन्य राज्यों में काम में लाये जा रहे हैं।

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और ये किन-किन राज्यों में काम में लाये जा रहे हैं; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में दूरसंचार सेवाओं, जो बहुत बुरी हालत में हैं, में सुधार करने के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) कुछ परियोजनाएं मार्च, 1983 तक पूरी करने का लक्ष्य है।

(ख) पश्चिम बंगाल में जिला मुख्यालयों के स्वचलीकरण में असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है।

(ग) जी नहीं। तथापि उपस्कर की पूर्ण सप्लाई सामान्यतया एक लम्बी अवधि में की जानी है।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) छठी योजना के दौरान राज्य के सभी जिला मुख्यालयों का स्वचलीकरण करने तथा राज्य की राजधानी के साथ उन्हें एस. टी. डी. प्रदान करने का प्रस्ताव है। जहाँ तक राज्य के अन्य एक्सचेंजों के स्वचलीकरण का सम्बन्ध है इस दशक के अन्त (1990) तक इसके पूरे हो जाने की सम्भावना है।

राज्य विद्युत बोर्डों में राजस्व की बकाया राशियों और पारेषण में हानियां

3792. **श्री लक्ष्मण मल्लिक :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री सत्यनारायण जटिया : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक विद्युत बोर्ड में गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, राजस्व की कितनी-कितनी बकाया राशि थी और पारेषण/वितरण में कितनी हानि हुई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम	राजस्व बकाया (लाख रुपयों में)			पारेषण/वितरण हानियों की प्रतिशतता		
	1978-79	1979-80	1980-81	78-79	79-80	80-81
1. आन्ध्र प्रदेश	1481.0	ड. न.	उ. न.	20.54	19.73	21.90
2. असम	97.3	107.1	उ. न.	20.26	18.65	19.60
3. बिहार	4596.7	5929.3	7643.6	23.70	26.08	22.30
4. गुजरात	904.1	1126.2	1068.2	16.73	16.82	19.76
5. हरियाणा	4792	उ. न.	841 7	21.68	32.52	उ. न.
6. हिमाचल प्रदेश	480 0	490.1	693.0	19.46	18.96	60 न.
7. जम्मू और कश्मीर	उ. न.	—	—	41.24	उ. न.	उ. न.
8. कर्नाटक	1146.33	1849.2	2:80.9	21.94	21:28	21.22
9. केरल	उ. न.	—	—	11.39	13.54	14.59
10. मध्य प्रदेश	1623.3	2433.6	1811.1	20.24	22.29	22.01
11. महाराष्ट्र	2104.8	2335 4	2920.0	17.74	16.50	16.12
12. मेघालय	उ. न.	720.1	927.9	7.07	4.24	7.00
13. उड़ीसा	—	उ. न.	—	18.26	18.29	19.17
14. पंजाब	—	उ. न.	—	19.41	19.09	17.47
15. राजस्थान	2900.4	4255.7	3520.2	26.60	25.22	26.16
16. तमिलनाडु	4344.2	5950.5	उ. न.	18.63	19.36	18.90
17. उत्तर प्रदेश	6314.9	7077.8	8007.8	18.63	18.79	15.46
18. पश्चिम बंगाल	—	उ. न.	—	12.97	12.55	13.39

टिप्पणी :— वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

उ. न. = उपलब्ध नहीं।

राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण तथा विदेशी संगठनों के साथ सहयोग

3793. **श्री राम अवध** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के उन विभिन्न भागों अथवा गांवों के नाम क्या हैं जहां ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य चल रहा है; और

(ख) इस कार्यक्रम के निष्पादन में किन-किन विदेशी संगठनों के साथ सहयोग किया जा रहा है; और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तीय सहायता के लिए अक्तूबर 1981 के अन्त तक स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत, देश के विभिन्न राज्यों के कुल 378 जिलों में से 371 जिलों के 2,08,527 गांव विद्युतीकृत किये जाने के लिए शामिल हैं। शामिल न किए गये शेष 7 जिलों में 3 शहरी

क्षेत्रों के जिले हैं, दो जिले सिक्कम में (मगान और नामची) तथा दो नागालैंड में (वोखा और जुन्हबोटो) हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए कोई विदेशी संगठन सहयोग नहीं कर रहा है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने, भारत सरकार और ग्राम विद्युतीकरण निगम के साथ किये एक समझौते के अन्तर्गत, देश के ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए भारत सरकार के माध्यम से ऋण/अनुदान उपलब्ध कराये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने दो ऋण दिये हैं, 57 मिलियन अमरीकी डालर का पहला ऋण जिसका पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है तथा 175 मिलियन अमरीकी डालर का दूसरा ऋण जिसका उपयोग मार्च, 1984 से पहले किया जाना है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने चौथी योजनावधि के दौरान भारत सरकार के माध्यम से ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 105 करोड़ रुपये का अनुदान भी दिया है। इन ऋणों/अनुदानों का उपयोग ग्रा. विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तपोषित की जा रही ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशिष्ट सामग्री प्राप्त करने के लिए पात्र राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जा रहा है।

मुरैना और सलीमपुर, मध्य प्रदेश में पैट्रोलियम काम्प्लेक्स

3795. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में मुरैना और सलीमपुर में पैट्रोलियम काम्प्लेक्स स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थल चयन समिति ने स्थलों की स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब आरम्भ किया जायेगा और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) उत्तर प्रदेश में सलीमपुर के स्थान पर एक एरोमैटिक रिकवरी यूनिट की स्थापना करने का निश्चय किया है। मध्य प्रदेश में कुछ मुख्य डाउन-स्ट्रीम संयन्त्रों की स्थापना का भी विचार किया गया था।

(ख) और (ग) सलीमपुर (उत्तर प्रदेश में एक एरोमैटिक्स रिक्वरी यूनिट की स्थापना के लिये स्थल चयन समिति द्वारा सिफारिश की गयी थी जो सरकार द्वारा स्वीकार की गई है। इस स्थल पर आवश्यक जांच पड़ताल शुरू हो गई है।

क्षेत्रीय निदेशक, डाक सेवा, नागपुर के कार्यालयों के लिए अतिरिक्त कर्मचारी

3796. **श्री एम. एम. लारेंस :**

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय निदेशक, डाक सेवा के कार्यालयों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी महानिदेशक, डाक तथा तार के पत्रांक 31-33/79-पी. ई.-II दिनांक 13 मार्च, 1981 के अनुसार बताये गये एस. आई. यू. मानकों के अनुसार दी जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्षेत्रीय निदेशक, डाक सेवा, नागपुर के कार्यालय में एस. आई. यू. मानकों के अनुसार 15 उच्च श्रेणी लिपिकों और 12 अवर श्रेणी लिपिकों के पद बनाये जाने हैं;

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इस पर मंजूरी देने के लिए विभाग ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां। डाक तार महानिदेशालय द्वारा संदर्भित पत्रकारी करने की सही तारीख 19-4-81 (न कि 13-3-81) है।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय निदेशक, डाक सेवाएं नागपुर कार्यालय हेतु उच्च श्रेणी लिपिकों के 4 तथा निम्न श्रेणी लिपिकों के 2 पदों का ही औचित्य पाया गया तथा उसकी मंजूरी दी जा चुकी है।

इण्डियनड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. द्वारा क्लोरमफेनीकोल की खरीद

3797. **श्री बाबू लाल सोलंकी** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने गत दो वर्षों के दौरान सरनीकरण एजेंसी ने अपनी पंजीकृत आवश्यकता के अनुसार क्लोरमपेनीकोल नहीं उठाया है;

(ख) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने गत छह महीनों के दौरान स्थानीय निर्माताओं से सस्ते मूल्यों पर क्लोरमफेनीकोल खरीदा है, और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया (सी. पी. सी.) ने सूचित किया है कि मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई. डी. पी. एल.) ने वर्ष 1979-80 के लिये क्लारम फेनीकल पाउडर की आवंटित मात्रा उठा ली थी किन्तु वर्ष 1980-81 के लिये आवंटित पूरी मात्रा उन्होंने नहीं उठाई।

(ख) और (ग) मैसर्स आई. डी. पी. एल. ने सूचित किया है कि उन्होंने सी. पी. सी. के माध्यम से सरकार द्वारा नियत 622 रुपये प्रति किलो ग्राम के बिक्री मूल्य की तुलना में स्थानीय निर्माताओं से 525 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर पर स्थानीय बाजार से क्लोरमफेनीकल प्राप्त किया है। उपरोक्त खरीद पर मैसर्स आई. डी. पी. एल. के पास जमा लाभ की औषध मूल्य समता लेखा में जमा करा दिया जाएगा।

बम्बई हाई में उत्पादन

3798. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में अशोधित तेल का वर्तमान उत्पादन कितना है;

(ख) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई हाई हीरा, रत्नागिरि क्षेत्र में नार्थ वसीन और, बम्बई हाई में पाये गये नये तेल क्षेत्र, जो बी 0-57 के रूप में विदित हैं के भावी विकास से तट दूर के अशोधित तेल की उत्पादन दर में सर्वाधिक रिकार्ड उत्पादन होगा ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) बम्बई हाई के तेल उत्पादन की वर्तमान दर 175,000-180,000 बैरल प्रति दिन है जो वार्षिक दर से 8.5 से 9 मि. भी टन के बीच है ।

(ख) अनुमोदित छटी योजना के अनुसार कच्चे तेल का उत्पादन 1982-83 में 11.8 मि. मी टन, 1983-84 में 12.7 मि. मी टन और 1984-85 में 13.2 मि. मी. टन होने की सम्भावना है ।

(ग) जी, हां ।

नागपुर में पोस्टमास्टर जनरल का पद

3799. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में पोस्टमास्टर जनरल का एक पद सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में विद्युतीकृत गांवों की संख्या और वर्ष 1981-82 के दौरान बिजली लगाये जाने वाले गांवों की संख्या

3800. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अन्तर्गत, राज्यवार अब तक देश में कितने गांवों में बिजली लगाई गई है;

(ख) इस प्रयोजन के लिये राज्यों को राज्यवार कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है और वास्तव में कुल कितनी राशि दी गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कितने गांवों में बिजली लगाई जायेगी और इस प्रयोजन के लिये, राज्यवार, कुल कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(घ) शेष गाँवों में अनुमानत: कब तक बिजली लगाई जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विभिन्न राज्यों में वित्तीय सहायता के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गयी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत, 31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार, 91,037 गांव विद्युतीकृत हो गये हैं । राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) स्वीकृत की गयी स्कीमों के सम्बन्ध में मार्च 1981 के अन्त तक स्वीकृत की गई तथा आबंटित की गई कुल वित्तीय सहायता क्रमश: 1497.17 करोड़ रुपये तथा 101.17 करोड़

रुपये बैठती है। मार्च, 1981 के अन्त तक स्वीकृत की गई तथा आवंटित की गई ऋण सहायता के सम्बन्ध में राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित की गई तथा वित्त पोषित की जाने वाली ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान 18000 गांवों को विद्युतीकृत किये जाने की संभावना है। निगम द्वारा इस वर्ष के दौरान ऋण किस्तों के रूप में 233.35 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1981-82 के दौरान विद्युतीकृत किये जाने वाले गांवों की संख्या के बारे में तथा आवंटित की जाने वाली राशि के बारे में राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) राज्य की संदर्शी योजना के अनुसार शेष गांवों को 1994-95 तक विद्युतीकृत कर कर दिये जाने की आशा है।

विवरण

ग्राम विद्युतीयकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत विद्युतीकृत गांवों, स्वीकृत/आबंटित ऋण 1981-82 के दौरान विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित गांव तथा वितरण किये जाने के लिए आबंटित राशि की राज्य-वार स्थिति दिखाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य	31-3-81 तकविद्युतीकृत गांव	31-3-81 तक स्वीकृत ऋणराशि	31-3-81 तक वितरित की गई राशि	1981-82 तक विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित गाँव	81-82 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वितरण किये जाने के लिये प्रस्तावित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	5697	10745	7867	1020	1193
2.	असम	3683	4992	2994	965	1050
3.	विहार	7021	13390	8634	2810	1761
4.	गुजरात	3280	6155	4554	685	785
5.	हरियाणा	90	3025	2592	—	355
6.	हिमाचल प्रदेश	4535	3258	2144	1000	399
7.	जम्मू और कश्मीर	2965	3376	2552	420	439
8.	कर्नाटक	2682	5058	3392	680	490
9.	केरल	151	1606	1269	—	227
10.	मध्य प्रदेश	11768	19362	12840	2250	2811

1	2	3	4	5	6	7
11.	महाराष्ट्र	7140	11691	8634	965	1305
12.	मणिपुर	53	654	262	25	89
13.	मेघालग	527	1590	1057	85	222
14.	नागालण्ड	162	634	437	35	58
15.	उड़ीसा	9302	10114	6617	1470	1129
16.	पंजाब	3908	6401	4908	—	842
17.	राजस्थान	7706	12224	8598	1080	1585
18.	तमिलनाडु	732	6432	32	50	542
19.	त्रिपुरा	743	863	4592	165	188
20.	उत्तर प्रदेश	10807	17364	509	2550	2882
21.	पश्चिम बंगाल	8085	10702	10331	1745	1649
22.	सिक्किम	—	81	6849	—	—
जोड़		91037	149717	101764	18000	21237
ग्राम बिजली सहकारितायें						500
हरिजन बस्तियां						118
प्रणाली सुधार						1500
जोड़		91037	149717	101764	18000	23355

विभिन्न समाचार पत्रों को विज्ञापनों के लिए धनराशि का वितरण

3801 **प्रो. रूपचन्द पाल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान डी. ए. वी. पी. द्वारा हमारे देश में विभिन्न बड़े, मध्यम और छोटे समाचार-पत्रों को विज्ञापनों की कितनी राशि वितरित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कु. कुमुद जोशी) : गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विभिन्न छोटे, मझौले और बड़े समाचारपत्रों को रिलीज किए गए विज्ञापनों की राशि इस प्रकार है :—

रिलीज किए गए विज्ञापनों का मूल्य (रुपयों में)

वर्ष	छोटे	सझौलें	बड़े
1978-79	66,76,250	65.75,873	166,64,697
1979-80	57,76,239	66.43,878	169,11,291
1980-81	90.40,561	82.46,891	177,68,094

आई. बी. वैली कोलफील्ड के लिए निर्धारित राशि का अन्य कार्यों में उपायोग लाना

3802. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आई. बी. वैली कोलफील्ड के विकास के लिए निर्धारित की गई राशि कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कोलफील्ड्स के विकास के प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई धन राशि को अन्य कार्यों में उपयोग में लाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो आई बी. वैली कोलफील्ड से इस धनराशि को अन्य कार्यों में उपयोग लाना रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) छठी योजना के दौरान उड़ीसा के इब घाटी कोयल क्षेत्र के विकास की दृष्टि से निवेश के लिए प्रस्तावित राशि लगभग रुपये 58 करोड़ है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्गीज समिति की सिफारिश

3803. **श्री रामायण राय** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्गीज समिति ने एक यह सिफारिश की थी कि किसी संवर्ग से एक वरिष्ठ व्यक्ति एक स्टेशन का प्रमुख तथा महानिदेशक भी बन सकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रतिवेदन में स्टाफ आर्टिस्टों के किसी उच्चतम पद पर पदोन्नति के लिए भी व्यवस्था है;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(च) आकाशवाणी में प्रोडक्शन एसिस्टेंटों को उसी आधार पर पदोन्नत करने के क्या कारण हैं जिस आधार पर ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिवों को प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, ए. एस. डी. के पदों पर पदोन्नत किया जाता है और तदनुसार पदोन्नति के नियमों में परिवर्तन न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) ये सतत मूल्यांकन के मामले हैं । भारतीय प्रसारण (इन्जीरियरी) सेवा के बनने पर इस समय स्थिति यह है कि कार्यक्रम संवर्ग के अधिकारियों के साथ-साथ इन्जीनियरी संवर्ग के अधिकारी भी आकाशवाणी के महानिदेशक के पद के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र हो गए हैं । स्टाफ आर्टिस्ट भी उनकी नियमित सरकारी कर्मचारियों में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय ले लिए जाने पर इस प्रकार पात्र बन सकते हैं ।

(घ) प्रोडक्शन असिस्टेंट ट्रांसमिशन एक्सेक्यूटिव विभिन्न संवर्गों से संबंध रखते हैं । इन दोनों श्रेणियों के लिए कोई सम्मिलित वरीयता सूची नहीं है । उनकी पदोन्नति के चैनेल भिन्न हैं, क्योंकि प्रोडक्शन असिस्टेंट अनुबंधित कर्मचारी है और ट्रांसमिशन एकसेक्यूटिव नियमित सरकारी कर्मचारी है ।

केरल में "एल. पी. जी. की मांग

3804. **श्री स्कारिया थामस** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में "एल. पी. जी." की कुल माँग कितनी है;

(ख) इसकी वास्तविक सप्लाई किननी है;

(ग) क्या बम्बई हाई, और अन्य स्त्रोतों से प्रर्याप्त गैस उत्पादित की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो केरल में कुकिंग गैस की कम सप्लाई के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह कमी दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वैकल्पिक ईंधन जैसे मिट्टी का तेल, जलाने की लकड़ी आदि के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए एल. पी. जी. (खाना पकाने की गैस) की माँग को बताना सम्भव नहीं है।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान केरल को लगभग 7300 मी. टन एल, पी. जी. सप्लाई की गई थी ।

(ग) और (घ) वर्ष 1982-83 तक ऐसी सम्भावना है कि देश की एल. पी. जी. (खाने पकाने की गैस) की वर्तमान उपलब्धता बम्बई हाई से पूरा उत्पादन होने से तथा मथुरा शोधन शाला और कोयाली शोधनशाला से संसाधन सुविधाओं के चालू होने के साथ बढ़ कर लगभग 9 लाख मी. टन तक बढ़ जायेगी । एल. पी. जी. की इस बढ़ी हुई उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये, तेल कम्पनियों द्वारा देश में प्रतिमाह एक लाख गैस कनेक्शन्स जारी किये जा रहे हैं ऐसी आशा की जाती है कि आगामी दो वर्षों में केरल सहित विभिन्न राज्यों में एल. पी. जी. कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूचियों का निपटान एक चरणबद्ध ढंग से किया जायेगा ।

इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल को दिया जाने वाला बकाया उपकर

3805. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को कुछ बकाया उपकर देना है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उपरोक्त बकाया उपकर के बारे में केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा था, और कुछ वैकल्पिक तरीकों का सुझाव दिया था;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार सुझाये गये विकल्प क्या हैं;

(घ) क्या उपरोक्त सुझाव केन्द्रीय सरकार को स्वीकार्य हैं; और

(ङ) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने यह दावा किया था कि ऐसा शेषकर उसे लेना है और यह सुझाव दिया था कि जिस अवधि का बकाया कर होने का दावा किया गया है उसमें से कुछ अवधि के लिए कर माफ कर दिया जाये ।

(घ) और (ङ) जी, नहीं । इस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने जो कानूनी सलाह प्राप्त की है उसके अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार का दावा स्वीकार्य नहीं है ।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड

3806. **श्री के. लकप्पा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक विदेशी कम्पनी मैसर्स इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड कम्पनी कानून की अनेक अनियमितताओं में बड़े पैमाने पर ग्रस्त है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी कार्य विभाग द्वारा पता लगाई गई अनियमितताओं का ब्यौरा सैक्शन-वार क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) तथा (ख) कम्पनी के 1979 के वर्ष में, कम्पनी अधिनियम की धारा 209-क के अन्तर्गत किये गये लेखा-बहियों तथा अन्य अभिलेखों के निरीक्षण से, इस अधिनियम की धारा 193,209 तथा 2 1 के अन्तर्गत कुछ अपेक्षाओं के पालन न करने का पता चला, जो कुछ स्टोर वस्तुओं की कार्यवृत्त पुस्तकों तथा अभिलेखों के रख रखाव तथा सिलेन्डर भाटक आय के लेखांकन से सम्बन्धित थे। इन मामलों पर कम्पनी से सम्पर्क किया गया था, परन्तु उसके उत्तर पर विचार करने के पश्चात, इन पर आगे कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि ये उल्लंघन केवल तकनीकी प्रकृति के पाये गये थे। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा, गैस सिलन्डरों पर अवक्षयण के प्रावधान के मामले में, कम्पनी अधिगियम की धारा 205 के पालन न करने के आरोप भी सूचित हुये थे। इस बाबत कम्पनी की टिप्पणियों पर परीक्षा करने के पश्चात, इस पर अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

सोडा-ऐश का उत्पादन रोकने की धमकी

3808. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे समाचारों की जानकारी है कि सोडा ऐश के उत्पादकों ने बाजारों में इसकी प्रचुर मात्रा होने के आधार पर इसके उत्पादन में कमी करने अथवा बन्द करने की धमकी दी है,

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तव में सोडा-ऐश बाजार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री श्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) वर्ष 1978, 1979 और 1980 के प्रारम्भ में सोडा ऐश की सप्लाई कम थी। सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप उपलब्धता की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। सोडा ऐश के निर्माता अभ्यावेदन दे रहे हैं कि बड़ी मात्रा में आयात और कम उठान के कारण भण्डार एकत्रित हो रहे हैं और यदि आयात पर प्रतिबन्ध न लगाया गया तो उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। निर्माताओं के अनुसार दिनांक 31-10-1981 को बगैर बिकी सोडा ऐस का स्टाक लगभग 81.690 टन था जबकि जनवरी 1981 के अन्त में 17.053 टन स्टाक था। तथापि अखिल भारतीय ग्लास निर्माता संघ और अखिल भारतीय सिलिकेट निर्माता संघ जैसे उपभोक्ता संघ वर्तमान आयात नीति को जारी रखने की दलील दे रहे हैं। उनका कहना है कि सोडा ऐस का

स्वदेशी उत्पादन देश में मांग की अपेक्षा कम पड़ सकता है । अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

बिजली उत्पादन के लिए लेखाबाह्य राशि का उपयोग करना

3809. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहाँ एक ओर लेखाबाह्य राशि में वृद्धि हो गई है वहाँ दूसरी ओर ऊर्जा की आवश्यकताएं वर्तमान उत्पादन क्षमता से बहुत बढ़ गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ऊर्जा उत्पादन के लिए विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में पन बिजली उत्पादन के लिए इस छुपे हुए धन का उपयोग आकर्षित करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (लेखाबाह्य राशि के सम्बन्ध में कोई विश्वासनीय अनुमान नहीं है । ऊर्जा की आवश्यकता, वर्तमान उत्पादन क्षमता से अधिक है । किन्तु ऊर्जा सप्लाई की स्थिति 1979 की तुलना में बेहतर है । 1979-80 में कमी $16\frac{1}{2}$ थी । इस समय यह लगभग 10 है ।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

बंगलौर शहर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये विचाराधीन आवेदन-पत्र

3810. **श्री टी. आर. शमन्ना : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन-पत्र दिये थे;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये थे; और

(ग) बंगलौर शहर में टेलीफोनों की मंजूरी के लिये कितने आवेदन-पत्र पंजीकृत किये गये थे और कितने विचाराधीन हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन, पाटिल) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	पंजीकृत की गई नई मांगें	प्रदान किए गए नये टेलीफोन कनेक्शन
1979-80	5849	5255
1980-81	6777	3610
1981-82 (1-10-81 तक)	3872	554

(ग) 1-10-1981 को 12997

मैसर्स ग्लेक्सो द्वारा औषधियों का आयात

3811. **श्री तारिक अनवर : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स गलैक्सो द्वारा वेटामियासोन, इससे व्युत्पन्न औषधियां, विटामिन ए और

उनके द्वारा उत्पादित अन्य औषधियों के आयात और इनके उत्पादन के लिये उनके द्वारा आयात की गयी मध्यवर्ती-उपान्तिम औषधियों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है;

(ख) वल्क औषधियों के उत्पादन के लिये गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स ग्लैक्सो द्वारा कौन से रसायन उपान्तिम और मध्यवर्ती औषधियां आयात की गई थी, वर्ष वार आयात की गई प्रत्येक वस्तु की मात्रा कितनी थी, इसका आयात कहां से किया गया और क्या इसके आयात की उनके मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई थी, और

(ग) यदि नहीं, तो अनधिकृत और गैर-कानूनी आयात के लिये इन बहुराष्ट्रिक कंपनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मैसर्स ग्लेक्सों लेबोरेटरीज (इण्डिया) लि. के द्वारा अपने दिनांक 26 नवम्बर, 1981 के पत्र के माध्यम से दी गई सूचना के आधार पर अप्रैल, 1978 मार्च 1979 से अप्रैल 1980 मार्च 1981 के दौरान बल्क औषध के निर्माण के लिए बल्क औषध और कच्चे/परिवर्तनशीन सामग्रियों के आयात के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिये गये हैं।

इस प्रश्न की जांच की जा रही है कि क्या मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इण्डिया) लि. द्वारा किया गया सभी या कुछ आयात अनधिकृत है। कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाई, यदि कोई है। उपरोक्त जांच के परिणाम पर निर्भर करेगी।

विवरण-1

क्र. सं.	बल्क औषध का नाम	आयात वर्ष	इकाई	आयातित मात्रा	प्रति इकाई औसत सी. आई. एफ. दर	स्त्रोत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मेथाडिलाजाइन एच. सी. एल	1978-79	कि. ग्रा.	160	2848.98	यू.एस. ए.	मैसर्स ग्लैक्सो ने 26 नवम्बर, 1981 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि यह "हमारे निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व दिये गये आर्डर भी देर से प्राप्त है"
2.	विटामिन ए ऐसिटेट सूखा पाउडर (0.5 एम.आई. यू./% ग्रा.)	1979-80	कि. ग्रा.	9799.9	221.66	डेनमार्क फ्रांस प. जर्मनी	मैसर्स गलैक्सो ने अपने उपरोक्त पत्र में बताया है कि वे इस मद का निर्माण नहीं करते।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	हाइड्रोकार्टिसोन ए. येस. ए. माइक्रोनाइज्ड	1979-80	कि. ग्राम.	10	5961.80	यू. एस. ए.	मैसर्स ग्लैक्सो ने अपने उपरोक्त पत्र में सूचित किया है कि यह "परिवर्तन" के लिए था।
4.	क्लोरफेनिसिन	1980-81	कि.ग्रा.	400	372.00	आस्ट्रिया	मैसर्स ग्लैक्सो ने सूचित किया है कि उनके निर्माण रूक जाने के कारण यह पखवारे का आयात कालीन आयात है।
5.	हाइड्रगार्टिसोन यू. एस. पी माइक्रोनइज्ड	1980-81	कि. ग्रा.	20	5276.35	चीन	मैसर्स ग्लैक्सो ने सूचित किया है कि यह आयात परिवर्तन के लिए था।

विवरण-2

क्र. सं.	आयातित कच्चे/ परिवर्तनशील सामग्री का नाम	आयात वर्ष	इकाई	आयातित मात्रा	प्रति यूनिट औसत सी. आई. एफ. दर	स्त्रोत	टिप्पणी
1.	बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल	1978-79	कि. ग्रा.	700	116.10	जापान प. जर्मनी	
2.	ब्रोमोडन	1978-79	,,	600	64.32	यू. के.	
		1979-80	,,	200	68.36	यू के	
		1980-81	,,	950	72.69	यू. के.	
3.	बुटानो / टर्शियरी	1978-79	लिटर	6784	10.18	यू. के.	
		1979-80	,,	3980	10.92	प. जर्मनी	
		1980-81	,,	5154	11.23	,,	
4.	बुटाइल आर्थो वेलिरेट	1978-79	,,	414	618.50	यू. के.	
		1979-80	,,	229	721.90	यू. के.	
5.	अवक्षेपित कैलशियम काब्रोनेट कैलोफोर्ड	1978-79	कि. ग्रा.	3000	4.12	यू. के.	
		1979-80	,,	2000	4.57	यू. के.	
6.	कैलशियम कोर्बोनेट कैलोफोर्ट यू	1980-81	,,	7500	6.62	यू. के.	
7.	चारकोल एस. एल. 110	1978-79	,,	50	16.52	यू. के.	
		1979-80	,,	900	25.58	यू. के.	
		1980-81	,,	124	32.94	यू. के.	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	एक्टीवेट्रेड चार-कोल एस. एस. 130	1978-79	कि. ग्रा.	450	15.68	यू. के.	
9.	चारकोल एस.एस.130	1979-80	,,	50	26.86	यू. के.	
10.	चारकोल डार्को जी 60	1980-81	,,	3030	16.82	जापान प. जर्मनी	
11.	डाइमिइल		लिटर				
	एसीबामाइड	1978-79	,,	30006	17.21	यूके, हंगरी	
		1979-80	,,	15958	13.71	प. जर्मनी	
		1980-81	,,	32320	11-96	प. जर्मनी	
12.	क्लेरसेल फ्लो	1979-80	कि.ग्रा.	6203	9.94	यू. के.	
13.	डाइमिथइल फर्मामाइड	1978-79	लिटर	16060	7.58	यू. के.	
		1979-80	,,	20800	9.15	प. जर्ननी यू. के. हालैंड	
		1980-81	,,	31600	9.25	जापान, हालैंड	
14.	इथइल ब्रोमाइड	1978-79	कि.ग्रा.	3000	18.82	हालैण्ड	
		1979-80	,,	2000	18.80	,,	
		1980-81	,,	2000	18.90	,,	
15.	डाइमिथइल इटेकोनेट	1979-80	,,	1680	70.07	जापान	
16.	इथाइल क्लोरो-फार्मेट	1978-79	लिटर	370	20.68	यू. एस. ए.	
		1979-80	,,	370	24.36	,,	
		1980-81	,,	370	26.84	,,	
17.	एन-इथइल पिपराडइन	1978-79	लिटर	660	58.77	यू. के.	
		1979-80	,,	956	94.86	,,	
18.	लिथियम एमाइड	1978-79	कि.ग्रा.	51	712.88	यू. एस. ए. यू. के.	
19.	लिथियम अलमु-नियम हाइड्राइड	1979-80	,,	200	993 21	प. जर्मनी	
		1980-81	,,	200	1040.28	प. जर्मनी	
20.	लिथियम ब्रोमाइड	1979-80	,,	900	76-02	प. जर्मनी	
		1980-81	,,	900	73-50	प. जर्मनी	
21.	लिथियम ब्रोमाइड एनहाइड्रम	1978-79	,,	1400	76-32	यू. के प. जर्मनी	
22.	मैंगनेशियम आक्साइड	1978-79	,,	3000	21.22	यू. के.	
		1979-80	,,	2500	28.72	यू. के.	
		1980-81	,,	1000	29.33	यू. के.	
23.	मैंगनेशियम टर्निग्स	1978-79	,,	2985-83	42.21	यू. एस. ए.	
24.	एन-मिथइला-मिलाइन	1978-79	लिटर	100	57.52	यू. के.	

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	मिथइल काब्रो-मेथेक्सीफाइरोलिडीन	1978-79	कि.ग्रा.	121.50	24.72	यू. के.	
26.	मिथइल इथइल किटान	1978-79	लि.	67000	5 54	हालैण्ड, प. जर्मनी	
27.	मिथइल आइसो बुटाइल किटोन	1978-79	कि ग्रा.	9860	7.29	प. जर्मनी	
28.	मिथेन सल्फोनाइल क्लोराइट	1979-80	,,	760	63.36	यू. के.	
		1980-81	,,	2382-96	37.81	यू. के. यू. एस. ए.	
29.	पेलेडाइज्ड़ चारकोल	1978-79	,,	286	1260.37	यू. के.	
	5 प्रति. (इगल ब्रांड)	1979-80	,,	380	1911.96	यू. के.	
30.	पेलेडाइन्ड चार-कोल (इंगल हार्ड)	1980-81	,,	200	3593.56	यू. के.	
31.	पेलेडाइजड चार-कोल (जानसन)	1978-79	,,	400	528.39	यू. के.	
		1979-80	,,	1400	770.41	यू. के.	
		1980-81	,,	1500	1491.54	यू. के.	
32.	पालीफास्फोरिक एसिड	1978-79	,,	1360	21.08	यू. के	
		1979-80	,,	2000	16.35	यू. के. हुगरी	
		1980-81	,,	1020.60	18.28	यू. के.	
33.	पालमिटायल क्लोराइड	1980-81	लि.	1650	40.53	यू. एस. ए.	
34.	प्रोपरगाइल ब्रोमाइड	1978-79	कि.ग्रा.	7200	141.98	फ्रांस	
		1979-80	,,	8099	137.21	फ्रांस	
		1980-81	,,	5400	141.88	फ्रांस	
35.	पाइरीन्डीन	1978-79	लिटर	1288	36.00	हंगरी	
36.	सोडियम बोरेहाइड्राइड	1978-79	कि.ग्रा.	400	263.17	प. जर्मनी	
		1979-80.	,,	700	266.60	जापान	
		1980-81	,,	350	268.46	जापान	
37.	सोडियम हाइड्राइड	1978-79	,,	102	115.42	यू. के.	
	आयल कोटेड	1980-81	,,	890.22	161.00	यू. के.	
38.	सोडियम हाइड्राक्सी आयल काटेड	1979-80	,,	205.39	150 26	प. जर्मनी, हालैण्ड	
39.	सोडियम मेथोक्साइड	1978-79	कि.ग्रा.	27000	18.46	प. जर्मनी	
		1979-80	,,	6000	20.32	प. जर्मनी	
40.	सोल्का फ्लाक	1978-79	,,	794	11.91	यू. के.	
		1979-80	,,	1839	21·63	यू. के.	

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	सोया मील हाइप्रो	1978-79	,,	25	19.20	यू. के.	
42.	टेट्राहाइड्रोफुरान	1978-79	लिटर	22200	17.53	यू. के. हंगरी	
		1979-80	,,	30502	17.16	प. जर्मनी	
		1980-81	,,	48914	18.01	आस्ट्रिया, प. जर्मनी और यू. एस. ए.	
43.	ट्राइमिथेइल फास्फा-	1978-79	,,	1500	37.47	प. जर्मनी, यू. के.	
	स्फाइट	1979-80	,,	301	51.80	यू एस. ए.	
		1980-81	,,	2090	24.07	यू. एस. ए.	
44.	ट्राइमिथाइल-ओ-	1979-80	लिटर	412	48.98	प. जर्मनी	
	फार्मेट	1980-81	,,	185.40	45.04	प. जर्मनी	
45.	16 डी. पी. ए.	1980-81	कि.ग्रा.	25*	86 .88	मेक्सिको	
46.	कोट्रिमाइड	1980-81	,,	20	101.00	यू. के.	
47.	एसिटोन	1980-81	लिटर	62206	5.13	प. जर्मनी और सिंगापुर	
48.	इट्राइन	1978-79	कि.ग्राम	50	32 42 (रु./ग्रा.)	स्वीटजरलैंड	
		1979-80	,,	50	32.66 (रु./ग्रा.)	स्वीटजरलैण्ड	
		1980-81	,,	50	23 22 (रु /ग्रा.)	यू. के.	

* तुलनात्मक गुज मूल्यांकन के लिए आयातित । घ टया पाया गया और रद्द किया गया (भुगतान नहीं किया गया)

पश्चिम बंगाल में ट्रंक मार्गों को माइक्रोवेव अथवा यू एच. एफ. पद्धति से जोड़ना

3812. **श्री सुशील मट्टाचार्य** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण ट्रंक लाइनें माइक्रोवेव अथवा ट्र. एच. एफ. पद्धति द्वारा कब तक जोड़ दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन पाटिल) पश्चिम बंगाल में अधिकांश महत्वपूर्ण ट्रंक मार्ग पहले ही सूक्ष्मतरंग/यू.एच. एफ. प्रणालियों पर कार्य कर रहे हैं । चालू योजना अवधि के दौरान कुछ और मार्गों पर उत्तरोत्तर ऐसी प्रणालियां उपलब्ध करा दी जाऐगी।

दूरदर्शन "टु सुपर स्टार्स" शीर्षक से समाचार

3813. **डा. ए यू. आजमी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 सितम्बर, 1981 के इन्डियन एक्सप्रेस में दूरदर्शन टु सुफर स्टार्स "शीर्षक में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो निम्न पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(1) दो व्यक्तियों द्वारा एक न्यूज फीचर एजेन्सी का चलाया जाना-एकमात्र बाह्य एजेन्सी जिसे दो मुख्य धारावाही फीचर मिले हैं;

(2) दूसरों की तुलना में उक्त एजेन्सी को ऊची दरों पर ठेका देना, इसके कारण तथा दिये गये ठेकों का ब्यौरा क्या है;

(3) क्या सरकारी विभागों में ठेके देने की कोई एक समान नीति है;

(4) क्या ठेके को बढ़ाया जा रहा है; यदि हां, तो कितने समय के लिये और किस के द्वारा

(5) क्या उक्त एजेन्सी को खेलकूद फीचर हेतु भी ठेका देने का प्रस्ताव है;

(6) उक्त एजेन्सी से प्रतियोगिता करने के फुटकर संवादाताओं (स्टरिन्जर्स) के प्रयासों को समाप्त करने के क्या कारण हैं, तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार अप्रत्यक्ष रूप से टी. वी. न्यूज फीचर्स सर्विस (टी. वी. एन. एफ.), नई दिल्ली, और टी. वी. प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स गिल्ड आफ इन्डिया (टी. वी. पी. जी.) मद्रास के बारे में है।

विज्ञान और विकास पर दो ऋंखलाएं टेन्डर मंगाने के बाद टी. वी. एन. एफ. को दी जाती हैं। प्रोड्यूसर की क्षमता, उपकरणों की उपलब्धता नमूने के निर्माण के स्तर, इत्यादि को ध्यान में रखते हुए इन टेंडरों की जाँच पड़ताल एक समिति द्वारा की गई थी। संविदा के अनुसार, टी. वी. एन. एफ. द्वारा महीने में 15-15 मिनट की अवधि के चार कार्यक्रम-दो विज्ञान पर और दो विकासत्मक विषयों पर उपलब्ध किया जाना अपेक्षित है। यह संविदा दो वर्ष की अवधि के लिए है और यह 31 मार्च, 1982 को समाप्त होगी। संविदा के अनुसार, टी. वी. एन. एफ. को भुगतान प्रथम प्रिंट के लिए 14,375 रु. की दर से और प्रत्येक अतिरिक्त प्रिंट के लिए 1040.50 रु. की दर से किया जायेगा।

टी. वी. पी. जी, मद्रास के मामले में, प्रिव्यू समिति द्वारा उनके प्रोटोटाइपों को स्वीकृत किए जाने के बाद स्व.स्थ्य पर 12 कार्यक्रम और खेलकूद पर 6 कार्यक्रम उन शर्तों पर सौंपे गए थे जो मूल्य समिति द्वारा स्वीकृति की गई थी। इस कार्य के लिए संविदा पर 24.1.81 को हस्ताक्षर हुए थे और संविदा के अनुसार, दूरदर्शन को उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रफ कटों को दूरदर्शन को अंतिम प्रिंट की सप्लाई किए जाने से पहले स्वीकृत करना होता है। संविदा के अनुसार टी. वी. पी. जी., मद्रास को भुगतान प्रति कार्यक्रम 25.245 रुपए की दर से और अतिरिक्त प्रिंट के लिए 2100/-रुपए की दर से होगा।

टी. वी. पी. जी. एक फेडरेशन है जिसमें देश के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्रों के विभिन्न फिल्म निर्माता शामिल हैं।

इन दों एजेंसियों को संविदाएं, उनके प्रस्तावों को दूरदर्शन के अधिकारियों की एक समिति द्वारा जाँच पड़ताल किए जाने के बाद दी गई थी और इसलिए लेख में लगाए गए आरोप निराधार हैं।

भागलपुर जिला (बिहार) में टेलीफोन प्रणाली

3814 **श्री समीनुद्दीन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर जिला (बिहार) में जिन नगरों में टेलीफोन प्रणाली है वहां पर

घंटों तक प्रयास करने के बाद भी टेलीफोन लाइन मिल पाना अत्यन्त कठिन है, और इस मामले में संबंधित अधिकारी ध्यान नहीं देते दिखाई देते हैं;

(ख) क्या भागलपुर शहर के पश्चिमी हिस्से में "डायलिंग प्रणाली" है और सरकारी अधिकारियों के रिहायशी क्षेत्र पूर्वी हिस्से में यह पद्धति नहीं है;

(ग) क्या इस "डायलिंग पद्धति" के अंतर्गत भागलपुर शहर का दिल्ली, कलकता बम्बई आदि के साथ सपर्क नहीं हो सकता है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार का विचार इन शिकायतों की जांच करने और टेलीफोन प्रणाली में सुधार करने और समस्त भागलपुर शहर में उचित डायलिंग प्रणाली की व्यस्था करने का है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। उपभोक्ता भारत के किसी भी स्थान के लिए ट्रंक काल बुक कर सकते हैं।

(घ) भागलपुर को माइक्रोवेव द्वारा कटिहार से जोड़ा जा रहा है स्वचल एक्सेचंज के चालू हो जाने पर भागलपुर में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। 1982-83 के दौरान उपस्कर की सप्लाई किए जाने की संभावना है।

नदियों के बेसिनों में तेल मिलना

3815. **श्री के. बी. चौधरी** : क्या पेट्रोलियम, और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी कुछ प्रमुख नदियों के बेसिनों में और तट-दूर बहुत से स्थानों पर तेल मिला है;

(ख) यदि हां, तो इन स्त्रोतों का उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) इन संसाधनों से तेल का अनुमानतया कितना उत्पादन होगा ; और

(घ) क्या यह हमारी धरेलू आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त होगा

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जबकि प्रमुख नदियों के तलों में कोई तेल नहीं मिला है, अपतटीय क्षेत्रों में 13 तेल युक्त संरचनाओं में तेल की खोज की गई है। बम्बई हाई क्षेत्र से जहां अधिकांश संरचनाएं स्थापित हैं लगभग 175,000 बी. ओ. डी. की दर से पहले से ही तेल का उत्पादन किया जा रहा है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपतटीय क्षेत्रों से 51.3 मिलियन मी. टन तेल के कुल उत्पादन की परिकल्पना की गई है। तथापि ऐसी आशा की जाती है कि वर्ष 1984-85 तक पर्याप्त रूप से अधिक खनिज तेल का उत्पादन किया जायेगा।

(घ) जी, नहीं।

कोयला उद्योग का प्रमुख कोयला खनक देशों से सहयोग लेना

3816. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला उद्योग ने कुछ प्रमुख कोयला खनक देशों से सहयोग लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) भारतीय कोयला उद्योग के विकास के लिए इस समय सोवियत रूस, पोलेण्ड, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और पचिश्म जर्मनी भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं।

ऐसे देशों के साथ के क्षेत्रों में यह शामिल हैं-भू-खनन समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी सहायता, कठिन खानों के संबध में विस्तृत साध्यता रिपोर्ट तैयार करना, उन संयंत्रों की सप्लाई जो अभी इस देश में तैयार नहीं हो रहे हैं अथवा जिनकी सप्लाई कम है, आदि।

अधिकांश मामलों में सेवाओं/उपकरण के शुल्क भारत द्वारा या तो रुपयों में या मुक्त विदेशी मुद्राओं में अदा किए जाते हैं जो कि व्यापार की शर्तों पर आधारित होता है। परन्तु कुछ मामलों में इन देशों से भारत को उधार की सुविधा प्राप्त हो रही है।

उन महत्वपूर्ण कोयला खनन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में है जिन्हें विदेशी सहायता से शुरू किया जा रहा है।

विवरण

देश का नाम	खान का नाम	सहयोग का स्वरूप
1. सोवियत रूस	कठारा एवं दक्षिणी बलान्ड ओ. का.	साध्यता रिपोर्ट तैयार करना। कठारा एवं दक्षिण बलण्ड खानों की निर्धारित क्षमता को प्राप्त करने की सिफारिश।
	निगही ओपेनकास्ट	भू-वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करना और प्रारूप साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए डिजाइन कार्य तैयार करना।
	झांजरा	साध्यता रिपोर्ट तैयार करना, खान के निर्माण के लिए डिजाइन प्रलेखन और विस्तृत इन्जीनियरिंग ड्राइंग तैयार करना
	मुकुन्दा ओ. का. प.	प्रारूप साध्यता रिपोर्ट तैयार करना।
	जयंत ओपेनकास्ट परियोजना	6 मि. ट./वर्ष से बढ़ाकर 10 मि. ट./वर्ष डिजाइन क्षमता करने के लिए सिफारिशें,
	टिपोंग पर शील्ड खनन	खनन की शील्ड प्रणाली लागू करने और उपकरण की सुपुर्दगी के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करना।
	दामुदा	साध्यता रिपोर्ट तैयार करना।
	चिनाकुरी	केविंग लांगवाला फेस का डिजाइन
2. यूनाइटेड किंगडम	घूंमिक और असनापारी	साध्यता रिपोर्ट तैयार करना।
3. फ्रांस	नंदिरा	साध्यता रिपोर्ट तैयार करना
	पिपरडीह और स्वांग कोलियरियां	परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।

1	2	3
	अमलावाद	अगैसीकरण योजना के लिए उपकरण और इन्जीनियरिंग सेवाओं की सप्लाई
	मोयरा, चोरी और परासिया	साध्यता रिपोर्टें तैयार करना और खानों का विकास।
4. फे. रि. ज.	गोपालीचाक पर हाइड्रोलिक खनन	विशिष्ट उपकरणों और तकनीकी सेवाओं की सप्लाई।
	घूसिक अगेसीकरण	विशिष्ट उपकरणों की सप्लाई के लिए वर्ष 1980 में हस्ताक्षर। वर्ष 1982 में उपकरणों के आने की आशा है।
5. कैनेडा	बारागोलाई	हाइड्रोब्लिक खनन के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करना।
	पूर्वी कतरास	— वहीं —
6. पोलैण्ड	सतग्राम	टर्न की ठेके के अधिन शैफट मैबस्ती का काम (अंतिम रूप देने की शर्त के साथ)
	भूनीडीह	उपकरण की लांयवाल प्रणाली संचालन में सहायता।

बिजली की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता और खपत

3817. **श्री आर. आर. भोले** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1981 को देश में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत की स्थिति क्या थी;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण निर्धनता तथा बेरोजगारी दूर करने के लिये विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है बिजली सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है; और

(ग) विश्व बैंक ने वर्ष 1975 से अब तक ग्रामीण निगम को कितना ऋण दिया है और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में, निकट भविष्य में और कितनी नई ऋण राशि लगाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 31 मार्च 1981 को समाप्त हुए वर्ष के लिए देश में बिजली की कुल उपलब्धता तथा प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः 104090 मिलियन यूनिट और 134.6 यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है। 31 अक्तूबर 1981 को समाप्त हुई अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि आंकड़ों के संकलन में और एकत्र करने में काफी समय लग जाता है।

(ख) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

(1) 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को चालू करना।

(2) वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना।

इसके अलावा, ग्राम विद्युतीकरण निगम, राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा बनाई और प्रायोजित की गई स्कीमों के लिये वित्तीय सहायता देता रहता है। इन स्कीमों में कृषि पम्पसेटों, लघु उद्योगों को अर्जित करने की व्यवस्था होती है और घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली देने तथा गाँवों में स्ट्रीट लाइट का प्रावधान भी होता है। ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अक्तूबर, 1981 के अन्त तक 1545 करोड़ की कुल ऋण सहायता की, इस प्रकार की 4780 स्कीमें स्वीकृत की हैं।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 1975 से 232 मिलियन अमरीकी डालर के दो ऋण स्वीकृत किए गये हैं। ये ऋण भारत सरकार के माध्यम से दिये जाने हैं (जिसमें से 141.932 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिपूर्ति कर दी गई है) पात्र राज्य बिजली बोर्ड इन ऋणों से ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित की जा रही ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए विशिष्ट सामग्रियाँ प्राप्त करेंगे। ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से तीसरा ऋण प्राप्त करने के लिये बात-चीत चल रही है।

गोदावरी तथा कावेरी क्षेत्रों में तेल की खोज

3818. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री सनत कुमार मण्डल : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शीघ्र ही कृष्णा कावेरी तथा गोदावरी क्षेत्रों में तेल की खोज का कार्य तेज करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में तैयार किये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और तेल की खोज के लिए किन-किन स्थानों का निश्चय किया गया है तथा सबसे पहले कहां-कहाँ उक्त कार्य शुरू किया जायेगा; और

(ग) क्या इसके लिए उचित वित्तीय नियतन कर दिया गया है ताकि काम शुरू होने के बाद इसमें व्यवधान न पड़े तथा यह कार्य वस्तुतः कब शुरू हो जायेगा।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (जून 1980) के अनुसार 1980-85 की अवधि में कृष्णा गोदावरी तथा कावेरी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित तटीय अन्वेषण कार्य का कार्यक्रम नीचे दिया गया है।

कार्यकलाप	क्षेत्र	
	कृष्णा-गोदावरी	कावेरी
1. भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण		
(क) भौमिकी (पार्टी वर्ष)	5	—
(ख) भू-कम्पीय (पार्टी वर्ष)	15	15

1	2	3
2. अन्वेषणात्मक व्यधन		
(क) रिग वर्ष (रिग वर्ष)	15	9
(ख) मीटरेज ("000)	55.5	34.5
(ग) कूप (संख्या)	15	9

वर्तमान में 2 रिग कृष्णा-गोदावरी में अन्वेषणात्मक स्थलों-नरसापुर-2 तथा राजोल-II का व्यधन कर रहे हैं । नये स्थलों-अम्लापुर, मोदी, कृष्णा-गोदवरी क्षेत्र में मत्सयापुरी तथा कावेरी क्षेत्र में कोविलकला पम्प में वर्ष 1982-83 के दौरान अन्वेषणात्मक व्यधन किये जाने का प्रस्ताव है । व्यधन का और आगे कार्यक्रम इन कूपों के परिधामों तथा सर्वेक्षण आँकड़ों की व्याख्या पर निर्भर करेगा ।

कृष्णा-गोदावरी अपतटीय तथा कावेरी क्षेत्रों में खोज का कार्यक्रम नीचे दिया गया है:

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने कृष्णा-गोदावरी अपतटीय बेसिन में व्यधन के लिए अगले 3 वर्षों में 3 कूप प्रति वर्ष के व्यधन के लिए गतिशील स्थिति में रिग एस. ई. डी. सी. ओ. 445 किराये भाड़े पर लिया है । इसके साथ ही साथ छिछले जल में भू-भौतिकीय कार्य तथा भू-वैज्ञानिक तथा भू-भौतिकीय आँकड़ों की व्याख्या का कार्य भी शुरू किया गया है । पाक खाड़ी में एक रिग पहलें ही व्यधन कार्य कर रहा है तथा एक अन्य छिछला जल रिग भी उस क्षेत्र में लगाये जाने का अनुमान है ।

(ग) जी हां ।

सिनेमा थियेटरों के निर्माण के लिए सहायता

3819. **श्री ओस्कर फर्नाण्डीज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में सिनेमा थियेटरों के निर्माण के लिए लोगों को सहायता देने के लिए सरकार/राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की कोई योजनाएं हैं;

(ख) योजनाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा देश के सिनेमाघरों को वित्त प्रदान करने के लिए बनायी गई योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक लाख रु. से शहरी क्षेत्रों के लिए 7.50/लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत किये जा सकते हैं जिनको 5 वर्षों में वापिस किया जाना होता है । निगम को 50 प्रतिशत प्रदर्शन समय पर विकल्प है ।

(ख) अगस्त 1979 में इस योजना को तत्कालीन फिल्म वित्त निगम द्वारा लागू किये जाने के बाद से, 38 ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया जा चुका है ।

(ग) इस योजना का प्रेस, दूरदर्शन आकाशवाणी आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया है । इस योजना के विवरण को फिल्म उद्योग की महत्वपूर्ण एसोसियेशनों तथा राज्यों के फिल्म/थियेटर नियमों को भी सर्कुलेट किया गया है ।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु द्वारा तारकोल की मांग

3820. **श्री एन. सुन्दरराजन** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान कितने तारकोल की माँग की गई;

(ख) प्रत्येक राज्य के लिए कितनी मात्रा का आबंटन किया गया था; और

(ग) यदि तमिलनाडु के लिये कम आबंटन किया गया तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तमिलनाडु सरकार ने इस मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य को 1,50,000 मी. टन (एम. टी.) बिट्रमन (प्रश्न में जिसका उल्लेख तार के रूप में हुआ है (आबंटित किया जाए। आंध्र प्रदेश सरकार से इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तमिलनाडु को वर्ष 1980-81 के लिए 62,500 मी. टन बिट्रमन का आबंटन किया गया था तथा आन्ध्र प्रदेश को 58,300 मी. टन बिट्रमन का आबंटन किया गया था।

(ग) आबंटन उत्पाद की उपलब्धता तथा राज्य द्वारा विगत में किये गये उपयोग पर आधारित है।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात सदरियाडीह कोयला खान के श्रमिकों को खपाया जाना

3821. **श्री आर. जी. षाडंगी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सदरियाडीह कोयला खान (धनबाद) का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था;

(ख) क्या उस खान के लगभग पाँच हजार श्रमिकों की भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा अपने नियंत्रण.धीन कोयला खानों में खपाया गया है; और

(ग) यदि नहीं. तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय सदरियाडीह कोलियरी नाम से कोई कोयला खान नहीं थी और इसीलिए सरकार द्वारा उसके अधिग्रहण का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु सदरिआडीह खान, डाकघर : दूदी-कुर्की को जिसके मालिक सुन्दा शामलाल थे—कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 द्वारा राष्ट्रीयकृत कर लिया गया था।

फरक्का बांध परियोजना के फालतू कर्मचारियों को फरक्का के सुपर तापीय विद्युत परियोजना में रोजगार

3822. **श्री जयनाल अवेदिन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम को इस आशय के निदेश जारी किये हैं कि फरक्का बाँध परियोजना के फालतू कर्मचारियों में से अधिकाधिक कर्मचारियों को फरक्का में सुपर तापीय विद्युत परियोजना में वैकल्पिक रोजगार दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जी नहीं। फरक्का

बाराज परियोजना में मस्टररोल वाले फालतू कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने के लिये दिये गये सुझावों में से एक सुझाव यह था कि इन व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित किये जा रहे, फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र में रोजगार दे दिया जाय। अपनी फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना में इन व्यक्तियों को रोजगार देने के सम्बन्ध में विचार करने के लिये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सहमत हो गया है बशर्ते जो रिक्तियां हों उनके लिए वे उपयुक्त हों तो तथा उनके आम रोजगार कार्यालय के जरिये प्राप्त हों।

दिल्ली दूरदर्शन के लिए फिल्म फुटकर संवाददाता (स्ट्रिंजर) की नियुक्ति

3823 **श्री रशीद मसूद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन दिल्ली ने टी. वी. न्यूज आफ इंडिया को सूचित किया था कि उसने दूरदर्शन, दिल्ली के लिए फिल्म फुटकर संवाददाता (स्ट्रिंजर) के रूप में उसकी नियुक्ति की स्वीकृति देने का निर्णय कर लिया है और उससे यह कहा था कि वह अपनी नियुक्ति से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी कर लें;

(ख) क्या यह भी सच है कि टी. वी. न्यूज आफ इंडिया ने दूरदर्शन के लिए न केवल चार घटनाओं के समाचार दिये अपितु अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने से पहले तथा आवेदन करने से पहले ही फिल्म फुटकर संवाददाता के रूप में स्वीकृति भी दे दी गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) टी. वी. न्यूज आफ इंडिया को दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के लिए स्ट्रिंजरों (फुटकर संवाददाताओं) के रूप में अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। स्ट्रिंजरों के रूप में नियुक्ति के लिए उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए उनके कार्य की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए उन्हें कुछ शाजमाइशी कवरेज दिए गये थे। ये कवरेज सन्तोषजनक पाए गये थे। अतः दूरदर्शन द्वारा उनकी स्ट्रिंजरशिप को सिद्धांततः स्वीकृत करने का निर्णय किया गया था और उनसे अपेक्षित फार्म भरने के लिए कहा गया था ताकि अंतिम स्वीकृति के लिए उनके मामले पर कार्यवाई की जा सके।

गुजरात में सोडा ऐश का उत्पादन

3824. **श्री दौलत राम सारण** : क्या पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तीन सोडा-ऐश निर्माताओं द्वारा वर्ष 1974-1979 और जून में समाप्त हुए वर्ष 1980 (प्रत्येक मामले में वर्षवार) के दौरान अपनी अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में सोडाऐश का कितना-कितना उत्पादन किया गया, और

(ख) क्या यह सच है कि एक ओर जहां मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेड सोडा ऐस का उत्पादन अपनी क्षमता से कम कर रहा था वहां अन्य निर्माता अपनी अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हों, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1974 से

1979 और 1980 (जून तक) के दौरान गुजरात में तीन सोडा ऐश निर्माताओं द्वारा सोडा ऐश की स्थापित क्षमता और निर्माण के ब्यौरे विवरण में दर्शाए गये हैं।

(ख) वर्ष 1980 में मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेड का क्षमता उपयोग मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स से अधिक था। वर्ष 1976 और 1977 में मै. टाटा कैमिकल्स का क्षमता उपयोग मैसर्स धारंगधरा कैमिकल्स से अधिक था। वर्ष 1974 से 1979 तक के वर्षों में मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स ने अपनी स्थापित क्षमता से अधिक निर्माण किया।

मैसर्स टाटा कैमिकल्स ने सूचित किया है कि वे परिवहन समस्याओं को और कोयले की अनुपलब्धता, कोयले की घटिया किस्म प्लांट और मशीनरी आदि की खराबी/असफलता जैसी विभिन्न बाधाओं के कारण अपनी लाइसेंस शुदा क्षमता के बराबर निर्माण नहीं कर सकें।

विवरण

वर्ष 1974 से 1980 के दौरान सोडा ऐश की स्थापित क्षमता और उत्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्र

मात्रा 000 टन

वर्ष	गुजरात राज्य					
	टाटा कैमिकल्स		सौराष्ट्र कैमिकल्स		धारगंधरा कैमिकल्स	
	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन
1974	250	248 9	168	188 6	50	54.'
1975	360	279 8	168	184.9	65	58.6
1976	360	294.7	168	197.7	65	52.4
1977	360	320.1	168	177.8	65	54.1
1978	360	305.6	168	191.6	65	64.3
3979	360	297.7	168	181.2	65	61.7
1980	360	316.5	230	152.9	65	67.9
1980 (जून तक)	360	163.9	230	94.6	65	33.3

देश में डाक का विलम्ब से वितरण

3825. **श्री राम लाल राही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में अयग-अलग कितने प्रतिशत "डाक" विलम्ब से पहुंचती है, बिल्कुल नहीं पहुंचती है और गुम हो जाती है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) डाक और तार विभाग में विद्यमान ये सभी अनियमिततायें कब तक दूर हो जायेंगी ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन. पाटील) : (क) एवं (ख) चूंकि देश में प्रतिदिन करोड़ो डाक मदों की आवा-जाही होती है अत: विभाग प्रतिशत आंकड़ों का रिकार्ड नहीं रख सकता।

जब कभी डाक के वितरण में विलम्ब अथवा कोई डाक प्राप्त न होने के बारे में शिकायत प्राप्त होती है तो मामले की जांच की जाती है तथा उपचारी कदम यदि कोई हों, उठाये जाते है। तथापि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं सक्षमता जो कि उपयुक्त छंटाई व्यवस्था, पर्याप्त स्थान एवं उपस्कर स्टाफ की योग्यता एवं दक्षता, सड़क, रेल एवं वायु परिवहन के समय बद्ध संचलन पर निर्भर करती है, में सुधार लाने हेतु डाक व्यवस्था की नियमित तौर पर पुनरीक्षा की जाती है।

लघु उद्योगों (क्रशर्स) की बिजली की सप्लाई के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की शर्तें

3826. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने हाल में लघु उद्योगों (क्रशर्स) को विद्युत की सप्लाई के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं;

(ख) क्या इन शर्तों का लक्ष्य लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना हैं;

(ग) इन शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विद्युत विभाग को इन शर्तों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों की विषय-वस्तु और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन्हें प्रोत्सहन देने की दृष्टि से लघु उद्योगों (क्रशर्स) और अन्य उद्योगों को पावर/बिजली आसानी से उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिक्रम महाजन) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने 14-10-1981 को घरेलू उद्योग स्कीम के अन्तर्गत तेल घानियों के लिए 3 फेस बिजली कनेक्शन देने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की हैं, यह इस दृष्टि से किया गया है कि वास्तविक कार्य के लिए इस प्रकार के कनेक्शनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए और सतत् प्रयोग को हतोत्साहित किया जाए।

(1) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का एक पत्र जिसके द्वारा मामले को प्रायोजित किया गया हो। इसके साथ खादी ग्रामोद्योग कमीशन के किसी प्राधिकृत केन्द्र से तेल घानी की खरीद की रसीद होनी चाहिए।

(2) आवश्यक सहायता देने के लिए उद्योग निदेशक से प्रमाण-पत्र।

(3) नगर पालिका का वैध लाइसेंस।

(घ) इन शर्तों के विरुद्ध उन व्यक्तियों से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें न तो खादी ग्राम उद्योग द्वारा प्रायोजित किया गया है और न ही दिल्ली प्रशासन द्वारा जिनकी सिफारिश की गई है कि उन्हें केवल नगरपालिका लाइसेंस के आधार पर बिजली का कनेक्शन दिया जाए।

(ङ) घरेलू उद्योग स्कीम के अन्तर्गत तेल घानियां चलाने के लिए बिजली के कनेक्शन दिए जा सकते हैं बशर्ते कि प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में (1), (2) और (3) में बताये गये दस्तावेज प्रस्तुत किए जाए और संबंधित आवेदनकर्ताओं द्वारा सामान्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। तेल घानियों के अलावा अन्य लघु उद्योगों के लिए बिजली के कनेक्शन अन्य बातों के साथ-साथ नगर पालिका का वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने

पर और इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर दिये जाते हैं कि जिस संरचना में बिजली का कनेक्शन मांगा गया है वह नियमित संरचना है।

एम. बी. रोड क्षेत्र में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली के बिलों में पते ठीक करना

3827. **श्री टी. एस. नेगी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली के बिलों में, विशेष रूप से एम. बी. रोड क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के बिलों में, तथ्यों में परिवर्तन करने संबंधी अनेक मामले दिल्ली विद्युत प्रदाय सस्थान के नेहरू प्लेस कार्यालय में लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में भारी संख्या में बकाया बिल और पिछले आबंटियों से संबंधित बिल वर्तमान आबंटियों को भेजे जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो दिनांक 25 मार्च, 1981 के बाद हुए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कार्यालय इन सरकारी कर्मचारियों को ठीक-ठीक बिल कब तक जारी कर देगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ। 1-12-1981 की स्थिति के अनुसार, एम. बी. रोड से संबंधित बिजली कनेक्शनों के बारे में नामों का परिवर्तन करने के लिये 580 आवेदन-पत्र दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पास लंबित पड़े थे।

(ख) और (ग) 25 मार्च, 1981 से 250 ऐसे मामले लंबित पड़े हुए हैं. जिनमें दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने बकाया राशियों की वसूली करने के अपने प्रयास में, एम. बी. रोड़ क्षेत्र के क्वार्टरों के पिछले आबंटियों द्वारा की गई बिजली की खपत के बकाया प्रभारों के बिल नए आबंटियों को भेजे थे। इन क्वार्टरों में रहने वालों में बार-बार परिवर्तन होने तथा पिछले आबंटियों द्वारा क्वार्टर छोड़ने से पूर्व बकाया राशि न देने की प्रवृत्ति के कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान यह प्रक्रिया अपना रहा है।

(घ) यद्यपि कोई सुनिश्चित समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है, जिसमें दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा संशोधित बिल भेजे जाएंगे, फिर भी नए आबंटियों की असुविधा को न्यूनतम करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

उड़ीसा के ग्रामीण डाकघरों के लिए टेलीफोन सुविधा

3828. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने डाकघरों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या उड़ीसा के ग्रामीण डाकघरों को टेलीफोन सम्पर्क उपलब्ध कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो (जिलेवार) ऐसे कुल कितने ग्रामीण डाकघर हैं जिनमें छठी योजना अवधि के दौरान टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) पांच सौ सोलह (516), (उड़ीसा में)।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

छठी योजना अवधि के दौरान (जिलेवार) उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों के डाकघरों की संख्या जहां टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है :

जिले का नाम	डाकघरों की सख्या जहा टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है		
	1980-81 (सेवा उपलब्ध करा दी गई है)	1981-82	1982-85
1. बंगलासौर	10	14	—
2. बोलनगीर	—	—	—
3. कटक	5	1	—
4. धेनकनाल	11	7	—
5. गंजम	5	1	—
6. कालाहांडी	5	4	3
7. क्योंझर	2	4	13
8. कोरापुट	5	13	30
9. म्यूरभंज	4	3	13
10. फुलमानी	3	5	10
11. पुरी	—	2	—
12 संभालपुर	—	5	5
13. सुन्दरगढ़	2	5	30
योग	52	64	122

वायधेन सुपर तापीय विद्युत परियोजना का सोवियत रूस द्वारा वित्त पोषण

3829. **श्री एम. वी. सिदनाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस वायधेन सुपर तापीय विद्युत परियोजना का वित्त पोषण करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की. सोवियत रूस द्वारा पूरी की जाने वाली लागत का अनुमान क्या है; और

(ग) परियोजना के कब पूरे हो जाने की सभावना है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1980 में हस्तांतरित भारत-रूस तकनीकी सहयोग में 520 मिलियन खपत के ऋण का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में वैधान में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सुपर ताप-विद्युत केन्द्र के लिए सहायता भी इसमें शामिल है। यह ऋण, परियोजना की कुल लागत का आंशिक रूप से पूरा कर सकेगा। 1260 मेगावाट की परियोजना के प्रथम चरण के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत नियम

द्वारा बनाई गई व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार, 210 मेगावाट के प्रथम यूनिट को 1986-87 के दौरान चालू करने की योजना है और 210-210 मेगावाट के परवर्ती यूनिट 6-6 महीनों के अन्तर पर चालू किए जाएंगे।

महाराष्ट्र आवासीय बोर्ड द्वारा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के कर्मचारियों को आवासीय प्रगृह दिया जाना

3830. डा. **सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र आवासीय बोर्ड ने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (तत्कालीन वर्मा शैल रिफायनरी लिमिटेड के कर्मचारियों को बम्बई में चेम्बूर और घटकोपाड़ा में लगभग 25 वर्ष पूर्व आवासीय प्रगृहों का आवंटन किया था;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र आवासीय बोर्ड की कालोनियडें में महाराष्ट्र आवासीय बोर्ड ने प्रगृहों के निवासियों को इन प्रगृहों के मालिकाना अधिकार देने शुरू कर दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को इस प्रकार से मालिकाना अधिकार देने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभी तक नहीं दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार ऐसे प्रमाण-पत्र कब तक देने का है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) महाराष्ट्र आवासीय बोर्ड ने भूतपूर्व वर्मा-शैल रिफाइनरीज के कर्मचारियों के लिए 664 आवासीय प्रगृहों को आरक्षित किया था जिसके लिए कंपनी द्वारा 40 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया था। 1956 में इन आवासीय प्रगृहों को वी. पी. सी. एल. के कर्मचारियों को रहने के लिए धीरे-धीरे दिया गया था। उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुए वी. पी. सी. एल. द्वारा इन आवासीय प्रगृहों को अपने वर्तमान कर्मचारियों को स्थानांतरित करने हेतु वी. पी सी. एल द्वारा 'एन· ओ. सी." प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र आवासीय बोर्ड ने उन निवासियों को मालिकाना अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव किया है जो उन प्रगृहों में नहीं रह रहे हैं जो कंपनी के लिए आरक्षित किए गए थे।

(घ) और (ङ) प्रश्न नही उठता।

श्रीलंका से आये आप्रवासियों का पुनर्वास

3831. **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में उन 44 लैंड कोलोनाइजेशन योजनाओं के स्थानों का ब्यौरा क्या है जो श्रीलंका से आये आप्रवासियों का कृषि में पुनर्वास करने के लिये मंजूर किये गए हैं; और

(ख) इन लैंड कोलोनाइजेशन योजनाओं के लिये केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) तमिलनाडु के 7 जिलों में 44 भूमि उपनिवेशन योजनाएं हैं, जिनका ब्यौरा निम्न है :—

जिले का नाम	कालोनियों की संख्या
तिरुनेलवेली	19
रामनाथपुरम	9
तिरुचिरापल्ली	6
पदुकोटाय	3
नार्थ आरकोट	2
मदुराई	4
सलेम	1
योग	44

(ख) राज्य सरकार को सौंपी गई शक्तियों के अधीन योजनाएं मंजूर की गई हैं और यह सूचित किया गया है कि उन्होंने इन योजनाओं में बसाए गए प्रत्यावासी परिवारों को 120.82 लाख रुपये की राशि के ऋण दिए हैं। इसके अतिरिक्त, कालोनियों के प्रशासन तथा पात्र परिवारों के प्रथम तथा द्वितीय कृषि काल में भरण-पोषण पर भी व्यय किया जाता है।

जालौर जिला, राजस्थान में कच्चे तेल के एक डिपो की स्थापना :

3832. **श्री विराडा राम फुलवारिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस तथ्य की दृष्टि से कि राजस्थान के जालौर जिले में कच्चे तेल (एल. डी. ओ.) की खपत अधिकतम है वहां कच्चे तेल का एक डिपो स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, जालौर जिले में एक तेल डिपो की स्थापना करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(1) क्षेत्र में एल. डी. ओ और अन्य उत्पादों का समिति थ्रुपुट।

(2) निहित उच्च निवेष।

(3) जोधपुर में सुविधाओं का होना जो आस-पास के जिलों जिसमें जालौर शामिल है की मांग को पूरा करने के लिए स्थापित की गई थी।

तालचेर में ताप बिजली घर

3833. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तालचेर, उड़ीसा में बड़ा ताप बिजली घर स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ तो इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी और;

(ग) यह संयंत्र कब तक स्थापित कर दिया जाएगा और यह बिजली उत्पादन के लिए कब तक तैयार हो जाएगा और उत्पादित ऊर्जा की उपयोगिता आदि का अन्य ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) उड़ीसा के धेनकनाल जिले में तालचेर में एक बड़े पिटहैड ताप विद्युत केन्द्र को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। ताप विद्युत केन्द्र की चरम प्रतिष्ठापति क्षमता 2000 मेगावाट होने की परिकल्पना की गई है और इसे चरणों में हाथ में लेने का प्रस्ताव है। इसका पहला चरण 800 मेगावाट का होगा जिसमें 4 × 200 मेगावट के यूनिट होंगे। तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए इस प्रस्ताव का मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

ऊधमपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के डाक घरों में डाक थैले ले जाने में विलम्ब तथा डाक टिकटों का अभाव

3834. **डा. करन सिंह** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि ऊधमपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के डाकघरों में डाक थैले ले जाने में अत्यधिक बिलम्ब डाक टिकटों का अभाव अनधिकृत रूप से स्थान बदलने की बहुत अधिक शिकायतें मंत्री तथा डाक प्राधिकारियों को भेजी गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कटरा वैष्णोदेवी, जिला ऊधमपुर के निकट कालका नगर ब्रांच पोस्ट आफिस के बन्द होने तथा कटरा वैष्णोदेवी में टेलीफोन की खराबी के बारे में शिकायत की गई हैं ; और

(ग) यदि हाँ तो शिकायतों की जांच तथा स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) कुछ इक्की-दुक्की शिकायतें हो सकती हैं परन्तु स्थिति यह है कि ऊधमपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में सभी शाखा डाकघरों के लिए डाक अन्तिम बस अड्डे तक ले जाई जाती है जहाँ से डाक हरकारों द्वारा पैदल ले जाई जाती है तथा संबंधित डाकघर में उसी दिन अथवा उससे अगले दिनों में पहुंचाई जाती है, यह डाकघर की दूरी पर निर्भर करता है इसी प्रकार डाक टिकटों की कोई कमी नहीं है अपितु इसके विपरीत ऊधमपुर जिले के सभी डाकघरों में डाक टिकटों एवं डाक लेखन सामग्री का पर्याप्त भण्डार है। जहाँ तक कुछ डाकघरों के स्थान परिवर्तन का सम्बन्ध है, इसे सेवा की अत्यावश्यकता, व्यापक जन हित में तथा डाकघरों के सुचारु कार्याकरण के उद्देश्य से कार्यान्वित कर दिया गया है।

(ख) यह सत्य है कि श्री बंसी लाल खेशतानी से कटरा वैणोंदेवी जिला ऊधमपुर) के निकट कालकानगर शाखा डाकघर को बन्द करने सम्बन्धित सूचना प्राप्त हुई थी। जहां तक टेलीफोन सेवाओं का सम्बन्ध है कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) कालका नगर में डाकघर खोलने का औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि कटरा डाकघर इस स्थान से केवल $1\frac{1}{2}$ कि. मी. की दूर पर स्थित है।

विभागीय मानदंडों के अनुसार किसी मौजूदा डाकघर की 3 कि. मी. की अरीय दूरी के अन्तर्गत कोई नया डाकघर नहीं खोला जा सकता। तथापि, गैर प्रत्यावर्तनीय अंशदान (एन. आर. सी.) के भुगतान के आधार पर सीमित हितों में कालकानगर डाकघर 10-7-1971 को खोला गया था। इसे 6-11-79 को बन्द कर दिया गया क्योंकि जिस पार्टी ने एन. आर. सी. का भुगतान करना मंजूर किया था उसने इसके और आगे बने रहने हेतु एन. आर. सी. राशि को जमा नहीं किया।

संचार प्रणाली में आप्टिकल फाईबर

3835 **श्री धर्मवीर सिन्हा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीफोनों की कमी को पूरा करने और संचार प्रणाली में आप्टिकल फाइबर की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसका प्रयोग करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एक प्रयोगिक आप्टीकल फाइबर केवल संचार परियोजना पुणे में 1979 में चालू की गई थी तथा इसी प्रणाली का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस प्रयोगिक परियोजना के अनुसार आप्टीकल फाइबर के युग्म पर 120 टेलीफोन जंक्शन प्रदान किए जा सकते हैं। इसी प्रकार के कार्य हेतु एक स्वदेशी आप्टीकल फाइबर संचार उपस्कर का अलग से डिजाइन तैयार किया गया है तथा उसको प्रायोगिक आधार पुणे में चालू किया गया है। ये प्रयोग मुख्यत: दो टेलीफोन एक्सचेंजों के बीच जंक्शन प्रदान करने हेतु है तथा ये टेलीफोन की कमी को पूरा करने में सहायक नहीं होंगे क्योंकि आप्टीकल फाइबर माध्यम इस समय प्रत्येक उपभोक्ता के प्रयोग हेतु अनुकूल नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

छठी योजना अवधि के दौरान कोयला क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन

3836. **श्री ई. बालानन्दन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना की रूपरेखा तैयार करते समय कोयला क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन का काम किया था और क्या इस अध्ययन की रिपोर्ट भेज दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस रिपोर्ट में किन-किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ। कोयला और लिग्नाइट पर गहराई से अध्ययन करने के लिए छठी योजना बनाने के सम्बन्ध में पहले एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया था। कार्यकारी दल की रिपोर्ट अब प्रस्तुत हो चुकी है।

(ख) और (ग) इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ इन बातों का उल्लेख है कोयले की मांग और उत्पादन, प्रौद्योगिकी-वार उत्पादन का विश्लेषन, कोयले के परिष्करण का कार्यक्रम और अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र जिनमें पूंजी निवेश भी शामल है।

रामगुण्डम में सुपर ताप बिजलीघर

3837. **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामगुन्डम में सुपर ताप बिजलीघर के बनाने का काम शुरू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ तो अब तक कितना काम हो चुका है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में रामागुण्डम में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने की एक परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कर रहा है। कार्यान्वयन के लिए इस परियोजना को दो चरणों में हाथ में लिया जा रहा है। 200-200 मेगावाट के तीन यूनिटों तथा 500 मेगवाट के। यूनिट वाले 1100 मेगावाट के प्रथम चरण को अप्रैल, 1978 में स्वीकृति दी गई थी। 500-500 मेगावाट के दो यूनिटों वाले 1000 यूनिट के दूसरे चरण को भी हाल ही में स्वीकृति दी गई है। परियोजना के चरण। का कार्य पूरी तेजी से चल रहा है तथा 200 मेगावाट के पहले यूनिट को फरवरी 1974 तक चालू करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। 2100 मेगावाट की पूरी क्षमता को 1989-90 तक चालू किए जाने की आशा है।

नागलोई टेलीफोन एक्सचेंज की सेवाएं

3838. **श्री सज्जन कुमार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि दिल्ली के अन्य टेलीफोन एक्सचेंजों की तुलना में नांगलोई टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा की जाने वाली सेवा अपेक्षित स्तर से घटिया दर्जे की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस एक्सचेंज के माध्यम से दिल्ली के अन्य एक्सचेंजों को की जाने वाली और प्राप्त होने वाली 'काल' उपभोक्ताओं को यदा कदा ही मिल पाती है, जिससे उन्हें अत्यधिक कठिनाई और मानसिक परेशानी होती है, यह इसलिये भी है क्योंकि यह क्षेत्र दिल्ली में काफी दूर है;

(ग) क्या इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस एक्सचेंज की सुविधा प्राप्त करने वाले इस क्षेत्र में अनेक नई कालोनियां बन गई हैं, इस एक्सचेंज की सेवा का सेवा विस्तार करने और उसमें सुधार करने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को हो रही कठिनाइयों को कब तक दूर कर दिया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क), जी, नहीं।

(ख) जंक्शनों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण नांगलोई टेलीफोन एक्सचेंज से तथा वहाँ के लिए काल मिलाने में कुछ कठिनाई होती है।

(ग) एवं (घ) 1982-83 के दौरान नांगलोई टेलीफोन एक्सचेंज की 300 लाइनों की क्षमता में विस्तार करके 400 लाइन करने की योजना है।

नाँगलोई एक्सचेंज के जंकशनों में मार्च 1982 तक वृद्धि कर दी जाएगी।

विद्युत उत्पादन उपकरणों का आयात

3839. **श्री नारायण चौबे** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सप्लाईकर्त्ता डिलीवरी कार्यक्रम के अनुसार सप्लाई करने

असफल रहते हैं, तो सरकार का विचार विद्युत उत्पादन उपकरणों का विदेशों से आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य विद्युत बोर्डों की ओर से भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड और इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा की करोड़ों रुपये की धनराशि बकाया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत उत्पादन उपस्करों की सप्लाई के लिए आर्डर सामान्यत: केवल स्वदेशी निर्माताओं को दिए जाते हैं। तथापि, निम्नलिखित किस्म के मामलों में सरकार आयात का निर्णय लेती है :

(एक) जिन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता दी जाती है उनके लिए प्राप्ति अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा की जानी होती है और जिन मामलों में स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त हुई बोलियों की तुलना में विदेशी पार्टी से प्राप्त हुई बोली अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होती है।

(दो) जिन परियोजनाओं में अन्य देशों के साथ हुए द्विवपर्श्य समझौतों के माध्यम से सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता ली जा रही है तथा जिनमें सहायता प्राप्त करने की शर्त यह होती है कि उपस्कर उस देश विशेष से ही आयात किए जाने चाहिएं।

(तीन) जिन मामलों में परियोजना के लिए अपेक्षित विशिष्ट किस्मों की मशीनों की तकनीकी स्वदेशी निर्माताओं के पास उपलब्ध न हो।

(चार) जिन मामलों में अपेक्षित उपस्कर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि. के निर्माण क्षेत्र और स्वदेशी निर्माताओं के निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते।

(पांच) कुछ विस्तार परियोजनाओं के मामले में जिनमें पहले आयात की गई मशीनों में, जो कुछ और मशीनों की अभिवृद्धि की जानी होती है और परियोजना में उपस्कर की एकरूपता बनाए रखना वांछनीय समझा जाता है।

(छः) जिन मामलों में स्वदेशी निर्माता उस निर्धारित समय में, उपस्कर की सुपुर्दगी देने की स्थिति में न हों जिसमें परियोजना को चालू किया जाना हो और शीघ्र सुपुर्दगी महत्वपूर्ण समझी जाए।

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान आयात नीति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित करने की अनुमति है। इसके बाद इन मामलों पर भारी उद्योग विभाग के अधीन शक्ति प्रदत्त समिति द्वारा विचार किया जाता है और स्वदेशी निर्माताओं की क्षमता समेत सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(ग) जी, हां भारत हैवी इले.लि. तथा इन्स्ट्रूमेंटेशन लि. कोटा से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उनकी देय बकाया राशि क्रमशः 141.44 करोड़ रुपए (सितम्बर, 1981 के अन्त में) और 7.76 करोड़ रुपए (अगस्त, 1981 के अन्त में) है।

कर्नाटक में पैट्रोल पम्पों और रसोई-गैस एजेंसियों का खोला जाना

3840. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में किन-किन स्थानों पर पेट्रोल-पम्पों और रसोई गैस एजेन्सियों के खोले जाने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ख) पेट्रोल-पम्पों और रसोई-गैस एजेन्सियों के आवंटन के लिये क्या मानदंड अपनाये हुए हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) कर्नाटक में जिन स्थानों पर 1979-80 से फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल पम्प) और एल. पी. जी. वितरक एजेन्सियां दी गई हैं के नाम निम्नलिखित बताये गये हैं

फुटकर बिक्री केन्द्र	एल. पी. जी. की वितरक एजेन्सियाँ
मंगलूर, वाड़ी (2)	मंगलूर
मलेश्वरम, रायखामी	बंगलौर (4)
येरागति, मलूर	मैसूर, होसपेट
हरपनाहाली, बेलवादी	बादरवती
इतिगागद/जू मैसूर	खानपुर,गादग
सिकारीपुर,कातापाडी	दारवार, हवेरी
यदाहाली क्रास	गुलबेरगा, उल्लाल
वी. सी. रोड, मानखाली	मेरकारा, हासान
होशादुगुरा, उदीपी	
जयानगर	

(ख) किसी विशेष स्थान पर फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्रों (पेट्रो/डीजल पम्प) का खोला जाना उस स्थान की माँग सक्षमता और कार्य-संचालन की आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर होता है। अगर तेल उद्योग द्वारा इस काम के लिए की गई सम्भाव्यता अध्ययन किसी स्थान पर फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्र/कम लागत वाले पेट्रोल पम्प के खोले जाने को उचित बताता है तो इस स्थान को नीति/निर्धारित मानदण्डों के अनुसार फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्र/कम लागत वाले पेट्रोल बिक्री केन्द्र खोलने के लिये उद्योग रोस्टर में शामिल कर लिया जाता है।

जहाँ तक एल. पी. जी. की वितरक एजेन्सियों के खोले जाने का सम्बन्ध है, उद्योग ने सभी जिला मुख्यालयों और कस्बों जिनकी आबादी 50,000 से अधिक है को शामिल करने और उस क्षेत्र की उपभोक्ता मांग, सप्लाई स्रोत से बाजार की निकटता और कार्य संचालन की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर क्रमिक रूप से योजनाएं तैयार की हैं।

दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों की आलोचना

3841. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली दूरदर्शन कार्यक्रम के दर्शक इसके द्वारा प्रसारित किए जाने वाले घटिया कार्यक्रमों को पसन्द नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रविवार को दिखाए जाने वाले चलचित्रों के चयन हेतु कोई समिति गठित करने का निर्णय लिया है; और

(ग) कार्यक्रम को रोचक और उपयोगी बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के द्वारा टेलीकास्ट किये जाने वाले कार्यक्रम काफी देखे जाते हैं और उनकी प्रशंसा की जाती हैं यद्यपि उनमें और सुधार के लिए भी समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहते हैं।

(ख) दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट करने के लिए फिचर फिल्मों का चयन करने के लिये एक समिति पहले ही विद्यमान है। तथापि, समिति के पुनर्गठन सहित समूची प्रक्रिया समीक्षाधीन है।

(ग) दूरदर्शन के कार्यक्रमों के स्तर और विषय में सुधार करने और इस दिशा में उपयुक्त परिवर्तन करने के उद्देश्य से उनका आवधिक रूप से पुनरीक्षण/संशोधन किया जाता है। इस सम्बन्ध में निरन्तर प्रयास जारी रहता है और मूल शिक्षाप्रद तथा मनोरंजक कार्यक्रम समय-समय पर शुरू किये जाते हैं।

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा टेलीकास्ट किये जाने वाले कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिये उठाये गये कुछ कदम नीचे दिये गये हैं :—

(1) "आपके लिए" और "लोक मच" जैसे नए रूपों को विकसित किया गया है।

(2) "हमने दुनिया देखी है" बूढ़े लोगों के लिए शुरू किया गया है।

(3) "और भी गम हैं जमाने में" नामक शृंखला पाक्षिक आधार पर टेलीकास्ट की जाती है जिसमें सामाजिक समस्याओं, आचरण और दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला जाता है।

(4) विषय पर फिल्मों पर आधारित एक कार्यक्रम "मनोरंजन" टेलीकास्ट किया जाता है।

( ) "जरा सोचिये" नामक कार्यक्रम को लोगों को उनके नागरिक कर्तव्यों और सामाजिक व्यवहार के बारे में शिक्षित करने के लिए आकर्षक रूप में पुनः चालू किया गया है।

(6) "पोपुलर साइन्स नामक एक नया कार्यक्रम विज्ञान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आरम्भ किया जाने वाला है।

(7) "परिक्रमा आफ रूलर एरियाज" नामक हृदयग्राही कार्यक्रम को अधिकाधिक ग्रामोन्मुखी बनाया जा रहा है।

(8) दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किए जाने वाले नाटकों का स्तर ऊंचा करने हेतु रंग मंचीय नाटकों के प्रख्यात लेखकों और निर्देशकों को दूरदर्शन के साथ मिलकर नाटक लिखने के लिये आमंत्रित किया जाता है।

अन्य दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए भी इसी प्रकार के कदम उठाए गए हैं।

अन्य देशों के साथ ट्रोपोस्केटर सम्पर्क

3842. **आचार्य भगवान देव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ ट्रोपोस्केटर संचार सम्पर्क शुरू किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो वे देश कौन-कौन से हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी नहीं। फिलहाल किसी अन्य देश के साथ इस तरह के संचार सम्पर्क का कोई प्रस्ताव नहीं है।"

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

गाजीपुर टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत नए टेलीफोन कनैक्शनों के लिए लम्बित आवेदन पत्र

3843. **श्री जैनुल बशर** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गाजीपुर टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या विद्यमान सुविधाओं के विस्तार का कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम का प्रस्ताव किस तारीख को अनुमोदित हुआ था; और

(घ) कार्य पूरा होने में यदि कोई विलम्ब हो रहा है, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन. पाटील) : (क) 5-12-81 को 50 (ख), से (घ) एक्सचेंज का 120 लाइनों द्वारा विस्तार करने का प्रस्ताव है।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के फिजूल खर्च पर सरकार का नियंत्रण

3844. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि अनेक पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ अपने बचे खुचे लाभ को बांटने के लिए प्रेजीडेन्ट, वाईस-प्रेजीडेन्ट और कार्यकारी निदेशक जैसे वरिष्ट अधिकारियों के तथा ऐसे ही अन्य पदनामों के पदों का सृजन करके अपने ऊपरी खर्च में वृद्धि कर रही है तथा इस प्रकार वे अपने निजी लोगों को तथा ऐसे लोगों को फायदा पहुंचा रही है, जिनका उन सरकारी एजेन्सियों में अच्छा प्रभाव है, जिनके साथ उनका काम पड़ता रहता है;

(ख) यदि हां, तो शेयर-धारकों की कीमत पर किए जाने वाले इस व्यय पर सरकार का क्या नियत्रण लगाने का विचार है;

(ग) क्या इन पदों के साथ भारी वेतन, परिलब्धियां, कारें, मनोरंजन तथा अन्य अनेक सुविधायें जुड़ी हुई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इन कम्पनियों के इस अन्धाधुन्ध खर्च पर नियंत्रण लगाने के लिए उनके मंत्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है और क्या ऐसा कोई मामला या मामले हुए हैं, जिनमें मंत्रालय ने किसी स्तर पर ऐसे फिजूल और अनुपयुक्त खर्च पर नियंत्रण लगाया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी. शिवशंकर) (क) से (घ) वरिष्ठ कार्यकारियों जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी निदेशकों की नियुक्तियों और कम्पनी द्वारा उनकी देय पारिश्रमिक के लिये कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 269, 388, 310, 309 आदि के

अन्तर्गत मात्र अगर वे प्रबन्धकीय निदेशक/पूर्णकालिक निदेशकों या प्रबन्धक की स्थिति ग्रहण करते हैं, तो केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा। इससे आगे विद्यमान कानून में व्यवस्था है कि कार्यकारियों का पारिश्रमिक, चाहे वे किसी भी पदनामों से कहे जाते हों, जो ऐसे कार्यकारी अधिनियम की धारा 314 (1 ख) की परिधि के अन्दर आते हैं, तो केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा। अधिनियम की धारा 217 (2क) में आगे व्यवस्था है कि कम्पनी के तुलन-पत्र के साथ संबन्ध निदेशकों की रिपोर्ट में कम्पनी के कार्यकारियों को जो कुल 3,000/-रुपये प्रतिमाह से अनाधिक पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक कर्मचारी के नाम को प्रदर्शित करता हुआ विवरण भी शामिल होगा।

यह प्रश्न कि क्या अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों द्वारा अनाच्छादित कार्यकारियों के पारिश्रमिक पर नियंत्रण को बढ़ाने के लिए पग उठाये जाने चाहिये, विचाराधीन है।

बिरला सिंघानिया थापर और बांगड की अन्त: सम्बध कम्पनियां

3845. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिरला, सिंघानिया, थापर और बांगड़ की एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली अन्त: संबध कंपनियां कौन-कौन सी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन अन्त: सम्बध कंपनियों में से प्रत्येक कम्पनी की प्रदत्तपूंजी, आस्तियां, कुल बिक्री और लाभ कितना-कितना रहा है; और

(ग) इन औद्योगिक गृहों द्वारा ऐसी अन्त: संबध कंपनियों का विस्तार किए जाने के संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा क्या रोक या नियंत्रण किया जा रहा है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) तथा (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार घरानों नामश: बिड़ला, सिंघानिया, थापर और बांगड़ की अन्त: सबध कम्पनियों के नामों को वर्ष 1978, 1979 और 1980 हेतु इन अन्त संबध कम्पनियों में से प्रत्येक की कुल प्रदत्त पूंजी, परिसम्पतियों, बिक्री और कर पूर्व लाभ को दर्शाता हुआ, विवरण-पत्र संलग्न किया जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 3099/81**]

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक प्रक्रिया का सचालन सार्वजनिक अहितकारी आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण का परिणामी नहीं हो। अत: अधिनियम में उपक्रमों की वृद्धि के निवारणार्थ व्यवस्था नहीं है। इस मुख्य उद्देश्य की केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत उपक्रमों या पंजीकरण योग्य उपक्रमों के भारी विस्तार, नये उपक्रमों की स्थापना, विलयन, समामेलन, अधिकार में लेने आदि के प्रस्तावों की परीक्षा और नियंत्रण के माध्यम से उपलब्धि की जाती है।

पश्चिम बंगाल में संयन्त्रों और मुख्यालयों का अन्य स्थानों पर ले जाया जाना

3846. **श्री नत कुमार मण्डल** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियों द्वारा पश्चिम बंगाल से अपने संयंत्रों या मुख्यालयों को अन्य स्थानों पर ले जाया गया है अथवा ऐसा करने के बारे में विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य स्थानों पर ले जाने या स्थानान्तरण करने से पहले राज्य सरकार की पुर्वानुमति आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो कितने मामलों में राज्य सरकार ने अनुमति दी है और कितनों में नहीं; और

(ङ) पश्चिम बंगाल से अन्य स्थानों पर ले जाने या स्थानान्तरण को रोकने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) से (ङ) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

बिजली के कम उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश में मध्यम दर्जे के और बड़े उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव

3847. **श्री केयूर भूषण** : क्या उर्जा मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिजली के कम उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश में मध्यम दर्जे के और बड़े उद्योगों पर उत्पादन आदि के मामले में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिजली उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में विद्युत का अपेक्षाकृत कम उत्पादन होने के कारण विद्युत की सप्लाई में हुई सीमान्त कमी का प्रतिकूल प्रभाव मध्य प्रदेश में मध्यम तथा लघु उद्योगों के उत्पादन पर पड़ा है।

(ख) मध्य प्रदेश में कम वोल्टता वाले मध्यम तथा लघु उद्योगों को 17 से 22 बजे के बीच की व्यस्ततम भार अवधि के अलावा शेष समय विद्युत का उपयोग करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, दिन के समय में 2 से 3 घण्टे तक के लिए विद्युत की सप्लाई बन्द किया जाना भी उन पर लागू है। इसके अलावा, निम्न वोल्टता वाले विद्युत उपभोक्ताओं पर उनके मासिक उपभोग पर 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की ऊर्जा कटौती भी लागू है।

(ग) राज्य में विद्युत की उपलब्धता में कमी के कई कारण हैं। इनमें ये शामिल हैं :—

(1) अपर्याप्त प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता।

(2) उत्पादन क्षमता में जल विद्युत-ताप विद्युत क्षमता का मिला-जुला स्वरूप उत्तम न होना।

(3) पिछले तीन वर्षों के दौरान गांधीसागर में जलाशय स्तर कम होना जिससे जल विद्युत का उत्पादन सीमित हो जाना।

(4) 200/210 मेगावाट के यूनिटों को सुस्थिर होने में अत्यधिक लम्बी अवधि लगना।

(घ) राज्य में विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गये हैं तथ उठाये जा रहे हैं। इनमें ये शामिल हैं :—

(1) 1980-85 की अवधि में 1488 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता को चालू करने का कार्यक्रम है।

(2) 200 मेगावाट की यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिये आवश्यक अशोधन/-सशोधन।

(3) तीव्र गतिशील और मन्द गतिशील अतिरिक्त पुर्जे पहले से ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि इस कारण कोई देरी न हो।

(4) वेहतर प्रचालन तथा अनुरक्षण पद्धतियों में इन्जीनियरों को प्रशिक्षण देना।

(5) मौजूदा प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना।

मध्य प्रदेश में ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज की स्थापना

3848. **श्री केयूर भूषण** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में डायल घुमा कर सीधे बात करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित किये गए हैं;

(ख) क्या रायपुर में भी ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज की स्थापना करने का विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वहां उसकी स्थापना कब तक हो जाएगी ?

(घ) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) मध्य प्रदेश में अब तक केवल एक ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज इन्दौर में स्थापित किया जा सका है।

(ख) जी हां।

(ग) अगली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में इसके स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रस्तावित ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज हेतु आवश्यक इमारत के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है। उपस्कर प्राप्त करने हेतु निविदाएं मांगी गयी थी तथा इसका मूल्याकन प्रगति पर है।

(ङ) इसका अंकीय प्रकार के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के रूप में प्रस्ताव किया गया है। उपस्कर आयात किए जाएंगे।

संचार मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारी काम में हिन्दी भाषा का प्रयोग

3849. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने वर्ष 1981-82 के लिए राजभाषा हिन्दी के प्रयोग का कोई वार्षिक कार्यक्रम परिचालित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय में यह कार्यक्रम प्राप्त हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि 'श्रेणी 'ए' क्षेत्रों (हिन्दी भाषी राज्यों) में स्थित उनके मंत्रालय के कार्यालयों के लिए सरकारी काम में हिन्दी का शत-प्रतिशत प्रयोग करना अपेक्षित है; और

(घ) यदि हां, तो हिन्दी भाषी राज्यों में उनके मंत्रालय के कार्यालय द्वारा राजभाषा हिन्दी का कितने प्रतिशत प्रयोग किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) से (घ) गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने वर्ष 1981-82 के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम परिचालित किया है। यह कार्यक्रम संचार मंत्रालय में मिल गया है। कार्यक्रम में क्षेत्र "क" के कार्यालयों में कुछ निर्धारित कार्यों के लिये केवल हिन्दी और विनिर्दिष्ट अन्य कार्यों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग सुझाया गया है। इन अनुदेशों को मंत्रालय ने सभी परिमण्डलों के प्रमुख और अन्य सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों को इस हिदायत के साथ भेज दिया है कि वार्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था पर अमल सुनिश्चित किया जाए। आशा है, वार्षिक कार्यक्रम में परिकल्पित लक्ष्य उत्तरोत्तर हासिल कर लिए जायेंगे। राजभाषा के रूप में हिन्दी के हिन्दी भाषी राज्यों में प्रयोग से सम्बंधित यथातथ्य जानकारी सुलभ करना बहुत कठिन रहेगा क्योंकि इन राज्यों में डाकतार विभाग के कार्यालयों की काफी बड़ी संख्या है।

सिरोली कोल्हापुर में आटो-एक्सचेंज के भवन के निर्माण में विलम्ब

3850. **श्री आर के. महालगी** :

श्री सत्य नारायण जटिया : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिरोली, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में आटो एक्सचेंज के लिये एम. आई. डी. सी. एरिया स्टोर्स एक वर्ष से उपलब्ध है, लेकिन भवन के काम में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कथित आटो-एक्सचेंज के उपकरण और अन्य साज-सामान महीनों से बेकार पड़ा हुआ है; और

(ग) हानि से बचने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं। एक्सचेंज उपस्कर की मुख्य मदें अभी प्राप्त होनी हैं। इस वर्ष के प्रारम्भ में भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर में हुई लम्बी हड़ताल के कारण उपस्कर की सप्लाई में यथेष्ट विलंब हुआ। जहां तक भवन का सम्बध है, योजना तैयार की जा रही है।

(ग) यदि विभागीय भवन के निर्माण में विलम्ब होगा तो एम. आई. डी. सी. से किराये पर आवास लेने का प्रस्ताव है। केवल कार्य को भी साथ साथ पूरा करने की व्यवस्था की जा रही है।

भयन्दर दर्दवाणी ग्राहक संघ, भयन्दर (जिला ठाणे, महाराष्ट्र) का ज्ञापन

3851. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई टेलीफोन के महाप्रबन्धक को भयन्दर दर्दवाणी ग्राहक संघ, भयन्दर (जिला ठाणे महाराष्ट्र) की ओर से दिनांक 2 फरवरी, 1981 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) उक्त ज्ञापन में किन-किन शिकायतों और मांगों का उल्लेख है; और

(ग) उनमें से प्रत्येक के सम्बंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) से (ग) सूचना बम्बई टेलीफोन्स से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई में रसोई गैस के नये कनेक्शनों का आबंटन

3852. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में रसोई गैस के कनेक्शनों को प्रदान करने का कोई ठोस प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने अतिरिक्त कनेक्शन दिए जाएंगे और अनुमानत: किस तारीख तक दिये जाएंगे;

(ग) क्या नये डीलरों की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र आमत्रित किये गये हैं, और यदि हाँ, तो बम्बई के किन क्षेत्रों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं;

(घ) क्या ऐसी नियुक्तियों के बारे में कोई मानदंड, और विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिये कि पिछड़े वर्गों के साथ उचित व्यवहार होता है; निर्धारित है;

(ङ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि विद्यमान डीलरों के ही सम्बंधियों को वितरक नहीं बनाया जायेगा, कोई सावधानी बरती गई है; और

(च) क्या कोई नई नियुक्तियां की गई हैं और ये नियुक्तियां किन क्षेत्रों के लिये की गई हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) जी हाँ।

(ख) वृहत बम्बई में इस वर्ष में अभी तक लगभग 70,000 खाना पकाने की गस (एल. पी. जी.) के नये कनेक्शन जारी किये गये हैं। और आगे कनेक्शन दिये जाने जारी हैं।

(ग) बम्बई के उपनगरों में निम्नलिखित स्थलों पर तरलीकृत पैट्रोलियम गैस के डीलरों की नियुक्ति के लिये तेल कंपनियों ने विज्ञापन दिये हैं :—

1. अंधेरी (3)
2. बोरीविली (2)
3. दादर
4. वाल्केश्वर
5. वार्डन रोड
6. गोरेगांव
7. मुलैंड
8. वायकुला
9. चौपाटी/गामदेवी
10. सिग्रोन
11. घाटकोवर (पश्चिम)
12. देवनार
13. मालाड
14. दक्षिण बम्बई (2)
15. सेंट्रल बम्बई
16. पश्चिम बम्बई
17. बरली

(घ) तरलीकृत पैट्रोलियम गैस के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न वर्गों के डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति के लिए इस मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शक रूपरेखा जारी की गयी है।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई तरलीकृत पैट्रोलियम गैस की डीलरशिपें विद्यमान डीलरों के सम्बन्धियों को प्रदान न की जा सकें, आवेदकों से इस सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्राप्त किये जाते हैं।

(च) दादर, अंधेरी (पश्चिम) तथा बोरीविली (पश्चिम) में तरलीकृत पैट्रोलियम गैस के नये डीलर नियुक्त किये गये हैं।

केरल के मलापुरम जिले में रसोई गैस के कनेक्शन

3853. **श्री जी. एम. बनातवाला :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के मलापुरम में एक भी रसोई गैस कनेक्शन नहीं है; और

(ख) क्या सरकार का विचार मलापुरम जिले में मानदण्डों में शिथिलता देते हुए विशेष रूप से जिले के पिछड़ेपन को देखते हुये रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करने का है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां।

(ख) केरल के मालप्पुरम जिले में वर्ष 1981-82 के दौरान खाना पकाने की गैस की एक एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है। उसके बाद जिले में एल. पी. जी. कनेक्शन जारी करना सम्भव हो जायेगा।

रंगीन टेलीविजन सम्बन्धी प्रयोग

3854. **श्री डी. पी. जदेजा :**

श्री कमल नाथ : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगीन टेलीविजन शुरू करने के लिए भारतीय व्यापार मेले में कोई प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) देश में रंगीन टेलीविजन शुरू करने सम्बन्धी सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान 10 वाट के ट्रांसमीटर के साथ एक प्रयोगात्मक जीवत रंगीन प्रेषण की व्यवस्था की गई थी। इस ट्रांसमीटर की सेवा परिधि 1.5 किलोमीटर थी। मेला देखने वालों के लाभ के लिये कुछ रंगीन टेलीविजन सेट प्रदर्शनी क्षेत्र में लगाये गये थे। परिणाम सन्तोषजनक रहे।

(ग) देश में रंगीन दूरदर्शन चालू करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है; अब तक का निर्णय विदेशी प्रसारण संगठनों के लिये एशियाई खेलों के बारे में रंगीन दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने का है।

मंत्रिमंडल मंत्रियों के टेलीफोन

3855. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के शासन में आने से मंत्रिमंडल मंत्रियों के टेलीफोनों बिलों के ब्यौरे क्या हैं; और

(ख) क्या मंत्रिमंडल मंत्रियों के टेलीफोनों के काम न करने के बारे में जनता से शिकायतें मिली हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी नहीं। केन्द्रीय मंत्रियों के टेलीफोनों के कार्य न करने के सम्बंध में जनता से कोई लिखित शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं :

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

3856 **श्री पीयूष तिरकी** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी. शिवशंकर) : तारीख 6-1-1981 को उच्च न्यायालय की न्यायपीठों में अनुसूसित जाति के चार न्यायाधीश थे। अनुसूचित जनजाति का कोई भी न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय में नहीं था। उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति का एक न्यायाधीश है।

कोयला गैसीकरण सयन्त्र

3857. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमटेड ने यह विचार व्यक्त किया है कि केन्द्रीयकृत कोयला गैसीकरण संयंत्र का विकास करने तथा अशोधित तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा की भारी राशि के खर्च को रोकने के लिये वितरण पाइप लाइन बनाने के लिये दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या एफ. ई. डी. आई. एल. में केन्द्रीय कोयला गैसीकरण और वितरण पाइप लाइन के लिए 2100 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि कोयला गैसीकरण सयंत्रों की स्थापना मुहानों पर करने तथा कोयले का गैसीकरण अपेक्षाकृत उच्च दबाव में करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

बदरपुर ताप बिजलीघर में सुधार के लिए प्रशासनिक परिवर्तन

3858. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने बदरपुर ताप बिजलीघर के उक्त स्वरूप में सुधार करने के लिए बहुत प्रशासनिक परिवर्तन किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने इसकी देखभाल करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के उच्च विशेषज्ञों को प्रतिनिधि नियुक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो अन्य कौन से परिवर्तन करने का विचार है; और

(घ) इन परिवर्तनों से बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र की कुशलता में कितना सुधार हुआ है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के प्रशासनिक ढ़ाचे का पुनर्गठन करने की दृष्टि से बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र का प्रबंध अप्रैल, 1978 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंपा गया था। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कारपोरेट कार्यालय के कुछ विशेषज्ञ बदलपुर प्राधिकारियों की समय-समय पर सहायता कर रहें हैं।

(ग) यद्यपि समग्र प्रशासनिक ढ़ाचे में इस समय कोई प्रशासनिक परिवर्तन की परिकल्पना नहीं है, किन्तु बदरपुर के संगठन को उत्तरोत्तर रूप से व्यावसायिक पद्धति पर पुनः गठित किया गया है तथा कई अनुभवी एक्जीक्यूटिव लाये गये हैं और लाये जा रहे हैं।

(घ) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के 100-100 मेगावाट के तीन यूनिटों का संयंत्र-भार अनुपात जो वर्ष 1977-78 में 33.6 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 1980-81 में 49 प्रतिशत तक हो गया है। 210 मेगावाट का चौथा यूनिट मार्च, 1981 में वाणिज्यिक प्रचालन में लाया गया था तथा अब सुस्थिर हो गया है। अक्तूबर, 1981 के दौरान चौथे यूनिट का संयंत्र भार अनुपात 65 प्रतिशत था।

संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच सीधा टेलीफोन सर्किट

3859. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच सीधा टेलीफोन सर्किट स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा सीधा टेलीफोन सर्किट कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) उपग्रह के माध्यम में संयुक्त अरब अमीरात के साथ सीधा संचार सम्पर्क 1977 से ही काम कर रहा है।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होता।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में चोरी-छिपे खनन-कार्य

3860. **श्री एन. ई. होरो** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में चोरी छिपे खनन कार्य किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को भारी हानि होती है?

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस हानि की समीक्षा के लिये कोई योजना बना रही है और यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन : (क) से (ग) : कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियमों में संशोधन करके यह निषेध कर दिया गया था कि जिन व्यक्तियों को अधिनियम के द्वारा प्राधिकृत किया गया है उन्हें छोडकर कोई अन्य व्यक्ति भारत में किसी

भी रूप में कोयला खनन का कार्य नहीं कर सकता और जो गैर सरकारी पार्टियां लोहा और इस्पात का उत्पादन करती हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी को दिये गए कोयला निकालने या कोयले के खनन से संबंधित सभी खनन पट्टे भी समाप्त कर दिये गए थे। अनेक लोगों ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को चुनौती देते हुए प्रादेश याचिकाएं दायर की और इस आशय के अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिये कि प्राधिकारी और कोयला कंपनियां उनके कोयला खनन कार्य में हस्तक्षेप न करें।

उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल और मई 1980 के अपने निर्णयों में उक्त अधिनियमों को वैध ठहराया और प्रादेश याचिकाएं खारिज कर दीं। इन निर्णयों के बाद गैर कानूनी कोयला खनन की शरारत एक बड़ी सीमा तक बन्द कर दी गई है। फिर भी कुछ लोग कभी-कभी कानून की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं और ऐसी रिपोर्ट है कि वे कुछ इलाकों में चोरी छिपे कोयले का गैर कानूनी खनन करते हैं।

राज्य सरकारों और कोयला कंपनियों को यह अनुदेश जारी किए गये हैं कि वे अपराधियों को अधिनियमों की व्यवस्थाओं के अधीन दंड दिलाने की कार्यवाई करें। राज्य सरकारें और कोयला कंपनियां जब कभी अपराधी पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ समेकित कार्यवाई कर रही हैं।

कोयले के गैर कानूनी खनन से होने वाली हानि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में "पोस्ट मास्टर" के रूप में कार्य कर रही महिलाएं

3861: **श्री निहाल सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उप डाकघरों और शाखा डाकघरों में "पोस्ट मास्टर" के पदों पर कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं और ऐसी महिलाओं की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में उसी क्षेत्र की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करने का है?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही सभी अधीनस्थ कार्यालयों से यह सूचना प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय पद उन नियमित कर्मचारियों द्वारा भरे जाते हैं जिनको भर्ती के निर्धारित नियमों के आधार पर नियुक्त किया जाता है जिसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में विभागेतर पदों का संबंध है, ऐसे पदों के लिए चयन हेतु योग्य पुरुषों एवं महिलाओं पर समान रूप से विचार किया जाता है, बशर्ते कि वे नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों जिनमें एक शर्त यह भी है कि वे उसी क्षेत्र के निवासी होने चाहिए जिसमें कि उनसे सेवा की अपेक्षा की जाती है अतः ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को कोई विशेष तरजीह देने का प्रश्न ही नहीं उठाता।

"हृदय रोगों के सम्बन्धित कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर दिखाया जाना

3862. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिनांक 16 मई, 1981 का कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें

दूरदर्शन पर "हृदय रोगों" से सम्बन्धित कार्यक्रमों को दिखाने का प्रबन्ध करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि एक संसद सदस्य ने भी मंत्री से यह अनुरोध किया है कि न केवल हृदय रोगों के बारे में बल्कि कैन्सर आदि जैसे रोगों के बारे में भी अंग्रेजी के साथ-साथ मराठी, गुजराती, तमिल आदि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाए जाने चाहिएं ;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निम्न कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(घ) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो उसके विशिष्ट कारण क्या हैं और उसके कब तक लिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) : दिल की बीमारियों और सहित स्वास्थ्य पर कार्यक्रम सभी दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा पहले ही टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में और कभी-कभी अंग्रेजी में होते हैं।

प्रत्येक केन्द्र "आपका स्वास्थ्य" जैसे कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है जिसमें न केवले मुख्य बीमारियों पर ही अपितु मौसमी शकायतों और स्वास्थ्य पर भी सलाह दी जाती है। कुछ केन्द्र अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में स्वास्थ्य मैगजीन कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। मद्रास दूरदर्शन केन्द्र द्वारा "ओपन हार्ट सर्जरी" पर तैयार किए गए फिल्म आधारित कार्यक्रम को सभी महानगरीय केन्द्रों द्वारा टेलीकास्ट किया गया था।

कोरापुट जिले में डाक और तार के कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

3863. **श्री गिरिधर गोमागो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और संचार सर्किल, उड़ीसा ने वर्ष 1981-82 और 1982-83 में कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए कोरापुट जिले में किन-किन स्थानों का चयन किया है;

(ख) जिले में विभिन्न स्थानों पर कितने कार्यालय और कितने स्टाफ क्वार्टर निर्माणाधीन हैं और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए क्या प्रस्ताव है; और

(ग) धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में उड़ीसा के पिछड़े और आदिवासी जिलों के लिये सर्किल ने क्या प्राथमिकता प्रदान की है तथा उससे प्रशासन के स्तर में होने वाले सुधार के लिए और विकास के लिए सुविधायें प्रदान करने से सम्बन्धित प्रस्ताव क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) :

डाक सर्किल

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान कोरापुट जिले में पोत्तनगी में एक डाकघर भवन तथा जैपोर और नवरंगपुर में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है। 198 -82 हेतु इस सम्बन्ध में सूचना शून्य है।

(ख) इस समय कोरापुट में एक डाकघर भवन तथा रायगढ़ में 4 स्टाफ क्वार्टरों का

निर्माण कार्य चल रहा है। अगले वर्ष के दौरान पोत्तनगी में डाकघर भवन, जैपोर में 18 स्टाफ क्वार्टरों तथा नवरंगपुर में 4 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ग) उड़ीसा के पिछड़े एवं जनजातीय जिलों को निधि की व्यवस्था तथा वहां सुविधायें प्रदान करने हेतु प्रस्तावों को उचित वरीयता दी जा रही है। 25 डाकघर भवनों तथा 93 स्टाफ क्वार्टरों के कुल लक्ष्य में से, छठीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र में 10 डाकघर भवनों तथा 68 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने की योजना है। 1980-81 में, उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये कुल 14 डाकघरों में से, 11 पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में खोले गए। इस चालू वर्ष के दौरान इस राज्य में अब तक खोले गए कुल 40 डाकघरों में से, 35 पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में खोले गए हैं।

दूरसंचार सर्किल

(क), से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जैपोर (के) के डाक तार कर्मचारियों को भत्ता

3864. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैपोर (के) के डाक तथा तार कर्मचारियों के निम्नलिखित भत्तों की अदायगी के बारे में मंत्रालय को उड़ीसा डाक और दूरसंचार सर्किल से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(एक) 31 मार्च, 1981 के पश्चात डी. एन. के. परियोजना भत्ते की मंजूरी।

(दो) 1 अक्तूबर 1975 से अपर कोलाब बहुउद्देशीय विशेष निर्माण भत्ते की मंजूरी;

(तीन) राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान विशेष निर्माण (जनजातीय) भत्ते की मंजूरी;

(चार) सुनाबेज डाक कर्मचारियों को पिछली तारीख से बी. सी. ए. की मंजूरी और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने भत्तों की मंजूरी के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

(1) डी. एन. के. परियोजना भत्ता की अनुदान के विस्तार, 31 मार्च, 1981 से आगे अर्थात 1.4.81 से 31.3.82 तक की स्वीकृति डाक तार निदेशालय के तारीख 9.9.81 के पत्र संख्या 11.4/77-पी. ए. टी. (खण्ड II) के जरिए पहले ही दी गई है।

(2) जेपुर (के) में नियुक्त डाक तार कर्मचारी अपर कोलाब बहुउद्देशीय विशेष निर्माण भत्ता के हकदार नहीं है क्योंकि वे पहले से ही डी. एन. के, परियोजना भत्ता प्राप्य कर रहे हैं।

(3) एवं (4) इस मन्त्रालय को विशेष निर्माण (जनजातीय) भत्ता तथा सुनेबड़ा डाक कर्मचारियों को बी. सी. ए के अनुदान के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उड़ीसा के नए प्रस्ताव

3865 **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिलों के जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को उड़ीसा सरकार से नए प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो अब तक तैयार की गई और वर्ष 1981-82 में ऋण सहायता के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रस्तुत योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में इन योजनाओं में से कितनी पर ऋण सहायता के लिए विचार किया है और कितनी योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित कर दी गई है;

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की चालू योजनायें पूरी करने में तथा मंजूर की गई नई योजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार ने क्या प्राथमिकता दी है; और

(ङ) जनजाति क्षेत्रों की योजनाओं की मजूरी के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने क्या प्राथमिकता दी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1981-82 के लिए ऋण सहायता हेतु प्राप्त हुए स्कीमों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) 1981-82 के दौरान ऋण सहायता के लिए ग्रामविद्युतीकरण निगम को भेजी गई 12 स्कीमों में से, चालू वित्त वर्ष में अक्तूबर, 1981 के अन्त तक ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 7 स्कीमों को स्वीकृत कर दिया गया है तथा इन स्कीमों में से दो स्कीमों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई ऋण की पहली किस्त में से 29.240 लाख रुपये की राशि विमोचित करा दी गई है।

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों को उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। वे इन्हें समुचित प्राथमिकता दे रहे हैं।

(ङ) आदिवासी जनसंख्या द्वारा आबाद क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने वाली स्कीमों के मामले को ग्राम विद्युतीकरण निगम विशेष ध्यान दे रहा है। ग्राम विद्युतीकरण निगम ने निधियों का 15% भाग आदिवासी क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए भी प्रारक्षित किया है।

विवरण

आदिवासी जनसंख्या द्वारा आबाद गांवों के विद्युतीकरण के लिए उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की उन 12 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के नामों को दिखाने वाला विवरण जिनकी या तो चालू वित्त वर्ष के शुरू में ग्राम विद्युतीकरण निगम में जांच की जा रही थी या जो वित्तीय सहायता की मंजूरी हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्तूबर 1981 के अन्त तक प्राप्त हुई थी।

क्रम संख्या	स्कीम का नाम (ब्लाक/जिला)	अभ्युक्ति
1	2	3
1.	मयूरभंज जिले में रामगोविन्दपुर ब्लाक	स्वीकृत। स्वीकृत ऋण की पहली किस्त की 12.649 करोड़ रुपए की राशि विमोचित कर दी गई है।
2.	मयूरभंज जिले में सुलियापाड़ा और मुर्दा ब्लाक	स्वीकृत/स्वीकृत ऋण की पहली किस्त की 16.591 लाख रुपये की राशि विमोचित कर दी गई है।

1	2	3
3.	कोरापुट जिले में कोराकुण्ड ब्लाक	स्वीकृत ।
4.	कोरापुट जिले में चन्द्रपुर ब्लाक	स्वीकृत ।
5.	कालाहांडी जिले में जूनागढ़ ब्लाक	वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए कार्यवाही की जा रही है ।
6.	कोरापुट जिले में गुनुपुर ब्लाक	स्वीकृत ।
7.	क्योंझर जिले में पटना ब्लाक	स्वीकृत ।
8.	कोरापुट जिले में सिमलीगूडा ब्लाक	स्वीकृत ।
9.	फूलबानी जिले में न्यूगांव ब्लाक	
10.	फूलबानी जिले में खाजुरीपाडी ब्लाक	वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिये कार्यवाही की जा रही है ।
11.	मयूरभंज जिले में बडास ही ब्लाक	
12	क्योंझर जिले में हरिचन्द्रानपुर ब्लाक	

कोयला खानों के विकास के लिए भारत-फ्रांस समझौता

3816. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और फ्रांस की सरकारों ने हाल ही में भारत में कोयला खानों के विकास के लिए समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जिनका विकास किया जाना है और फ्रांसीसी तकनीकी आर्थिक सहायता के परिणाम स्वरूप उत्पादन में होने वाली प्रस्तावित वृद्धि कितनी होगी;

(ग) क्या सम्बद्ध सरकारों द्वारा प्रस्तावित कोयला खानों के सम्बन्ध में संभावता और लाभप्रदता की रिपोर्ट तैयार कर ली गई हैं;

(घ) यदि तैयार हो रही हैं तो उनकी रूपरेखा क्या है; और

(ङ) क्या किन्हीं कार्यकारी दलों को उपर्युक्त परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की पेरिस यात्रा के दौरान भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच एक "समझौता ज्ञापन" पर हस्ताक्षर किये गये हैं जो फ्रांस की तकनीकी सहायता से भारत में कोयला उद्योग के विकास के लिये है ।

(ख) उक्त समझौता ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह बातें शामिल हैं :— नार्दिरा, मोइरा, चोरा, परसिया, ईस्ट कटरास, केन्दुआडीह और अनन्त में कोयला खानों का विकास तथा पिपराडीह और सवांग कोयला खानों के लिए विस्तृत साध्यता रिपोर्ट तैयार करना

इसमें मानूगुरु और रामागुंडम खानों में दोहन के लिए लांगवाल पेंस प्रणाली का प्रस्ताव तैयार करना शामिल है।

यदि साध्यता अध्ययन धनात्मक रहे तो इन सभी खानों को मिलाकर उनमें अनुमानित स्तर पर उत्पादन होने पर कोयले का अतिरिक्त उत्पादन लगभग 3.50 मिलियन टन प्रति वर्ष होगा।

(ग) और (घ) केन्दुआडीह और कटराम खानों में नई प्रोद्योगिकी लागू करने के संबंध में साध्यता रिपोर्टें कोल इण्डिया लिमिटेड को फ्रांसिसी संगठनों से प्राप्त हो गई हैं तथा अन्य खानों में साध्यता रिपोर्टें तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं।

साध्यता रिपोर्टों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह बातें होंगी-खनन की प्रणाली तकनीकी प्रौद्योगिक विश्लेषण और परियोजना के कार्यान्वयन कार्यक्रम की अनुसूची।

(ङ) समझौता ज्ञापन में एक कोयला सम्बन्धी भारत-फ्रांस कार्यकारी दल के गठन की व्यवस्था है जो भारत में कोयला खनन उद्योग के विकास से सम्बन्धित द्विपक्षीय मुद्दों की निश्चित अवधि पर पुनरीक्षा करेगा और उन पर विचार करेगा। परियोजनाओं की रिपोर्टें तैयार करना इस कार्यकारी दल का एक काम नहीं होगा।

वेस्टर्न इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली

3867. **श्री पियूष तिरकी** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने वैस्टन इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध जांच आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें कौन सी हैं जिनके सम्बन्ध में जांच की जा रही है; और

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को किसी अन्य भारतीय अथवा बहुराष्ट्रीय फर्म के खिलाफ कुल कितनी और किस तरह की शिकायतें मिली हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) तथा (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने रजिस्ट्रार, अवरोधक व्यापारिक अनुबन्ध द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र के आधार पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 की धारा 10 (क) (3) और 37 के अन्तर्गत वैस्टन इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के विरूद्ध (दिनांक 25 अक्तूबर, 1981 को) जांच आरम्भ की है। अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप है कि वैस्टर्न इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड जो टेलीविजन सेटों के विनिर्माण, बिक्री और उनकी देखभाल तथा प्रत्यक्ष रूप से टेलीविजन सेटों की बिक्री करने के पश्चात उनकी देखभाल के कार्य में अन्तर्ग्रस्त है, वह अपने उत्पादों का अवश्यकता के समय पर जब तक कि खरीदकर्ता अपने पास यथावत वार्षिक सेवा अनुबन्ध को दिखलाने में समर्थ नहीं होता है, तब तक वे देख-भाल का कार्य नहीं करता है। आगे यह भी आरोप है कि उत्तरवादी द्वारा प्रयुक्त वार्षिक सेवा अनुबन्ध आपत्ति के लिये खुला है जहां तक कि मुफ्त पुनः आपूर्ति की गारण्टी का सम्बन्ध है, उसमें टेलीविजन सेटों के कार्य के लिए आवश्यक बहुत से पुर्जे शामिल नहीं किये जाते हैं। आगे जब किसी यथार्थ कठिनाई के लिये 12 मुफ्त भेंटें होने पर गारण्टी में उपभोक्ता को सेवा की

अवधि में उसके तकनीशियनों द्वारा आदाता द्वारा प्रयोग किये जाने के कारण हुई किसी क्षति की अनुचित कीमत देने की भी व्यवस्था है। जांच अभी कार्यवाही के प्रारम्भिक चरण पर है।

(ग) प्रश्न आवश्यकता से अधिक सामान्य है कि माननीय सदस्य, आयोग द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 10 (क) (1) के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई जाँचों के संबन्ध में सूचना चाहते हैं, जबकि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने अपने प्रारम्भकाल से विभिन्न अवरोधक व्यापारिक व्यवहार जैसे मूल्यों में जोड़ तोड़ करना, गुप्त मंत्रणा से कार्य करना, एकमात्र व्यापार आदि के आरोप में अन्तर्ग्रस्त विभिन्न कम्पनियों के विरुद्ध इस तरह की 30 शिकायतें प्राप्त की थीं।

महाराष्ट्र द्वारा पश्चिम बंगाल को अल्कोहल की सप्लाई

3868. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

प्रो. मधु दण्डवते : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को अल्कोहल का आवंटन किया जाता है;

(ख) जनवरी, 1981 से पश्चिम बंगाल के लिए विभिन्न राज्यों से अल्कोहल की कितनी मात्रा आवंटित की गई थी;

(ग) इन राज्यों में से प्रत्येक से पश्चिम बंगाल को वास्तव में कितना अल्कोहल प्राप्त हुआ;

(घ) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को आवंटित अल्कोहल सप्लाई नहीं किया, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य को आवंटित अल्कोहल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) अल्कोहल वर्ष 1980-81 (दिसम्बर, नवम्बर) में सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को दिये गए आवंटन, राज्य सरकारों द्वारा की गई सप्लाई और पश्चिम बंगाल से विभिन्न पार्टियों द्वारा वास्तविक उठान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(लाख लीटरों में)

राज्य से	सरकार द्वारा किया गया आवंटन	निर्गत	वास्तविक उठान
महाराष्ट्र	26.0	शून्य	शून्य
उत्तर प्रदेश	217.5	217.5	183.17
बिहार	28.0	8.72	4.20

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि अल्कोहल की कमी की दृष्टि से पश्चिम बंगाल को कोई अल्कोहल सप्लाई नहीं किया गया।

(ङ) अब सरकार उन कानूनी आधार पर समन्वय प्राधिकारी की भूमिका यह सुनिश्चित करने के लिए निभा रही है कि सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बीच उपलब्ध अल्कोहल और सीरे का समान वितरण हो सके। इस भूमिका के निभाने में सरकार को एक परामर्शी निकाय केन्द्रीय सीरा बोर्ड की सहायता प्राप्त है जिसमें सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती रही है और करती रहेगी कि सीरे/अल्कोहल में अधिशेष वाले राज्य कमी वाले राज्यों को सीरे/अल्कोहल की अधिकतम मात्रा उपलब्ध कराते हैं।

गांधी फिल्म में भारतीय कलाकारों और तकनीशियनों की मजदूरी और परिलब्धियों में भेद-भाव

3369. **श्री माधव राव सिन्धिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सर रिचार्ड एटनबरो द्वारा निर्मित आत्म-कथात्मक फिल्म "गांधी" में ब्रिटिश सहयोगियों द्वारा भारतीय सहयोगियों को दी गई जातिमूलक गालियों और भारतीय कलाकारों और तकनीशियनों को ब्रिटिश सहयोगियों की अपेक्षा मजूरी और उपलब्धियों में बरते गए भेद-भाव की इस बीच जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार ने दल के ब्रिटिश सदस्यों द्वारा अपने भारतीय सहयोगियों के प्रति किए गए जाति भेद मूलक व्यवहार से भारतीयों के सम्मान की सुरक्षा के लिए और दल के भारतीय सदस्यों के प्रति भेदभाव न बरतने के लिए क्या कार्यवाही की ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि ब्रिटिश तथा भारतीय कर्मचारियों के बीच अनबन की कुछ घटनाएं हुई थीं, लेकिन उनका स्वरूप जातीय नहीं था। जब किसी स्थान पर किसी फिल्म शूटिंग यूनिट के बहुत से लोग काम कर रहे हों तो उनके बीच कुछ तनाव पैदा हो जाना कोई असामान्य बात नहीं है। जहां तक ब्रिटिश तथा भारतीय कर्मचारियों के बीच मजदूरी एवं परिलब्धियों के मामले में भेदभाव बरतने का प्रश्न है, जांच पड़ताल से यह पता चला है कि ब्रिटिश कर्मचारियों को इंगलैंड में उनकी युनियनों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भत्ते और आवास प्रदान किया गया था। भारतीय कर्मचारियों को भी उन्हें भारतीय फिल्मों में मिलने वाली दरों से काफी ऊंची दरों पर मजूरी आदि दी गई थी। उनकी मजूरी भारतीय फिल्म निर्माण स्टाफ के साथ परामर्श करके निर्धारित की गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में आक्सीजन, नाइट्रस आक्साइड की भारी कमी

3870. **श्री के. प्रधानी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों को अपने विभिन्न हस्पतालों में आक्सीजन, नाइट्रस आक्साइड जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के अस्पतालों में तथा अन्य राज्यों के अस्पतालों में, जहां इसी प्रकार की स्थित मौजूद है, इन वस्तुओं को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है, अथवा उठाए गए हैं;

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

दिल्ली में मिट्टी के तेल की कम सप्लाई

3871. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में दिल्ली में मिट्टी के तेल की कम सप्लाई के कारण उपभोक्ताओं को पर्याप्त असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो मिट्टी के तेल की कम सप्लाई के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) पिछले तीन महीनों के दौरान दिल्ली में मिट्टी के तेल की सप्लाई में कोई कमी नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का कार्यक्रम

3872. **श्री एन. ई. होरो** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम बिहार राज्य में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में जिलेवार ऐसी योजनाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है जिनके लिए उक्त निगम द्वारा मार्च, 1981 के अन्त तक राशि मंजूर की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने मार्च, 1981 के अन्त तक बिहार राज्य में 133.89 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की 358 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा बिहार में मार्च, 1981 के अन्त तक स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का जिलेवार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण।

क्र. सं.	जिला	स्वीकृत की गई स्कीमों की संख्या	स्वीकृत की गई ऋण राशि (लाख रु. में)	विद्युतीकरण के लिए शामिल किए गए गांव	उर्जित किए जाने वाले पंपसेटों की संख्या
1.	औरंगाबाद	11	333	992	3541
2.	बेगूसराय	9	233	238	3924

1	2	3	4	5	6
3.	भागलपुर	17	536	1007	5566
4.	भोजपुर	11	262	171	2861
5.	चम्पारन पूर्व	9	198	399	3925
6.	चम्पारन पश्चिम	6	177	477	1401
7.	दरभंगा	13	620	860	5581
8.	धनबाद	5	231	560	1620
9.	गया	12	414	587	8861
10.	गिरिडीह	3	177	536	1200
11.	गोपालगंज	10	504	863	6070
12.	हजारीबाग	8	414	1181	3042
13.	कटिहार	10	496	4088	2495
14.	मधुबनी	12	688	877	8109
15.	मोंग्यार	20	430	714	8980
16.	मुजफ्फरपुर	13	282	601	3386
17.	नालन्दा	5	71	171	2107
18.	नवादाह	6	230	433	4945
19.	पालाभाउ	9	477	380	4177
20.	पटना	13	380	482	6694
21.	पुरनिया	22	907	1786	5547
22.	रांची	21	1085	3034	4864
23.	रोहतास	19	293	914	8338
24.	महरसा	21	874	1386	6359
25.	समस्तीपुर	12	371	483	3404
26.	संथाल परगना	19	914	2571	3888
27.	सारण	9	288	619	2739
28.	सिंहभूम	0	666	1550	3129
29.	सीतामढ़ी	7	253	409	1966
0.	सिवान	6	318	557	1583
31.	वैशाली	10	267	481	2623
	राज्य का जोड़	358	13389	25933	132925

रेंगोली जल-विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन कार्यक्रम

3873. **श्री रास बिहारी बेहरा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के रेंगोली जल-विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन का कार्यक्रम कब तक आरम्भ होगा;

(ख) विद्युत उत्पादन वास्तव में कब से आरंभ होगा; और

(ग) अब तक की कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) उड़ीसा में रेंगाली जल-विद्युत परियोजना के पहले चरण में 50-50 मेगावाट के दो यूनिटों की प्रतिष्ठापना की जानी है तथा दूसरे चरण में 0-50 मेगावाट के तीन और यूनिटों का प्रावधान किया जाना है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, चरण-1 के पहले दो यूनिटों को क्रमशः जून, 1984 तथा दिसम्बर, 1984 के दौरान चालू किये जाने की आशा है। चरण-2 के 50 मेगावाट के बाकी के तीन यूनिटों को 1985-90 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है।

(ग) कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

कार्य की प्रगति :

सिविल कार्य : बांध की खुदाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ब्लाकों में, स्पिलवे के क्रेस्ट के नीचे अन्तिम स्तर तक सिंचाई कार्य किया जा चुका है। उमड़ मार्ग द्वारों के लिए इस्पात प्राप्त कर लिया गया है और इनका निर्माण किया जा रहा है। पेनस्टाक के लिए इस्पात प्राप्त कर लिया गया है तथा निर्माण कार्य उन्नत अवस्था में है। विद्युत घर के लिए खुदाई का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। भूमिगत सेटों का कंक्रीट कार्य पूरा कर लिया गया है तथा सर्विस बे खंड के कालमों को क्रेन बीम स्तर तक उठा दिया गया है। पेन स्टाक के लिए द्वार गेट लीव्ज तथा अन्तःस्थापित किये जाने वाले भागों का निर्माण किया जा चुका है। ड्राफ्ट ट्यूब गेटों के लिए भी आर्डर दे दिया गया है इसके लिए अन्तःस्थापित किये जाने वाले भागों की सुपुर्दगी की जा चुकी है। ड्राफ्ट ट्यूबों के सभी भागों के निर्माण तथा उत्थापन का कार्य चल रहा है। टेलरेस सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा है।

विद्युत कार्य : ई. ओ. टी. क्रेन के लिए आर्डर दे दिया गया है और शीघ्र ही इसकी सुपुर्दगी किये जाने की संभावना है। इस विद्युत केन्द्र के लिए उत्पादन यूनिट मैसर्स भा. ह. इले. लि. द्वारा सप्लाई किये जा रहे हैं। दोनों यूनिटों के लिए अधिकतर उपस्कर तथा अन्तःस्थापित किये जाने वाले पुर्जे परियोजना स्थल पर प्राप्त हो चुके हैं।

यूनिटों का उत्थापन कार्य मार्च, 1982 में आरंभ किए जाने की आशा है और पहले यूनिट को जून, 1984 तक तथा दूसरे यूनिट को दिसम्बर, 1984 में चालू किये जाने की आशा है।

राउरकेला में सौर-ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

3874. **श्री चित महाता :**

श्री जयनारायण रौट : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा-युक्त इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन ग्रामीण क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें ये एक्सचेंज स्थापित किए जाने हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जिन गांवों में बिजली उपलब्ध नहीं है वहां एक्सचेंज को चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का है; और

(घ) इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अक्तूबर, 1981 तक खोली गई नई कोयला खानें

3875 **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 अक्तूबर, 1981 तक कहां-कहां नई कोयला खानें खोली गई हैं और प्रत्येक खान में श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन खानों में कब तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद 29 बड़ी नई कोयला खान परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। यह खानें बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित हैं। पूरे उत्पादन स्तर पर नियुक्त आदमियों की कुल संख्या लगभग 44 हजार होगी।

(ख) इन सभी खानों का निर्माण-कार्य चल रहा है और इनमें से अनेक में उनके निर्धारित उत्पादन स्तर पर छठी योजना अवधि में ही और कुछ में सातवीं योजना अवधि में उत्पादन होने लगेगा।

आन्ध्र प्रदेश में तेल की खोज

3876 **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में तेल की खोज का कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में कोई नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक किये गए भूकम्पीय सर्वेक्षण ने तटवर्ती क्षेत्र में व्यधन हेतु छः संभावित सरचनाओं को रेखांकित किया है। नरसापुर संरचनाओं में नरसापुर-1 नामक अन्वेषी कूप को 4035 मीटर की गहराई तक खोदा गया था परन्तु दिसम्बर, 1979 में एक धमाका होने पर इसकी खुदाई बन्द कर दी गयी थी। कुएं में अभी तक परीक्षण किए गए सात क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम नहीं मिले हैं। कुछ दिनों बाद नरसापुर-1 में और आगे परीक्षण एक वर्क-ओवर रिग द्वारा किया जाएगा। इस बेसिन में इस समय नरसापुर-2 और 2, जोन-1 नामक दो कुओं में व्यधन किया जा रहा है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में टेलीफोन और तार सुविधाएं

3877. **श्री के. प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के उन शहरों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनकी जनसंख्या 25,000 से अधिक है और वहां टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) उड़ीसा में टेलीफोन तथा तार सुविधाओं के विस्तार के लिए क्या मुख्य जोजनाएं हैं; और

(ग) उड़ीसा में उन टेलीफोन एक्चेंजों की संख्या कितनी है जिनमें 1980-81 के दौरान एस. टी. डी. प्रणाली उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिजय एन. पाटिल) : (क) शून्य

(ख) छठी योजना के दौरान निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

1. टेलीफोन :

कटक—वर्तमान एक्सचेंज में 1000 लाइनों का विस्तार।

कटक—1000 लाइन (दूसरी यूनिट)

भुवनेश्वर—वर्तमान एक्सचेंज में 1500 लाइनों का 3 बार में विस्तार।

संबलपुर—2000 लाइनों का स्वचलन क्या टेलीफोन एक्सचेज।

2. ट्रंक स्वचल एक्सचेंज : कटक में 2000 लाइनों का टी. ए. एक्स.

3. तार : भुवनेश्वर तथा कटक के तार घरों को जैनटेक्स जाल कार्य से जोड़ा जाएगा।

(ग) कोई नहीं।

रुग्ण तेल कुओं को पुनः चालू करना

3878. **श्री के. राममूर्ति** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र तट पर उन रुग्ण तेल कुओं की संख्या कितनी है जिन्हें पुनः चालू किया जा सकता है;

(ख) उन तेल कुओं की संख्या कितनी है जो, प्रतिवर्ष खराब हो जाते हैं; और

(ग) इन रुग्ण तेल कुओं को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 1-9-1981 की यथा स्थिति को रुग्ण कुओं की कुल संख्या 449 है।

(ख) इसे विशेषरूप से बताया नहीं जा सकता क्योंकि मंडार कार्य-निष्पादन तथा अन्य जटिल तथ्यों के कारण आंकड़े प्रति वर्ष बदल जाएगे।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(I) बर्थ ओवर रिगों की संख्या बढ़ाना।

(2) 8 अथवा 16 घटों के स्थान पर कार्य लेने के स्थान पर इन रिगों का 24 घंटे कार्य संचालन कराना।

(3) कार्य संचालनों की गति को तेज करने के लिये आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाना।

(4) कुओं के उद्दीपन की योजना बनायी गई है।

(5) देशीय उपकरण का विकास करना बर्थ ओवर सेवाओं का ठेका देना।

सुन्दरबन के जल में सर्वेक्षण

3879. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन के उथले जल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सुन्दरवन के छिछले पानी वाले क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये हैं।

(ख) सुन्दरवन अपतटीय क्षेत्र में वर्ष 1979-80 के दौरान कुल लगभग 2800 किलोमीटर के भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये हैं। आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं और उनकी व्याख्या की जा रही है।

पोस्टल डिवीजनों का पुनर्गठन

3880. **प्रो. नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोस्टल डिवीजनों के राज्यों/संघ क्षेत्रों के सभी राजस्व जिलों के अनुरूप समक्षेत्रीय बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रख कर पोस्टल डिवीजनों का पुनर्गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो यह पुनर्गठन कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो किसी पोस्टल डिवीजन का पुनर्गठन इस समय विचाराधीन है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) एक ऐसा प्रस्ताव, कि भविष्य में जहाँ तक संभव हो डाक मंडलों को राजस्व जिलों के अनुरूप समक्षेत्रीय होना चाहिए, विचाराधीन है।

जिला पाली राजस्थान में टेलीफोन सलाहकार समिति

3881. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन सलाहकार समितियां कहां कहां गठित की गई हैं;

(ख) कौन व्यक्ति उनका सदस्य बन सकता है;

(ग) समिति की अवधि, शक्तियां और कार्य क्या हैं;

(घ) क्या जिला पाली, राजस्थान में कोई टेलीफोन सलाहकार समिति गठित की गई है, और यदि हां, तो कब और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसकी कितनी बैठकें हुई हैं, और

(ङ) यदि वहां ऐसी समिति गठित नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जिन स्थानों पर टेलीफोन अथवा दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन किया गया है उनके नाम विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) एवं (ग) सलाहकार समितियों का गठन, समितियों की अवधि तथा उनकी शक्तियाँ एवं कार्य विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) राजस्थान के पाली जिले के लिए कोई अलग सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ङ) टेलीफोन जिले के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति तथा प्रत्येक दूरसंचार सर्किल के लिए दूरसंचार सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। अतः पाली जिले के लिए एक अलग सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है। परन्तु राजस्थान के लिए दूरसंचार सलाहकार समिति का गठन किया गया है और यह समिति पाली जिले के टेलीफोन उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखती है।

विवरण- I

निम्न स्थानों पर टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

क्र.सं.	स्टेशनों/ राज्य का नाम	समापन की तारीख
	टेलीफोन जिले	
1.	आगरा टेलीफोन जिला	30-6-1983
2.	अहमदाबाद ,,	31-8-81
3.	अमृतसर ,,	30-4-1983
4.	बंगलूर ,,	31-8-1983
5.	बड़ौदा ,,	31-5-1983
6.	बम्बई ,,	31-5-1983
7.	कलकत्ता ,,	31-12-1983
8.	कोयम्बतूर ,,	31-6-1983
9.	दिल्ली ,,	30-9-1982
10.	हैदराबाद ,,	30-8-1983
11.	इंदौर ,,	30-4-1983
12.	जयपुर ,,	30-4-1983
13.	जलन्धर ,,	30-4-1983
14.	कानपुर ,,	30-4-1983
15.	लुधियाना ,,	30-6-1983
16.	मद्रास ,,	31-5-1983
17.	नागपुर ,,	31-8-1983
18.	पुणे ,,	30-9-1983

1	2
राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
1. आन्ध्र प्रदेश राज्य टी. ए. सी.	30-4-1983
2. चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	30-4-1983
3. गवा, दमण, दीव ,,	31-8-1983
4. हरियाणा राज्य टी. ए. सी.	30-6-1983
5. हिमाचल प्रदेश राज्य टी. ए. सी.	31-5-1983
6. जम्मू व कश्मीर राज्य टी. ए. सी.	30-4-1983
7. लक्षद्वीप सघ शासित क्षेत्र	31-8-1983
8. मध्य प्रदेश राज्य टी. ए. सी.	30-4-1983
9. महाराष्ट्र राज्य टी. ए. सी.	31-8-1983
10. पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र	31-5-1983
11. पंजाब राज्य टी. ए. सी.	30-6-1983
12. राजस्थान राज्य टी. ए. सी.	30-4-1983
13. त्रिपुरा राज्य संघ	31-5-1983

विवरण-II

टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन, कार्य एवं शक्तियां तथा अवधि

1—दूरसंचार सलाहकार समितियोंका गठन :

दूरसंचार एवं टेलीफोन सलाहकार समितियों द्वारा जिन हितो का प्रतिनिधित्व किया जाता है वे निम्नलिखित हैं :—

दूरसचार	**टेलीफोन सलाहकार समिति**
राज्य प्रशासन	राज्य प्रशासन
राज्य विधायी	राज्य विधायी
संसद सदस्य	निगम अथवा नगरपालिका
समाचार पत्र	संसद सदस्य
चिकित्सा व्यवसाय, कानूनी व्यवसाय	समाचार पत्र
इंजीनियरी, वास्तुविद जैसे अन्य सभी व्यवसाय	चिकित्सा व्यवसाय
व्यापार वाणिज्य तथा उद्योग	कानूनी व्यवसाय
समाजिक कार्य एवं अन्य कर्त्ता	इंजीनियरी, वास्तुविद जैसे अन्य सभी व्यवसाय
समाजिक कर्त्ता एवं अन्य	व्यापार, वाणिज्य उद्योग, इंजीनियरी, वास्तुविद आदि।
	व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, समाजकर्त्ता एवं अन्य।

2. टेलीफोन सलाहकार समितियों के कार्य और शक्तियां :

(1) टेलीफोन का प्रयोग करने वाली जनता और डाक-तार विभाग के बीच निकटतर सम्बन्ध बनाना।

(2) जनता को यह विश्वास दिलाना कि उनकी कठिनाइयों का प्रस्तुतिकरण समूचे ढंग से होता है और उन पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है।

(3) स्थानीय और ट्रंक सेवाओं में सुधार लाने के लिए विभाग को सलाह देना।

(4) टेलीफोन सेवाओं में सुधार और विकास के लिए डाक-तार विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाई का प्रचार करना।

(5) जनता से सहयोग और सहनशीलता की प्रार्थना करके लाइनों और टेलीफोन उपस्कर की मौजूदा कमी को निभाने में विभाग की सहायता करना।

(6) विशेष श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची में विभिन्न आवेदकों के तुलनात्मक गुणावगुण के संयुक्त आकलन द्वारा निष्पक्ष और समान आधार पर नियम के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार बिना बारी के कनेक्शनों के बारे में निर्णय करने में विभाग की सहायता करना।

3. वे स्थान जिनके लिये पृथक दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन हो रहा है अर्थात् टेलीफोन जिले, राज्य स्तरीय टी. ए. सी. के कार्य क्षेत्र में नहीं आयेंगे।

4. टी. ए. सी. की अवधि

सामान्यतया एक टी. ए. सी. का कार्यकाल दो वर्ष होता है।

अलमोड़ा तथा पिथौरागढ़ में कुकिंग गैस कनेक्शन

3882. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अलोमड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पिछले एक वर्ष में कुकिंग गैस कनेक्शन मंजूर किए गए हैं;

(ख) कहां-कहां कनेक्शन दिए गए हैं; और

(ग) कहां-कहां कनेक्शन नहीं दिये गये हैं और इसके क्या कारण हैं और कब तक कनेक्शन दिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी. सी. सेठी) : (क) से (ग) वर्ष 1981 के दौरान उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा तथा पिथोरागढ़ जिलों में जहां नयी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आरम्भ की जा चुकी हैं, निम्नलिखित स्थानों में खाना पकाने की गैस (एल. पी. जी.) के कनेक्शन जारी किये गये हैं :-

स्थान :

अल्मोड़ा, रानी खेत (अल्मोड़ा जिला)

पिथोरागढ़ (पिथोड़ागढ़)

उपर्युक्त एल. पी. जी. कनेक्शनों को केवल उन कस्बों की सीमाओं के अन्तर्गत जारी किया गया है जिनमें कुमाऊं विकास निगम डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को स्थापित करने में समर्थ हो

सका है। निगम द्वारा स्थापित की जा रही सुविधाओं पर अन्य स्थानों पर नए एल. पी. जी. कनेक्शनों को जारी करना सम्भव होगा।

अलमोड़ा और पिथौरागढ़ में पन-बिजली परियोजनाएं

3883. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार ने अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों के लिये उनके मंत्रालय को अनुमोदन के लिये कितनी पन-बिजली परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं का कब तक अनुमोदन कर दिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) इस समय, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में विद्युत परियोजनाओ की कोई परियोजना रिपोर्ट इस मत्रालय में अनुमोदन के लिये लम्बित नहीं पड़ी है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिथौरागढ़ जिले में शारदा घाटी की जल विद्युत परियोजनाएं, केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सौंपी है। प्रथम चरण में तीन स्कीमें नामश:

1. धौलीगगा नदी पर धौलीगंगा परियोजना
3. गौरी गगा नदी पर गौरी गंगा परियोजना

3. रामगंगा नदी पर पूर्वी रामगंगा परियोजना हाथ में ली जा रही हैं। इस समय, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा शारदा घाटी में इन स्कीमों का अन्वेषण कार्य शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

3884. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कोई उर्वरक कारखाना स्थापित करने का विचार है,

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कोयले की चोरी

3885. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रालय ने कोकिंग कोयले और रेल जैसी प्रमुख वस्तुओं की ढुलाई से प्राइवेट ठेकेदारों को बाहर रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सच है कि बढ़ती हुई चोरी तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिये मंत्रालय ने कोयला कंपनियों को कहा है कि प्रमुख पोस्टों की सूची बनाने के लिये सतर्कता कक्ष स्थापित किये जाएं और कर्मचारियों का बारी-बारी स्थानांतरण किया जाए;

(ग) क्या विस्तृत योजना के अन्तर्गत धीरे-धीरे सरकार ने प्राइवेट ठेकेदारों को अलग करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, इससे सरकार को किस सीमा तक सहायता मिली है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) जी, हाँ।

(ख) कोयला कंपनियों को सालह दी गई है कि वे, अन्य बातों के साथ साथ, सतर्कता विभागों को और मजबूत करें, नाजुक पदों की सूची रखें और उनपर काम करने वालों के बारी बारी से तबादले करते रहें।

(ग) और (घ) नीति यह है कि सभी नियमित कामों का विभागी-करण कर दिया जाए, केवल उन कामों का न किया जाये जो तदर्थ और ऐसे आकस्मिक काम हैं जो रुक रुक कर अलग अलग समय पर होते हैं। इस नीति का पूरा प्रभाव कालान्तर में यथा समय पता चलेगा।

समाचार पत्रों प्रकाशनों द्वारा विज्ञापनों के लिए स्थान का प्रयोग

3886. **श्री बी बी. देसाई** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सूचना मिली है कि अधिकतर भारतीय समाचार पत्र विशेषकर गैर-अंग्रेजी दैनिक औसतन 40 प्रतिशत या इससे कम स्थान विज्ञापनों के प्रयोग में लाते हैं;

(ख) यदि हां, क्या अंग्रेजी दैनिक औसतन 49 प्रतिशत स्थान विज्ञापनों के लिए प्रयोग करते हैं जबकि अन्य भाषाओं के कभी दैनिक समाचार पत्र 39 प्रतिशत करते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि 100 से अधिक प्रकाशन कुल स्थान का 40 प्रतिशत या अधिक विज्ञापन के लिए प्रयोग करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो जो सरकार द्वारा निर्धारित स्थान से अधिक स्थान विज्ञापनों के लिए प्रयोग करते हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कु. कुमुद जोशी) : (क) से (घ) समाचार पत्रों, विशेषकर अंग्रेजी के बड़े समाचारपत्रों द्वारा विज्ञापनों के लिए बड़े अनुपात में दिये जा रहे स्थान के बारे में सरकार को जानकारी है सरकार इस विषय पर प्रेस आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है।

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में डाक-तार विभाग का कार्य

3887. **श्री उत्तम राठौर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में नये एस. ए. एक्स सी. वी. एक्सचेंज और पी. सी. ओ. मंजूर किये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभाग सामान की कमी के कारण इस मामले में अधिक कुछ करने में असमर्थ है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में विभाग का कार्य-निष्पादन अपर्याप्त होने के कारण उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) भण्डार उपलब्ध होने पर नए एम. ए. एक्स, सी. वी. एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा रहे हैं।

(ग) सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को एक सी ही कठिनाई है। कुछ सीमा तक कच्ची सामग्री तथा एक्सचेंज उपस्कर की कमी के कारण सभी मंजूर शुदा निर्माण कार्यों को आरम्भ नहीं किया जा सका है।

(घ) इस वर्ष के दौरान भण्डारों की सप्लाई के सम्बन्ध में स्थिति सुधरी है तथा कच्चा माल उपलब्ध होने पर आगे भी सुधार होने की सम्भावना है।

पूनामल्ली, तमिलनाडु में "क्रासबार" एक्सचेंज प्रणाली

3888. **श्री ईरा अनबाराजू** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जनकारी है कि पूनामल्ली, तमिलनाडु (जिला चिंगलेपुट) में टेलीफोन एक्सचेंज लगभग रोजाना खराब रहता है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूनामल्ली के टेलीफोन एक्सचेंज को सुचारु रूप से चलाने के लिये वहां आधुनिक उपस्कर स्थापित करने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार पूनामल्ली में क्रासबार एक्सचेंज प्रणाली भी स्थापित करने का है ?

संचार संचालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी नहीं। पूनामल्ली एक्सचेंज कभी भी पूर्ण रूप से खराब नहीं रहा है।

(ख) एक्सचेंज 400 लाइनों वाला स्ट्राउजर एम. ए. एक्स II टाइप एक्सचेंज है। इसे अभी हाल ही में एक नयी विभागीय इमारत में ले जाया गया है। इस एक्सचेंज के बदलने की योजना नहीं है। यह एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

(ग) पूनामल्ली में क्रासबार एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फीचर फिल्मों की दरें

3889 **श्री जी. वाई. कृष्णन** :

श्री निहाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दूरदर्शन पर अच्छी फिल्में दिखाने के लिये दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों की दरों की हाल ही में पुनरीक्षा की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की संशोधित नीति या कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है।

डाकघर बचत बैंकों में अदायगी में धोखाधड़ी रोकना

3890. **श्री जी. वाई. कृष्णन्** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक बचत बैंकों में पिछले दो वर्षों के दौरान अदायगी तथा पैसे निकलवाने में धोखाधड़ी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार और डाक बचत बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने मामलों का पता लगा है; और

(घ) इस संबन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) डाकघर बचत बैंक में गबन कई तरीके से किया जा सकता है जैसे कि जमाओं का दुर्-नियोजन करके, जाली हस्ताक्षर अथवा जाली व्यक्ति द्वारा निकासी करके, रिकार्ड में धोखाधड़ी या हेरा-फेरी करके आदि। ऐसे मामलों के बारे में राज्यवार अथवा केवल जाली भुगतानों से सम्बधित मामलों की अलग से सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि पकड़े गए ऐसे मामलों की संख्या तथा उनमें शामिल रकम के बारे में पिछले दो वर्षों के डाक सर्कलवार आँकड़े विवरण में दिये जा रहे हैं तथापि ये आंकड़े समग्र सन्दर्भ में देखे जाने चाहिए कि डाक घर बचत बैंक में कुल बकाया रकम 7859.05 करोड़ रुपए है तथा वार्षिक लेन-देन 6.69 करोड़ रुपये का है लगभग 1.35 लाख डाकघरों में बैंक के कार्य किये जा रहे हैं।

(घ) नियमों तथा निर्देशों में व्यवस्था की गई मौजूदा जांच पर्याप्त समझी जाती है, फिर भी पर्यवेक्षण कार्य में तेजी लाई गयी है तथा जब ऐसे मामले पकड़े जाते हैं तो उनकी तुरन्त विभागीय जाँच की जाती है तथा जहां आवश्यक समझा जाता है पुलिस, सी. बी. आई. को जांच और कानूनी कार्यवाई के लिए उनकी रिपोर्ट की जाती है।

विवरण

क्रम सं.	सर्किल का नाम	1979-80		1980-81	
		मामलों की संख्या	उनमें शामिल कुल रकम	मामलों की संख्या	उनमें शामिल कुल रकम
1.	आन्ध्र प्रदेश	24	1,20,1[illegible]1.00	52	80,7-6.32
2.	बिहार	27	2,18,597.76	18	57 513.20
3.	दिल्ली	4	12.026.65	8	29,594.35
4.	गुजरात	87	1,19,056.58	62	1,1[illegible],360 49
5.	जम्मू-काश्मीर	—	—	4	23,819.22
6.	केरल	16	17,353.17	18	29 634.60
7.	कर्नाटक	48	84,513.00	33	38,527.77
8.	महाराष्ट्र	106	2,97,646.03	86	2,07,227.50
9.	मध्य प्रदेश	15	94,708 00	33	1,20,934.97
10.	उत्तर पश्चिम	35	1,94,958.34	26	1,00,291.83
11.	उत्तर पूर्व (असम और मेघालय)	12	45,902.00	16	1,07,411.00
12.	उड़ीसा	22	62,111.05	34	1,84,704.67
13.	राजस्थान	40	58,556.95	56	58,922.18

1 2	3	4	5	6
14. तमिलनाडु	65	1,92,967.57	110	2,73,759.32
15. उत्तर प्रदेश	74	3,64,263.26	74	1,90,758.18
16. पश्चिम बंगाल	36	2,07,979.20	35	1,69,217.64
	612	20,90,798.76	665	17,86,423.24

पश्चिम बंगाल में माइक्रोवेव के माध्यम से कनेक्शन

3891. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर-मिदनापुर, सरीबालपुर-दुर्गापुर, बांकुरा-दुर्गापुर पुरलिया-आसनसोल बलूरघाट-कटिहार-मालदा, जलपाईगुड़ी-सिलीगुडी, अलीपुरदार-कूचबिहार हशोमारा ट्रंक मार्गों को माइक्रोवेव प्रणाली के माध्यम से जोड़ा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मार्ग के मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) इन मार्गों पर यू एच.एफ. रेडियो रिले प्रणालियों की योजना बनाई गयी है। परन्तु बालुरघाट को सीधे मालदा से जोड़ने का प्रस्ताव है न कि कटिहार के माध्यम से।

(ख) मौजूदा योजना के दौरान इन सभी योजनाओं को उत्तरोत्तर चालू करने का कार्यक्रम है।

(ग) इन योजनाओं की इंजीतियरी पूरी हो गई है। मण्डारों तथा उपस्कर को उपलब्ध करने तथा भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अग्रिम कार्यवाई की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अधिक विद्युत उत्पादन की क्षमता के लिए इंगलैंड से बातचीत

3892. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता के लिये इंगलैंड से कोई बातचीत की गई है या की जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने भारत को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें 1000 मेगावाट की क्षमता के विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता का उल्लेख है

(घ) यूनाइटेड किंगडम से प्राप्त हुये प्रस्ताव की जांच योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए मंत्रालय में की जा रही है।

आदिवासी क्षेत्रों में डाक और तारघर

3893. **श्री केयूर भूषण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति 2500 की जनसंख्या वाले गैर आदिवासी क्षेत्रों में एक तार और डाकघर की व्यवस्था करने की है;

(ख) यदि हां, तो क्या वही नीति आदिवासी क्षेत्रों के लिये लागू है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या आदिवासी क्षेत्रों के मामले में भी इस नीति का शीघ्रता से कार्यान्वयन करने का सरकार का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) सरकार की यह नीति है कि गैर जनजातीय इलाकों के ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में जनसंख्या का ध्यान किये बिना तथा गैर ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में जहाँ की आबादी 2000 अथवा अधिक हो, डाकघर सुविधा प्रदान की जाती है बशर्ते कि दूरी तथा आय की शर्तें (अर्थात प्रस्तावित डाकघर से 3 किलो मीटर की अरीय दूरी के भीतर कोई डाकघर न हो तथा प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की 25 प्रतिशत आमदनी होने का अनुमान हो) पूरी होती हों। इसी प्रकार पिछड़े तथा पहाड़ी इलाकों में उन स्थानों पर भी तार सुविधा हानि का ध्यान किये बिना प्रदान की जाती है जहाँ की आबादी 2500 हो।

(ख) जनजातीय इलाकों के मामले में मानकों में और ढील दी जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कम लागत का ए. एम /एफ. एम. रेडियो

3894. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री के. मालन्ना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आकाशवाणी द्वारा कम लागत का एम. एफ एम. रेडियो विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां तो इसके कार्य और प्रयोग के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक बाजार में आ जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रोटोटाइप माडल पर प्रयोगशाला सम्बन्धी परीक्षण किए गए थे। इन परीक्षणों से पता चला है कि इस कम लागत वाले सैट का कार्य काफी सन्तोषजनक होगा।

(ग) इस स्थिति पर आकाशवाणी का कोई नियन्त्रण नहीं है। आकाशवाणी ने इस प्रौद्योगिकी को सामान्य शुल्क पर तथा बिना किसी रायल्टी के इच्छुक पार्टियों को दे देने का निर्णय लिया गया है। बाकी बात इच्छुक निर्माताओं की क्षमता पर निर्भर करती है।

भूतपूर्व कटक डी. ई. टी. सी. सर्किल विभिन्न एक्सचेंजों में कर्मचारियों का स्थानान्तरण

3895. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के भूतपूर्व कटक दूर संचार विभाग के डी. ई. टी. सी. सर्किल के अंतर्गत विभिन्न एक्सचेंजों में जनवरी, 1981 से अक्तूबर 1981 तक कुल कितने स्थानान्तरण किये गए;

(ख) इन स्थानान्तरणों के क्या विशिष्ट कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार के सभी स्थानान्तरणों को इस तथ्य के बावजूद रद्द कर दिया गया था कि उन कर्मचारियों में से कुछ पर गंभीर आरोप थे;

(घ) यदि हां, तो कुल कितने मामलों में ऐसे स्थानान्तरण रद्द किए गए;

(ङ) क्या यह सच है कि जिला बालासोर स्थित भद्रक टेलीफोन एक्सचेंज में कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो 10 साल की सेवा वहां पूरी कर चुके हैं परन्तु फिर भी उनके स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके विशिष्ट कारण कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) चालीस।

(ख) व्यक्तिगत निवेदनों, सेवा के हित में तथा शिकायतों के आधार पर इन स्थानांतरणों का आदेश दिया गया था।

(ग) जी नहीं। सोलह कर्मचारी स्थानांरित किये गये हैं। 21 अन्य मामलों में कर्मचारियों के अपने बच्चों की शिक्षा तथा अन्य कारणों से व्यक्तिगत अभ्यावेदनों के आधार पर स्थानांतरण आस्थगित किये गये।

(ख) तीन।

(ङ) जी हां। भद्रक एक्सचेंज में तीन अधिकारी 10 वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं।

(च) फिलहाल अराजपत्रित काडर के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है। स्थानांतरण केवल सेवा के हित में, व्यक्तिगत निवेदनों अथवा शिकायतों आदि के कारण किये जाते हैं।

डाकतार विभाग के अन्तर्गत ई. डी. ए. और ई. डी. डी. ए. कर्मचारियों को सुविधाएं

3896. **श्री अर्जुन सेठी : क्या संचार मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय डाक-तार विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे ई. डी. ए. और ई. डी. डी. ए कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में इस तरह की श्रेणी के कर्मचारियों के क्या आंकड़े हैं; और

(ग) क्या देश के प्रति उनकी अमूल्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनका मासिक वेतन बढ़ाने और उनकी सेवा की परिस्थितियों को सुधारने का सरकार का कोई प्रस्ताव है।

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) देश में विभागेतर एजेंटों/विभागेतर डिलीवरी एजेंटों की कुल संख्या 2,84, 419 है।

(ख) तारीख 31-1-81 को विभिन्न डाक सर्कलों में विभागेतर एजेंटों/विभागेतर डिलीवरी एजेंटों की संख्या निम्न प्रकार से थी :—

1.	आन्ध्र	30,059
2.	बिहार	20,769
3.	दिल्ली	561
4.	गुजरात	16,768
5.	जम्मू-काश्मीर	2,398
6.	कर्नाटक	16,718

7.	केरल	11,667
8.	मध्य प्रदेश	19.165
9.	महाराष्ट्र	22.619
10.	उत्तर पूर्वी	11,518
11.	उत्तर पश्चिमी	17,353
12.	उड़ीसा	16,851
13.	राजस्थान	15,387
14.	तमिलनाडु	24,871
15.	उत्तर प्रदेश	38,017
16.	पश्चिम बगाल	19,626

(ग) अब विभागेतर एजेंटों के भत्ते प्रति दो वर्ष में एक बार के स्थान पर प्रति वर्ष संशोधित किये जाते हैं। जहां तक उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने का सम्बंध है, उल्लेखनीय है कि उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने हेतु अनेक कदम उठाए गये हैं, तथा अनुग्रह अनुदान की राशि में वृद्धि तथा श्रेणी IV/डाकिया काडरों में पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा में भाग लेने के लिये आयु सीमा में 42 वर्ष तक की छूट। विभाग की डाक शाखा में डाकिया तथा ग्रुप "घ" पदों को भरते समय उन्हें वरीयता दी जाती है। निर्धारित शर्तों के अधीन बाह्य ड्यूटी वाले विभागेतर एजेंटों को छाते भी दिये जाते हैं।

विभागेतर एजेंट अंशकालिक कर्मचारी हैं। इन्हें प्रतिदिन 2 से 5 घंटे कार्य करना होता है। नियमित सरकारी कर्मचारियों के विपरीत ये लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अन्य व्यवसाय अपना सकते हैं।

भारत से मांगी गई तेल की तकनीकी जानकारी

3897. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों ने तेल की खोज के मामले में भारत से तकनीकी जानकारी मांगी है;

(ख) प्रत्येक देश को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सहायता देने की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) राष्ट्रपति अबोट के भारत में हाल के दौरे के दौरान उगांडा द्वारा सहायता मांगी गई है।

(ख) और (ग) हमारे विशेषज्ञों जिन्होंने निकट भविष्य में उगांडा का दौरा किया है; के द्वारा अध्ययन किया जाना है।

हरियाणा को कोयले का कोटा

3898. **श्री चिरंजी लाल शर्मा : ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान हरियाणा राज्य को कोयले का कितना कोटा आवंटित किया गया है; और

(ख) उस राज्य की मांग की तुलना में कोटा कितना कम या अधिक था ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) किसी राज्य को कोई कोटा नहीं आवंटित किया जाता है। फिर भी कुल मांग को पूरा करने के प्रयास किए जाते हैं। अप्रैल-सितम्बर, 1981 के दौरान हरियाणा को 7.24 लाख टन की सप्लाई हुई भी जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4.50 लाख टन की सप्लाई हुई थी। वर्ष 1981-82 में इस राज्य के लिए कोल इन्डिया लिमिटेड द्वारा आंकी गई कोयले की मांग 2.16 मि. टन है।

पंजाब वक्फ बोर्ड

3899. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब वक्फ बोर्ड के अधिक्रमण के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बोर्ड अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सका है और अधिनियम के अधीन प्राप्त अपनी शक्तियों का उसने अतिक्रम तथा दूरूपयोग किया है ; और

(ग) क्या सारे मामले की जांच कराए जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने यह राय कायम की कि पंजाब वक्फ बोर्ड, वक्फ अधिनियम, 1954 द्वारा या उसके अधीन, उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ था, वह कर्तव्य का पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम कर रहा था और उसने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण/दुरूपयोग किया था। अत: केन्द्रीय सरकार ने तारीख 11.11.81 को उक्त अधिनियम की धारा 64 के अधीन बोर्ड का अधिक्रमण कर दिया।

(ग) उपायुक्त, अम्बाला को बोर्ड के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने तारीख 12.11.81 को इस पद का भार ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश के एक सेवानिवृत्त जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति बोर्ड के सचिव के रूप में कर दी गई है और उसने तारीख 16. 11. 81 को अपने इस पद का भार ग्रहण कर लिया है। प्रशासक को इस विषय में पूरी जानकारी है। अभी यह कहना समय पूर्व होगा कि इस विषय में और क्या कार्यवाई करने की आवश्कता है।

धुलहस्ती पनबिजली परियोजना

3900. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू और कश्मीर में 390 मेगावाट क्षमतावाली धुलहस्ती पनबिजली परियोजना पर कार्य के पूरा किए जाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) इस समय आयोजना और अवसंरचनात्मक विकास संबंधी कार्य प्रगति पर है। लाभों में हिस्से संबंधी केन्द्रीय फार्मूले में राज्य सरकार के संशोधनों पर अन्तिम निर्णय ले लिये जाने के बाद ही सतत् कार्यकलाप हाथ में लिए जायेंगे।

तापीय विद्युत संयंत्रों की बन्द रहने की अवधि

3901. **श्री हन्नाम मोल्लाह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तापीय बिजली संयंत्रों की निर्माणाधीन रहने की बढ़ती हुई अवधि के परिप्रेक्ष्य में 14.208 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता का छठी योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1974-75 और 1980-81 के बीच चालू किए गए विभिन्न तापीय एककों की निर्माणाधीन रहने की अवधि का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) छठी योजना के अन्त तक चालू की जाने वाली कुल 14208 मेगावाट की क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाओं में कुछ परियोजनाओं को चालू करने का कार्यक्रम सस्ती के दौर में है।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों भा. हैवी. इले. लि. तथा आई. एल. के. के साथ विभिन्न स्तरों पर ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की जा रही है ताकि परियोजना प्राधिकारियों को उपस्कर की तथा आवश्यक निवेशों की सप्लाई इस प्रकार उपलब्ध कराई जाय कि यह परियोजना की निर्धारित समय-सूची के अनुकूल हो।

(ग) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के विभिन्न यूनिटों की निर्माणावधि जब यह केन्द्र केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीन था, नीचे दिए अनुसार है :—

यूनिट-1 (110 मे. वा.)	80
यूनिट-2 (110 मे. वा.)	90
यूनिट-3 (110 मे. वा.)	97

भारतीय तेल निगम और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व

3902. **श्री भीखा भाई : पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम और भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन में 1 जनवरी 1980 को कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी और प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीन इन दोनों सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ;

(ग) पिछली कमी को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को प्रतिनिधित्व देने के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(घ) क्या उनके साथ न्याय करने के लिए दोनों निगमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष भर्ती की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) 1971, के राष्ट्रपति के निदेशों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण

प्रारम्भ किये गये तथा किये जाने के बाद दिनांक 1. 1. 1980 की यथा स्थिति को इन्डियन आयल कारपोशन में भरती कार्य कर रहे कर्मचारियों की प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता सहित कुल संख्य नीचे दी गयी है ;

	कुल	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता
वर्ग क	1154	16.72
वर्ग ख	123	12.20
वर्ग ग	4967	25.29
वर्ग ग (सफाई कर्मचारी)	122	90.16
वर्ग घ	शून्य	शून्य
कुल	63 6	24.73

राष्ट्रपति के निदेशों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने कुल मिलावट प्रतिशतता 22.5 प्रतिशत रखी है।

ऊपर उल्लेख किये गये वर्ग "क" तथा "ख" में, वास्तविक प्रतिशतता निर्धारित की गयी प्रतिशतता से कम है जिसका कारण यह है कि इन वर्गों में पदों को केवल पदोन्नति के द्वारा भरा जाता है परन्तु निचले वर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, स्थिति कुछ समय में ठीक हो जायेगी जब निचले वर्गों से प्राथकिता आधार पर और अधिक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पदोन्नति दी जायेगी।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अलवर के डाकघर में बचत बैंक खातों में धोखाधड़ी के मामले

3903. **श्री भीखा भाई** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गबन/धोखे के उन मामलों की संख्या कितनी है गत तीन वर्षों के दौरान अलवर स्थित डाकघर बचत बैंक खातों में किए गए हैं;

(ख) इस तरह के प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और ऐसा कैसे हुआ ;

(ग) इस तरह के मामलों का तरीका क्या था और उपर्युक्त मामलों में से प्रत्येक को किस स्तर पर अंतिम रूप दिया गया है; और

(घ) भविष्य में इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अलवर डाकघर में बचत बैंक धोखाधड़ी के केवल दो मामले हुए हैं।

(ख) और (ग) पहले मामले में चंदोली (अलवर) के विभागेतर शाखा डाकपाल ने नकदी खाते, तार प्रभार मूल्यदेय डाक मदों की 2739.08 रुपये की राशि तथा बचत बैंक में भी धोखाधड़ी करके 13661.30 रुपये की राशि का गबन किया। विभागेतर शाखा डाकपाल ने धन प्राप्त किया, तथा इसे बचत बैंक पास बुक में दर्ज भी किया परन्तु उक्त राशि सरकारी खातों में जमा नहीं की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। विभागेतर शाखा डाकपाल को निवृत कर सेवा से निलंबित दिया गया है।

दूसरे मामले में आरोप लगाया गया है कि निकासी फार्मों पर जमाकर्ता के जाली हस्ताक्षर करके डाकघर बचत बैंक खाता सं. 125354 से 7450/–रुपये निकाल लिए गए। अलवर प्रधान डाकघर के डाक सहायक श्री दरयावसिंह, जिन्होंने जमाकर्ता के संदेशवाहक के रूप में धन प्राप्त किया, का इस लेन देन में हाथ होने का संदेह है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो मामले की जांच कर रहा है। संदेहास्पद कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है।

(घ) नियमों में मौजूदा प्रावधानों को पर्याप्त समझा गया है। प्रयवेक्षण कड़ा कर दिया गया है।

केरल में खाना बनाने की गैस के कनेक्शन जारी किया जाना

3904 **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1980 से आज तक की अवधि के दौरान केरल में खाना बनाने की गैस के कितने कनैक्शन जारी किए गए;

(ख) केरल में अभी भी खाना बनाने की गैस के कितने आवेदन-पत्र स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हुए हैं; और

(ग) सरकार का विचार उन आवेदनों पर खाना बनाने की गैस के कनेक्शन कब जारी करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 1980 वर्ष के दौरान देश में, केरल राज्य को शामिल करके एल. पी. जी. (कुकिंग गैस) का बड़े पैमाने पर रिलीज कोई नहीं हुई थी। तथापित 1981 के दौरान केरल राज्य में कुल 11,000 एल. पी. जी (कुकिंग गैस) कनैक्शन रिलीज किये गये हैं।

(ख) राज्य में कुकिंग गैस कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची पर करीब 38,0000 आवेदन-पत्र हैं।

(ग) एल. पी. जी कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्रों की प्रतीक्षा सूची का आगामी दो वर्षों के अन्दर क्रमिक रूप से निपटान हो जाने की सम्भावना है।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना किया जाना

3905. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं और तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रीय कार्यालय शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के तीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में है।

(ख) बोर्ड के अधिक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को योजना में शामिल किया गया है। नए क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, त्रिवेन्द्रम और हैदराबाद में होंगे। प्रस्ताव को संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए यथा समय कार्यान्वित किया जाएगा।

1980 और 1981 के दौरान देश में डाकघर और शाखा डाकघर खोला जाना

3906 **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने शाखा डाकघर हैं;

(ख) केरल में कितने शाखा डाकघर हैं और उनका जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 1980 और 1981 के दौरान भारत भर में कितने शाखा डाकघरों को उप-डाकघरों में तब्दील किया गया है; और

(घ) इस अवधि के दौरान केरल में कितने शाखा डाकघरों को उप-डाकघरों में तब्दील किया गया है और इनका जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) फिलहाल भारत में 104,239 शाखा डाकघर हैं।

(ख) केरल में 2488 शाखा डाकघर हैं, जिले-वार ब्यौरे अनुबन्ध में दिए गए हैं

(ग) समस्त भारत में 1980-81 के दौरान 245 तथा 1-4-81 से आज तक 110 शाखा डाकघर उप-डाकघरों में परिवर्तित किए गए हैं।

(घ) 1980.81 के दौरान केरल के 105 शाखा डाकघर तथा 1-4-81 से आज तक 1 शाखा डाकघर उप-डाकघरों में परिवर्तित किया गया। जिले-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

केरल में जिले का नाम	जिले में शाखा डाकघरों की संख्या	उप-डाकघरों में परिवर्तित शाखा डाकघरों की संख्या 1980-81 के दौरान 1-4-81 से आज तक			
		विभागेतर उपडाकघरों में परिवर्तित	विभागीय उप डाकघरों में परिवर्तित	विभागेतर उप डाकघरों में परिवर्तित	विभागीय उप डाकघर में परिवर्तित
त्रिवेन्द्रम	215	2	—	—	—
क्यूलोन	226	7	—	—	—
एलेपी	146	5	1	—	—
एरनाकुलम	153	9	—	—	—
कोटयाम	200	8	—	—	—

1	2	3	3	4	5
ईदीकी	179	—	—	—	—
त्रिपुर	247	5	—	—	—
पाटघाट	210	31	—	—	1
कोजीकोड	221	9	—	—	—
कन्नौर	338	20	3	—	—
मालापुरम	233	5	—	—	—
वीनाद	120	—	—	—	—
	2488	181	4	—	1

वि. उ. डा.=विभागेतर उप डाकघर

सोवियत रूस से पूर्ति की गई तेल-खपत

3907. **श्री एन. ई. होरो** : क्या **पेट्रोलिमम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस द्वार संभावित रूप से पूर्ति की जाने वाली देश में तेल की कुल खपत के प्रतिशत के बारें में ब्यौरा क्या है; और

(ख) पश्चिस एशिया के तेल-उत्पादक देशों द्वारा निर्धारित तथा सोवियत रूस द्वारा निर्धारित कच्चे तेल के मूल्यों के बीच क्या अन्तर है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) ऐसी संभावना है कि वर्ष 1981-82 में देश की पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत के लगभग 13% को सोवियत संघ से खनिज तेल तथा उत्पादों के आयात द्वारा पूरा किया जायेगा।

(ख) सोवियत संघ द्वारा खनिज तेलों की सप्लाई मुख्य रूप से पश्चिम एशिया के खाड़ी के देशों से की जाती है। सोवियत संघ द्वारा इस प्रकार की गई सप्लाई के वसूल किए गए मूल्य सम्बन्धित खनिज तेलों के अधिकृत विक्रय मूल्यों पर आधारित हैं। जहाँ सप्लाई किए गए खनिज तेल सोवियत मूल के होते हैं, उनके वसूल किए गए मूल्य इसी किस्म के खनिज तेलों के मूल्य की तुलना में अनुकूल होते हैं। और ब्यौरे देना जन हित में उचित नहीं है।

विद्युत संयंत्रों के लिए विदेशी मुद्रा जारी किया जाना

3908. **श्री एन. ई. होरो** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत संयंत्रों के लिए विदेशी मुद्रा जारी किए जाने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा के विमोचन के लिए बारह राज्य सरकारों/बिजली बोर्डों ने अनुरोध किया था। ऐसे मामलों की संख्या 21 है अर्थात् 1979 में पांच, 1980 में ग्यारह तथा 1981 में पांच।

(ख) इसकी स्वीकृति आदि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

राज्य सरकार बिजली बोर्ड का नाम	परियोजना/उपस्कर का नाम	स्थिति
	1979	
1. महाराष्ट्र सरकार का सिंचाई विभाग	4 × 60 मेगावाट की गैस टर्बाइन	विदेशी मुद्रा विमोचित कि गई।
2. आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	100 मेगावाट 220/132 के.वी. के ओटो ट्रांसफार्मर्स	भारी उद्योग विभाग के स्वदेशी प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
3. राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	कोटा जल विद्युत परियोजना के लिये हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला संयंत्र	विदेशी मुद्रा विमोचित की गई।
4. दामोदर घाटी निगम	पंचेत हिल जल विद्युत परियोजना का 1 × 40 मेगावाट का पम्पड टर्बाइन	—वही—
5. महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	4 × 60 मेगावाट की उरणगैस टर्बाइन परियोजना	—वही—
	1980	
1. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि०	इटली से 3 × 200 मेगावाट का सम्पूर्ण विद्युत संयंत्र	विदेशी मुद्रा विमोचित की गई।
2. असम राज्य बिजली बोर्ड	3 × 2705 किलोवाट के मोबाइल गैस टर्बो जैनरेटर यूनिट	भारी उद्योग विभाग में आयात के लिए स्वीकृति दे दी थी।
3. आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	2 × 30 मेगावाट की नागार्जुन-सागर दायां तट नहर जल विद्युत परियोजना	विदेशी मुद्रा विमोचित की गई।
4. असम राज्य बिजली बोर्ड	4 × 2705 मेगावाट का मोबाइल गैस टर्बाइन।	भारी उद्योग विभाग ने आयात को स्वीकृति दे दी थी।
5. असम राज्य बिजली बोर्ड	1 × 30 मेगावाट का स्टीम जैनरेटर चंद्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र	भारी उद्योग विभाग के आयात को स्वीकृति दे दी थी।
6. —वही—	7 × 3 मेगावाट का मोबाइल गैस टर्बाइन	—वही—
7. हिमाचल प्रदेश	2 × 3 मेगावाट के उत्पादन यूनिट	विदेशी मुद्रा विमोचित की गई।
8. गुजरात बिजली बोर्ड	3 × 210 मेगावाट के टर्बोजेनरेटर सैट	भारी उद्योग विभाग ने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था।
9. —वही—	3 × 210 मेगावाट का स्टीम जेनरेटर	—वही—
10. हरियाणा राज्य	बल्व टाइप मेनरेटिंग यूनिटें	भारी उद्योग विभाग के आयात को स्वीकृति दे दी थी।

1	2	3
11. आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	40,000 के. वी. ए. जेनरेटिंग ट्रांसफार्मर्स	भारी उद्योग विभाग के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था।
	1981	
1. आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	2 × 30 मेगावाट के जेनरेटर	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. के जरिए आयात।
2. असम राज्य बिजली बोर्ड	2 × 50 मेगावाट के हाइड्रो-टर्बाइन तथा जैनरेटिंग सैट	भारी उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है।
3. जम्मू और कश्मीर	2 × 2 मेगावाट के जेनरेटिंग सेट	भा. है. इ. लि. के जरिये आयात।
4. —वही—	2 × 1 मेगावाट का जेनरेटिंग सेट	—वही—
5. तमिलनाडु बिजली बोर्ड	8 × 15 मेगावाट के बल्ब टर्बाइन जेनरेटिंग यूनिट	विद्युत विभाग में कार्यवाही की जा रही है।

कोरबा से विद्युत सप्लाई की गुजरात की मांग

3909. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरबा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम द्वारा स्थापित किए गए नये दूसरे बिजलीघर से गुजरात सरकार ने कितने मेगावाट बिजली की माँग की है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने इस मांग के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को कोई आवेदन पत्र दिया है, यदि हाँ, तो कब और उनकी माँगों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उनकी इस मांग के सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित किए जा रहे कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र की 2100 मेगावाट की क्षमता में से गुजरात को किया गया आवंटन, गुजरात सहित सम्बन्धित राज्यों द्वारा सहमत आधार पर, 360 मेगावाट है।

कोल इंडिया लिमिटेड का कार्यालय

3910. **श्री रामविलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के कार्यकरण की जांच की है; यदि हाँ, तो कब;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोल इण्डिया लिमिटेड को इस तथ्य के बावजूद कुल मिलाकर 711 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है, कि कोल इण्डिया लिमिटेड ने अपने उत्पादों के मूल्य में कई बार वृद्धि की है, और

(ग) इस उपक्रम के दोषों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने वाले हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोल इण्डिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के काम की पुनरीक्षा एक समिति ने की थी जिसकी सरकार ने 1980

में योजना आयोग के सदस्य श्री मोहम्मद फजल की अध्यक्षता में बनाया था। फजल समिति ने अपनी रिपोर्ट में कोल इण्डिया लिमिटेड के पुनर्गठन के बारे में जो सिफारिशें की हैं उन पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) नयी सरकार के सत्ता में आने के बाद स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया है जो कि नीचे दिये गए विवरण से स्पष्ट है :—

वर्ष	घाटा (करोड़ रुपयों में)
1978-79	241.31
1979-80	88.06
1980-81	33.34
1981-82	मुनाफा होने की संभावना

कोल इण्डिया लिमिटेड का घाटा लगातार इन कारणों से एकत्र होता गया—अलाभकारी कीमतें और साथ ही उत्पादन सामग्रियों की लागत में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, उत्पादन में विभिन्न बाधाओं की वजह से कमी जो इस प्रकार हैं—अनुपस्थिति, कानून और व्यवस्था की समस्याएं, पूर्वी प्रदेशों में कुछ वर्षों में अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़, विस्फोटक पदार्थों, और बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, कठिन, भू-वैज्ञानिक और भू-खनन की दशाएं। कीमतों में जनवरी, 1980 से केवल एक बार अर्थात फरवरी, 1981 में वृद्धि की गई।

(ग) कोयले की कीमतों को 14-2-1981 से समुचित स्तर पर निश्चित करने के अलावा कोयला कंपनियों की त्रुटियों में सुधार के लिए उठाए गये अन्य कदम इस प्रकार हैं—ओपेनकास्ट खानों का शीघ्रता से विकास करके उत्पादन बढ़ाना, उन्नत प्रौद्योगिकी और आधुनिकी उपकरणों का प्रयोग शुरू करना, बिजली, विस्फोटक पदार्थ आदि उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि सुनिश्चित करना, उपकरणों के उपयोग और उत्पादकता में सुधार, खनिकों में अनुपस्थिति की प्रवृति पर नियन्त्रण, राज्य सरकारों से घनिष्ठ सम्पर्क रख कर भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाना और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना, आदि।

गत छः महीनों के दौरान बिजली की कमी

3911. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में देश में बिजली की भारी कमी रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) बिजली की इस कमी से देश के औद्योगिक एककों पर किस सीमा तक दुष्प्रभाव पड़ा है और उन्हें कितनी हानि हुई है; और

(ग) देश में विद्युत संबंधी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) यद्यपि कुछ राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति अच्छी है तथापि कुछ राज्य कुछ सीमा तक बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं। अप्रैल, से अक्तूबर, 1981 की अवधि के दौरान सारे देश में ऊर्जा की कमी घटकर

10.5% रह गई है। जबकि वर्ष 1980-81 के दौरान यह कमी 12.6% थी और वर्ष 1979-80 के दौरान 16.1% थी। देश में विद्युत की कमी के मुख्य कारणों में से कुछ ये हैं:—

1. प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता का अपर्याप्त होना।

2 ताप विद्युत संयंत्रों का अपेक्षाकृत असंतोषजनक कार्य निष्पादन;

3. देश के कुछ भागों में कम वर्षा होना जिसके परिणामस्वरूप जल-विद्युत के उत्पादन में कमी तथा कृषि क्षेत्र से विद्युत की मांग का बढ़ाना आदि।

(ख) यद्यपि उद्योग तथा कृषि के उत्पादन में कमी के जिम्मेदार कारणों में से एक कारण विद्युत की कमी है तथापि उत्पादन में कमी का केवल यही कारण नहीं है और न ही विद्युत के कारण हुई हानि की मात्रा बता सकना सम्भव है।

(ग) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ कदम ये हैं:—

1. 1980-85 की अवधि के दौरान 19666 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि करने का कार्यक्रम है।

2. विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से वर्तमान ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(क) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना;

(ख) उपस्कर के डिजाइन में कमियों का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिष्ठापित करने के कार्यक्रम शुरू करना;

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना;

(घ) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई;

(ङ) जिन इंजीनियरों और तकनीकी कार्मिकों को विद्युत केन्द्र के प्रचालन और अनुरक्षण आदि का काम सौंपा गया है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना;

(च) विशेषकर 200 मेगावाट की यूनिटों में कमियों का पता लगाने तथा इन यूनिट के शीघ्रता से स्थायीकरण के लिए तथा कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कृतिक बल का गठन करना, जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि. इन्स्ट्रुमेंटेशन कोटा लि तथा राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल हैं; और

(छ) प्रचालन पद्धतियों की मानीटरिंग करने तथा परामर्श देने आदि के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणकारी दलों के दौरे।

3. जहां से व्यवहार्य है, वहां कुछ यूनिटों की उत्पादन क्षमता का अधिनिर्माण करना।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को गैस की एजेंसियां दिया जाना

3912. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को कुल कितनी गैस एजेंसियां आवंटित की हैं;

(ख) गैस एजेंसी के अलाटियों को जमानत के लिए बतौर कितनी धनराशि जमा करनी पड़ती है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार के पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आवेदन पत्र पिछले कई महीनों से लंबित हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) पेट्रोल उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। 31-7-1981 को तेल कंपनियों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कुल 49 एल. पी. जी. की वितरक एजेंसियाँ दी गई थीं।

(ख) प्रचालित लागू नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के डीलरों से जमानत के तौर पर कोई धनराशि नहीं ली जाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापित डीलरों के चयन में कुछ विलम्ब हुआ है। तेल कंपनियाँ चयन को यथा शीघ्र अन्तिम रूप देने के सभी प्रयास कर रही है।

पश्चिम बंगाल में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली

3913. **श्री समर मुखर्जी :**

श्री सोमनाथ चटर्जी :

श्री सुशील भट्टाचार्य :

श्री रेणु पद दास : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल राज्य जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली लगाने के कार्यक्रम की प्रगति बहुत धीमी है;

(ख) क्या यह सच है कि संचार की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप वर्ष 1974 से किसी भी जिला मुख्यालय के एक्सचेंज का स्वचालितीकरण नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(घ) सरकार जिला मुख्यालयों के एक्सचेंजों का स्वचालितीकरण करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है और इस पर कितना समय लगेगा; और

(ङ) पश्चिम बंगाल के मुख्य टेलीफोन लाइनों को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है और जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंस प्रणाली लगाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी नहीं। विभाग द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम में छठी तथा सातवीं योजनाओं में देश में जिला मुख्यालयों में एक्सचेंजों के उत्तरोत्तर स्वचलीकरण पर विचार किया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं। 1974 से निम्न मुख्यालयों के टेलीफोन एक्सचेंजों का स्वचलीकरण किया गया।

(1) मिदनापुर (1975-76 के दौरान)
(2) वर्दवान (1975-76 के दौरान)
(3) दार्जिलिंग (1975-76 के दौरान)
(4) बालुरघाट (1977-78 के दौरान)

(घ) जिला मुख्यालयों के करचल एक्सचेंजों को उपस्कर की उपलब्धता तथा वित्तीय स्रोतों के आधार पर उत्तरोत्तर स्वचल में बदला जा रहा है। यह आशा की जाती है कि छठी पंचवर्षीय योजना के लगभग अन्त तक इनमें से अधिकांश को स्वचल में बदल दिया जाएगा।

(ङ) पश्चिम बंगाल में 16 जिल-मुख्यालयों में से 11 पर पहले से ही स्वचल एक्सचेंज हैं। शेष पांच (अर्थात् बांकुरा, बहरामपुर, चिन्दुरा, जलपाइगुड़ी और सूरी) का स्वचलीकरण 1985 तक हो जाने की सम्भावना है।

सूक्ष्म तरंग :

पश्चिम बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण मार्ग पहले ही सूक्ष्म तरंग प्रणालियों द्वारा जुड़े हैं। चालू योजना अवधि के दौरान कुछ और सूक्ष्म तरंग/यू. एच. एफ. प्रणालियां चालू करने की योजना है।

आसनसोल में टेलीविजन रिले केन्द्र लगाने के बारे में हुई प्रगति

3914. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**
प्रो. रूप चन्द पाल :
श्री मौहम्मद इस्माइल :
श्री समर मुखर्जी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल का टेलीविजन रिले केन्द्र निर्धारित समय से पीछे है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बारे में प्रगति लगभग शून्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं। स्थान का अधिग्रहण कर लिया गया है; निर्णय कार्यों के लिए प्राक्कलन मंजूर कर दिए गए हैं; टेंडर प्राप्त हो गए हैं और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है; उपकरणों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं; टावर सप्लाई करने और उसको लगाने के लिए पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को इंडेंट भेज दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1982-84 तक।

जलपाईगुड़ी, बहरामपुर, बांकुरा और सूरी में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

3915. **डा. सरदीश राय :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपाईगुड़ी, बरहामपुर, बांकुरा और सूरी में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उपस्कर की उपलब्धता सीमित है। इन स्थानों पर छठी योजना के दौरान स्वचालित एक्सचेंज उत्तरोत्तर प्रदान कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

भागलपुर आकाशवाणी स्टेशन के स्टुडियो के लिए स्थान का चुनाव

3916. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर के आकाशवाणी स्टेशन के स्टुडियो के लिए स्थान का चुनाव कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) स्थान 1.7 एकड़ का है। 8.88 लाख रुपए का एक प्राक्कलन मंजूर कर दिया गया है। स्थान का अधिग्रहण करने के लिए कागजात अगस्त, 1981 में राज्य सरकार के प्राधिकारियों के पास दायर किए गए हैं और मामले को उनके साथ परसू किया जा रहा है।

तेल/गैस भण्डारों की खोज

3917. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : जनवरी, 1981 से प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस के कितने भण्डारों का पता लगाया गया और उनमें से कितने भण्डार भूमिगत हैं और कितने भण्डार समुद्र तल में हैं तथा उनकी क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) देश में पहली जनवरी, 1981 से गैस/तेल की नई खोजें निम्नलिखित हैं :—

(क) तटीय :

गुजरात	(1) लौहार	—तेल
	(2) सिसोदरा	—तेल
	(3) कुदरा	—गैस
असम	(4) नेपामुआ	—तेल
	(5) बोगपानी	—तेल
त्रिपुरा	(6) वारामूरा-6	—गैस
(ख) अपतटीय :	(7) बम्बई हाई में बी-57-तेल और गैस	
	(8) पाकंस्ट्रेट में पी. एच.-9-1—तेल	

और अधिक खुदाई और परीक्षण करके सम्भावना का अभी निर्धारण किया जाना है।

छठी योजना में माइक्रोवेव चैनल के माध्यम से टेलीविजन रिले केन्द्रों का लगाया जाना

3918. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी योजना में डाक तार विभाग के माइक्रोवेव प्रणाली से (राज्यवार) कितने टेलीविजन रिले केन्द्र लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या देश में इनसेट (आई. एन. एस. ए. टी.) से किया जाने वाला टेलीविजन प्रसारण 1 अप्रैल, 1982 से रंगीन कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत सांठे) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान डाक-तार माइक्रोवेव चैनल के माध्यम से स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित दूरदर्शन रिले केन्द्र राज्य-वार इस प्रकार हैं :—

1. पश्चिम बंगाल : मुर्शिदाबाद, आसनसोल ।
2. आन्ध्र प्रदेश : विजयवाड़ा ।
3. तमिलनाडु : मदुरै ।
4. उत्तर प्रदेश : वाराणसी ।
5. गोवा, दमन और दीव (संघ शासित क्षेत्र)—पणजी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में डाकखाने

3919. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1981 को देश में डाकखानों (प्रधान डाकखाने, उच्च डाकखाने, शाखा डाकखाने, चलते फिरते डाकखाने और अन्य डाकखाने) की कुल संख्या (राज्यवार) कितनी थी;

(ख) 1 अप्रैल, 1981 से 30 अक्तूबर, 1981 तक कुल कितने डाकखानों (प्रधान डाकखाने, उप-डाकखाने, शाखा डाकखाने, चलते फिरते डाकखाने और अन्य डाकखाने) की मंजूरी दी गई और खोले गए;

(ग) उनके मंत्रालय या विभाग ने ऐसे डाकखाने को खोलने के लिए क्या मार्गनिर्देशिका तैयार की है । सदन के सभा पटल पर मार्गनिर्देशिका सहित पूर्ण विवरण रखा जाय; और

(घ) क्या 8 अप्रैल, 1981 से इन डाकखानों को खोलने के बारे में कोई रोक लागई गई, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) 31 अगस्त, 1981 को देश में (राज्यवार) कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या (मुख्य डाकघर, उप-डाकघर, शाखा डाकघर, चलते-फिरते डाकघर और अन्य डाकघर अलग-अलग) विवरण-1 में दी गई हैं ।

(ख) 1 अप्रैल, 1981 से 30 अक्तूबर 1981 तक स्वीकृत किए गए एवं खोले गए डाकघरों (मुख्य डाकघर, उप-डाकघर, शाखा डाकघर, चलते-फिरते डाकघर और अन्य शाखा डाकघर अलग-अलग) की संख्या विवरण-2 में दी गई है ।

(ग) शाखा डाकघर, उप-डाकघर और मुख्य डाकघर खोलने हेतु मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा गठित मार्गनिर्देशिका सिद्धान्त विवरण-3 में दिए गए हैं ।

(घ) सार्वजनिक टेलीफोन घर की सुविधा प्रदान करने पर विभागेतर शाखा डाकघर का विभागेतर उप-डाकघर में दर्जा बढ़ाने की विभाग की नीति की पुनरीक्षा लंबित रहने के

कारण 28-2-1981 से यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी नए मुख्य डाकघर की मंजूरी न दी जाय। इसी आधार पर 4-3-1981 से विभागेतर शाखा डाकघरों का विभागेतर उप-डाकघरों में दर्जा बढ़ाना भी अगले आदेशों तक रोक दिया गया है।

विवरण-1

31-8-1981 को भारत में विभिन्न श्रेणी के डाकघरों की संख्या

राज्य	मुख्य डाक-घर	विभागीय उप-डाक घर	विभागेतर उप-डाक-घर	विभागीय शाखा डाकघर	विभागेतर शाखा डाकघर	चलते-फिरते विभागेतर डकघर	कुल
आन्ध्र	112	2306	2431	—	10041	1203	16003
विहार	41	1350	835	2	5459	2598	10285
दिल्ली	9	366	41	—	100	34	550
गुजरात	44	1280	549	—	3247	3271	8391
दिव, दमन, दादरा नगर हवेली	—	9	2	—	14	21	46
जम्मू एवं काश्मीर	9	219	95	—	963	57	1343
केरल	51	1275	804	—	2246	200	4576
माही	—	1	1	—	2	—	4
लक्षद्वीप	—	6	3	—	—	1	10
कर्नाटक	71	1600	1300	—	2765	3625	9361
मध्य प्रदेश	52	1266	784	—	4732	3239	10073
महाराष्ट्र	60	1850	669	—	5446	3251	11276
गोआ	—	88	4	—	85	41	220
असम	14	503	85	—	1923	608	3133
मेघालय	2	51	3	—	363	—	419
मणिपुर	1	36	8	—	365	81	491
त्रिपुरा	2	72	23	—	462	43	602
अरुणाचल	—	30	1	—	161	—	192
नागालैंड	1	29	—	—	183	—	213
मिजोरम	1	18	66	—	226	—	251
पंजाब	21	717	93	—	1833	1049	3713
हरियाणा	17	402	285	—	1091	583	2378
हिमाचल प्रदेश	17	325	106	4	1284	604	2340
चंडीगढ़	1	33	1	—	3	2	40
उड़ीसा	35	937	305	—	4174	1771	7222
राजस्थान	56	1357	476	—	4340	3137	9366

1	2	3	4	5	6	7	8
तमिलनाडु	93	2669	1587	—	4482	2831	11662
पांडिचेरी	1	33	12	—	35	13	94
उत्तर प्रदेश	87	2635	1548	3	7201	5934	17408
पश्चिम बंगाल	43	1470	465	—	3960	819	7747
सिक्किम	1	17	13	—	89	1	121
अंडमान एवं निकोबार	11	27	7	—	45	2	82
	845	22977	12542	9	67310	36019	139702

विवरण-2

1-4-1981 से 31-10-1981 के दौरान स्वीकृत तथा खोले गए डाकघरों की श्रेणीवार संख्या

राज्य	मुख्य डाक-घर	विभागीय उप-डाक-घर	विभागेतर उप-डाक-घर	विभागेतर शाखा डाकघर	चलते-फिरते विभागेतर शाखा डाकघर	योग
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र	—	60	2	73	—	140
2. बिहार	—	—	—	37	5	42
3. दिल्ली	—	6	—	—	—	2
4. गुजरात	—	8	—	21	—	29
5. दिव 6. दमन 7. दादरा नागर हवेली	—	—	—	1	—	1
8. जम्मू एवं काश्मीर	—	—	1	6	—	7
9. केरल	—	2	—	16	—	18
10. माही	—	—	—	—	—	—
11. लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
12. कर्नाटक	—	25	2	27	—	54
13. मध्य प्रदेश	—	1	1	123	29	154
14. महाराष्ट्र	1	43	—	36	34	114
15. गोआ	—	—	—	—	—	—
16. असम	—	—	—	1	—	1
17. मेघालय	—	—	—	—	—	—
18. मणिपुर	—	—	—	7	—	7
19. मिजोरम	—	—	—	—	—	—
20. नागालैंड	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
21. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
22. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
23. पंजाब	—	1	—	5	—	6
24. हरियाणा	—	2	—	10	1	12
25. हिमाचल प्रदेश	—	4	—	9	—	13
26. चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
27. उड़ीसा	—	13	—	33	—	46
28. राजस्थान	—	—	—	27	—	27
29. तमिलनाडु	—	3	3	56	—	62
30. पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
31. उत्तर प्रदेश	—	6	—	5	6	17
32. पश्चिम बंगाल	—	32	—	18	—	50
33. सिक्किम	—	1	—	—	—	1
34. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	1	—	1
योग	1	207	9	517	74	808

विवरण-3

देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए नए मानदंड

ग्रामीण इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :—

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर, और
2. आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर ।

(1) **सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर :**

(i) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं : —

(क) प्रस्तावित डाक घर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाक घर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाक घर से उसकी अनुमानित लागत की कम-से कम 25 प्रतिशत की आय होने की सम्भावना हो ।

(ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर ग्राम-पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गांव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए,

(ख) प्रस्तावित डाक घर में 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(2) **आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर :**

(i) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर ग्राम-पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) गस गांव की आबादी 1000 या इससे अधिक होनी चाहिए अथवा ग्रामों के समूह की आबादी 1.5 किलोमीटर के घेरे में 1000 या इससे अधिक होनी चाहिए।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर नहीं होना चाहिए, और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत की आय होने की आशा हो।

विवरण-4

शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने हेतु मानदंड

शहरी क्षेत्रों में डाकघर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर खोले जा सकते हैं :—

(i) डाकघर को आत्म-निर्भर होना चाहिए।

(ii) 20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए। अन्य शहरों में दो डाकघरों के बीच कम से कम दूरी 1.5 किलोमीटर होनी चाहिए।

(iii) पोस्टमास्टर जनरल प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्तों में छूट दे सकते हैं।

(iv) शहरी क्षेत्रों में विभागेतर शाखा डाकघर केवल अपवादस्वरूप मामलों में ही खोले जा सकते हैं जैसे गंदी बस्तियों जहां समुचित किराये पर उपयुक्त विभागीय भवन उपलब्ध नहीं होते। जहाँ तक शहरी क्षेत्रों में विभागेतर उप-डाकघर खोलने का सम्बन्ध है, यह प्रक्रिया इस कार्यालय के आदेश द्वारा संचालित की जा रही है जिसे औपचारिक संख्या 1-12/78-पी. आर. पी. दिनांक 19-3-1979 के अधीन जारी किया गया था।

विवरण-5

मुख्य डाकघर खोलने हेतु मानदंड

(क) प्रत्येक जिले में एक मुख्य डाकघर होना चाहिए बशर्ते कि उसके साथ कम से कम 20 उप-डाकघर, संबद्ध हों। पिछड़े क्षेत्रों के मामलों में अथवा जहाँ उप-डाकघरों, शाखा डाकघरों के वित्त प्रबन्ध में निश्चित सुधार हो, निम्नतरमानक अपनाए जा सकते हैं, बशर्ते कि उस समय उसके लिए निदेशालय की अनुमति हो।

(ख) किसी मौजूदा मुख्य डाकघर का द्विशाखन किया जा सकता है यदि उसके साथ संबद्ध उप-डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो जाय। फिर भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस परिवर्तन के फलस्वरूप न तो नए और न ही पुराने मुख्य डाकघर के संबद्ध उप-डाकघरों की संख्या 20 से कम हो।

यदि जिले में कोई मुख्य डाकघर नहीं है तो एक मुख्य डाकघर खोलने पर विचार किया जा सकता है यदि प्रस्तावित मुख्य डाकघर के साथ इस तथ्य पर ध्यान न देते हुए कि मूल मुख्य डाकघर जिसके निम्न चयन पदक्रम उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है उसके साथ 60 उप-डाकघर संबद्ध हैं कि नहीं, उसी जिले के कम से कम 20 उप-डाकघर लाभप्रद तौर पर उसके साथ संबद्ध हों। फिर भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार दर्जा बढ़ाने से अविशिष्ट मुख्य डाकघर के साथ संबद्ध उप-डाकघरों की संख्या 20 से कम न हो जाय। उप-डाकघर का मुख्य डाकघर में दर्जा बढ़ाने से सम्बन्धित सभी मामले हमेशा की तरह निदेशालय को भेजे जायेंगे।

दवाओं, विटामिनों और फार्मूलेशनों के मूल्य का पुनरीक्षण

3920. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वल्क दवाइयों, विटामिनों और फार्मूलेशनों के मूल्यों का पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है,

(ख) मूल्यों में पुनरीक्षण करने लिये किन बातों पर विचार किया जा रहा है, और

(ग) इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) से (ग) रिबोफलेविन 5 फास्फेट सोडियम और नियासिनामाइड जैसे सिर्फ दो विटामिन वल्क औषधों के मूल्यों में संशोधन से संबंधित बी. आई. सी. पी. की सिफारिश मेरे मंत्रालय में लम्बित है। इन दो विटामिन वल्क औषधों के संशोधित मूल्यों की शीघ्र घोषणा की जाएगी।

जहां तक विटामिन पर आधारित फार्मूलेशनों का संबंध है, औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 की पांचवी अनुसूची के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार तैयार किए गये बड़ी संख्या में मल्टीविटामिन फार्मूलेशनों को छोड़कर अनेक ऐसे फार्मूलेशनों के संशोधित मूल्यों की घोषणा कर दी गई है। जहां तक पांचवीं अनुसूची के मल्टीविटामिन फार्मूलेशनों का संबंध है, पुनर्निमित फार्मूलेशनों पर स्वीकृत किये जाने वाले मार्क आपके प्रश्न पर सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद ही मूल्यों में संशोधन लागू किया जायेगा।

वल्क औषधों के मूल्य को ऐसे वल्क औषधों निर्माण की अनुमानित लागत और इस पर उचित लाभ को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा किए गये लागत अध्ययन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जहां तक फार्मूलेशनों का संबंध है, उनका मूल्य उनके निर्माण की कारखाने के बाहर लागत और कुछ प्रतिशत मार्क-आपकी अनुमति के आधार पर नियत किया जाता है। फार्मूलेशन मूल्य को नियत करने के आधार को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 18 में बताया गया है।

तंजौर में तेल रिफाइनरी

3921. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से कावेरी बेसीन में तेल मिलने के अच्छे आसार के आधार पर तंजौर में तेल रिफाईनरी लगाने के बारे में अनुरोध किया है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तिगत संदर्भ प्राप्त किये गये हैं। तथापि, कावेरी थाले में पाये गये तेल की वाणिज्यिक सक्षमता का अभी मूल्यांकन किया जाना है, ऐसे संदर्भों पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

हजारी बाग और गिरिडीह जिलों में विकास खण्डों में ग्रामीण विद्युतीकरण

3922. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के हजारी बाग और गिरिडीह जिलों के उन विकास खण्डों के नाम क्या हैं जिन्हें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1977 से 1981 के दौरान (वर्षवार) विद्युतीकरण के लिए चुना था;

(ख) निर्धारित समय वृद्धि कार्यक्रम के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है यदि कोई प्रगति नहीं हुई है तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या 1981-82 की योजना में हजारी बाग जिले के सगानवान, इछर, बारकाटा विकास खण्ड और गिरिडीह जिले में जुमवा, देवरी, बेंगाबाद बिरनी बागीदर कृषि प्रधान विकास खण्डों को शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 1977-78 से 1980-81 के दौरान बिहार राज्य के गिरिडीह जिले में एक ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम और हजारीबाग जिले में चार ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों को स्वीकृत किया था। उपरोक्त स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के नाम और स्कीमें स्वीकृत किये जाने के वर्ष निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	स्कीम का नाम (इसके अन्तर्गत आने वाले प्रखण्ड)	स्वीकृत दिऐ जाने के वर्ष
1.	गिरिडीह जिले में पिर्तनार प्रखण्ड	1980-81
2.	हजारीबाग जिले चतरा प्रखण्ड	1978-79
3.	हजारीबाग जिले में इतखोरी प्रखण्ड	1978-79
4.	हजारीबाग जिले में प्रतापपुर प्रखण्ड	1978 79
5.	हजारीबाग जिले में चौपारन प्रखण्ड	1980-81

उपरोक्त स्कीमों के अतिरिक्त, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 1977-78 से पूर्व गिरिडीह जिलों में गैंडे और धनवार प्रखण्डों, हजारीबाग जिले में हजारीबाग, बार ही और जैयनगर प्रखण्डों के लिए दो स्कीमें स्वीकृत की हैं।

(ख) गिरिडीह जिले के लिए स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत, जून, 1981 के अन्त तक 85 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है और 47 पम्पसेटों को ऊर्जित कर दिया गया है और हजारीबाग जिले के लिये स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत, 233 गाँवों को विद्युतकृत कर दिया गया है और 107 पम्पसेटों को ऊर्जित कर दिया गया है। रिपोर्टें इसी अवधि तक की उपलब्ध हैं।

(ग) हजारीबाग जिला क्षेत्र में सतगानवान प्रखण्डों में 28 गांवों में 116 पम्पसेटों को ऊर्जित करने के लिए एक स्कीम और गिरिडीह जिले में (1) देवरी और जमुआ प्रखण्डों में 334 गांवों में 1260 पम्पसेटों को ऊर्जित करने (2) बागोदर प्रखण्ड में 100 गांवों में 203 पम्पसेटों को ऊर्जित करने (3) धिरनी प्रखण्ड में 148 गांवों में 280 पम्पसेटों को ऊर्जित करने लिये तीन स्कीमें बिहार राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई थीं। क्षेत्र मूल्यांकन/प्रारम्भिक संवीक्षा के आधार पर ये स्कीमें संशोधन/स्पष्टीकरण के लिये राज्य बिजली बोर्ड को 1981-82 के दौरान लौटा दी गई थीं, और 31-10-1981 की स्थिति के अनुसार ये उनके पास लंबित पड़ी हुई हैं। जब संशोधित स्कीमें निगम में पुनः प्राप्त होगी, तब चालू वित्तीय वर्ष (1981-82) में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए उन पर विचार किया जायेगा, बशर्ते कि निधियाँ उपलब्ध हों।

(घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम वित्तीय सहायता की स्वीकृति हेतु जिन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों पर विचार करता है, वे स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाई जाती हैं। हजारीबाग जिले के इछर और बारकाटा प्रखण्डों की और गिरिडीह जिले बेंगाबाद प्रखण्ड की स्कीमें जब कभी राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बनाई जाएगी और भेजी जाएगी तब ग्राम विद्युतीकरण निगम इन स्कीमों के लिये वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिये इन पर विचार करेगा।

वल्क दवाओं और इण्टरमीडिएटस का स्वदेशी उत्पादन

3923. **श्री हरिनाथ मिश्रा** : क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञ समिति ने बार बार इस बात का उल्लेख किया है कि छोटी इकाइयों औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के अनुसार स्थान और उपकरणों की शर्तों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है,

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले पाँच वर्षों में 250 वल्क दवाओं और 30 इन्टर-मिडिएटस के आयात करने से आयात दुगना हो गया है यद्यपि देश के औषध निर्माता उनमें से अधिकांश का उत्पादन करने में सक्षम हैं,

(ग) यदि हां, तो विदेशों में दवाओं का आयात बिलकुल बन्द करने और उनका देश में उत्पादन करने के लिये सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं या विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) और (ग) यह सत्य है कि औषध और भेषजों का कुल सी. आई. एफ. मूल्य वर्ष

1976-77 के 54. 17 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 1980 81 में 112 करोड़ रुपये हो गया है। तथापि समग्र रूप से देश में मांग और उत्पादन की बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये कुछ औषधों के आयात की आवश्यकता होती है कुछ मामलों में बिजली कटौती, जल समस्या, कुछ यूनिटों के उपकरण खराबी, औद्योगिक आपेक्षित आदि जैसी बाधाओं के कारण पूर्ण क्षमता उपयोग प्राप्त नहीं किया जा सका और इसलिये आयात की आवश्यकता हुई। उसी अवधि में देश में बल्क औषधों के उत्पादन का मूल्य 150 करोड़ रुपये से बढ़कर 240 करोड़ रुपये हो गया।

विद्यमान औषध निर्माताओं को औषधों के निर्माण की बाधाओं पर काबू पाने के लिये लगातार सहायता पहुंचाने के लिये कदम उठाये जाते हैं। साथ ही देश में अपेक्षित विभिन्न औषधों की अतिरिक्त क्षमता लगाने के लिये डी. जी. टी. डी. पंजीकरणों के अलावा बड़ी संख्या में आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गये हैं।

औषधों के क्षेत्र में समग्र और पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किसी भी देश के लिए कठिन है। क्योंकि इस क्षेत्र में विश्व के अन्य भागों में गहन अनुसंधान और विकास के परिणाम-स्वरूप नये-नये औषधों का पता लगाया जा रहा है औषध उद्योग अप्रचलन की दर भी काफी अधिक है।

समाचार शीर्षक "पावर मंडल"

3924. **श्री हरिनाथ मिश्रा** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवम्बर, 1981 के टाइम्स आफ इंडिया में 'पावर मण्डल" शीर्षक से की गई सम्पादकीय टिप्पणी की तरफ आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 में 2,687 मेगावट के लक्ष्य के विपरीत केवल 1,643 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता में जोड़ी गई और वर्ष 1981-82 के दौरान 3, 212 मेगावाट के लक्ष्य के विपरीत केवल 2,500 मेगावाट बिजली चालू किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नयी परियोजनाओं को चालू करने में हुई धीमी प्रगति में उपकरणों की अपर्याप्त सप्लाई का भी योगदान है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं या करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) 1980-81 के दौरान 2687 मेगावाट के लक्ष्य को तुलन में 1823 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई थी। चालू वर्ष के दौरान 3212 मेगावाट के तथ्य की तुलना में लगभग 2,00 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) निर्माताओं द्वारा उपस्करों की सप्लाई में देरी किया जाना, परियोजना को पूरा करने में देरी होने के लिए उत्तरदायी कारणों में से केवल एक कारण है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि. ने सूचित किया है कि उपस्करों की सप्लाई में देरी को कम करने हेतु ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एक मानक प्रेषण योजना तैयार की गई और विभिन्न स्तरों पर उपस्करों की सप्लाई की मानीटरिंग करने के लिये तार-जाल तकनीक लागू की गई है।

"भेल" और मैसर्ज एसोसिएटिड विकर्स बेबकाक द्वारा बायलरों की सप्लाई

3925. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवम्बर, 1981 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित "पावर मंडल" शीर्षक के अन्तर्गत की गई सम्पादकीय टिप्पणी की तरफ आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले साल राज्याध्यक्ष समिति इस निर्णय पर पहुंची थी कि बायलरों के दो निर्माता "भेल" और मैसर्ज ऐसोसिएटिड विकर्स बेबकाक के पास बायलरों की मांग के अनुसार क्षमता थी और टरबाइन्स के एक मात्र निर्माता "भेल" सामान सप्लाई करने की स्थिति में था; और

(ग) यदि हां, तो इन निर्माताओं को समय पर मांग पूरी करने के मैं मार्ग कौन सी चीजें बाधक हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि. ने सूचित किया है कि उनके द्वारा उपस्करों की सप्लाई में देरी मुख्यत: उन मदों के बारे में हुई है जिनका आयात किया जाना था अथवा उन मदों के बारे में हुई है जो भा. है. इले. लि. को उप ठेकों द्वारा प्राप्त करनी थी।

समाचार शीर्षक "टी. वी. प्रोग्राम फ्लेड बेटर प्लानिंग अरज्ड"

3926. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 नवम्बर 1981 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित "टी. वी. प्रोग्राम फ्लेड बेटर प्लानिंग अरज्ड" शीर्षक समाचार की तरफ आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुझाव दिया गया है कि परिवार कल्याण जैसे प्रेरणात्मक कार्यक्रमों को भद्दे ढंग से नहीं दिखाना चाहिए बल्कि उनको बहुत सुन्दर बढ़िया और वास्तविक ढंग से दिखाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो इन सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार को हमारी बाह्य सेवाओं की अपर्याप्तता के बारे में जानकारी है यदि हां, तो शुरू किये जाने वाले उपचारात्मक उपाय क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने समाचार एजेंसियों को समाचार देने के बारे में नई विधि का निरूपण करने के लिये अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की है; यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, यदि नहीं, तो वह अपनी रिपोर्ट कब तक देगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। परिवार कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों जैसे सभी प्रेरक कार्यक्रमों को इस प्रकार प्रतिबिम्बित किया जाना चाहिए कि वे संदेश को सूक्ष्म और परिष्कृत तरीके से दें और इन कार्यक्रमों की विषय वस्तु वास्तविक होनी चाहिये।

(घ) यह समझा जाता है कि यह प्रश्न आकाशवाणी को विदेश सेवाओं के बारे में है।

इस समय आकाशवाणी प्रतिदिन 24 भारतीय और विदेशी भाषाओं में कुल मिला कर लगभग 56 घंटे के कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। विदेश सेवाएं सामान्यतया शार्टवेव पर प्रसारित की जाती हैं जो अत्यधिक भीड़भाड़ वाला स्पेक्ट्रम है और आकाशवाणी की सेवाओं में हस्तक्षेप की भी समस्याएं हैं। इसका एक मात्र समाधान ट्रांसमीटरों की शक्ति को बढ़ाना है। वर्तमान सेवाओं को समन्वित और सुदृढ़ करने के लिए चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 22.50 करोड़ रुपये की समग्र पूंजीगत लागत से 250 कि. वा. शार्ट वेव और 500 कि. वा. शार्टवेव के दो दो ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है।

(ङ) जी, हां। समिति ने अपनी बैठकें पूरी कर ली हैं और वह अपनी रिपोर्ट को चालू मास में प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम रूप दे रही है।

कृष्णा-गोदावरी में तेल की खोज के लिए रूस का प्रस्ताव

3927. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने सरकार को त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के अलावा कृष्णा-गोदावरी बेसीन में तेल की खोज करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस ने राजस्थान और हिमालय की तलहटी में भी ड्रिलिंग का काम शुरू करने की इच्छा जाहिर की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को मान लिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) कृष्णा-गोदावरी बेसिन के तटवर्ती क्षेत्र में सोवियत संघ के संगठनों द्वारा तेल के उन व्यधन और अन्य कार्य आरम्भ करने के लिये एक सुझाव दिया गया है।

(ख) और (ग) नवम्बर, 1981 में सोवियत संघ के तेल उद्योग मंत्री श्री मालतसेव के नेतृत्व में आये शिष्टमंडल के साथ विचार विमर्श के दौरान भारतीय पक्ष ने सोवियत संघ के संगठनों से अनुरोध किया था कि वे भूवैज्ञानिक तथा हिमालय की तलहटियों में उपलब्ध अन्य आंकड़ों के मूल्यांकन करने में और राजस्थान बेसिन में भूकम्पीय और अन्य आंकड़ों को संसाधन और व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करें। सोवियत पक्ष में उपर्युक्त कार्य के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गया है। वर्ष 1982 के दौरान संयुक्त सोवियत भारतीय दल इस प्रश्न पर और अध्ययन करेंगे।

2,000 मेगावाट की एक परियोजना को पूरा करने में हुए एक दिन के विलम्ब की लागत

3928. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में एक 2,000 मेगावाट की सुपरताप परि-योजना को पूरा करने में हुए एक दिन के विलम्ब की कीमत लगभग 40 करोड़ रुपया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह अनुमान बिजली, पेट्रोलियम और कोयले जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई हानि के आधार पर लगाया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या हाल में किए गए अध्ययन में और किन बातों का उल्लेख किया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने इन बातों की जांच की है और यदि हां, तो यह प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) ताप विद्युत परियोजनाओं को चालू करने में हुए विलम्ब के कारण अर्थव्यवस्था को हुई समग्र हानि की मात्रा बता सकना मुश्किल है।

नई परियोजनाओं की निर्माण अवधि को कम करने के लिए तथा सभी स्तरों पर उत्तम परियोजना प्रबंध और सघन मानोटरिंग के जरिए परियोजनाओं को समय पर चालू करने के लिए सभी सभव प्रयास किए जा रहे हैं।

तेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए फ्रांस से समझौता

3929. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उवरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रान्स तेल के क्षेत्र में सहयोग करने को राजी हो गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या फ्रान्स उचित ऋण सुविधाऐं देने के आपसी समझौते पर राजी हो गया है;

(ग) क्या दोनों देश तेल के बारे में सभी मामलों पर सलाह के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त ग्रुप के गठन पर राजी हो गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इससे भारतीय पेट्रोलियम कितना लाभान्वित होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उवरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) भारत की प्रधान मंत्री की हाल की फ्रांस की यात्रा के दौरान उर्जा पर उच्च स्तर इंडो-फ्रेंच दल की स्थापना के लिये दिनांक 13. 11. 1981 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। दल अन्त-सरकार समझोतों पर पहुंचने के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ-साथ हाइड्रोकार्बनों सहित ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेगा।

फ्रांन्स से एक आई. एफ. पी. दल ने अक्तूबर, 1981 में भारत का दौरा किया था तथा आई. एफ. पी. और इन्जीनियर्स लिमिटेड के बीच 31 अक्तूवर, 1981 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों तथा आई. एफ. पी. के बीच सम्भावित सहयोग के लिये विशेष विषयों तथा क्षेत्रों का पता लगाया जायेगा।

समझौता ज्ञापन के अनुसार भविष्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में रुचि हो सकती है :—

अनुसन्धान एव विकास में आई. एफ पी और उनके सहयोगियों तथा भारतीय संस्थानों के बीच कार्मिकों का आदान प्रदान।

सुधरे हुये उपकरणों तथा कार्मिक योग्यता द्वारा भारतीय अनुसन्धान एवं अन्वेषनात्मक संस्थानों में उपकरणों तथा सामर्थ्यों में सुधार।

संयुक्त अनुसन्धान कार्यक्रमों का पता लगाना

सभी तेल एवं पेट्रो-रसायन कार्यकलापों में सेवाओं एवं उपकरणों की व्यवस्था।

तीसरे देशों की प्रायोजनाओं में सहयोग

(ख) जी नहीं।

त्रिवेन्द्रम में स्मृति टिकट का विरोध-स्वरूप जलाया जाना

3930. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्वर्गीय श्री संजय गांधी की स्मृति में एक स्मृति डाक टिकट जारी की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिवेन्द्रम में इसके विरोध में इन टिकटों को जलाया गया है ;

(ग) इस पर सरका की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां. । स्वर्गीय श्री संजयगाँधी पर एक स्मारक डाक टिकट 23.6.81 को जारी किया गया था ।

(ख) डाक टिकट जारी करने की तारीख को कुछ नवयुवकों ने 6 डाक टिकटों को त्रिवेन्द्रम प्रधान डाकघर के सामने जलाया था ।

(ग) और (घ) वहां पुलिस को बुलाया गया, तथा बदमाशो को पुलिस वाहन में वहां से दूर ले जाया गया ।

मैथन में तापीय बिजली घर

3931. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी. वी. सी. तथा केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के कुछ शीर्षस्थ इन्जीनियर मैथन में एक तापीय बिजली घर स्थापित करने संबंधी प्रतिवेदन पर कार्यवाई न करने के लिए एक हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं । मैथन में ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने की व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में की जा रही है ।

बिजली के उत्पादन तथा वितरण को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

3932. **श्री चित्त बसु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों में बिजली उत्पादन तथा उसके वितरण संबंधी कार्यों को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने उस प्रस्ताव को इस बीच त्याग दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता.

"ओपेन कास्ट माइन्स" शुरू करने के लिए रूसी सहायता

3933. **श्री चित्त बसु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस भारत को विद्यमान भूमिगत खानों के स्थान पर नई "ओपेनकास्ट माइन्स शुरू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसी तकनीकी सहायता का उपयोग करने के लिए परियोजनाओं को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। मुकुन्दा ओपेन कास्ट खान का आयोजन झरिया कोयला क्षेत्र में सोवियत विशेषज्ञों की सहायता से किया जा रहा है। कोककर और अकोककर दोनों प्रकार के कोयले का दोहन बड़े पैमाने पर ओपेनकास्ट खनन द्वारा किया जाएगा जिसमें मिट्टी हटाने वाली भारी मशीनों का प्रयोग होगा।

(ख) और (ग) परियोजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु साध्यता रपोर्ट बनाने के लिए आवश्यक सभी भू-वैज्ञानिक और अन्य तथ्य और आँकड़े एकत्र कर लिए गए हैं और सोवियत पक्ष को दे दिए गए हैं।

क्लोरमनिकोफेल का मूल्य

3934. **श्री बाबू लाल सोलकी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्लोरमफेनिकोल का बाजार मूल्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य से काफी कम है,

(ख) ऐसा होने के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जाँच की है कि इस मामले में मुल्य निर्धारण अनुपात नूकूल नहीं किया गया है, और

(घ) यदि हाँ, तो जो जाँच की गई उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) सरकार द्वारा निर्धारित पूल्ड मूल्यों से कम मूल्यों पर क्लोरमफेनीकोल की बिक्री करने की कुछ घटनाएं मेरे मंत्रालय के ध्यान में आ ई हैं। उपान्तय मध्यवर्ती एल-वेस का आयात कर रही कुछ पार्टियाँ इसको क्लोरमफेनीकोल में परिवर्तित कर रही है और उसको कम मूल्यों पर बेच रही है।

सरकार ने मूल स्तर से क्योरमफेनीकोल के स्वदेशी निर्माताओं के लिए प्रतिधारण मूल्य और एक पूल्ड मूल्य निर्धारित किया है, जिस पर क्लोरमफेनीकोल बेचा जा सकता है। क्लोरमफेनीकोल चूर्ण के लिए पूल्ड मूल्य 622 रुपये प्रति कि. ग्रा. है, यह मूल्य फार्मूलेशन मूल्यों के लिए भी लागू रखा गया है।

क्लोरमफेनीकोल का मूल्य औद्योगिक लागत और मूल्य ब्युरो द्वारा मूल स्तर से स्वदेशी निर्माताओं की लागत के लिये किये गये विस्तृत अध्ययन पर निर्धारित किया गया है। क्लोरमफेनीकोल के मूल्य संशोधित करने से पहले बी. आई. सी. पी. की सिफारिश की विधिवत् जांच की गई है।

वर्ष 1980 से 1985 के दौरान मध्य प्रदेश में डाक सेवा का विकास

3635. **डा. बसन्त कुमार पण्डित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से 1985 के दौरान मध्य प्रदेश में डाक सेवा का विकास करने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) योजना आयोग द्वारा डाक सेवा का विकास करने के लिए स्वीकृत 1976 करोड रुपये में से उपयुक्त उद्देश्य हेतु मध्य प्रदेश के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) अगले पांच वर्षों में प्रत्येक के लिये कितने नये डाकघर खोलने, चलती-फिरती डाक सेवा का विस्तार करने, नए लैटर बाक्सों की स्थापना करने, अतिरिक्त एजेंट बनाने, डाक सेवाओं के यंत्रीकरण तथा आधुनिकीकरण करने की योजना बनाई गई है; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश के पिछड़े, जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में डाक सेवा का विस्तार करने के लिए विशेष ध्यान दिये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या पूरे देश को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। सर्किलवार लक्ष्य वार्षिक योजना में निर्धारित किये जाते हैं। 1980-81 की वार्षिक योजना में मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 209 डाकघर खोले गये, 420 विभागेतर एजेंटों की नियुक्तियां की गई, 1829 पत्रपेटियां स्थापित की गई तथा चलते-फरते डाकघरों द्वारा 23 ग्रामों में काउन्टर सुविधा प्रदान की गई जबकि सर्किल के लिये निर्धारित लक्ष्य क्रमश: 115, 420, 1000 तथा 150 था। 1981-82 के चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में 170 डाकघर खोलने दैनिक डाक वितरण सुविधा प्रदान करने हेतु 275 विभागेत्तर वितरण एजेंटों की नियुक्ति, 12 पत्र पेटियाँ स्थापित करने तथा चलते फिरते डाकघरों द्वारा 85 गांवों में काउन्टर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रत्येक सर्किल हेतु निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राशि का आबटन किया जाता है। वर्ष 1980-81 के दौरान डाक जालकार्य के विस्तार हेतु योजना "शीर्ष" के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सर्किल के लिए 47 लाख रुपये का आबंटन किया गया था और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु 17.83 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

(ग) जैसा कि उपरोक्त (क) में बताया गया है, डाक जालकार्य के विस्तार हेतु सर्किल वार लक्ष्य वार्षिक योजनाओं में निर्धारित किये जाते हैं और तदनुरूप निधि आबटित की जाती है। 1980-81 एवं 1981-82 वर्ष के लिये डाक जालकार्य के विस्तार हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा उसके लिये आबंटित निधि उपरोक्त (क) एवं (ख) में दी गई है। जहाँ तक डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण का प्रश्न है, इस उद्देश्य हेतु पूरे देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना प्रस्तावों को तैयार किया जाता है न कि किसी एक सर्किल/राज्य के आधार पर। वर्ष 1980-81 के दौरान मध्य प्रदेश सर्किल से 1.53 लाख रु. की लागत से 8 रजिस्टरैक्स कैश रजिस्टर उपलब्ध कराये गये तथा 1983-84 के दौरान 3 लाख रुपया की अनुमानित लागत से एक थैला धुलाई मशीन स्थापित करने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश सर्किल के महत्वपूर्ण डाकघरों में थैलों की धूल झाड़ने वाली कुछ मशीनें लगाने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, हां।

मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र पैट्रो-रसायन काम्पलेक्स स्थापित करना

3936. **डा. बसन्त कुमार पण्डित** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र तथा पैट्रो-रसायन काम्पलेक्स स्थापित करने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या निर्णय लिया गया है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) गैस पर आधारित एक उर्वरक संयन्त्र मध्य प्रदेश में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। एक स्थल चयन समिति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संयन्त्र के लिए सुझाये गये विभिन्न संभावित स्थानों की जांच कर रही है।

मध्य प्रदेश में पैट्रोकैमिकल्स कंपलेक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। तथापि, इस राज्य में एरोमेटिक्स पैट्रोकैमिकल्स पर आधारित कुछ डाउनस्ट्रीम यूनिटें स्थापित करने का सरकार विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में 15000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाला एक पालिस्टर स्टेपल फाइबर संयन्त्र स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है।

मध्य प्रदेश राज्य में शाखा डाकघरों को पी. सी. ओ. सुविधाओं के साथ उप-डाकघरों में बदलना

3937. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार के शाखा डाकघरों को 'पी. सी. ओ.' सुविधाओं के साथ उप-डाकघरों में बदलने के लिए अनेक प्रस्ताव निलम्बित पड़े हैं और यदि हां, तो 1-10-81 को ऐसे निलम्बित पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी थी;

(ख) उपर्युक्त निलम्बित पड़े प्रस्तावों में मध्य प्रदेश के रायगढ़, गुना तथा विदिशा जिले के कितने प्रस्ताव हैं;

(ग) उपर्युक्त में से कितनों का 31 मार्च 1982 से पहले तथा 1982-83 के दौरान 'पी. सी. ओ.' सुविधा के साथ अथवा इस सुविधा के बिना दर्जा बढ़ा दिया जाएगा; और

(घ) उपर्युक्त जिलों में से प्रत्येक में कितनी ग्राम पंचायतों में अभी भी शाखा डाकघर नहीं हैं और उन्हें कब तक नियमित डाक सुविधा प्रदान कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) पहली अक्तूबर, 1981 को इस प्रकार के 95 प्रस्ताव लम्बित पड़े थे।

(ख) रायगढ़, गुना तथा विदिशा जिलों में लम्बित पड़े प्रस्तावों की संख्या निम्न प्रकार हैं :—

(i)	रायगढ़	कुछ नहीं।
(ii)	गुना	कुछ नहीं।
(iii)	विदिशा	5

(ग) विभागेतर शाखा डाकघरों का विभागेतर उप डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाने के पूरे प्रश्न पर, इस सम्बन्ध में चल रही पुनरीक्षा के कारण लम्बित रखा गया है।

(घ)	रायगढ़ जिला	—	116 ग्राम
	गुना	—	193 ग्राम
	विदिशा	—	98 ग्राम

विभागेतर एजेंटों के जरिये इन सभी ग्रामों में डाक सुविधा का पहले ही विस्तार किया जा चुका है। कुछ ग्रामों में स्वतंत्र डाकघर खोलने के सम्बन्ध में जहां औचित्य पाया गया है, की जांच 82-83 तथा 83-84 में की जायेगी वशर्ते कि शाखा डाकघर खोलने हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार इन्हें प्राथमिकता प्राप्त हो।

एक पत्रकार श्री मेंनाम मनिकुमार (मिथाई) की गिरफ्तारी

3938. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पत्रकार और एक स्वतंत्र दैनिक "मातम" के सम्पादक श्री मेंनाम मनिकुमार (मिथाई) को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 22 अक्तूबर, 1981 को अथवा इसके आसपास गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या प्रेस की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति में बाधा पहुंचाने वाली ऐसी रोजमर्रा बढ़ती घटनाओं के बारे में प्रेस एसोसिएशन और प्रेस परिषद ने सरकार से शिकायत की है;

(ग) यदि हां, तो श्री मिथाई के मामले में क्या विशेष कार्यवाही की गयी है; और

(घ) क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई नये निर्देश दिये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी हां। "मातम" के संपादक श्री एम. मणिकुमार सिंह को मणिपुर सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 23 अक्तूबर 1981 को, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर नजरबन्द किया गया था कि उन्होंने ऐसे लेख लिखे जो सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल थे।

(ख) और (ग) भारतीय प्रेस परिषद ने इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार से नहीं की है। तथापि, आल बर्किंग जनलिस्ट्स यूनियन, इम्फाल ने इस मामले को सरकार के ध्यान में लाया था।

मालूम हुआ है कि मणिपुर सरकार द्वारा श्री मणिकुमार सिंह के विरुद्ध कार्यवाई सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण में किसी खतरे की सम्भावना को दूर करने के लिये की गयी थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के शेष ग्रामीण क्षेत्रों को डाक एवं तार सुविधायें प्रदान करना

3939. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में दूरस्थ गांवों में डाक व तार सुविधाओं का विस्तार करने पर पर्याप्त महत्व देती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 में गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाक व तारघर खोले जाने की सम्भावना है; और

(ग) गुजरात के शेष ग्रामीण क्षेत्रों में डाक व तार सुविधाएं प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) (I) समूची छठी पंचवर्षीय योजना हेतु ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोलने हेतु पहले से राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता। तथापि वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जहाँ तक 1981-82 का सम्बन्ध है गुजरात के ग्रामीण इलाकों में 60 डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 34 डाकघर अक्तूबर 1981 तक खोले जा चुके हैं। शेष डाकघर चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व खोल दिये जाएंगे।

(II) गुजरात के ग्रामीण इलाकों में वर्ष 1981-82 के दौरान 60 तार घर तथा 82-83 तथा 83-84 प्रत्येक वर्षों में 70 तार घर खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) विभाग की नीति के अनुसार गुजरात के ग्रामीण इलाकों में और अधिक डाक और तार घर खोले जाएंगे।

स्वर्गीय उस्ताद फैयाज खान की याद में स्मारक टिकट जारी करना

3940 **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक सुप्रसिद्ध गायक स्वर्गीय उस्ताद फैयाज खान की याद में एक स्मारक टिकट जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस सुप्रसिद्ध गायक की जन्म-शताब्दी शीघ्र ही मनाई जाने वाली है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को टिकट संग्रह विषयक परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक में उसके विचारार्थ रखने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव पर कब विचार किए जाने और उस समिति के समक्ष रखे जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) इस सुप्रसिद्ध गायक की जन्म शताब्दी 1986 में पड़ेगी।

(ग) और (घ) उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने हेतु प्रस्ताव 1985 में फिलैटलीक सलाहकार समिति के सामने रखा जाएगा।

गुजरात में नये तेल क्षेत्र का पता लगना

3941. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आयल इण्डिया" और "असम आयल कंपनी" के अधिग्रहण सम्बन्धी एक विधेयक का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय द्वारा लोक सभा में 7 सितम्बर, 1981 को की गई घोषणा के अनुसार गुजरात में तेल के एक नये क्षेत्र का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र व्यापारिक रूप से सक्षम है;

(ग) प्रतिदिन तेल का अनुमानित उत्पादन कितना होगा; और

(घ) गुजरात में यह क्षेत्र ठीक-ठीक कहां स्थित है और अब तक खोदे गये कुओं की संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जनवरी से नवम्बर, 1981 की अवधि के दौरान, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में लोहार एवं सिसोदरा नामक दो संरचनाओं में तेल की खोज की है।

(ख) और (ग) संरचनाओं में इन खोजों की व्यापारिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन परीक्षण द्वारा और उसके साथ-साथ और अधिक कुओं की खुदाई करके किया जाना है।

(घ) लोहार संरचना में अभी तक केवल एक कुए (लोहार-1) अभी तक खोदा गया है। यह स्थान अहमदाबाद परियोजना में विराज तथा मलौरा नामक दो उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के बीच में आता है।

सिसोदरा संरचना में अभी तक सात कुओं को खोदा गया है, जिनमें से केवल सिसोदरा 7 नामक एक कुए से तेल का उत्पादन हुआ था। यह स्थान सानक खुर्द सांड लाइन के दक्षिण में अंगलेश्वर परियोजना (जिला ब्रोच) के उत्तर में एस एन. के.-10 तथा दक्षिण में सिसोदरा-3 और 4 नामक कूपों के बीच में स्थित है।

तेल की खोज के लिए सोवियत संघ का प्रस्ताव

3942. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में तेल की खोज करने के लिए सोवियत संघ ने सरकार को कोई प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) क्या सरकार ने प्रस्तावित योजना का अध्ययन किया है और सोवियत संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ अभी हाल में राजधानी में कोई विचार-विमर्श किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) सोवियत संघ के तेल उद्योग मन्त्री का नवम्बर, 1981 में भारत के दौरे के दौरान सिद्धान्त रूप में यह तय हुआ था कि भारतीय तथा सोवियत संघ के विशेषज्ञों द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए संयुक्त अध्ययन आयोजित किए जाएंगे (क) गहरी तलहटी फारमेशनल में संभावनों का मूल्यांकन करने के लिए अंकलेश्वर में एक गहरे कुएं को खोदना; (ख) हिमालय की तलहटियों में उच्च दबाव तथा तापमान परिस्थियों में और आगे अन्वेषण करने तथा गहरे कुओं को खोदने के लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार करना; (ग) राजस्थान बेसिन में और आगे भू-वैज्ञानिक तथा अन्वेषण कार्य को करने के लिए नीति निर्धारण करनी; और (घ) कावेरी बेसिन में भू-वैज्ञानिक तथा अन्वेषण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक नीति को विकसित करना। यह भी तय हुआ था कि सोवियत संगठन पश्चिम बंगाल में 9 चुने गये क्षेत्रों में संगठित अन्वेषी कार्य को करने में सहायता देंगे।

औषधि उद्योग द्वारा औषधि उत्पादन का लक्ष्य

3943. **श्री रेणु पद दास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि एवं भेषज आयोग संबन्धी कार्यकारी ग्रुप द्वारा सरकारी क्षेत्र के लिए वर्ष 1980-81 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये हैं; और

(ख) क्या गैर सरकारी क्षेत्र की तुलना में यह लक्ष्य असाधारण रूप से कम था।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और

(ख) औषध और भेषज उद्योग पर कार्यकारी दल ने वर्ष 1980-81 के लिए सरकारी क्षेत्र हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि वर्ष 1980-81 के दौरान सरकारी क्षेत्र द्वारा बल्क औषधों और फार्मूलेशनों का उत्पादन क्रमशः 63 करोड़ रुपये और 80 करोड़ रुपये का था जबकि इसी अवधि के दौरान गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा किया गया उत्पादन क्रमशः 117 करोड़ रुपये और 1120 करोड़ रुपये का था।

बम्बई तथा कर्नाटक में उडुपी के बीच एस. टी. डी. सुविधाएं

3944. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबकि उडुपी और बम्बई के बीच एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध है, तब बम्बई और कर्नाटक में उडुपी के बीच एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध कराने में डाक-तार विभाग द्वारा किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विभाग के लिये इस कठिनाइयों को दूर करना कब संभव होगा ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) बम्बई ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज और बंगलौर ट्रंक ओटोमैटिक एक्सचेंज के बीच जंक्शनों की संख्या जिनसे उडुपी जुड़ा है, पर्याप्त नहीं है।

(ख) सर्किटों में वृद्धि करने के लिए कार्यवाई की जा रही है। 1982-83 में सर्किटों में वृद्धि करने के पश्चात् बम्बई से उडुपी के लिए एस. टी. डी. प्रदान किए जाने की संभावना है।

रामाकास्ट लिमिटेड कलकत्ता

3945 **श्री आर. एन. राकेश** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) रामाकास्ट लिमिटेड, कलकत्ता की पिछली वार्षिक आम बैठक कब हुई थी, अब तक इसे कुल कितनी हानि हुई है और पिछले तुलन-पत्र की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस कम्पनी को भारी घाटा हुआ है;

(ग) यदि उपयुक्त भाग 'क' और 'ख' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो कम्पनी को पुनः अच्छी स्थिति में लाने तथा कम्पनी को हुए घाटे की अंशधारियों द्वारा क्षतिपूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) तथा (ख) कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कम्पनी की अन्तिम वार्षिक साधारण बैठक 25 जून, 1980 को हुई थी।

कम्पनी द्वारा 31-12-1978 के वर्ष समाप्ति के प्रस्तुत किये गये नवीनतम उपलब्ध तुलन पत्र के अनुसार इसकी कुल संचयी हानियां 81.27 लाख रुपये की थीं।

ऊपरकथित तुलन-पत्र के अनुसार, 31-12-1978 तक इसकी निर्गमित, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी 56 लाख रुपये थी। उक्त तारीख की कुल परिसम्पत्तियां 204.19 लाख रुपये की राशि थीं, जिनकी तुलना में कुल देयतायें 229.46 लाख रुपये थीं। इस प्रकार उक्त तारीख को कम्पनी की शुद्ध अर्हतायें, 25-27 लाख रुपये की सीमा तक और ऋण-ग्रस्त थीं।

(ग) इस तारीख तक सरकार के पास इस बाबत कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हैं।

गोवा के मुख्य न्यायिक आयुक्त

3946. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में मुख्य न्यायिक आयुक्त की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या गोवा के वर्तमान मुख्य न्यायिक आयुक्त की नियुक्ति के मामले में उक्त प्रक्रिया का पालन किया गया था;

(ग) क्या वर्तमान आयुक्त की नियुक्ति से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया गया था; और

(घ) क्या पहले भी इसी प्रकार की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया गया था।'

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) से (ग) (घ) मुख्य न्यायिक आयुक्त, गोवा जैसा कोई पद नहीं है। किन्तु गोवा, दमण और दीव के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में न्यायिक आयुक्त का एक पद है। गोवा, दमण और दीव (न्यायिक आयुक्त का न्यायालय) विनियम, 1963 की धारा 4 के अधीन न्यायिक आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस विनियम में यह विहित नहीं किया गया है कि न्यायिक आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया जाए। इस समय न्यायिक आयुक्त का पद रिक्त है और उस पद पद कोई अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है। उक्त न्यायालय में एक अपर न्यायिक आयुक्त है। उक्त विनियम की धारा 5 में यह व्यवस्था है कि न्यायिक आयुक्त का पद रिक्त होने पर अपर न्यायिक आयुक्त या जहां एक से अधिक अपर न्यायिक आयुक्त हैं, वहां उनमें से ज्येष्ठतम अपर न्यायिक आयुक्त तब तक न्यायिक आयुक्त के रूप में कार्य करेगा जब तक कि न्यायिक आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती है। इस प्रकार इस विनियम की धारा 5 के उपबन्ध के अनुसार पदासीन अपर न्यायिक आयुक्त के लिए यह अज्ञापक है कि वह न्यायिक आयुक्त के रूप में कार्य करे और तदनुसार वह इस प्रकार कार्य कर रहा है। इन उपबन्धों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इससे पूर्व कि अपर न्यायिक आयुक्त, न्यायिक आयुक्त के रूप में कार्य प्रारम्भ करे, भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया जाए। इससे पहले भी इस विनियम की धारा 5 के अधीन अपर न्यायिक आयुक्त के न्यायिक आयुक्त के रूप में कार्य करने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श नहीं किया गया था।

दिल्ली में कोयले की कमी

3947. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में विशेषकर सर्किल 39 में कोयले की भारी कमी है तथा बड़ी संख्या में कार्डधारियों को गत दो महीनों से उनका कोटा नहीं दिया गया तथा इसकी किस्म भी संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की और इसकी अच्छी किस्म को उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सर्किल संख्या 39 में कोयले के कितने डिपो हैं तथा उनमें से प्रत्येक से गत 6 महीने में कितना कोयला उठाया गया तथा इसका महीनेवार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत चार महीनों में दिल्ली को कितना कोयला निर्धारित किया गया था और क्या यह सर्दी के मौसम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, यदि नहीं, तो आवश्यकता को पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) कोयला व्यापारियों द्वारा कार्डधारियों को घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिल्ली में सर्किल नम्बर 39 सहित कहीं भी साफ्ट कोक की कमी के बारे में कोई रिपोर्टें नहीं मिली हैं। पिछले छः महीनों (जून-नवम्बर) में साफ्ट कोक की आमद 4031 वैगन रही है जबकि इसके मुकाबले 1980 में इसी अवधि में आमद 2713 वैगन रही थी। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, रेलवे और दिल्ली प्रशासन के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रखा जा रहा है ताकि दिल्ली को आने वाले साफ्ट कोक की किस्म में सुधार किया जा सके।

(ग) सर्किल नम्बर 39 में 27 कोयला डिपो काम कर रहे हैं। पिछले छः महीनों में प्रत्येक कोल डिपो द्वारा उठाये गये कोयले का एक विवरण दिया गया है।

(घ) पिछले 4 महीनों में साफ्ट कोक की आमद नीचे दी गई है :—

अगस्त, 1981	—	559 वैगन
सितम्बर, 1981	—	693 वैगन
अक्तूबर, 1981	—	637 वैगन
नवम्बर, 1981	—	1020 वैगन

रेलवे और भा. को. को. लि. जाड़े के मौसम में साफ्ट कोक की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए आपस में घनिष्ट सम्पर्क बनाए हुए हैं।

(ङ) साफ्ट कोक की किस्म घटिया होने के बारे में दिल्ली प्रशासन को कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। भा. को. को. लि. को यह अनुदेश दे दिए गए हैं कि वह दिल्ली के लिए उपयुक्त किस्म के साफ्ट कोक का लदान सुनिश्चित करें। दिल्ली राज्य सिविल पूर्ति निगम ने धनबाद में लदान स्थलों पर अपना प्रतिनिधि लगाने का निश्चय किया है ताकि दिल्ली के लिए अच्छे किस्म के साफ्ट कोक की सप्लाई सुनिश्चित हो सके।

विवरण

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3947 दिनांक 15-12-1981 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र जिसमें सर्किल नम्बर 39 के कोयला डिपो द्वारा उठाए गए कोयले का का महावार विवरण है

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर
1.	203	...	...	12.6 ओ एस क्यू	12.6	...	12.4
2.	385	25.0	...	...	25.1	...	25.1

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	393		...	...	12.5	...	12.3
4	559	...	...	25.0	...	25.0	...
5.	715	...	12.5	...	12.5	...	12.5
6.	804	...	...	...	12.5	...	12.5
7.	993	...	...	12.5	...	12.5	25.1
8.	1000	...	...	...	12.5	...	12.5
9.	1001	...	12.5	12 3	25.1	...	25.1
10.	1025	...	25.0	...	25.0	...	25.0
11.	1066	...	24.9	...	25.2	...	...
12.	1228	...	...	12.5	12 5	12.6	...
13.	1537	...	25.0	...	...	25.2	17.4
14.	1626	...	12.3	25.0	25 0	12.1	37.3
			ओएस क्यू			ओएस क्यू	
15.	1825	...		25.0	...	25.1	25.0
16.	1921	...	...	25.0	...	12.5	25.1
17.	2033	...	—	25.2	...	25.2	25.1
18.	2214	...	...	...	12.4	...	...
19.	2396	...	...	25.0		25.1	...
20.	2514	...	...	12.3	12.6	12.5	...
21.	2555	...	...	24.5	...	25.2	...
22.	2569	...	...	...	12.6	12.6	...
23.	2599	...	...	12.3	...	12 6	12 5
24.	2608	...	...	...	...	...	...
25.	2618	...	...	...	...	12.4	...
26.	2764	...	...	...	12.5	...	...
27.	2841	...	...	...	...	12-5	...

कोयला खान परियोजनाओं का निर्धारित समय से पिछड़ जाना

3948. **श्री लक्ष्मण मल्लिक :**

श्री बी. वी. देसाई :

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ प्रमुख कोयला खान परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन प्रमुख कोयला खान परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उनके मंत्रालय ने अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों से बातचीत की है; और

(घ) इन कोयला खान परियोजनाओं की कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोल इण्डिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियां जिन 79 बड़ी कोयला खान परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं उनमें से केवल 11 परियोजनाएं काम की निर्धारित अनुसूची से 3 वर्ष से अधिक समय से पीछे हैं।

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के कारण मोटे तौर पर निम्नलिखित हैं :—

(1) भूमि के समय से न मिलने के कारण देरी और/या कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्यायें।

(2) खानों के विकास के समय मिली अत्यन्त कठिन भ-खनन दशायें और/या इन भंडारों से कोयला निकालने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध न होना।

(3) संयंत्र और मशीनरी उपलब्ध न होना।

(ग) जी हां।

जहां कहीं भी आवश्यक है वहां ऐसा किया जा रहा है।

(घ) जिन 11 परियोजनाओं का जिक्र उधर (क) में किया गया है, उनके नाम और पूरा होने की सम्भावित तारीख निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	परियोजनाओं का नाम	पूरा होने की संभावित तारीख
	वे. को. लि.		
1.		शोबापुर	1985-86
2.		भाटगांव	1987-88
3.		कटकोना	1987-88
	से. को. लि.		
4.		सवांग	1988-89
5.		नन्दिरा	1988-89
	भा. को. को. लि.		
6.		मुनिडीह	1984-85
7.		सुदामडीह	1986-87
	ई. को. लि.		
8.		चिनाकुरि	1990-91
9.		धेमोमेन	1985-86
10.		खोटाडीह	1986-87
11.		उत्तरी सियरसोल	1986-87

चालू परियोजनाओं की प्रगति

3949. **श्री रणजीत सिंह :**

श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी :

श्री अर्जुन सेठी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू विद्युत परियोजनाओं की प्रगति धीमी रही है और लक्ष्यों की प्राप्ति में भारी कमी रही है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है;

(ग) क्या इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिए जाने की आशा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) कई कारणों से बहुत सी विद्युत परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब हुआ है। चालू वित्त वर्ष के आरंभ में लगाये एक अनुमान के अनुसार, निर्माणाधीन स्कीमों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आशा की गई थी कि 198 -82 के दौरान लगभग कुल 3212 मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा। हाल ही में की गई समीक्षा से संकेत मिला है कि वर्ष के अन्त तक क्षमता में अभिवृद्धि इससे कम हो सकती है।

परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित में से एक या अधिक हैं :—

1 निधियों की उपलब्धता पर्याप्त न होना।

2 भूमि अधिग्रहण करने में विलम्ब।

3. स्थल का अन्वेषण का पर्याप्त न होना।

4. परियोजनाओं के लिए इन्जीनियरिंग विशिष्टताओं को अन्तिम रूप देने में देरी।

5. अनुषंगिक उपस्कर के लिए आर्डर देने में/ठेके देने में देरी।

6. विभिन्न सप्लाईकर्त्ताओं द्वारा उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब।

7 प्रमुख निर्माण सामग्री की कमी।

8. सिविल कार्यों में देरी।

9. औद्योगिक सम्बन्ध सुखद न होना।

सुदर्शन चिट्स इण्डिया लिमिटेट

3950. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सुदर्शन चिट्स (इण्डिया) लिमिटेड की कुल कितनी शाखायें हैं;

(ख) इनमें कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को सुदर्शन चिट्स (इण्डिया) लिमिटेट कर्मचारी यूनियन की ओर से दयनीय स्थिति, कदाचार, भेद-भाव, फंड को कंपनी के खातों में स्थानांतरित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने कंपनी के कार्यों के बारे में कोई जांच आदेश दिये हैं; यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) रोजगार से निकाले जा रहे हजारों कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है; और

(च) इस मामले में कंपनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध में अन्य क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) 133 शाखायें।

(ख) मैसर्स सुदर्शन चिट्स (इण्डिया) लिमिटेड के कुल कर्मचारियों की ठीक-ठीक सख्या का पता नहीं है, परन्तु यह एजेन्टों तथा ठेके के कर्मचारियों को छोड़कर, 2500 व्यक्तियों की सीमा तक समझी जाती है।

(ग) हां, श्रीमान् जी।

(घ) इस कंपनी का, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 क के अन्तर्गत निरीक्षण 1980 के वर्ष में किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट से कपनी अधिनियम के अनेक उपबन्धों के उल्लंघन तथा इसके धन के व्यपवर्तन का पता चला।

(ङ) कंपनी को, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 9 के साथ पठित, धारा 433 के अन्तर्गत, केरल उच्च न्यायालय के कंपनी न्यायाधीश द्वारा परिसमापित किये जाने के आदेश दिए गये हैं, जिसके विरुद्ध कंपनी द्वारा कथित न्यायालय की प्रभाग खण्ड पीठ के समक्ष एक अपील दायर कर दी गई है, जो अनिर्णीत है। इस कंपनी के एक हिस्सेधारी द्वारा, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391 के अन्तर्गत, केरल उच्च न्यायालय में, इसके जमाकर्ताओं के साथ समझौता/व्यवस्था, योजना प्रस्तुत की गई है, जो भी अनिर्णीत है। इस प्रकार इस कंपनी के कर्मचारियों का भविष्य, उपरोक्त मामलों में, न्यायालय के निर्णय पर निर्भर है।

(च) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत, कंपनी के निरीक्षण से प्रकाश में आये मामलों के लिए, इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों, जिनका उल्लंघन किया गया है, के अन्तर्गत कंपनी तथा इसके चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में, मुकदमे दायर किये गये हैं।

'फसिल' इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट एण्ड मार्केटिंग एजेन्सी लिमिटेड

3951. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'फसिल' इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट एण्ड मार्केटिंग एजेन्सी लिमिटेड, ने जिसका पंजीकृत कार्यालय 6/2, मोइत्रा स्ट्रीट, चौथा फ्लौर, कलकत्ता-700017 में स्थित है, कितने वर्षों में अपनी बैलेंस शीट नहीं भेजी है, और अपनी कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की है, यदि हां, तो विभाग द्वारा कम्पनी के दोषी निदेशकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस कम्पनी ने उद्योग मंत्रालय के तत्कालीन राज्य मंत्री को दक्षिण दिल्ली की एक कालोनी में उनके परिसर के, जो कम्पनी ने वर्ष 1976 से अपने कार्यालय के लिए किराये पर ले रखा है, किराए के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) कम्पनी रजिट्रार, पश्चिमी बंगाल ने बताया है कि मै. फैसिल इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग एजेन्सी लिमिटेड (जिसका नया नाम 31-12-1977 से मै. फोड्मा लिमिटेड परिवर्तित हो गया है) अनुसूचित समय पर, नियमित रूप से अपनी वार्षिक साधारण बैठकें कर रही है एवं उनसे सभी तीनों वर्षों, यथा जून 1977, जू. 1978 तथा जून 1979 के तुलन-पत्र तथा सम्बन्धित वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत कर दी है। इस कम्पनी ने जून 1980 का तुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके लिये कम्पनी तथा उसके निदेशकों को बुक नोटिस प्रेषित कर दिया गया है। तथापि, दिसम्बर, 1980 को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत कर दी है।

(ख) ऊपरकथित कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि 1976-77 के लेखांकन वर्ष में, कम्पनी द्वारा एक श्री ए. पी. शर्मा को दिल्ली कार्यालय के लिये 31,750 रुपये की राशि दी गई थी। तथापि, 1977-78 व 1978-79 के वर्षों में अथवा वर्षों के लिये, इस प्रकार की कोई अदायगी नहीं की गई थी।

तालचेर कोयला खानों में पेयजल की अनुपलब्धता के कारण कर्मचारियों की दयनीय स्थिति

3952. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को तालचेर कोयला खानों के चहुंओर पेयजल की अनुपलब्धता के कारण कोयला खानों के श्रमिकों, कर्मचारियों तथा अन्य अधिकारियों की दयनीय स्थिति का पता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन कोयला खानों में पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई केन्द्रीय योजना लागू की जायेगी; और

(घ) इन कोयला खानों को पानी की सप्लाई करने की स्थायी व्यवस्था के लिये उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) क्षेत्र की सभी कोलियरियों में पानी की सप्लाई के प्रबन्ध हैं। सभी कोलियरियों में पाइप लाइनों के जरिये पानी की नियमित वितरण प्रणाली भी है और धाराओं में नल-स्तमों की व्यवस्था की गई है। फिर भी, इस क्षेत्र के लिए एक समेकित जल-पूर्ति-योजना बनाई जा रही है

कोयला खान श्रमिक कल्याण भविष्य निधि के अधीन विनियोजित राशि में राज्य का अंश

3953. **प्रो. सत्यदेव सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान श्रमिक कल्याण भविष्य निधि के अन्तर्गत कुल विनियोजित निधि में से विभिन्न राज्यों का भाग अकेले कोयला खान श्रमिक कल्याण भविष्य निधि, धनबाद के आयुक्त द्वारा ही निर्धारित किया जाता है और उनके भागों के निर्धारण में आयुक्त, संयुक्त राष्ट्रीय बचत, नागपुर का कोई अधिकार नहीं होता;

(ख) क्या अंशों के निर्धारण के लिये कुछ विशिष्ट नियम हैं और यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार विभिन्न राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिये कुछ सिद्धान्त बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या प्रति वर्ष बिहार का भाग लगातार घटता जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) कोयला विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अलग-अलग दो निधियां चल रही हैं जिन्हें "कोयला खान भविष्य निधि" और "कोयला खान श्रम कल्याण निधि" कहा जाता है। परन्तु "कोयला खान श्रम कल्याण भविष्य निधि" नाम की कोई निधि नहीं है और न ही कोई आयुक्त ऐसा है जिसे "कोयला खान श्रस कल्याण भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद" कहा जाता है। अतः बाकी सवालों का प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी मिशनों के विज्ञापनों सम्बन्धी नियम

3954. **श्री चित्त बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद् ने वे नियम बनाने का अपना प्रस्ताव विदेश मंत्रालय को वापस भेज दिया है जो तीसरे विश्व के ऐसे देशों, जिनके साथ हमारे मैत्री सम्बन्ध हैं की निन्दा करने वाले विदेशी मिशनों के विज्ञापनों को भारती प्रेस द्वारा स्वीकार किये जाने के बारे में था, और

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) मामले को विदेशी मंत्रालय द्वारा देश में स्थित सभी विदेशी राजनयिक दुतावासों के साथ उपयुक्त रूप से उठाया गया था।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) मैं आपका ध्यान उस बात की ओर दिलाना चाहूंगा जो कल की कार्यवाही के दौरान सामने आयी है। मैंने डाक सेंसरशिप के बारे में नियम 222 के अधीन अपनी सूचना के बारे में अपनी बात कही थी और आपने यह कहा था :

"मैंने आस्ट्रेलिया की संसद से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपने उच्चायुक्त को पत्र लिखा है। मैं कुछ कार्यवाही करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा विचार यह है कि मुख्य बात तो अधिनियम में परिवर्तन करना होगा।"

आपने दो कार्य किये हैं। एक तो यह कि आपने आस्ट्रेलिया से दस्तावेज मंगाने के लिये कहा है, दूसरे आपका यह विचार है कि जब तक विधेयक में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता तब तक विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव यह नहीं था। सबसे पहले जहां तक आस्ट्रेलिया को आपके पत्र लिखने का सम्बन्ध है, मैं तह समझता हूं कि आपकी डाक सेवा मेरी डाक सेवा से कहीं अधिक खराब है। मुझे वर्ष 1944 की प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त हो गई है और आपकी अनुमति से मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह मुझे दे सकते हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन प्रश्न यह है कि आपने इस प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय दिया था और श्री इन्द्रजीत ने यह आरोप लगाया था कि आपने···

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय एक समेकित निर्णय था जो दोनों बातों पर आधारित था।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह आस्ट्रेलिया के प्रतिवेदन पर आधारित था और आपने यह भी कहा कि आस्ट्रेलिया का प्रतिवेदन आयेगा।

अध्यक्ष महोदय : इसमें विधेयक भी अन्तर्ग्रस्त है। यह भी एक पूरक बात है। मेरा सुझाव यह है कि आप इसे मुझे दे दें।

डा सुब्रह्मण्यम स्वामी : फिर आप इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दें। उन्हें इस सारे मामले पर चर्चा करने का अवसर दें।

अध्यक्ष महोदय : इसे मुझे दे दें।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमन् जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके कार्यालय की यह जिम्मेदारी थी कि सदन में आपके द्वारा विनिर्णय दिये जाने से पूर्व आपका कार्यालय आपको पहले ही प्रति उपलब्ध करा देता, क्योंकि मैं यह समझता हूं कि आपका विनिर्णय गलत है। और मैं यह चाहता हूं कि आप इसमें संशोधन करें। यह मेरा विनम्र निवेदन है। कृपया इसे अन्यथा न लें।

अध्यक्ष महोदय : विनिर्णय को गलत नहीं कहा जा सकता। परन्तु मैं इसे देखूंगा। आप इसे मुझे दे दीजिए। मैंने सदैव यह रूख अपनाया है कि किसी बात की समीक्षा की जा सकती है और मेरा कोई कठोर दृष्टिकोण नहीं है। मैं गलत हो सकता हूं। मैं उसमें सुधार कर सकता हूं, लेकिन यह जानबूझकर नहीं दिया गया है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं, नहीं। मुझे आपमें पूर्ण विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे देख सकते हैं। लेकिन हमें इसे सभी पहलुओं से देखना होगा। और उसके बाद मैं अपनी टिप्पणी दूंगा। उससे पहले नहीं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि कलम की एक नोक से बिहार के हजारों कर्मचारियों की नौकरी को समाप्त कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास नियम 377 में आ गया है, जिसको मैंने एलाउ किया है और तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ·· (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं शास्त्री जी का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि मैंने एडजार्नमेंट मोशन दिया है। दूसरे मैंने प्रिवलेज मोशन दिया है आल-इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के खिलाफ। साठे जी आप एक मिनट सुन लीजिए—किसानों की समस्या को लेकर 11 तारीख को सदन में कालिंग एटेंशन पर डिबेट हुई और बार-बार अध्यक्ष जी ने भी उसमें दिलचस्पी लेकर इन्टरफियर किया है तथा डी. डी. ए. कम दामों पर जमीन को अधिग्रहण करता है और अधिक हजार गुना दाम पर बेचता है। इतना महत्वपूर्ण मसला उठा और आपके दूरदर्शन में एक लाइन भी समाचार को कहीं नहीं है और आल इण्डिया के समाचार बुलिटिन में एक लाइन भी नहीं दी गई है

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा और पता करूंगा ··(**व्यवधान**) ··

अध्यक्ष महोदय : आप सारे क्यों बोल रहे है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : आकाशवाणी है किसका ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक को एलाउ किया है, आप बीच में क्यों बोलते हैं। मैं उनको जवाब दे रहा हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नाट-एलाउड।···(**व्यवधान**)···

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : जितना इन को मौका देते हैं, उतना ये सिर पर चढ़े जा रहे हैं ··(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिये, ऐसा काम मत करिये कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सारा काम गड़बड़ कर दिया।···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सारा काम क्यों बिगाड़ते हैं ? ··(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिये पहली बात तो यह है कि···(व्यवधान)* क्या यह कोई तरीका है ? इस तरह से बात करने का कोई तरीका नहीं है। आप बात को सुनिये ··(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जैसे बोल रहे हैं, वैसे ही वे बोल रहे हैं। सारे ही ऐसे बोल रहे हैं।···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कोई सुनने देगा, तो आपकी बात सुनूंगा। सब अपनी-अपनी बोल रहे हैं, बोल लेने दो···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बात सुनूंगा तब, जब कोई सुनने देगा···क्या कर रहे हैं आप ?
···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात तब सुनूंगा जब इनकी बात निबटा लूं···(व्यवधान)* न आप अपनी बात सुनने देते हैं और न मेरी बात सुनते हैं।··(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने न किसी को बरी किया है न कैद किया है। आप न कैद होने देते हैं और न बरी होने देते हैं, बीच में बोल रहे हैं ··

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय,···

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है। मैं कल जिस चीज को डिस्पोज-आफ कर चुका हूं उसको दुबारा क्यों उठा रहे हैं। मैं पहले ही लिख चुका हूं। यह बात नहीं है। मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं अपनी कार्यवाही पहले ही कर चुका हूं। मैं इसके लिऐ प्रतिक्षा कर रहा हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : इसमें इतनी डिले करने की क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय : उनको जो करना चाहिये वह कर रहे हैं। जल्दबाजी में भी समय लगता है। कोई काम फटा-फट नहीं हो सकता। नहीं, यह बात नहीं है। गलत इन्कवायरी आ जाएगी, तो फिर कहेंगे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय···

अध्यक्ष महोदय : नियम 222 के अन्तर्गत आपका नोटिस आ गया है, मैं उसको देख रहा हूं, पड़ताल कर रहा हूं, उसमें अगर गड़बड़ होती है तो मन्त्री महोदय को बोलूंगा। मैं बात करूंगा। मैं देखूंगा कि किसानों के हित की जो बात थी, वह कही गई या नहीं। क्यों नहीं कही गई, यह मैं देखूंगा। यह मुझे पता है कि कैसे इसे करना है और हम सब बात करें लेकिन सही ढंग से करें। अब आप बैठिये।···(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : ये सदन में गड़बड़ करते हैं।

*कार्यवाही—वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में गड़बड़ करते हैं, तो ठीक नहीं करते।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) मैंने मडल कमीशन की रिपोर्ट न प्रस्तुत करने के बारे में पहले भी मामला उठाया था और आपने आश्वासन दिया था कि मैं गृह मंत्री जी से बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि करवा दूंगा।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : सदन तो एक हफ्ते के लिए रह गया है।

अध्यक्ष महोदय : हफ्ता खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत दिन बाकी हैं। मैंने बात कर ली है। आप मेरे विश्वास पर विश्वास क्यों नहीं करते। मैं अविश्वास की बात करूं तो फिर कहना :

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : मैंने बढ़ती हुई कीमतों के बारे में दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो कर दिया है पहले भी डिस्कस हो चुका है।

श्री जगपाल सिंह : यह बहुत सीरियस मामला है। आवश्यक चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और बाजार से वे गायब होती जा रही हैं। (व्यवधान) इस पर डिस्कशन का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह बात नहीं होनी चाहिये। कृपया यह नहीं।

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : 33 मजदूर कोयला खान दुर्घटना में मारे गये हैं। इसके लिए मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं एकोनामिक इसूज पर बहस करना चाहता था। आप एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं। यह तो रोज होते रहेंगे। मुझे कोई इतराज नहीं है झारखण्डे राय जी लेकिन मैं कुछ एकोनामिक और डेवलपमेंट की बातों पर इस हाऊस में बहस कराना चाहता हूं, जिससे लोगों का भला हो। अब कोई न कोई एक्सीडेंट रोज हो जाता है और उस एक्सीडेंट को ले कर आप काल-एटेंशन करवाते रहेंगे, तो मैं आपके प्रभाव में आकर इसके लिए आदेश देता रहूंगा। लेकिन इससे देश का भला नहीं होने वाला है। यह इनका काम है और यह करते रहेंगे। हमें कुछ न कुछ ठोस काम करना चाहिए, कुछ न कुछ रचनात्मक काम करना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण लोगों को लाभ पहुंचाने का होना चाहिए। हमें यही करना चाहिए।

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : 33 मजदूर मर गये हैं, यह बहुत बड़ी फीगर है। (व्यवधान) क्या मजदूर के जीवन का मूल्य नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं करा दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : एकानामिक और डेवलपमेंट इसूज पर आप बहस करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : करवाना तो चाहता हूं लेकिन ये करने दे तो।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : एकोनामिक इसूज पर आप बहस करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : इस के लिए 6 घंटे लगा रखे थे। मैं तो यही चाहता हूं कि थोड़ा सा काम हम करें। अगर हम थानेदार बन कर बैठ गये, तो कैसे काम चलेगा।

श्री एम. एम. लारेंस (इडुक्की) : कोयला खान दुर्घटना में तीस आदमियों की मौत हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : उसे मैंने पहले ही शामिल कर लिया है। इसे तो पहले ही कर लिया गया है।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) मैंने कार्यस्थान का एक नोटिस दिया है। कल असम में किसानों के बारे में सिविल अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : आ रहा है। आसाम का मामला आ रहा है, उसमें डिस्कस कर लीजिए। ··(व्यवधान)···आसाम का कुछ न कुछ तो आ रहा है, उसमें आप डिस्कस कर लें।

श्री रामलाल राही (मिसखरिख) : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सीतापुर जनपत में हरिजनों और अल्पसंख्यकों को गांवो से भगाया जा रहा है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब यह कुछ करने दें तो करूं। ··(व्यवधान)*

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : श्री सतीश अग्रवाल के बारे में बिलिट्ज में जो निकला है, उसके लिए प्रिविलेज मौशन किया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : रूल 222 में प्रि वलेज मोशन है। उस पर विचार कर रहे हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। बोलने की अनुम त नहीं है। (व्यववान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भागवत झा आजाद।

सभा।टल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1980-81 के लिए पुनर्वास उद्योग निगम लि. कलकत्ता के कार्यकरण की समीक्षा और उसका वार्षिक प्रतिवेदन

पूर्ति और पूनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उप धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(1) पुनर्वास उद्योग निगम लि., कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) पुनर्वास उद्योग निगम लि.,कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयां **[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 3075/81]**

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह जानकारी देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 14 दिसम्बर, 1981 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 नवम्बर, 1981 को पास किए गए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक विधेयक, 1981 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में हाल ही में आये तूफान के कारण हुई क्षति

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : मैं कृषि तथा ग्रामीण पुनिर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री का ध्यान लोक महत्व के निम्नलिखित अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में हाल ही में आये तूफान के कारण अनेक व्यक्तियों तथा पशुओं के मरे जाने और संम्पत्ति तथा खड़ी फसल को हुए नुकसान के समाचार के बारे में।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : उड़ीसा सरकार से मिली रिपोर्ट के अनुसार इस महीने की 3 तारीख को सायं 5.30 बजे बंगाल की खाड़ी में भयंकर समुद्री तूफान आने का पता चला, जिसने बाद में चक्रवात का रूप धारण कर लिया। यह 110 किलो मीटर प्रति घंटा से भी अधिक रफ्तार से उड़ीसा के समुद्री तट के साथ-साथ उत्तर की ओर बढ़ा और 10 तारीख की रात को सागर द्वीप समूह के पास समुद्रतट को पार किया। प्रारम्भिक स्थिति से संबंधित मिली रिपोर्ट से पता चला है कि ज्यादातर बालासोर तथा कटक जिलों के तटीय क्षेत्र प्रभावित हुए हैं।

2. राज्य सरकार ने रिपोर्ट भेजी है कि लोगों को चेतावनी देने के लिए पर्याप्त एहतियाती उपाय दिए गए थे और जहां कहीं भी आवश्यक था लोगों को निचले क्षेत्रों से हटा दिया गया था। राहत कार्यों की देखरेख करने के लिए राज्य सरकार ने कटक जिले में केन्द्रपाड़ा तथा जाजपुर में और बालासोर जिले भादरक में अतिरिक्त जिलाधीश तैनात कर दिए थे।

3. बड़ी संख्या में कच्चे घरों की छतें उड़ गईं, अनेक वृक्ष उखड़ गए और एक ब्लाक में कार्यालय की इमारतों, स्टाफ क्वार्टरों तथा गरज की छतें उड़ गईं। अनेक प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई तथा संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। निचले क्षेत्रों में खारा पानी भर गया जिससे धान की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। मछली पकडने के चार ट्रालरों तथा दो देशी नौकाओं के लापता होने की रिपोर्ट मिली है जबकि एक पावर बोट पानी में डूब गई।

मारे गए व्यक्तियों तथा मवेशियों का पता लगाया जा रहा है। तथापि प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार एक गांव में मकान ढह जाने से तीन व्यक्तियों के मारे जाने की रिपोर्ट मिली है। पान की बेलों को नुकसान पहुंचने की खबर है। कांतिपुर के पास तट बंध में तीन दरारें पड़ जाने की रिपोर्ट मिली है।

4. राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु तत्काल अनुदान देने के लिए कदम उठाये।

5. उड़ीसा सरकार के पास चालू वर्ष के दौरान 871 लाख रुपये की सीमान्त धनराशि है जिससे वह प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने का खर्च पूरा कर सकती है।

6. पश्चिम बंगाल के संबंध में राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि 10 और 11 दिसम्बर, 1981 को मिदनापुर व 24 परगना जिलों के बहुत बड़े क्षेत्रों में भारी वर्षा और ज्वरीय तरंगों के साथ एक भंयकर समुद्री तूफान आया। बाढ़ सुरक्षा के लिए बनाए तट बंधों में बहुत अधिक दरारें पड़ गयी हैं। राज्य सरकार के अनुसार 93 व्यक्ति मारे गये और लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कई हजार मकान या तो ढह गये हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इसके अतिरिक्त, धान व रबी की खड़ी फसलों को भी भारी क्षति पहुंची है। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि सम्पत्ति की हानि व फसल की क्षति का अभी मूल्यांकन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि लोगों को बचाया गया तथा उन्हें शरण व राहत प्रदान की गयी. सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने टीका लगाने वाले दल भेज दिए हैं। प्रभावित क्षेत्र को 25,000 तिरपालों, 12,000 सूती कम्बलों, 24,000 धोतियाँ, 16,000 साड़ियां और बच्चों के लिए 38 000 बने बनाये पोशाकों के रूप में बड़ी मात्रा में कपड़े एक दम भेज दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, 500 कि. ग्राम दुग्ध चूर्ण भी दिया गया है। राज्य सरकार ने अब तक 1.5 लाख रुपये की नकद सहायता प्रदान की है। जिन क्षेत्रों में जलाशय और तलाब खारे हो गये हैं, वहां लोगों व पशुओं के लिए पीने का पानी पहुंचाने की भी व्यवस्था की जा रही है। कलकत्ता पत्तन न्यास प्राधिकरण नौकाये प्रदान करके इस काम में सहायता कर रहा है। राज्य सरकार के पास 1360 लाख रुपए की सीमान्त धनराशि है जिससे वह प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने का व्यय पूरा कर सकती है।

भारत सरकार को इन दोनों राज्यों पर पड़ी इस आपदा पर भारी दुख है और वह शोक-संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती है।

श्री रेणु पद दास : पश्चिम बंगाल में विशेषतः दक्षिण पूर्वी मानसून समाप्त होने के बाद इतना भीषण तूफान तथा लगातार भारी वर्षा और समुद्री ज्वार कभी नहीं आया था जिसने राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारी आघात पहुंचाया है और दक्षिण 24 परगना हावड़ा और मिदनापुर जिलों में अत्यधिक नुकसान पहुंचा है और इससे वहां भारी आपदाएं कठिनाइयां आई हैं और बहुत जानें गई हैं।

इस विपदा का समाचार प्राप्त होने के तुरन्त बाद श्री प्रवेश राय, राज्य सिंचाई मंत्री, श्री राधिका बनर्जी, राहत मंत्री, श्री नानी भट्टाचार्जी स्वास्थ्य मंत्री और श्रीमती निरूपमा चटर्जी समाज कल्याण मंत्री इन दैवी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गये।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें यह सब जानकारी प्राप्त हो चुकी है। आप जो बात कहना चाहते हैं उस पर आइए।

श्री रेणु पद दास : बृहस्पतिवार की रात्रि को इस भीषण तूफान, भारी वर्षा और समुद्री लहरों (ज्वार) के कारण इस समय तक प्राप्त सूचना के अनुसार 100 से अधिक जानें चली गई हैं। इस तूफान के परिणामस्वरूप सुन्दरवन के एक तिहाई क्षेत्र को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। 4000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ है। 52000 एकड़ भूमि जिसमें अधिकांशतः खड़ी फसल थी या तो उसमें खारी पानी भर गया या लहरों से बह गई। लगभग 233 किलोमीटर बांध पूरी तरह बह गया है 7000 से अधिक मकान या तो ढह गए हैं अथवा नष्ट हो गए हैं। कितनी जानें गईं, इसका पता लगाना इस समय बहुत कठिन है। सरकारी सूचना के अनुसार दक्षिण 24 परगना में 90 मौतें हुई हैं और 3 मिदनापुर जिले में। किन्तु गैर सरकारी रिपोर्टों के आधार पर लगभग 175 जानें गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसी को दुहरा रहे हैं जो मन्त्री जी ने कहा है। आप जो कहना चाहते हैं वह कहिए।

श्री रेणु पद दास : पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री श्री नानी भट्टाचार्जी ने कहा है कि धान के खेतों में और अधिक शव हो सकते हैं। हमें भी आशंका है कि ज्वार कई एकों को बहा ले गया होगा। बहुत से ढोर मर गये हैं और बह गये हैं। उनकी संख्या हजारों में हो सकती है। राज्य सिंचाई मंत्री श्री प्रवेश राय के अनुसार, 10-11 दिसम्बर की रात्रि को ऊंची समुद्री लहरों तथा भीषण तूफान के कारण मिदनापुर व दक्षिण 24 परगना के तटवर्ती क्षेत्रों में जान तथा माल की कल्पनातीत क्षति हुई। उसने समूचे क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया। तूफान ग्रस्त जिलों में सैकड़ों किलोमीटर लम्बाई में बांधों, पुश्तों आदि को नुकसान पहुंचा है और लगभग 233 किलोमीटर बांध तो पूरी तरह बह गया।

मैं मंत्री जी का ध्यान विशेषकर इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जब तक इन बांधों को आपात स्थिति के आधार पर सिमित नहीं किया जाता, तब तक सुन्दरवन क्षेत्र को नदियों के नियमित ज्वारीय पानी के उफान से बचाया नहीं जा सकता। ऐसा समाचार है कि केवल दक्षिण 24 परगना में 16 पुलिस स्टेशनों के 19 ब्लाकों में 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं—पथार प्रतिमा, केन्निंग, नमरवाना, कुल्तुली, गोसाबा, बसन्ती, मथुरापुर और जयनगर। ऐसा समाचार है कि सागर द्वीप और मन्शुमी द्वीप समूह पूरी तरह तहस-नहस हो गए हैं।

मिदनापुर जिले में केवल महिषादल में 6000 मकानों को नुकसान पहुंचा है। खड़ी फसल और पान की खेती को, जिसके लिए महिशादल विख्यात है, कम से कम 300 स्थानों में भारी क्षति पहुंची है। सुन्दरवन के प्रभावित क्षेत्रों में संचार व्यवस्था बिलकुल ठप है और उसे फिर से चालू करने का काम अभी आरम्भ किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप मुख्य प्रश्न पर आइए।

श्री रेणुपद दास : इन क्षेत्रों में इस समय पीने के पानी की समस्या गंभीर बन गई है। जहां-तहां पानी ही पानी है लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। नलकूपों को नुकसान पहुंचा

है। तालाबों में खारा पानी भरा हुआ है। इसलिए पीने का पानी लाना राहत दल का मुख्य काम बन गया है।

राज्य सरकार इन जिलों में दूरवर्ती सभी प्रभावित क्षेत्र को राहत पहुंचाने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। पंचायतें पीड़ित लोगों के लिए सराहनीय सेवा कर रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार ने अपना काम किया है। आप पूछना चाहते हैं केन्द्रीय सरकार को इस बारे में क्या करना है।

श्री रेणुपद दास : पश्चित बंगाल के साथ उड़ीसा में भी इसी तरह का तूफान आया है। कटक जिले के निचले तटवर्ती क्षेत्र महाकालपुर और जाम्बेर द्वीप समूह में तीन मीटर ऊंची लहरें आई हैं। जिले के तटवर्ती क्षेत्र में जिसमें परादीप भी शामिल है, भारी क्षति पहुंची है, गांवों में कच्चे मकानों की छतें उड़ गई और पेड़ उखड़ गए। केन्द्रपाड़ा सब डिवीजन में विद्युत सप्लाई तथा संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है और खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। जान की हानि के समाचार मिले हैं।

अब मैं मंत्री जी से तुरन्त उत्तर के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगा। क्या 10 दिसम्बर को तूफान के कारण हुई क्षति का निर्धारण करने के लिए कोई केन्द्रीय अध्ययन दल गठित किया गया है और उसे पश्चिम बंगाल के प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है? क्या बांधों आदि की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लिए राज्य सिंचाई मंत्री ने जो 20 करोड़ रुपए मांगे हैं उसे देने के सम्बंध में कोई निर्णय किया गया है? अलीपुर मौसम कार्यालय में मौसम विज्ञानियों के अनुसार वर्ष के इस मौसम में ऐसा भीषण आंधी तूफान आदि इस शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर आज तक कभी नहीं आया। इसे ध्यान में रखते हुए, खतरे की सूचना पहले यानि कम से कम एक दिन पहले क्यों जारी नहीं की जा सकी?

राव वीरेन्द्र सिंह : पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सरकारों से जो सूचना हम प्राप्त कर सके वह सभी मैंने अपने वक्तव्य में दे दी है। ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य के पास इस समय मेरी अपेक्षा अधिक जानकारी है। उन्होंने कहा कि इस दैवी आपदा को टाला जा सकता था यदि सुन्दरबन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में बांध बनाये गये होते, मैं उनसे कतई सहमत नहीं हूं। तूफान, भूचाल और ज्वालामुखियों का फटना ये ऐसी दैवी आपदायें हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता।

हम अधिक से जो कर सकते हैं वह समय पर चेतावनी देना। इस प्रयोजन के लिए हमारे पास पर्याप्त विकसित चेतावनी प्रणाली मौजूद है। जैसा मैंने बताया है, इस मामले में उचित समय पर चेतावनी दी गई थी, केवल तटवर्ती मौसम विज्ञान कार्यालयों द्वारा ही नहीं अपितु आकाशवाणी के मद्रास, भुवनेश्वर और कलकत्ता केन्द्रों द्वारा भी इस मास के 7 तारीख से ही चेतावनी प्रसारित की गयी थी। आकाशावाणी द्वारा 11 तारीख की सुबह तक रोजाना बुलेटन जारी किये जाते रहे। कलकत्ता, भुवनेश्वर, कटक और जेपोर (उड़ीसा) स्थित आकाशवाणी के केन्द्र यथा समय चेतावनी दे रहे थे। तटवर्ती अभिकरणों को भी चेतावनी दे दी गई थी और मछुओं को चेतावनी देने के लिए खतरे के संकेत लगा दिए गये थे। और जहां सुन्दरवन की तरह बांध बनाये भी गये हैं, वहां भी जैसा सदस्य महोदय जानते हैं और उन्होंने उल्लेख किया है कि सैकड़ों मील लम्बी बांध बह गई और क्षतिग्रस्त हो गई। खुद पश्चिम बंगाल

में 525 किलोमीटर लम्बाई की बाँधें पूरी तरह बह गई हैं। 525 किलोमीटर लम्बी बांधें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि बाँधों का निर्माण वहां नहीं किया गया जहां उनकी जरूरत थी। लेकिन तूफान इतना भीषण था कि इन बाँधों से क्षति नहीं बचायी जा सकती थी, लहरें बहुत ऊंची थी, जैसा कि तूफानों के बाद होता है।

श्री रेणुपद दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या बाँधों को मजबूत किया जायेगा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : ऐसा जरूर किया जायेगा। संबन्धित राज्य सरकार द्वारा तुरन्त राहत दी गयी। राज्य सरकार के पास एक अतिरिक्त राशि है जो काफी पर्याप्त राशि है। पश्चिम बंगाल सरकार के पास वर्ष प्रतिवर्ष आवंटित राशि संभवतः सबसे अधिक है, जैसा मैंने कहा उसके पास इस समय 13,60,00,000 रुपये हैं। वह इस धन का तुरन्त प्रयोग कर सकती है, यदि उसे भारत सरकार से भी सहायता लेने की जरूरत पड़े तो हम ऐसे मामलों में जब बाढ़ और तूफान आते हैं राहत कार्यों पर कुल व्यय की 75 प्रतिशत राशि देते हैं। हम अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार से विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा कर रहें हैं। अभी तक कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है। सरकार ने खुद ही कहा है कि वह नुकसान का निर्धारण कर रही है। मैंने अपने वक्तव्य में ऐसा कहा है और जब तक हमें पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट नहीं मिलती, हम उस क्षेत्र में जाने में जाने के लिए केन्द्रीय दल का गठन नहीं कर सकते।

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : तूफानों के बारे में इस ध्यानाकर्षण के मध्यम से यह मामला उठाने का अपना कष्ट दायक कर्तव्य मैं एक बार फिर निर्वहन कर रहा हूं। पिछले ही वर्ष भारत के पूर्वी तट में एक भंयकर तूफान आया था जिससे मेरा राज्य उड़ीसा प्रभावित हुआ था।

अध्ययन से पता लगा है कि ये उष्णकटिबन्धीय तूफान हमारे देश के पूर्वी तट में अप्रैल से जून और सितम्बर से दिसम्बर के बीच की अवधि में भौगोलिक कारणों से आते हैं। मैं इस प्रश्न के भौगोलिक पहलू पर नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पर कई बार विचार-विमर्श हो चुका है। मैं केवल एक पहलू बताना चाहूंगा। वह यह कि ये तूफान हवा के ऊँचे दबाव वाले स्तरों से निम्न दबाव वाले स्तरों की ओर बहाव के परिणाम स्वरूप आते हैं। यह प्रवणता पर निर्भर करता है और इस बात को लेकर ही मैं माननीय मंत्री जी से सहमत नहीं हूं जब उन्होंने कहा कि उसे टाला नहीं जा सकता। उसकी भीषणता को न्यूनतम किया जा सकता है।

10 वर्ष पूर्व, 1971 में डा. कोटेश्वर की अध्यक्षता में एक साइक्लोन डिस्ट्रेस मिटिगेशन कमेटी नियुक्त की गई थी जिसने चक्रवाती तूफानों का पता लगाने के लिए मौसम विज्ञान सम्बन्धी संगठन मौसम सम्बन्धी चेतावनियों का प्रचार कष्ट कम करने के उपायों समाज को उनके लिए तैयार रहने का कार्यक्रम जिसमें लोक शिक्षा कार्यक्रमभी शामिल है। तूफान के बाद के उपायों, आदर्श तूफान योजना, वित्तीय परिणाम और उसे क्रियान्वित करने के लिए एक सांविधिक निकाय सम्बन्धी मामलों के समूचे पहलू पर विचार किया था। इसलिए, इससे एक मूलभूत प्रश्न उत्पन्न होता है कि तटवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि के बढ़ने तथा जन संख्या में वृद्धि होने के साथ वहां कोटेश्वरम समिति के अनुसार पर्याप्त पूर्वोपाय किये गये हैं, भारी दैवी विपदा विनाश तहस-नहस और लोगों की विपदा न्यूनतम हो गई जैसा कि मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है और वह इस बात का सूचक है। उड़ीसा सरकार ने

लोगों को चेतावनी देने लिए पर्याप्त पूर्वोपाय किये थे और लोगों को निचले क्षेत्रों से अन्यत्र हटाया गया। इसके परिणाम स्वरूप केवल तीन मौतें हुई। किन्तु इससे महाकालपुर, केन्द्रपाड़ा, राजनगर, कुजंत्र, सरसमा, तिरतोल, पट्टामुंडेई, पटकुंड़ा, चांदबाली धामनगर, बसुदेवपुर और बालासौर क्षेत्रों की लवणता प्रभावित हुई है जिससे खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। प्रो. दास ने कहा कि तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में 93 लोगों की जानें गई। इन 93 व्यक्तियों में से 58 व्यक्ति 24 दक्षिण परगना के सुन्दर वन क्षेत्र से हैं।

साइक्लोन डिस्ट्रेस मिटिगेशन मिटिगेशन समिति ने सिफारिशें की है। उसने सुझाव दिया है कि तूफान से तूफान के दौरान और तूफान के बाद क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। क्या दोनों राज्य सरकारों ने उनका पालन किया है अथवा नहीं ? यदि वे कार्यवाहियां की गई हैं तो पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा सरकार ने इस सम्बन्ध में पृथक-पृथक रूप से कार्यवाहियां की हैं ?

डा. कोटेश्वर द्वारा दिये गये कार्यक्रम तथा सिफारिशों में समिति ने सिफारिश की थी कि सायबान मजबूत हवा अवरोधक ज्वार-भाटा रोधक, बाँध, तटवर्ती क्षेत्र में वन्यकरण, बाढ़ जल को जमा करने के तालाब और नालों की सुविधाएं होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दोनों राज्य सरकारों ने इन हिदायतों का अनुसरण किया है और उन्हें क्रियान्वित किया अथवा नहीं ?

कोटेस्वरम समिति ने सिफरिश की थी कि राज्य सरकारें जिनके पास अपने अल्प संसाधन हैं, अपनी सीमत निधि को विकास कार्यों से हटाकर राहत तथा अनुदान देने के लिये खर्च नहीं कर सकते। अतः इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना लाजमी है। यह सुझाव दिया गया है कि एक केन्द्रीय दैवी आपदा निधि होनी चाहिए जिसमें केन्द्र तथा राज्य दोनों द्वारा निधि आवंटित की जानी चाहिए। क्या इसे क्रियान्वित किया गया है अथवा नहीं क्या उन्होंने इसका क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए कोई सांविधिक निकाय स्थापित किया है ?

क्या दोनों राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय सहायता देने तथा वहां एक केन्द्रीय दल भेजने का अनुरोध किया है ? इस केन्द्रीय दल को कब भेजा जा रहा है और केन्द्रीय सहायता मांगने का मापदंड क्या हैं ?

राव बिरेन्द्र सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यथा समय कार्य करने हेतु राज्य सरकार के पास स्थायी हियदातें हैं। माननीय सदस्य ने श्री कोटेस्वरम की अध्यक्षताधीन समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया है। अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं। तटवर्ती क्षेत्र यथा परादीय, कलकत्ता, विशाखापत्तनम और अन्य स्थानों में चेतावनी राडार भी लगा दिये गये हैं। समिति ने तूफान के कारण उत्पन्न विपदा को भीषणता को न्यूनतम करने के लिए राहत कार्यों के सम्बन्ध में ही मुख्यतः सुझाव दिये हैं। मैंने यह कहा था कि इस दैवी आपदा की भीषणता को कम नहीं किया जा सकता मैंने यह नहीं कहा कि राहत नहीं दी जानी चाहिए। माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि समिति ने सिफारिश की है कि सायबान बाँध, सड़क तथा अन्य चीज बनाई जानी चाहिए ताकि तूफान से हानि कम हो। समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा समय अधिक से अधिक सहायता दिया जाना जरूरी है।

ऐसा किया जा रहा है, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई पृथक निधि निर्मित नहीं की है क्यों कि हम यह कभी नहीं जानते कि कितने धन की जरूरत पड़ेगी। यह सदैव राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह केन्द्र से इस हेतु सहायता का अनुरोध करे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार द्वारा राहत उपायों पर किये गये खर्च का 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार वहन करती है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस हेतु पर्याप्त सहायता है और जो माननीय सदस्य के इस दृष्टिकोण के अनुसार भी है कि दैवी आपदाओं और भीषण नुकसान की स्थिति में राहत पहुंचाने में राज्य की मदद करना केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। इस मामले में सावधान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि चेतावनी ठीक समय पर दे दी गई थी।

उड़ीसा, जिसका माननीय सदस्य, श्री के. पी. सिंह देव ने विशेष रूप से उल्लेख किया है, में भी 8 दिसम्बर रात को चेतावनी दी गई थी। 8 दिसम्बर को 12.25 बजे उड़ीसा तट के के लिए चेतावनी दी गई थी। 9 दिनम्बर को दोपहर में जिला अधिकारियों को भी चेतावनी दी गई थी। 9 दिसम्बर को ही 11.30 बजे पत्तन प्राधिकारियों ने पूर्वो। कर लिये थे और गोपालपुर तथा पुरी में तट पर चेतावनी सिग्नल गिरा दिया गया था जिससे मछुओं को खतरे का संकेत मिलता है 9 दिसम्बर रात 21.30 बजे से ले कर 10 दिसम्बर सायं तक भुवनेश्वर आकाशवाणी से और दिल्ली से भी चेतावनी दी गई थी जैसाकि मैं पहले मैं बता चुका हूं।

इन सभी लोगों को बहुत पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। मुख्य सचिव को भी टेलीफोन पर सूचित कर दिया गया था जिला अधिकारियों तथा पत्तन अधिकारियों को भी पहले सूचित कर दिया गया था। इसीलिये उड़ीसा में इतना अधिक नुकसान नहीं हुआ है। जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में बताया है उड़ीसा में केवल 3 व्यक्तियों की जानें गई हैं।

श्री के.पी. सिंह देव : मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

कोटेश्वरन समिति ने, जिसने सविस्तार अध्ययन किया है, इस मुद्दे पर अच्छी तरह से विचार किया है। राहत के प्रश्न पर भी कुछ सिफारिशें की गई हैं। समिति ने कहा है कि चक्रवात क्षेत्रों की घोषणा करने में देरी के कारण राहत उन लोगों को नहीं मिली है जो इसके पात्र थे। चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए उसने कई समस्यायें भी सुझाई हैं जिन पर विचार करना होगा।

मैं जानना चाहता हूं कि इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये दोनों राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है, क्या उनके पास इसकी जानकारी है? यदि उनके पास यह जानकारी नहीं है तो क्या वह यह जानकारी सभा पटल पर रखेंगे? क्या राज्य सरकारों ने चक्रवात के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से कोई सुविधाएं दी हैं जो कोटेश्वरन समिति ने सुझाई हैं? मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जब वह कह रहे थे कि कोरेश्वरन समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की गई है, तब उन्होंने परादीप में चक्रवात चेतावनी रेडियों स्टेशन की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है जिसकी सिफारिश समिति ने की थी।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने तो राडार का भी उल्लेख किया है। उन्होंने मुझे सुना ही नहीं है।

श्री के.पी. सिंह देव : इसका सुझाव कोटेश्वर समिति ने ही दिया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रतीत होता है, माननीय सदस्य कोटेश्वरन समिति के प्रतिवेदन से बहुत ही अधिक प्रभावित हुए हैं। यह प्रतिवेदन मेरे सामने भी है। राहत के सम्बन्ध में जो उपाय सुझाए गये हैं वे कोई असाधारण प्रकृति के नहीं हैं। सड़कों का निर्माण, शरणस्थानों का निर्माण नालों की गाद निकालना, बांधों का निर्माण, ये सभी चीजें तो कोटेश्वरन समिति की स्थापना से पूर्व ही सामान्य तौर पर राज्य सरकारें किया ही करती थीं। ये कार्य तो सदा होते रहे हैं।

जहां तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार का सम्बन्ध है, सामान्य उपाय किये जाते हैं। इन क्षेत्रों में चक्रवात आते ही रहते हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है। इससे पहले भी वहां पर चक्रवात आया था। इन क्षेत्रों में प्रचन्ड तूफान चक्रवात तथा बहुत तेज हवायें चलती रहती हैं।

वास्तविक प्रश्न यह है कि इस समिति की मुख्य सिफारिश चेतावनी देने के लिए कुशल व्यवस्था करने के बारे में है। यह कर दी गई है। कटक या भुवनेश्वर अथवा किसी अन्य स्थान की तो बात ही छोड़िये, दिल्ली से भी रेडियो का उपयोग किया गया है। राडर स्टेशन स्थापित कर दिये गये हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सभी आकाशवाणी केन्द्रों से चेतावनी दी जाती रही है। यह चेतावनी पत्तन अधिकारियों को भी दी गई थी। 7 दिसम्बर से लेकर बहुत ही पहले से दिन में कई कई बार चेतावनी दी गई। यह स्थिति पांच दिसम्बर को मद्रास तट से दूर देखने को मिली थी और तब से उसका अध्ययन किया जा रहा था। इस चक्रवात विशेष ने इस बार एक असाधारण रूख अपनाया था। उस समय तक जब वह चला ...

श्री रेणुपद दास : क्या सिग्नल चक्रवात से प्रभावित लोगों तक पहुंचा था ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह लोगों तक पहुंचा ही होगा। इसे आकाशवाणी से प्रसारित किया गया था और अधिकारियों को भी सूचना दी गई थी तब यह लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा होगा ? भारत सरकार पश्चिम बंगाल में प्रत्येक घर में एक एक रेडियो सेट तो देने से रही। यदि यह कर भी दिया जाये तो यह हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि लोग उसे उचित समय पर चलायेंगे ?

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य ने तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों की प्रशंसा की है हालांकि वह वही व्यक्ति है जिसने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है। वह इससे पूर्णतया संतुष्ट हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने समय पर कार्यवाही कर ली थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री दास को सुझाव देता हूं कि उसकी सरकार को इन क्षेत्रों में भोंपू की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री रेणुपद दास : सब व्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उसका एक भाग हो सकता है। **(व्यवधान)**

राव बीरेन्द्र सिंह : आरम्भ से ही लोगों की खतरे की सम्भावना की चेतावनी दे दी जाती है। खतरे के बढ़ान पर भी लोगों को सूचना दे दी जाती है। जब पहली बार चेतावनी दी

जाती है, तो लोगों को रेडियो सुनने के लिए कहा जाता है। पहली चेतावनी में यही होता है। तत्पश्चात उनसे आशा की जाती है कि वे इस बारे में ध्यान रखें।

श्रीमती जयंती पटनायक (कटक) : मन्त्री से यह सुनने के पश्चात् कि समिति की सिफारिशें क्रियान्वित की जा रही हैं और चेतावनी दी जाती है, मैं यह समझती हूं कि लोगों को चक्रवात से बचाने के लिए वर्तमान परिस्थितियों में कुछ नहीं किया जा सकता था।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या मुख्य मंत्री ने समय पर कार्यवाही कर ली थी ?

(व्यवधान)

श्रीमती जयन्ती पटनायक : जी, हां, विज्ञान के इस युग में हम भाग्य के भरोसे थोड़े ही बैठ सकते हैं कि लोगों को चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए कोई स्थायी उपाय नहीं किये जा सकते।

गत 100 वर्षों में जो अध्ययन किया गया है उससे पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों में चक्रवात आते रहते हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकती हूं कि इस समस्या का विशेष और वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रिपोर्टों के अनुसार लातीनी अमरीका में लोगों ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। विश्व के उस भाग में भी चक्रवात और बवण्डर आते रहते हैं। इसका अध्ययन किया जाना चाहिये जिससे पता चल सके कि इस देश में भी कुछ किया जा सकता है।

इस संदर्भ में मैं कहना चाहती हूं कि वर्ष 1966 में उड़ीसा में आये प्रचन्ड चक्रवात में हजारों लोग मारे गये थे। उस समय यह फैसला किया गया था कि उड़ीसा की 480 किलोमीटर तत्वर्ती पट्टी में पौधे उगाये जायें। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकती हूं कि इस कार्यक्रम को आरम्भ करने तथा राज्य सरकार को इसमें सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

मैं यह भी बता दूं कि उड़ीसा सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि स्थायी रूप से कोई उपाय किये जा सकें। जब प्राकृतिक विपदायें आती हैं और लोगों को पीड़ित होना पड़ता है, तब राज्य सरकार को विकास कार्यों की कीमत पर लोगों को राहत और उनके पुनर्वास के लिए निधि जुटानी पड़ती है। जब तक केन्द्रीय सरकार बड़े पैमाने पर सहायता नहीं देगी तब तक उड़ीसा सरकार कोई ठोस कार्य नहीं कर सकेगी। मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वह इन क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता दे।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि चूंकि चक्रवातों से निपटने के लिए कोई विधि नहीं निकाली गई है, इसलिए उड़ीसा के गरीब लोगों, जिन्हें सूखा, बाढ़, चक्रवात, बवण्डर, और ओलाबारी जैसी प्राकृतिक विपदाओं का निरतर सामना करना पड़ता है और जिससे राज्य के विकास कार्य में बाधा पड़ती है, की राहत और इनके पुनर्वास के लिए कोई स्थायी उपाय करने पड़ेंगे। क्या सरकार के पास छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों और मछुओं को काफी सहायता देने की कोई योजना है ? इस स्थिति में अगली फसल होने तक छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या सरकार उन द्वारा लिये गये ऋण

की शर्तों को उदार बनाने या इन्हें बडे खाते में डालने का कोई प्रबन्ध कर रही है ? अगली फसल उगाने के लिए उन्हें क्या सहायता दी जायेगी ? मछुओं को क्या सहायता दी जायेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रभावित व्यक्तियों को जो सहायता दी जानी होती है उस पर सर्वप्रथम राज्य सरकार विचार करती है, तुरन्त राहत के लिए राज्य सरकार योजना बनाती है। बीजों, उर्वरक तथा मकानों के निर्माण या उनकी मरम्मत के लिए राजसहायता या ऋण देकर अगली फसल को उगाने में सहायता देने तथा उन्हें फिर पांव पर खड़ा करने के लिए राहत कार्य राज्य सरकार ही करती है। राज्य सरकार की प्रस्थापनाओं पर केन्द्रीय दल विचार करता है और तत्पश्चात् एक उच्च स्तर की समिति अन्तिम निर्णय करती है जिसका अनुमोदन अन्ततः वित्त मंत्रालय करता है। इस तरह सहायता की व्यवस्था की जाती है। इस प्रयोजन के लिए निधियों की राशि पर कोई सीमा नहीं है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि किसी राज्य विशेष को किसी समय विशेष पर सहायता देने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है।

मैंने देखा है कि माननीय सदस्यों की मुख्य चिंता समय पर चेतावनी देने की व्यवस्था करने के बारे में है। ...

एक माननीय सदस्य : नहीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : तब यह क्या है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : (पंसकुरा) राहत कार्य और पुनर्वास।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने बता दिया है कि राहत के बारे में क्या किया जा सकता है।

कलकत्ता, परादीप, विशाखापटनम, मसूलीपटनम, मद्रास, करायेकल, गोआ, बम्बई में और हो सकता है कुछ अन्य स्थानों पर राजर स्टेशन हैं। उपगृह भी चक्रवातों, प्रचन्ड दूकानों और मौसम की अन्य दशाओं पर ध्यान रखते हैं। भारत में यह सुविधाएं हैं और जैसा कि आप जानते हैं छठी योजना में ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए 'इन्सैट' का भी उपयोग करने का विचार है। भारत भर में भारी संख्या में आकाशवाणी केन्द्र हैं। पत्तन अधिकारी मछुओं को चेतावनी देते हैं, इस मामले में जितना नुकसान हुआ है वह इस लिए नहीं हुआ कि चेतावनी समय से पहले नही दी गई थी। राहत के प्रश्न पर विचार हो रहा है जैसाकि मैं पहले बता हूं। बाढ़ आयोग का प्रतिवेदन भी मेरे पास है। उसने कुछ सिफारिशें की हैं। अधिकांश सिफारिशों पर कार्यवाही कर ली गई है। राज्यों में ग्राम स्तर तक के सभी अधिकारियों के लिए स्थायी रूप से अभ्यास की व्यवस्था की जाती है कि बाढ़ या चक्रवात या ऐसे अन्य संकटों में क्या क्या करना होता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से रिपोर्टें प्राप्त होने पर यह पता लगाने के लिए कि कितनी राहत अपेक्षित है, हम केन्द्रीय दल भेजेंगे। मैंने कहा है कि प्राकृतिक विपदाओं के मामले में भारत सरकार 75 प्रतिशत खर्च वहन करती है।

एक माननीय सदस्य : वह किस प्रकार का दल होगा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : वह संसदीय दल नहीं होगा।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : श्रीमन् उन्होंने मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया। 1966 में आये चक्रवात के पश्चात् उड़ीसा की 480 किलो मीटर लम्बी तटवर्ती पट्टी पर पौधे लगाने का निर्णय किया गया था। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार ने इस कार्यक्रम को आरम्भ करने और इसमें राज्य सरकार की मदद करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

राव बीरेन्द सिंह : मैं उनका सुझाव उड़ीसा के मुख्य मंत्री को भेज दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सहायता कीजिये। वह उसे मुख्य मंत्री को भिजवा देंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं समुद्री तूफान से पीड़ित उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के लाखों परिवारों के प्रति अपने दल की तरफ से सहानुभूति व्यक्त करता हूं और जो लोग इस तूफान में मारे गये हैं, उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

उपाध्यक्ष जी, उड़ीसा के दो जिले बालासोर और कटक इससे बुरी तरह प्रभावित हुए और पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर और चौबीस परगना जिले प्रभावित हुए और सुन्दरबन का एक तिहाई हिस्सा तो बिल्कुल ही प्रभावित हो गया। इस तरह की प्राकृतिक विपत्तियों का सामना हमारे देश की जनता को हर साल किसी-न-किसी कोने में करना पड़ता है। वक्तव्य में जिन बातों की चर्चा की गई है, उनसे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने फारन कुछ कार्य किया जिससे कि कुछ राहत मिली यह उन सरकार की एफिशियेंसी का द्योतक है। दूसरी तरफ अभी तक केन्द्रीय सरकार स्थिति का जायजा ही ले रही है। इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो किया उसके लिए तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि फारन वह मैदान-ए-जंग में चली गई और अपना काम करना शुरू कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, यह तो प्रत्येक राज्य करता है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 1500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में प्रभावित है। इन क्षेत्रों के सारे ट्यूब-बैल और तलाबों का पानी नमकीन हो गया है। 2 लाख एकड़ जमीन में धान की लहलहाती हुई फसल समाप्त हो गई है और सात हजार मकान पानी में बह गए हैं, पता नहीं वे कहां हैं इतनी बड़ी प्राकृतिक विपत्ति फिर भी सरकार कह रही है कि हम सैन्ट्रल टीम तब भेजेंगे, जब मांग होगी। यह भी कहा गया है कि उड़ीसा के पास 8 करोड़ 71 लाख और पश्चिम बंगाल के पास 13 करोड़ 60 लाख सीमान्त राशि, मार्जिनल एमाउन्ट उनकेपास मौजूद है। क्या आप का कोई कर्तव्य नहीं बनता ? क्या आपकी कोई ड्यूटी नहीं है कि इतनी बड़ी विपत्ति के समय अपनी सहानुभूति को काम में लेकर उनके पास दौड़े जाय और कहें कि हम इतनी मदद आपको देते हैं, आप और मजबूती से काम करो ? आप प्रतीक्षा कर रहे हैं—मैं इसको उचित नहीं मानता। आपको फौरन उनके बिना मांगे ...

राव बीरेन्द्र सिंह : बिना मांगे हुए ?

श्री रामावतार शास्त्री : हां, बिना मांगे हुए, यह आपका कर्तव्य है। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा हिन्दुस्तान के जिगर के टुकड़े हैं, लेकिन आप उनके कहने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे तो अपनी जानकारी इक्ट्ठी करके आपको भेजेंगे, लेकिन आप पहले से कुछ कीजिये। अभी तक आपने इसमें कोताही की है, नाकामयाब रहे हैं। अभी भी समय है, उनकी मदद के लिए फौरन जाइये...

आचार्य भगवान देव : आप हो आये हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : हो आया हूं, तभी बोल रहा हूं। आपने सुना है कि 93 व्यक्ति मारे गये हैं, गैर सरकारी खबरों के अनुसार 175 लोग मारे गये हैं, लेकिन वास्तव में कितने

लोग मारे हैं इसका पता चल जाएगा, सूचना इकट्ठी की जा रही है। यह बहुत भारी विपत्ति है···

राव बीरेन्द्र सिंह : आपके पास तो पहले ही आ गई है।

श्री रामावतार शास्त्री : तभी तो बोल रहा हूं, राव साहब। आपने कहा कि उड़ीसा में समुद्री तूफान 8 दिसम्बर को आया ··

राव बीरेन्द्र सिंह : नहीं।

श्री रामावतार शास्त्री : आप अपने बयान में देखिये। अखबारों में भी यह खबर आई है। बंगाल में 10 सितम्बर को आया···

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु चेतावनी तो दी गई थी।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यही बात उठा रहा हूं। जिस दिन तूफान आया, उसी दिन वार्निंग देने का क्या मतलब है? वार्निंग कितने दिन पहले देने का कायदा है? बंगाल में 10 ता. को तूफान आया-अगर आपकी बात को मान लें, तो उड़ीसा में तारीख 8 को वार्निंग देने का क्या मतलब है, उड़ीसा के लोग इतनी जल्दी नहीं जा सकते थे, उनको कहाँ आसरा मिलता? आपके यहाँ कोई नियम होगा कि इतने दिन पहले तूफान की चेतावनी दी जानी चाहिए, सूचना दी जानी चाहिए, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बतलाया। आपने कहा कि हमने सूचना दे दी, रेडियो सुनने वालों ने नहीं सुनी तो हम क्या करें। सबके पास रेडियो नहीं हैं। जिन इलाकों में तूफान आया, उन इलाकों के लोग निर्धन हैं, क्या आपने उनको कोई रेडियो दिया है? मैं यह भी जानना चाहूंगा क्या आप इन कोस्टल एरियाज में जहां तूफान का खतरा रहता है, सरकार की तरफ से रेडियो सेट्स सप्लाई करेंगे, कम से कम जितने कम्यूनिटी सेन्टर्स देहातों में हैं या शहरों में हैं वहां सरकार की तरफ से मुफ्त रेडियो देंगे?···

राव बीरेन्द्र सिंह : उसके बाद क्या आप जिम्मेदारी लेंगे कि वे टाइम पर रेडियो सुनेंगे?

श्री रामावतार शास्त्री : लेंगे, पहले आप रेडियो दीजिये, फिर उसकी जवाबदेही लूंगा, वरना रेडियो-सेट्स आपको वापस कर दूंगा। अगर आप सचमुच चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था करनी होगी। इतना कह देने से कि लोग रेडियो सुनते नहीं हैं काम नहीं चलेगा। किस चीज से सुनेंगे? गिलास होगा नहीं, तो पानी कैसे पीयेंगे, चुल्लू से?

राव बीरेन्द्र सिंह : पी सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : वह तो मजबूरी में पीते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सुझाव आप राज्य सरकार को दें। दोनों मिलकर तो रेडियो ले ही सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह सुझाव केन्द्रीय सरकार को दे रहा हूं क्योंकि हम लोक सभा में बोल रहे हैं न कि विधान सभा में।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा था कि दोनों मिलकर तो रेडियो दे ही सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : हम यह लोक सभा में कह रहे हैं, अतः यह केन्द्रीय सरकार को करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह समवर्ती सूची का एक विषय है ।

उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात जो मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि जो हर स्टेट में नेचुरल केलेमिटीज एक्ट हैं लेकिन उससे सब राज्यों का काम पूरा-पूरा नहीं चलता है, तो क्या जब कोई नेचुरल केलेमिटीज हों बाढ़ हो, सुखाड़ हो, तूफान हो, समुद्री तूफान हो या कोई और विपत्ति आए, ऐसे मौके पर तुरन्त केन्द्रीय सहायता वहां पहुंच जाए, इस तरह का कोई कानून बनाने का विचार रखते हैं ताकि आपको फिर सरकार की एफीशियेन्सी का इन्तजार न करना पड़े । बंगाल की सरकार की एफीशियेन्सी तो आपने देख ली कि वे फौरन वहाँ चले गये और बहुत जगहों पर लोगों की सहायता कर रहे हैं लेकिन उड़ीसा के बारे में खुद व्यान में आपने कहा है कि उड़ीसा में यह बहुत कम चीज हुई है क्योंकि वहां तूफान का जोर आपके मुताबिक कम है। पता नहीं, वहां के लोग इसके बारे में क्या समझते हैं लेकिन आपने कह दिया है कि वहाँ मौते बहुत कम हुई हैं और केवल 3 आदमी मरे हैं । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा कोई कानून बनाने का विचार रखते हैं जिससे ऐसे मौके पर फौरन केन्द्रीय सरकार राज्य की मदद के लिए पहुंच जाए ।

एक और सवाल है जिस को माननीय सदस्य ने भी उठाया था लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया और कह दिया कि मैं मुख्य मन्त्री को बता दूंगा उड़ीसा में ।

राव बीरेन्द्र सिंह : उन्हें दिक्कत है, तो हम बता देंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : उन्होंने केवल उड़ीसा के लिये पूछा था । मैं उड़ीसा बंगाल और दूसरे जितने तटवर्ती समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं, जहां पर तूफान आने का खतरा रहता है, उनके बारे में पूछना चाहता हूं । समुद्र के किनारे जो गांव या शहर हैं तमिलनाडु में हो या केरल के अन्दर हो, पश्चिम बंगाल में हो या उड़ीसा के अन्दर हो या आन्ध्र प्रदेश में हो, ऐसे तटवर्ती इलाकों के लिये आपके पास कोई एफोरेस्टेशन की योजना है या नहीं ? अगर है, तो क्या है और इस दिशा में आपने राज्य सरकारों को अब तक कौन सी मदद की है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, शास्त्री जी के पास तो ब्यौरा बहुत मालूम होता है लेकिन वह अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं है । मकान कितने गिरे, उनकी तादाद भी बताई खेती का नुक्सान हुआ, कितने एकड़ रकबा खराब हुआ, कितने तालाबों के अन्दर पानी खारा हुआ, यह सब उन्होंने बताया लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास अभी इतने डिटेल्स नहीं हैं और अभी तक पश्चिम बंगाल से पूरी सूचना नहीं मिली है । 13 करोड़ 60 लाख रुपये हम इसी काम के लिए पहले दे देते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या यह पर्याप्त है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इतना पैसा उनके पास है । वे अगर इसको खर्च करना चाहें तो फौरन कर सकते हैं इसके बाद इससे ज्यादा जितना खर्च करेंगे, उसमें फिर 75 फीसदी भारत सरकार देती है ग्रान्ट, नान-प्लान में । तो माननीय शास्त्री जी के यह समझाने की बात है कि जो पैसा सरकार के पास है, वह इसी काम के लिए है । जब तक वह खर्च न हो जाए और उस का हिसाब-किताब भी पूरा लेते हैं, बैगर मांगे और पैसा कैसे दे दिया जाए । कोई तरीका होना है पैसा देने का ।

यह भी शास्त्री जी ने गलत समझा कि 8 तारीख को तूफान आ गया। मैंने यह नहीं कहा था। मैंने यो बताया है कि तूफान 10 तारीख को आया। (व्यवधान)···यह उड़ीसा के नजदीक से निकला और उड़ीसा के अन्दर तूफान नहीं गया लेकिन साहित के इलाके में यह था।

श्री रामावतार शास्त्री : इनके बयान में यह है कि उड़ीसा सरकार से मिली रिपोर्ट के अनुसार इस महीने की 8 तारीख को सायं 5-30 बजे बंगाल की खाड़ी में भयंकर समुद्री तूफान आने का पता चला।

राव बीरेन्द्र सिंह : बगाल की खाड़ी उड़ीसा में है क्या ? बंगाल की खाड़ी और है।

श्री रामावतार शास्त्री : उड़ीसा की सरकार ने यह खबर दी है :

राव बीरेन्द्र सिंह : बंगाल की खाड़ी में तो 5 तारीख को आ रहा था। बंगाल की खाड़ी में 5 तारीख को देखा गया। बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा में फर्क है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने इनके बयान से पढ़ा है और आपने बयान दिया है उड़ीसा सरकार के माध्यम से।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह आप हिन्दी में पढ़ लें या अंग्रेजी में पढ़ लें। उसका समझाने का मतलब इतना ही है कि बंगाल की खाड़ी में तूफान कहीं भी हो, वह उड़ीसा में नहीं था। उड़ीसा के तट के पास तूफान 10 तारीख की शाम को निकला है और 10 तारीख की रात को बंगाल में पहुंचा है। 10 तारीख को ही वहां नुकसान हुआ 17 तारीख को दिल्ली से वार्निंग भेजी गई जिसका सारा ब्यौरा मैंने दिया है। उनका टाइम भी बताया है कि किस तरह से रेडियो के जरिये और मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट के जरिये से डिस्ट्रिक्स अथोरिटीज को कहा गया और लोगों को कहा गया। 7 तारीख के बाद से वार्निंग ही वार्निंग चलती रही हैं। पानी भी वहां पहुंच रहा है। जहां पानी खारी हो गया है वहां मीठा पानी पहुंचाने के लिए कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट नौकाओं की सहायता कर रहा है और इस तरह से मीठे पानी का इन्तजाम किया जा रहा है।

श्री रामावतार शास्त्री : कोई सेन्ट्रल कानून इस बारे में बनाइयेगा या नहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : तूफान आने से पहले कानून बनाएं ? इसके लिए सारा इन्तजाम मौजूद है। आप सिर्फ इतना समझाने की कृपा करें कि जो पैसा सरकार के पास है वह तुरन्त सहायता के लिए होता है ताकि उस पैसे से तुरन्त काम काज चले। उसका ब्योरा जब आता है तब फिर आगे सोचा जाता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : इस वक्तव्य में माननीय मंत्री ने इस आपदा पर भारत सरकार की ओर से खेद व्यक्त किया है। मेरा पहला प्रश्न यह है :—

10 तथा 11 तारीख को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भयंकर तूफान आये थे। 12 तारीख को देश की प्रधान मंत्री पश्चिम बंगाल में थीं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में शांतिनिकेतन में सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया। प्रधान मंत्री स्वयं वहां मौजूद थीं, जहां इतनी भयंकर विनाशलीला हुई। क्या यह अभूतपूर्व नहीं है कि उन्होंने अपने भाषण में मतदाता सूची, राजनीतिक हत्याओं आदि विषयों का तो उल्लेख किया और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के तूफान पीड़ित व्यक्तियों की सहानुभूति में एक शब्द भी नहीं कहा ? क्या यह अभूतपूर्व घटना नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको आलोचना के कई अन्य अवसर मिलेंगे। कृपया आप प्रश्न पूछिये।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह केवल आलोचना कर रही हैं और प्रश्न नहीं पूछ रही हैं। यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इस अवसर का इस प्रकार उपयोग नहीं करना चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। 90 प्राणी मर गए हैं। इस मामले को राजनीतिक रंग मत दीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : प्रधान मन्त्री ने तूफान-पीड़ित व्यक्तियों की सहानुभूति में एक शब्द भी नहीं कहा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उनके भाषण में इन लोगों को सांत्वना देने के लिए एक भी शब्द नहीं था। मेरा दूसरा प्रश्न यह है :—संभव है कि यह प्रश्न असुविधाजनक प्रतीत हो। आकाशवाणी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। देश के सभी भागों में रेडियो हैं। 12 तारीख को लोग इन घटनाओं के बारे में जानने के लिए आतुर थे, इसलिए उन्होंने अपने-अपने रेडियो खोले। परन्तु रेडियो पर इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। यह एक गंभीर स्थिति है। महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि ऐसा क्यों किया गया? मुझे ज्ञात है कि मंत्री महोदय मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। फिर भी मैं यह प्रश्न पूछ रही हूं। मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य से मैं पूर्णतया असंतुष्ट हूं। क्या यह सच है कि पूरे नुकसान का अनुमान नहीं लगाया गया है, बल्कि अनुमान लगाया जा रहा है? वक्तव्य के पैरा 6 में कहा गया है कि राज्य सरकार के अनुसार 93 व्यक्ति मारे गये हैं और लगभग 20 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। अब जहां तक हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है, उसके अनुसार पश्चिम बंगाल के सिंचाई मंत्री ने कहा है कि केवल दक्षिण 24 परगना जिलों में 93 व्यक्ति मारे गये हैं और 20 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। अब यह आंकड़े समूचे पश्चिम बंगाल के लिए कैसे बताये गये हैं? मिदनापुर जिले में ही लगभग 20 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। हावड़ा जिलों में भी हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। केवल अनेक व्यक्तियों की जानें ही नहीं गई हैं अपितु लाखों व्यक्तियों के आजीविका के साधन भी समाप्त हो गए हैं। अधिकांश जिलों में 1978 की बाढ़ों में मुख्य नकदी फसल पहले ही बर्बाद हो गई थी। इसके बाद किसानों ने बड़ी मेहनत करके ऋण आदि लेकर स्थिति को थोड़ा-सा सम्भाला था कि यह भयंकर तूफान आ गया। यह प्रश्न कुछ तुरन्त राहत देने मात्र का नहीं है। उन व्यक्तियों को जो विस्थापित हो गये हैं और जिनकी जीविका के साधन समाप्त हो गये हैं, तुरन्त राहत दी जानी चाहिए। यदि तुरन्त राहत नहीं दी जाती, तो इसके भयंकर परिणाम होंगे और लोगों को अकथनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह वही क्षेत्र है जो 1978 में भी प्रभावित हुआ था और लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था। ऐसी स्थिति में मैं समझती हूं कि केन्द्रीय सरकार ने स्थिति की गम्भीरता का अध्ययन नहीं किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो भी जानकारी दी है, उसे वक्तव्य रूप में सभा में दे दिया गया है। परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि आप तत्काल राहत की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं, क्योंकि यह समस्या बहुत गंभीर है? यदि यह एक केन्द्रीय दल द्वारा स्थानों का दौरा करने का प्रश्न है, तो इसमें बहुत समय लगेगा और उसके काफी समय बाद काफी सोच-विचार के उपरान्त हानि का अनुमान

लगाया जायेगा। इस प्रक्रिया में बहुत विलम्ब हो जायेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि तुरन्त सहायता देने की यह समूची प्रक्रिया किस प्रकार की जायेगी, ताकि प्रभावित व्यक्तियों को कुछ राहत मिल सके।

एक माननीय सदस्य : उड़ीसा में सूखा पड़ा था।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरे राज्य के कुछ भागों में भी सूखा पड़ा है। राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि पुश्तों और तटबन्धों की मरम्मत करने पर 20 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मरम्मत कार्य तुरन्त आरंभ किया जाये।

राव बीरेन्द्र सिंह : जैसा कि मैंने कहा है राज्य सरकार से ऐसी आपदाओं के बाद तुरन्त राहत देने की आशा की जाती है। यदि पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा नहीं किया है, तो मुझे यह जानकर दुःख हुआ है और मैं पता लगाने का प्रयास करूंगा··· (**व्यवधान**) आपने कहा है कि तुरन्त राहत नहीं दी गई है ·· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि यह कार्य पश्चिम बंगाल सरकार को करना है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। वह श्रीमती गीता मुखर्जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उनके सिवाय कोई अन्य सदस्य स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता। हमें नियमों को अवश्य देखना चाहिए। हमारी कार्यवाही नियमों के अनुसार चलती है। (**व्यवधान**)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

कृपया कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल न किया जाये।

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी ने राजनैतिक भाषण दिया है। एक ओर तो उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत सक्रियता से कार्यवाही की है और दूसरी ओर उन्होंने यह संकेत दिया है कि लोगों को तुरन्त सहायता नहीं दी गई है ·· (**व्यवधान**) प्रभावित क्षेत्रों को तुरन्त राहत देना राज्य सरकार का दायित्व है। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो हम पता लगायेंगे··· (**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री के कथन को छोड़कर शेष कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त से शामिल न किया जाये।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप एक ही समय दो तरह की बात नहीं कर सकते। क्या तुरन्त राहत दी गई है अथवा नहीं ·· (**व्यवधान**) हानि के बारे में मैंने जो कुछ कहा है, वह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। मैं समाचार-पत्रों की खबरों के आधार पर कुछ नहीं कह सकता। ये आंकड़े मेरे अपने नहीं हैं। हमें जब भी पश्चिम बंगाल सरकार से और जानकारी मिलेगी और यदि हम समझेंगे कि पश्चिम बंगाल द्वारा दिखाई गई क्षति उससे अधिक है, जिसकी हम पूर्ति कर सकते हैं या इतनी है जिसकी पूर्ति 13.60 करोड़ की राशि से नहीं की जा सकती और केन्द्रीय दल भेजना जरूरी है, तो हम अवश्य अपेक्षित कार्यवाही करेंगे। यद्यपि सरकार ने कुछ राशि कुछ अन्य मामलों के लिये भेजी थी, फिर भी पश्चिम बंगाल सरकार के पास कुछ राशि होनी चाहिए। जब तक हमें पता नहीं चलता कि स्थिति का मुकाबला करने

*कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

के लिए इस 13.60 करोड़ रुपये की राशि से और अधिक राशि की जरूरत है और से इस राशि से स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो हम अपनी ओर से केन्द्रीय दल नहीं भेज सकते। मैंने यह बात पहले भी कही है और माननीय सदस्य को इस बात से सन्तुष्ट होना चाहिए। हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल सरकार से पूरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यह कभी नहीं हुआ है और न ही होगा कि हम पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या किसी अन्य स्थान पर सहायता प्रदान करने के लिए अपना तंत्र भेजें। यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य है और हमने मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं, जिनके अधीन उन्हें तुरन्त सहायता प्रदान करनी चाहिए। हमने ऐसी परिस्थितियों और आपदाओं में स्थिति का मुकाबला करने के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश दे रखे हैं।...(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि बात को बढ़ा-चढ़ाकर न करें। इससे किसी विशेष राज्य को सहायता नहीं मिलती। हमें तथ्यों को ध्यान में रखना होता है। पश्चिम बंगाल के लोग प्रभावित हुए हैं। मैं इस बात को स्वय मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में उड़ीसा की अपेक्षा अधिक क्षति हुई है। हम अवश्य पश्चिम बंगाल के साथ उचित और उदार व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। परन्तु इसका राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास मत कीजिए। इस से कोई फायदा नहीं होगा।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.25 म. प. तक के लिए स्थगित हुई

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.30 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मेम्बर आ रहे थे। उनको आने से रोक दिया गया।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब श्री वेंकटरामन वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : किसी बात को कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल न किया जाये।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। ऐसा न कीजिए। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हर मामले के पेश करने के लिए एक तरीका होता है। उन्होंने नोटिस अब दिया है। उन्होंने अभी मुझे नोटिस दिखाया है। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। कृपया इंतजार कीजिए। उन्हें जाना चाहिए था और अध्यक्ष महोदय से भेंट करनी चाहिए थी और वह अनुमति दे सकते थे। फिर मैं भी अनुमति दे दे देता (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे प्रक्रिया का पालन नहीं करते। (व्यवधान)*

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, श्री बागड़ी शांति से बता सकते हैं कि मामला क्या है और क्या घटनायें हुई हैं। यह मामला सभा में प्रवेश से सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री बागड़ी अध्यक्ष से मिले हैं, तो ठीक है।

* कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी और लोकदल के दो मेम्बर पार्लियामेंटरी आफिस, एनेक्सी में से आ रहे थे, मगर पुलिस ने उनको नहीं जाने दिया और कहा कि प्राइम मिनिस्टर का लंच है, इसलिए इधर से नहीं जा सकते। वे लोक सभा को आ रहे थे। लोक सभा के मेम्बर को लोक सभा को आते हुए रोकना बुरी बात है, गलत बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनीराम बागड़ी जी मैं मामले की जांच करूंगा। मैंने कहा है कि मैं मामले की जांच करूंगा। अब श्री वेंकटरामन वक्तव्य देंगे।

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकट रामन) : महोदय, मैं केरल राज्य के सम्बन्ध में वर्ष 1981-82 के लिये उन पूरक अनुदानों की मांगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पेश करता हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : पहले आसाम के बारे में, अब केरल के बारे में··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले लिये जायेंगे।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र में बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के विशेष संदर्भ में राज्य विद्युत बोर्डों के सम्बन्ध में राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशें

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में उद्योगों एवं किसानों को बिजली कम मात्रा में दी जा रही है, जिससे औद्योगिक उत्पादन तथा खेती पर असर पड़ रहा है। पंप के माध्यस से खेतों की सिंचाई की जाती है, लेकिन राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली सिर्फ चार पांच घंटे के लिए दी जाती है, जिससे कृषक पूर्ण रूप से फसल प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी पैदावार कम होती है। इस तरह उनका आर्थिक बोझ भी अधिक बढ़ जाता है और पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मेरे ही जिले मेलघाट में, जो कि एक आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र है, तथा आस-पास के इलाकों में बिजली के खंबे तो सरकार ने लगा दिए हैं, लेकिन बिजली न होने की वजह से वहां अंधकार ही रहता है। इसी प्रकार जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, महाराष्ट्र में वहां भी स्वतंत्रता के बाद बिजली की सुविधाएं तो दे दी गई हैं, लेकिन बिजली ठीक प्रकार से पहुंचती नहीं है।

आदिवासियों तथा अल्प भू-धारकों को शासन की तरफ से पंप वगैरह लगाने के लिए सबसिडी तो दी गई है, लेकिन अगर विद्युत प्राप्त न हो, तो सिंचाई का कार्य वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। भारत एक कृषि-प्रधान देश है और यहां के अधिकतर लोग खेती पर निर्भर करते करते हैं। उनका जीवन-स्तर तभी सुधर सकता है, जबकि उन्हें बिजली वगैरह की सुविधाएं प्राप्त होती रहें और वे अपनी खेती से पूरी फसल प्राप्त कर सकें।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह राज्य बिजली बोर्डों के काम-काज के बारे में राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों पर तत्काल कार्यवाई करे, ताकि इनके काम-काज में सुधार

हो सके। बिजली के उत्पादन और वितरण में केन्द्र सरकार को अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे कृषि और औद्योगिक विकास को गति मिल सके।

(दो) उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्टेशन पर सवारी गाड़ियों में माल लादने/उतारने की बेहतर सुविधायें

डा. ए. यू आजमी (जौनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से आज मैं अपने क्षेत्र जौनपुर, उत्तर प्रदेश में रेलवे लोडिंग और अनलोडिंग के एक अहम मसले को रूल 377 के तहत उठाते हुए रेलवे मिनिस्टर का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सभी इस बात को जानते हैं कि जौनपुर और पैदावार के अलावा सब्जियों, हरी मटर आलू और मछली का पैदावार का गढ़ है। और इन तमाम पैदावार का बड़ा हिस्सा जौनपुर से बाहर सप्लाई किया जाता है। अगर इस सप्लाई में कोई रुकावट हो जाती है तो सब्जियां वगैरह खराब हो जाती हैं और किसानों को नुकसान के साथ साथ कौमी और मुल्की नुकसान भी होता है।

जौनपुर स्टेशन से दो ट्रेनें स्यालदह एक्प्रेस अप और डाउन रात में और देहरादून एक्सप्रेस दिन में गुजरती हैं।

स्यालदह एक्सप्रेस में 20 क्विंटल लोडिंग जौनपुर से मंजूर है। मैंने भी यह आर्डर देखा है। लेकिन रेलवे गार्ड हमेशा यही कह कर गुजर जाता है कि जगह नहीं है। किसानों की शिकायत पर मैं खुद एक रात उनके साथ रेलवे स्टेशन गया। ट्रेन आने पर मेरे सामने रेलवे गार्ड ने किसानों से कहा कि जगह नहीं है। मैंने गार्ड से अपना तार्रुफ कराने के बाद पूछा कि जब जौनपुर के लिए 20 क्विंटल लोडिंग का सरकारी हुकम है तो आप क्यों नहीं इनका कच्चा सामान लोड करते हैं। तो मुझसे भी कहा कि जगह नहीं है। मैंने डिब्बा खुलवाया तो उसमें जगह थी और बाहर झांपा धनिया की हरी पती बड़ी आसानी से रख ली गई। इस तरह से कर्मचारियों की धांधली से अक्सर किसानों ने बड़े नुकसान उठाए हैं और अपनी गाढ़े पसीने की कमाई का कोई फायदा नहीं उठा सके।

देहरादून एक्सप्रेस जो दिन में गुजरती है वह एम तो यह कि स्टेशन पर बहुत कम वक्त रुकती है, दूसरे यह कि इस में लोडिंग मंजूर नहीं है। इससे भी किसानों और व्यापारियों को सख्त मुसीबत और नुकसान का सामना करना पड़ता है। मैं रेलवे मिनिस्टर से किसानों की इस परेशानी की व बुनियाद पर मांग करता हूं कि—

9 अप और डाउन 10 में कम से कम 20 क्विंटल लोडिंग की मंजूरी दे कर स्टेशन पर देहरादून और स्यालदह एक्सप्रेस के रुकने का वक्त कम से कम तीन मिनट और बढ़ा दिया जाय और कर्मचारियों को हिदायत की जाय कि किसानों व व्यापारियों के साथ हमदर्दी का रवैया रखें, मदद करें और जितनी लोडिंग का हुक्म है कम से कम इतनी लोडिंग आसानी से करें।

(तीन) केरल के मालाबार क्षेत्र में दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए माइक्रोवेव, सम्पर्क स्थापित किया जाना

***श्री वी. एस. विजय राघवन** (पालघाट) महोदय, करेलवासी बहुत अधिक समय से केरल

*मलयालय में दिये गये वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं केन्द्रीय सरकार को त्रिवेन्द्रम में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लेने पर बधाई देता हूं। परन्तु अब यह ज्ञात हुआ है कि त्रिवेन्द्रम में स्थापित किये जाने वाले दूरदर्शन केन्द्र से समूचे राज्य में दूर-दर्शन कार्यक्रम नहीं देखे जा सकेंगे। इससे केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बड़ी निराशा हुई है। इतने दिन प्रतीक्षा करने के बाद भी यदि दूर दर्शन केन्द्र स्थापित करने का लाभ सबको नहीं मिलता तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

वास्तव में माइक्रोवेव प्रणाली से मालाबार क्षेत्र के जिला मुख्यालयों को जोड़ने से ही दूरदर्शन कार्यक्रम को समूचे राज्य तक पहुंचाने की समस्या हल हो सकती है। वहां रैले प्रणाली स्थापित किये जाने से वहां के लोग मद्रास, बम्बई और त्रिवेन्द्रम से रैले किये जाने वाले कार्यक्रम देख सकेंगे। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने हाल में ही लोक सभा में कहा था कि यदि उस क्षेत्र में माइक्रोवेव प्रणाली मौजूद है, तो ऐसी व्यवस्था करना संभव है।

इस लिए मैं माननीय संचार मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि मालाबार क्षेत्र को माइक्रोवेव प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लिए समुचित कार्यवाही की जाये तथा अन्य केरलवासियों के साथ मालाबार के लोग भी दूरदर्शन कार्यक्रम देख सकें।

(चार) बिहार में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पीने के पानी की सप्लाई की समस्या

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : बिहार में छः लाख शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते पटना, रांची तथा अन्य बड़े शहरों में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में काम कर रहे हजारों सरकारी कर्मचारियों को न कार्यालयों में पानी मिल रहा है और न उन की कालोनियों एवं मुहल्लों में। इसके कारण उनमें हाहाकार मच गया है जिसका स्वाभाविक प्रभाव उनके कामों पर पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य कि उन कार्यालयों में हड़ताल के बिना हड़ताल है क्योंकि सारा कामकाज ठप्प है।

भारत सरकार को इस ओर शीघ्र ध्यान दे कर केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों तथा कर्मचारियों के महल्लों में पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पानी के अभाव में उन कार्यालयों में कामों के पूर्ण रूप से ठप्प हो जाने की आशंका है जिसकी जवाबदेही सरकार पर ही होगी।

(पांच) कुटीर क्षेत्र की इकाइयों में माचिसों के उत्पादन पर पुनः अधिकतम सीमा लागू किया जाना

श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर) : वर्ष 1979-80 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर माचिस एककों को प्रोत्साहन देने के लिए माचिस उद्योग के उत्पादन लक्ष्य को पुनर्निधारित किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुटीर उद्योग में मध्यम श्रेणी के एककों का अतिक्रमण न हो और यह सुनिश्चत करने के लिए कि 1.60 रुपये प्रति ग्रूस न्यूनतम उत्पादन शुल्क का लाभ केवल कुटीर उद्योग को ही मिले कुटीर क्षेत्र के उद्योग पर 7 करोड़ 50 लाख माचिस के अधिकतम उत्पादन की सीमा लगा दी गई थी।

कुटीर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जून 1980 में यह सीमा हटा दी थी। परन्तु मध्यम क्षेत्र ने, जिस पर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं की, इसका लाभ

उठाया और वे कुटीर उद्योग में घुस गये तथा न्यूनतम उत्पाद शुल्क का लाभ प्राप्त करने लगे। इस कदाचार को रोकने से भारत सरकार ने अधिसूचना द्वारा मार्च, 1981 में 12 करोड़ माचिस की अधिकतम सीमा लगा दी। परन्तु कतिपय प्रशासनिक समस्याओं के कारण इस अधिसूचना को जून, 1981 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा रद्द कर दिया गया।

अब कोई सीमा नहीं है। इस कमी का मध्यम क्षेत्र के उद्योग पुनः लाभ उठा रहे हैं। तथा उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायिर कर दी है कि चूंकि अब कोई अधिकतम सीमा नहीं है, इस लिए मध्यम क्षेत्र के उद्योगों को भी 1.60 रुपये प्रति ग्रूस के न्यूनतम उत्पाद शुल्क का लाभ मिलना चाहिए और उनसे 4.50 रुपये प्रति ग्रूस की दर से उत्पाद-शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। उच्च न्यायायालय ने 8-12-1981 को अपने निर्णय में उनकी बात को स्वीकार कर लिया है और सरकार को अपील का अधिकार भी नहीं दिया गया है। अब मध्यम क्षेत्र 4.50 रुपये प्रति ग्रूस की बजाये 1.50 रुपये प्रति ग्रूस की दर से उत्पाद शुल्क देता है, जिससे प्रति मास 2 करोड़ रुपये राजस्व की हानि होगी और साथ साथ इस से कुटीर उद्योग के 700 एककों को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। उनके लिए अब मध्यम क्षेत्र के उद्योगों से प्रति योगिता करना संभव नहीं है। अब यह भी खतरा पदा हो गया है कि मध्यम क्षेत्र 19-6-1980 से शुल्क की वापसी का भी दावा कर सकता है, जिससे लगभग 70 करोड़ रुपये वापस करने पड़ेंगे।

अधिसूचना में अधिकतम सूचना की बात न होने की ओर सरकार का ध्यान सितम्बर, 1981 में दिलाया गया था, फिर भी सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं की।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कुटीर उद्योग पर 12 करोड़ माचीस की अधिकाम सीमा लागू करके पुनः अधिसूचना जारी की जाये।

(छ) दिल्ली में ईंट-भट्टों पर कार्यरत मजदूरों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने वक्तव्य द्वारा सरकार का ध्यान मजदूरों के उस वर्ग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसका राष्ट्र के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये मजदूर वर्ग हैं ईंट भट्टों पर काम करने वाला जो चौबीसों घंटे मालिकों की गुलामी करता है और आजीवन फटे हाल रहता है। हमारे देश में लाखों लोग मय अपनी स्त्री बच्चों के अपना वतन छोड़कर दूर-दूर तक भट्टों पर काम करने जाते हैं। दिल्ली में भी करीब तीन-चार सौ भट्टे होंगे जहाँ दूसरे प्रदेशों से मजदूर आकर काम करते हैं। यदि आप जाकर देखें तो मालूम होगा कि मालिकों द्वारा किस हद तक इन मजदूरों का शोषण किया जाता है और ये लोग कैसा नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं।

श्रीमन् दिल्ली में इस समय इंट का भाव लगभग 400 रुपये प्रति हजार है और आपको आश्चर्य होगा कि जो मजदूर कड़कड़ाती हुई सर्दी तथा तपती हुई गर्मो में कठोर परिश्रम करके ईटें थापता है, उसे मजदूरी मिलती है केवल 20 रुपए प्रति हजार और इस काम में सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि उसकी स्त्री और छोटे-छोटे बच्चे सब जुटते हैं। अब मैं आता हूं इनकी आवास व्यवस्था पर। भट्टों के मालिक इनको आवास के नाम पर जो झुग्गियाँ देते हैं, यदि आप उनका

मुलाहिजा फर्माएं तो रोना आता है। ईंटों की दीवारें खड़ी करके उन पर सिरकी का पाल या छप्पर डाल दिया जाता है। उसकी उंचाई इतनी होती है कि आदमी भी खड़ा नहीं हो सकता। सारा परिवार उसी में सोता है और उसी में खाना बनाता है। दरवाजे पर किवाड़ नाम की कोई चीज नहीं होती। सर्दी गर्मी के थपेड़े और धूल मिट्टी के झोंके सबकुछ सहता है इस मजदूर का परिवार उस झुग्गी में। अभी पिछले तीन दिसम्बर की बात है कि महरौली के पास किशनगढ़ में एक भट्टे की दो झुग्गयों में आग लग गई, जिसमें मजदूरों का सबकुछ स्वाहा हो गया। इस कड़कड़ाती सर्दी में दो-तीन भट्टों पर मजदूरों के चार-पांच बच्चे मर चुके हैं। इन मजदूरों के लिए चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं। बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं। प्रौढ़ शिक्षा पर सरकार करोडों रुपया खर्च करती है, किंतु भट्टा मजदूरों को इससे कोई लाभ नहीं। सरकारी सस्ते राशन की दुकानें वहाँ नहीं हैं। मजबूरन उन्हें उंचे भाव पर गल्ला चीनी तथा मिट्टी का तेल आदि आवश्यक वस्तुएं बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। और तो और पीने के पानी की भी इन मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। खुली टकियों से जानवरों की तरह पानी पीना पड़ता है। मालिक लोग भी समय पर इन मजदूरों को पैसा नहीं देते और न ही समय पर उनका हिसाब लिखते हैं। यदि किसी मजदूर पर मालिक का पैसा निकालता है तो वह मालिक उस मजदूर के स्त्री बच्चों को बंधक बना कर रख लेता है और अमानुषिक अत्याचार करता है। चूंकि ये ऐसे मजदूर हैं जो साल में आठ महीने अपने वतन से बाहर रहते हैं और चार महीने बरसात में अपने वतन जाते हैं। जब कभी जनगणना होती है या मतदाता सूची में संशोधन होता और ये मजदूर अपने मूल स्थान पर नहीं मिलते तो मतदाता सूची से इनका नाम काट दिया जाता है और जनगणना में इन्हें शामिल नहीं किया जाता, इस तरह ये लोग भारत के नागरिक ही नहीं रहे। डाक तार की सुविधा भी इन लोगों को नहीं मिल पाती।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों की दयनीय दशा एवं उनके कठोर परिश्रम को ध्यान में रखते हुए इनकी ईंट पथाई का रेट बढ़ाकर कम से 30 रुपये प्रति हजार किया जाए और उपरोक्त वर्णित समस्याओं का समाधान करके उन्हें सभी सुविधाये प्रदान की जायें।

(सात) बिहार में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयां

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : मैं नियम 377 के अधीन लोकमहत्व के प्रश्न की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

बिहार राज्य के करीब 6 लाख सरकारी सेवकों, जिनमें प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षक भी शामिल हैं, दिनांक 12 दिसम्बर 1981 से अनिश्चित कालोन हड़ताल पर चले जाने के कारण राज्यभर में कामकाज प्रायः ठप्प पो गया है। प्रशासन पंगु की स्थिति में पहुंच गया है। स्कूलों में पढ़ाई बंद, अस्पतालो में मरीजों की दुखद स्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। पेयजल शहर में एवं अस्पतालों में बिल्कुल बंद, बिजली भी अस्पताल में बंद, छोटे बच्चे भूखे प्यासे अस्पतालों में हृदय विदारक स्थिति पैदा कर रहे हैं। मरीजों को भोजन एवं दवा देने के लिए एक भी नर्स नहीं है। आपरेशन थियेटर, महिलाओं के प्रसूती-गृह एवं इमारजेंसी भी प्रायः बंद पड़े हुए हैं। इन सरकारी कर्मचारियों को अभूतपूर्व हड़ताल के कारण आम जनता के कष्टों

का ओर-अंत नहीं। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि होम गार्ड या एन. सी. सी. या किसी भी अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा कम से कम अस्पतालों में सेवा उपलब्ध कराएं।

(आठ) देश भर में कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा एक दिन का काम रोको आह्वान

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्रीमान् जी, आल इन्डिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटीज एवं कालिज टीचर्स आर्गनाइजेशन्स के आह्वान पर अपने राष्ट्रीय मांग पत्र के समर्थन में देशभर में कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापक एक दिन के लिए काम रोको कार्यक्रम अपना रहे हैं। उनके मांग पत्र में निम्नलिखत मांगें शामिल हैं :

(1) शारीरिक शिक्षा निदेशकों, पुस्तकाध्यक्षों, डिमोंस्ट्रेटरों, सहायक प्राध्यापकों, कार्टोग्राफरों आदि की समस्याओं का समाधान किया जाना, जिनकी उचित मांगें काफी समय से अनिर्णीत पड़ी हैं।

(2) वेतनमानों का संशोधन किया जाना, जिससे मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक मजूरी में हुए क्षरण का पूर्ण निराकरण किया जा सके और सभी श्रेणियों के अध्यापकों के लिए एक रनिंग ग्रेड दिया जाना।

(3) अल्पसंख्यों द्वारा सचालित संस्थानों में कार्य कर रहे अध्यापकों सहित सभी अध्यापकों के लिए सेवा की सांविधिक सुरक्षा प्रदान किया जाना।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सी. ए. बी. ई. में आल इण्डिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एंड कालिज टीचर्स आर्गनाइजेशन्स को प्रतिनिधित्व दिया जाना।

(5) कालेजों और विश्वविद्यालयों के प्रबध को लोकतांत्रिक बनाया जाना।

(6) अध्यापकों को पूर्ण नागरिक और राजनैतिक अधिकार दिया जाना।

(7) राजकोष से सीधा भुगतान किया जाना।

(8) प्लस 2 और प्लस 3 कक्षाओं के अध्यापकों के लिए सामान्य संवर्ग की व्यवस्था किया जाना।

(9) राज्य विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उनसे संबंध कालेजों के अध्यापकों के बीच सभी परिलब्धियों के मामले में भेदभाव समाप्त किया जाना।

(10) सेवा-निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से कम न हो इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह उच्च शिक्षा के हित में अध्यापकों की इन सभी जायज मांगों को स्वीकार करे।

(नौ) देश में मिट्टी के तेल की कमी

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोकमहत्व के प्रश्न की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

देश में मिट्टी का तेल मिलता नहीं है, लोग दिन भर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। और बाद में निराश होकर घर वापिस लौट आते हैं। गांवों में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सभी तेल डिपों वाले घड़ल्ले से ब्लैक कर रहे हैं। इस पर सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है ?

(दस) पोलैंड में आपात स्थिति की घोषणा

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : पोलैंड में आपात स्थिति की घोषणा स्वाधीनता और लोकतंत्र के आंदोलन के लिए एक गंभीर खतरा है और यह सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर एक आक्रमण है जिसकी विश्वभर के सभी लोकतंत्र प्रेमियों द्वारा निन्दा की जायेगी।

पोलैंड में स्थापित सैनिक परिषद ने हड़तालों और विरोध सभाओं पर रोक लगा दी है, मार्शल ला की घोषणा कर दी है और सभी स्कूल और विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिये हैं। सरकार ने सभी प्रकाशन जब्त कर लिये हैं। सोलीडेरिटी के लगभग सभी नेता गिरफ्तार कर लिये गये हैं।

पोलैंड की घटनायें पोलैंड की एक आंतरिक समस्या नहीं समझी जा सकतीं। विश्व के एक भाग में स्वाधीनता को नष्ट करने से अन्यत्र स्वाधीनता के लिए सदैव खतरा उत्पन्न होता है।

इसलिए मैं विदेश मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह पोलैंड में आपात स्थिति की घोषणा के बारे में सरकारकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक वक्तव्य दें।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान्जी, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय सदन में कोई भी चर्चा नहीं चल रही है। और यदि आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो आपको मेरी अनुमति लेनी चाहिए।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान्जी ऐसा कैसे हो सकता है ? यह एक नयी संसदीय परंपरा है। अब मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अनुमति मांग रहे हैं ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हाँ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर ठीक है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : कृपया संविधान के अनुच्छेद 51 और नियम 115 क (1) (ग) को देखिये। अनुच्छे 51 के अनुसार संसद का यह उत्तरदायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को प्रोत्साहन दे और इसलिए प्रो. दण्डवते ने जो कुछ कहा है उसके बारे में मन्त्री महोदय को निश्चित रूप से वक्तव्य देना चाहिए। पोलैंड में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें अन्धकार में कैसे रखा जा सकता है ? यह काफी महत्व का विषय है और ससदीय कार्य मंत्री इस प्रकार देख रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वह इतने अधिक शान्तचित्त नहीं दिखाई देने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी, प्रो. मधु दण्डवते नियम 377 के अधीन पहले ही वक्तव्य दे चुके हैं। उस पर विचार करना सरकार का कार्य है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ भी नहीं कर सकता।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन आप सरकार को वक्तव्य देने के लिए निर्देश दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर विचार करना सरकार का कार्य है।

प्रो. मधु दण्डवते : पहले ऐसे अवसर हुए हैं जब सदस्यों ने नियम 377 के अधीन मामले

उठाये थे। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, परन्तु महत्वपूर्ण मसलों पर सरकार ने वक्तव्य दिया है। मैं सरकार से केवल यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उसे वक्तव्य देना चाहिए।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या उन पर इस बात के लिए सोवियत संघ का दबाव पड़ रहा है कि वे वक्तव्य न दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस बात को सुन रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद को लेते हैं-अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर आगे चर्चा और मतदान प्रो. नारायण चन्द पराशर भाषण कर रहे थे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठ जायें।

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, हरिकेश बहादुर गिरफ्तार हो गये हैं, लेकिन, उसकी इत्तिला नहीं दी गई है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : हरिकेश बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब जानकारी प्राप्त होगी तो वह सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री मनीराम बागड़ी : हिदायत करिए, इत्तिला देने वालो को।

उपाध्यक्ष महोदय : जानकारी प्राप्त होने के बाद ही। अब हम अगली मद को लेते है।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) जारी
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) जारी

उपाध्यक्ष महोदय : इस कार्य के लिए 3 घटे आवंटित किए गये हैं। अतिरिक्त अनुदानों की मांगों और अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर मतदान आज अवश्य समाप्त हो जाना चाहिए और मैं सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रत्येक पार्टी के वक्ता के लिए आबंटित समय से वह अधिक समय न लें। इसलिये मैं प्रत्येक पार्टी के वक्ता से अनुरोध करता हूं कि वे अधिक समय न लें और यदि वे अधिक समय लेते हैं तो मैं घंटी बजा दूंगा।

अब प्रो. नारायण चन्द पराशर अपना भाषण जारी रखें।

प्रो. नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : श्रीमान जी कल मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रस्तुत किये जाने के बारे में विपक्ष के अपने मित्रों द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियों का उल्लेख कर रहा था। कल मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस सदन की यह प्रथा है और अनुदानों की अनुपूरक मांगों को इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने के बारे में आपत्ति करने वाले माननीय सदस्यों का ध्यान मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके अनुसार अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की जा सकती हैं।

कल विभिन्न शुल्कों और भाड़े की दरों में वृद्धि किए जाने के बारे में भी कुछ सुझाव दिया गया था। यह पूरी तरह समझ में आने वाली बात है कि वार्षिक बजट के समय मूल्यों में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने की संभवना थी परन्तु 15 प्रतिशत की इस बढ़ोत्तरी की बजट में

गुंजाइश से न्याय नहीं किया जा सकता क्योंकि वास्तविक मूल्य वृद्धि 35 प्रतिशत थी और इसलिए व्यय में 245 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। जिसका मैं एक मोटा ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहूंगा। 60 करोड़ रुपए अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के वजह से हैं। 30 करोड़ रुपए की राशि डीजल के लिए, इंधन लागत के लिये है और 20 करोड़ रुपये की राशि बिजली के लिये है। इसी प्रकार लगभग 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरतें हैं। केवल राजस्थान बाढ़ की वजह से ही, जिसके कारण कुछ सुधार करने पड़े 10 करोड़ रुपये की राशि दी गयी थी। रेल सुरक्षा बल को वेतन में 50 रुपए मासिक वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी जिसकी वजह से 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। इस्पात के मूल्य में वृद्धि होने से 70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है।

कल मैंने अनुपूरक अनुदानों की महत्वपूर्ण विशेषता का उल्लेख किया था अर्थात बंगलौर से सेलम मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये नया सर्वेक्षण करने के लिये 10 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। दक्षिणी राज्यों के लिए और उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिये यह बहुत ही अच्छा उपहार होगा। पहले की अनुपूरक अनुदानों की मांगों में पांच रेल लाइनों का प्रस्ताव किया गया था और संसद ने उन्हें अपनी मंजूरी दे दी थी परन्तु इस बारे में योजना आयोग द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। इसे योजना आयोग द्वारा शीघ्र ही मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि धनराशि का पहले ही प्रावधान किया जा चुका है अन्यथा एक बड़ी असंगत स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। जिस धनराशि का प्रावधान किया गया है वह व्यपगत हो जायेगी। और संसद की श्रेष्ठता को धक्का पहुंचेगा। योजना आयोग को मंजूरी देनी चाहिए ये रेल लाइनें देश के सभी भागों में हैं। वे इस प्रकार हैं :

बज बज से नामखाना बड़ी लाइन (100.39 कि. मी.) (पश्चिम बंगाल)
नंगल बांध से तलवाड़ा बड़ी लाइन (83.74 कि. मी.) (हिमाचल और पंजाब)
बरेली से भोजीपुरा बड़ी लाइन (20 कि. मी.) और भोजपुरी से काठगोदाम तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना (87 कि. मी.) (उत्तर प्रदेश)
करूर से डिंडीगुज बड़ी लाइन (72.9 कि. मी.) (तमिलनाडु)
चित्रदुर्ग से राजदुर्ग (100 कि. मी.) (कर्नाटक)
कोरापुट से रायगुडा (174.32 कि.मी.) (उड़ीसा)

योजना आयोग को तत्काल स्वीकृति देनी चाहिए जिससे वे काम शुरू कर सकें अन्यथा यह एक राहस्यास्पद स्थिति होगी कि 8 सितम्बर को इस सदन द्वारा स्वीकृत की गई अनुपूरक अनुदानों की राशि व्यपगत हो जायेगी और इन लाइनों पर कार्य शुरू नहीं होगा। इसे अवश्य शुरू किया जाना चाहिए।

मैं कुछ नये सर्वेक्षण करने के लिए अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत में प्रौद्योगिक गतिविधि बहुत तेजी मे चल रही है। हिमाचल के बिलासपुर जिले में बरमाना में सीमेन्ट संयन्त्र की स्थापना की जा रही है। बरमाना को नंगल तलवाड़ा रेल लाइन से बिलासपुर जिले में घम्ब से जोड़ा जाना चाहिए। लाइन का निर्माण कण्डरौर या डेहर या मण्डी जिले के स्माइल्ला से होते हुए किया जा सकता है और उसे आगे जाहू, हमीरपुर और नादुआ तक ले

जाया सकता है। पंजाब सरकार ने पहले ही यह वचन दिया है कि हिमाचल को जाने वाली परियोजनाओं के लिये वह निशुल्क जमीन देंगे। इस लाइन को अम्ब से होशियारपुर तक बढ़ाया जाय और जालंधर शहर से जोड़ा जाय।

चार पथक पृथक लाइनों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया है। अगर उन लाइनों का पृथक पृथक निर्माण किया जाता है, तो वे वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं होंगी। अगर उनका एकीकृत रूप से निर्माण किया जाता है, तो इससे एक बढ़िया रक्षा पंक्ति उपलब्ध होगी। और आर्थिक विकास के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगी। वे इस प्रकार

देहरादून से डाक पत्थर

(उ. प्र. सरकार द्वारा प्रस्तावित)—40 किलोमीटर यमुना पार पांवटा साहिब से जगाधरी

(हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित)—75 कि. मी. जगाधरी से चण्डीगढ़

(हरियाना सरकार द्वारा प्रस्तावित)—100 कि. मी. चण्डीगढ़ से लुधियाना

(पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित)—लगभग 120 कि. मी.

अगर इसे एक एकीकृत लाइन के रूप में लिया जाय, तो यह एक बढ़िया रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करेगी, जो देहरादून को फिरोजपुर से जोड़ेगी और अम्बाला को बचाते हुए रेल यातायात की भीड़ भाड़ को कम करेगी और चण्डीगढ़ को मुख्य लाइन से मिलाएगी और फिरोजपुर अमृतसर तथा पठानकोट जैसे स्थानों पर पकिस्तान की सीमा से मिलाएगी। इसी प्रकार बड़ी लाइन हिमाचल प्रदेश में कालका से परवानू तक बढ़ाई जानी चाहिए और संसारपुर टेरेस-मुकेरियां सेक्टर और नंगल बांध भाखडा बांध क्षेत्र की रेलवे परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया जाना चाहिए।

मैं एक अन्य महत्पूर्ण मुद्दे को उठाना चाहूंगा जिसका वजह से रेल मंत्रालय को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत के संविधान में सातवीं अनुसूची (राज्य सूची) में यह प्रावधान है कि रेल पुलिस तथा ग्राम पुलिस सहित सभी प्रकार की पुलिस राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। जब कभी भी किसीबस में या किसी अन्य गाड़ी में अपराध होता है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की अथवा केन्द्रीय गृह मंत्रालय की होती है। यदि किसी चलती हुई रेलगाड़ी के सवारी डिब्बे या माल डिब्बे में डकैती या हत्या की घटना होती है चाहे वह सवारी डिब्बा या माल डिब्बा भरा हुआ हो या खाली हो, तो इसकी जिम्मेदारी रेल मंत्रालय की होती है। यह कैसे संभव है ? राजकीय रेलवे पुलिस रेलवे नियंत्रण में नहीं है। रेलवे में कोई भी अपराध-डकैती, हत्या आदि जो रेलवे में होता है चाहे वह चलती हुई रेल गाड़ी में हो या अन्यथा किसी रेलवे क्षेत्र में हो, पर उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होनी चाहिए अथवा संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये और राजकीय रेलवे पुलिस का सम्पूर्ण नियंत्रण रेल मंत्रालय को सौंप दिया जाना चाहिये।

अब मैं दुर्घटनाओं का भी उल्लेख करना चाहूंगा। रेल मार्ग की कुल लम्बाई 61.000 किलोमटर है। रेल तंत्र के अधीन 41,000 फाटक हैं जिनमें से 27 000 रेल फाटकों पर कोई भी कर्मचारी नियुक्त नहीं है। चूंकि इन रेल फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त नहीं है इसलिए प्रतिवर्ष लगभग 100 दुर्घटनाएं होती हैं। अगर उन फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त कर दिये जाते हैं और

रेलविभाग पर्याप्त मात्रा में धनराशि की व्यवस्था करता है तो मेरे विचार में माननीय रेल मंत्री सदन को आश्वस्त कर सकेंगे और भावी दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं संविधान के अनुच्छेद 115 के अधीन सदन में प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं। रेल मंत्रालय ने अच्छा कार्य किया है। उसे माल भाड़े और यात्री किराए से भी अतिरिक्त मात्रा में राजस्व प्राप्त हो रहा है मैं रेल मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और मांगों का समर्थन करता हूं।

डा. सरदीश राय (बोलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय की अतिरिक्त मांगों के साथ अनुपूरक मांगों पर चर्चा करते समय हमें यह उल्लेख करने से नहीं भूलना चाहिए कि पिछले सप्ताह ही माननीय रेल मंत्री ने एक वक्तव्य के माध्यम से दस से पन्द्रह प्रतिशत की मात्रा में रेल भाड़े में वृद्धि की थी। इस वर्ष ही उन्होंने यह कहा था कि रेलवे बजट के माध्यम से रेल किरायों और भाड़े से 356 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की जायेगी और उसके बावजूद माननीय मंत्री महोदय ने अनुपूरक बजट को अथवा अनुपूरक अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अपनाये बिना ही उन्होंने इसे उचित समझा कि। जनवरी, 982 से माल भाड़े में वृद्धि की जाये जिसमें वर्ष के शेष 3 महीनों में 80 करोड़ रुपये की आय होगी।

श्रीमान जी, माल भाड़े में इस वृद्धि को किये जाने का मुख्य कारण विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे साम्राज्यवादी संगठनों द्वारा मुख्य रूप से दबाव डाला जाना है। रेलवे को अपने विकास के लिए इन संस्थानों से लगभग 500 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होती है। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। माल भाड़ों में रेल मंत्री द्वारा वृद्धि करने का प्रास्ताव अनुपूरक रेलवे बजट को प्रस्तुत किये बिना ही पेश करना संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन है और यह इसमें दाल में कुछ अवश्य काला है और इससे सत्तारूढ़ पार्टी में बढ़ती हुई तानाशाही प्रवृत्तियों का पता लगता है जिसका उद्देश्य हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करना है।

विश्व बैंक ने इस ऋण के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। 18 शर्तें निर्धारित की गई हैं। लेकिन मैं उनमें से केवल कुछ शर्तों का उल्लेख करना चाहूंगा। पहली शर्त यह है कि विदेशों से उपकरणों सहित आई. बी. एम. या आई. बी. एम. स्तर के कम्प्यूटर की खरीद की जाये। दूसरी शर्त यह है कि मालभाड़ों में वार्षिक वृद्धि की जाये। यही इन्होंने किया है। तीसरी शर्त यह है दूसरी श्रेणी के किरायों सहित यात्री किरायों में तीव्र वृद्धि की जाये जिससे इन सेवाओं की पूरे लागत व्यय की पूर्ति की जा सके।

चौथी शर्त : उपनगरीय सीजन टिकटों के मूल्य को बढ़ाया जाये।

पाँचवीं शर्त : रेलवे के निगमित ढांचे में सुधार किया जाये।

छठी शर्त : रेलवे के जोनल और डिविजनल ढांचे में परिवर्तन किया जाये और नये ढांचे का निर्माण करने संबंधी मानदण्डों की व्याख्या की जाये।

सांतवीं शर्त : रेल संचालन के वाणिज्यिक पहलू को अधिक महत्व दिया जाए।

आठवीं शर्त : रेलवे बोर्ड में सदस्य (वाणिज्यिक) के एक नए पद का सृजन किया जाए।

नवीं शर्त : रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ रेल अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल अपेक्षाकृत अधिक लंबा होना चाहिए।

ये सभी शर्त निर्धारित की गई हैं। वह विश्व बैंक के निर्देशों के अनुसार माल भाड़े में वृद्धि करने की शर्त को पूरा कर रहे हैं। मालभाड़े में इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं में भारी वृद्धि होगी, इनमें खाद्यान्न से लेकर पेट्रोल आदि, सभी कुछ शामिल है। मूल्यों में इस वृद्धि का प्रभाव सभी लोगों पर पड़ेगा चाहे वे रेल सेवाओं का उपयोग करते हैं या नहीं करते।

सबसे अधिक रोचक बात यह है कि पहले लम्बी दूरी के लिए किराए या भाड़े में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुआ करती थी परन्तु इस बार हम देखते हैं कि अधिक मात्रा में वृद्धि की गई है। 500 कि. मी. दूरी तक केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और 500 कि. मी. से अधिक की दूरी के लिए 15 प्रतिशत वृद्धि की गई है। विश्व बैंक के निर्देशों के अनुसार मंत्री महोदय ने यह उचित समझा कि अनुपूरक बजट को प्रस्तुत किये बिना ही माल भाड़े में वृद्धि की जाए। इसके परिणाम स्वरूप उन राज्यों को, जहां खाद्यान्न की कमी होती है, अतिरिक्त अनाज की ढुलाई पर अधिक धनराशि खर्च करनी होगी और उन राज्यों को माननीय मंत्री के प्रस्ताव के अनुसार और विश्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अधिक मात्रा में धनराशि का भुगतान करना होगा। यह परिणाम है जिसको हमें भृगतना पड़ेगा।

मैं सदन के समक्ष उन बड़े व्यापार गृहों के नामों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनकी ओर रेलवे की राशि बकाया है। मुझे यह बताया गया है कि हमारे नेता श्री समर मुखर्जी ने मंत्री महोदय को अनेक बार अनेक पत्र लिखे हैं लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला है। अभी हाल ही में इसी महीने, श्री समर मुखर्जी मध्य प्रदेश गये थे। उन्होंने वहां कुछ बड़े उद्योगों की सूची प्राप्त की है जिसमें कुछ सरकारी उद्योग भी शामिल हैं और रेल भाड़े और विलम्ब शुल्कों का भुगतान नहीं किया है। मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। वे इस प्रकार हैं।

लाख रुपयों में

	माल भाड़ा	विलम्ब शुल्क	
1. हिन्दुस्तान स्टील लि. (भारत सरकार का एक उपक्रम)	12.71	186.56	इस राशि का 31 अक्तू 1981 तक भुगतान नहीं किया गया है।
2. जामुल सीमेंट वर्क्स (ए. सी. सी. लि. गैर सरकारी क्षेत्र की एक कं.)	3.11	7.28	
3. भारतीय सीमेंट निगम (एक सरकारी उपक्रम)	4.64	75	
4. सेन्चुरी सीमेंट (प्राइवेट कम्पनी)	5.69	48	
5. भारत एल्यूमीनियम कं. लि.	3.67	86·61	
6. भारत रिफ्रेक्टरीज लि. (एक टिक्को कम्पनी	3.05	9.70	
7. ओरियेंट पेपर मिल्स लि. (बिड़ला बंधु की एक कम्पनी)	9.23	2.45	
8. अमलाई (बिड़ला कम्पनी)	5.69	7.41	
9. भारतीय सीमेंट निगम (भारत सरकार का एक उपक्रम)	6.42	18.24	

इस राशि को वसूल किए बिना ही मंत्री महोदय ने इसे ठीक समझा कि माल भाड़े में मनमाने तरीके से संसदीय प्रक्रिया को अपनाये बिना ही वृद्धि कर दी जाये।

अध्यक्ष महोदय ने यह टिप्पणी की है कि मंत्री महोदय को इस वृद्धि को अनुपूरक बजट की अतिरिक्त भाड़े की दरों में शामिल करना चाहिए।

हम यह देखते हैं कि रेलवे मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि कर्मचारियों और रेल प्रबन्धकों के बीच अच्छे संबंध हैं।

आप जानते हैं कि लोको रनिंग कर्मचारियों ने पिछले वर्ष आंदोलन प्रारम्भ किया था। कई सौ कर्मचारियों की छटनी की गई थी। कुछ कर्मचारियों की पदावनति कर दी गई थी। कुछ लोगों को दण्ड दिया गया था। अभी तक बातचीत के माध्यम से कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को बहुत शुरू में ही एक तार भेजा था। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कुछ टिप्पणी की हैं। मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं जिससे रेल मंत्रालय इस बारे में विचार कर सके।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात संघ बनाने की स्वतंत्रता संबन्धी समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन की आम सभा के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और संगठन ने उस प्रतिवेदन को भारत सरकार को दे दिया है। इसमें कहा गया है :

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उसमें से कुछ संकेत ही दीजिये।

श्री सरदीश राय : "सरकार इस बात को ध्यान में रखकर विचार कर रही है कि लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने जिसके सदस्य गिरफ्तार किये गए थे और बर्खास्त किये गए थे, शिकायत समिति के माध्यम से सरकार के साथ अपनी मांग पर पहले चर्चा की थी। इस अवसर पर पक्षों को इस तंत्र को पुर्नगठित करने के लिए प्रयास करना चाहिए था ताकि विवाद न हो।"

"समिति सरकार का ध्यान इस सिद्धान्त पर दिलाती है कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल जैसी परिस्थितियों के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और बर्खास्तिगयों से दुरुपयोग का गंभीर खतरा पैदा होता है और संघ की स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है।

"समिति सरकार से अनुरोध करती है कि वह लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के गिरफ्तार और बर्खास्त सदस्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दे जिसमें विशेषरूप से यह ब्यौरा दे कि क्या कोई व्यक्ति अभी भी गिरफ्तार है और पिछले पैराग्राफ में बताये गये मुकदमों, अपीलों और बहालियों के बारे में भी जानकारी दे।"

सैंकड़ों व्यक्ति बर्खास्त कर दिये गये और जिन लोगों के पास अदालत में जाने के साधन थे वे बहाल हो गये। अभी थोड़े दिन पहले 6-12.81 को उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है। एक श्री अचिन्त विश्वास को रेलवे विभाग द्वारा बर्खास्त कर दिया गया परन्तु उच्चतम न्यायालय ने बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है। इसलिए जो रेलवे कर्मचारी न्यायालय में आ सकते हैं उन्हें राहत मिल जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी यह राय व्यक्य की है। इसलिए मैं मत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इन मामलों पर संबंधित यूनियनों से चर्चा करने के लिए पहल करें।

अनुपूरक मांगों से मुझे पता चला है और रेल मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में कहा है कि दो छोटी रेल लाइनों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। परन्तु मेरी राय में ऐसी बहुत सी छोटी लाइनें हैं जिनका प्रबन्ध रेलवे विभाग कर रहा है, जिनके लिए लाखों रुपये प्रतिवर्ष खर्च किए जाते हैं और उनमें से दो का ही राष्ट्रीयकरण हो रहा है। असम में इन दो रेलवे लाईनों के लिए पिछले 15 या 20 वर्षों में हमने इन रेलवे लाईनों के स्वामियों को जो वार्षिक अंशदान दिया है वह अब दिए जाने वाले मुआवजे की राशि से कहीं अधिक है। इसलिए मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे उन सभी गैर सरकारी रेलों के, जिनका प्रबन्ध रेलवे विभाग द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्रीयकरण के लिए नये सिरे से विचार करें। हमारे राज्य में दो रेलें हैं, एक तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र अहमदपुर-कटवा में और दूसरी बंगपुरा-दामोदर में। इन दोनों रेलों के लिए रेल विभाग कोई खर्च नहीं कर रहा है यद्यपि कई बार यह आश्वासन दिया जा चुका है कि इंजनों और डिब्बों को बदला जायेगा या उनकी मरम्मत की जायेगी — क्योंकि वे कहते हैं कि ये गैर सरकारी रेलें हैं जिनका प्रबन्ध हम चला रहे हैं। इसलिए वहां पर कोई काम नहीं किया जा रहा है और यात्रियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि वे इस समय रेलवे विभाग द्वारा चलाई जाने वाली सभी रेलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए विचार करें।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स यूनियन से हमें यह रिपोर्ट मिली है कि लोगों को अवैध रूप से नियुक्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ व्यक्ति मंत्री के नाम से अधिकारियों के पास जा रहे हैं और नैमित्तिक मजदूरों को नियुक्त करा रहे हैं। बाद में कुछ महीने बाद इन मजदूरों की नियमित सेवा में ले लिया जाता है। चित्तरंजन लोकोमोटिक्स वर्क्स यूनियन ने एक सभा की और इन अवैध नियुक्तियों के विरुद्ध 19 तारीख को जनरल मैनेजर के समक्ष प्रदर्शन किया। कुछ दिन बाद असामाजिक तत्वों ने, जो उनके दल के सदस्य हैं, उस यूनियन के सेक्रेटरी पर हमला किया क्योंकि उस यूनियन ने इन अवैध नियुक्तियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इन अवैध नियुक्तियों को रोकें।

रेलों की दशा बहुत बिगड़ रही है। मंत्री महोदय हमेशा कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है। रेल की पटरियों, डिब्बों और माल डिब्बों को नुकसान पहुंचाया गया है। परन्तु पिछली जनता सरकार तो केवल दो वर्ष के लिए सत्ता में थी जबकि वर्तमान सत्तारूढ़ दल तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही केवल उन दो वर्षों को छोड़कर सत्ता में बना हुआ है।

कई पंचवर्षीय योजनाएं बनायी गई हैं और उन्होंने उन योजनाओं पर भारी धनराशि खर्च की है। परन्तु रेलों के लिए कोई काम नहीं किया गया है और उनके पास धन की भारी कमी रही है। बहुत सी रेल पटरियों को बदलने की जरूरत है। बहुत से डिब्बे क्षतिग्रस्त हैं और बहुत पुराने हैं। इसलिए उन्हें भी बदलने की जरूरत है। रेल की पटरियों की मरम्मत तुरन्त की जानी चाहिए और इन पटरियों और डिब्बों के क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही सदस्यों ने मंत्री महोदय को पिछले कुछ महीनों में एक हजार रेल दुर्घटनाओं के रिकार्ड के लिए बधाई दी है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले की जांच करें और आवश्यक कार्यवाही करें तथा साम्राज्यवादी

शक्तियों तथा भारतीय मुद्रा कोष के समक्ष घुटने न टेकें तथा एक पुनरीक्षित रेलवे बजट प्रस्तुत करें जिसमें नये लगाये गए अतिरिक्त भाड़े को शामिल किया जाये ताकि हमें इस पर चर्चा करने का अवसर मिल सके।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स प्रस्तुत की गई हैं उसके संबन्ध में मेरे पूर्व वक्ता अभी कह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक के दबाव की वजह से यह फ्रेट इन्क्रीज करने की जरूरत पड़ी है। मैं समझता हूं कि इस तथ्य से भी कोई इनकार करके नहीं चल सकता कि पिछला बजट जो प्रस्तुत किया गया उसके बाद जहां तक रेलवेज की परफार्मेंस का सवाल है, ज्यादातर लोगों को यह शंका थी कि जितना 220 मिलियन टन के गुड्स ट्रैफिक के बारे में कहा गया वह पूरा होगा या नहीं लेकिन हम सब को इस बात की खुशी है और रेलवे मिनिस्ट्री इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि वह लोग न सिर्फ यह टार्गेट अचीव करने की तरफ आगे बढ़े हैं बल्कि टार्गेट से भी ज्यादा इस मामले में अचीव करेंगे। साथ-साथ जहां तक रेवेन्यू का सवाल है रेवेन्यू में भी यह उम्मीद की जाती है कि जो बजट प्रोपोजल्स के अन्दर रेवेन्यू एक्सपेक्ट की गई थी उससे करीब-करीब 170 करोड़ ज्यादा आमदनी होगी। लेकिन कास्ट एस्केलेशन और मंहगाई के बढ़ने की बजह से 8 करोड़ कुछ लाख रुपये का उसमें जो प्राफिट बताया गया था उसके बजाय जो डेफिसिट हो रहा है उसको कवर करने के लिए यहां पर यह कदम उठाये गए हैं। इसके बीच वर्ल्ड बैंक को जोड़ कर हर चीज के ऊपर यह बताना कि कोई बाहर की एजेंसी के दबाव की बजह से ये सारे कदम उठाने पड़े हैं यह मैं समझता हूं वास्तविकता को मोड़ करके रखने का प्रयास मात्र कहा जा सकता है। अगर यहां पर इसको बैलेंस नहीं करते तो जनरल रेवेन्यूज के अन्दर जाकर डेफिसिट बजट होगा और वह भार दूसरे सब लोगों को उठाना पड़ेगा। इसके बजाय जो यूजर्स हैं वही उसका भार उठाएं यही ठीक समझ में आता है।

लेकिन मैं रेलवे मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो आपने फ्रेट बढ़ाया है उसमें अगर फूड ग्रेन्स, एडिबल आयल, शुगर, वेजीटेबल, मिल्क और इस तरह की जो जरूरत की चीजें हैं जिसका मनुष्य के जीवन से सीधा संबन्ध है उस पर अगर फ्रेट न बढ़ाया जाय तो ज्यादा उत्तम होगा जिससे उनका सीधा भार उन पर न पड़े और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि जब वह जवाब देंगे तो इन चीजों पर भी गौर करने का प्रयत्न करेंगे।

जहां तक अतिरिक्त भार डालने का सवाल है टैक्स के जरिये या फ्रेट के जरिए, उसके लिए आम जनता के अंदर एक साइकोलाजिकल ऐटमास्फेयर भी उस चीज को सहन करने के लिए तैयार हो, यह भी देखने की आवश्यकता होती है। फ्रेट के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जहां तक पैसेंजर ट्रैफिक का सवाल है आम लोगों के दिलों में यह ख्याल बैठा है कि शायद फ्रेट की प्रायरिटी के आगे पैसेंजर ट्रैफिक की प्रायरिटी बहुत लो हो गई है। देखने में आता है कि चाहे एक्सीडेन्ट्स की बात हो, चाहे पंचुएलिटी की बात हो या जिन डिब्बों में मुसाफिर सफर करते हैं उनकी हालत का सवाल हो—इनके सम्बन्ध में आम लोगों में जो एक सन्तोष होना चाहिए वह संतोष नहीं है। इसका एक सीधा साइकोलोजिकल असर लोगों पर पड़ता है, रातदिन जो लोग ट्रैवल करते हैं उन पर पड़ता है। मंत्री जी जानते होंगे कि पिछले दिनों डीजल की कीमतें बढ़ी तो उससे बसों में आने-जाने में बड़ा खर्चा होता है इसलिए लोग

रेलवे के जरिए ज्यादा सफर करने लगे हैं। पहले रेलवे में जितने लोग सफर करते थे उससे कहीं ज्यादा लोग अब सफर करने लगे हैं। हमारे राजस्थान में जो रेलवेज चलती हैं वहां हालत यह है कि डिब्बों में जितने मुसाफिर समा सकते हैं उससे ज्यादा ही चलते हैं। उसके अलावा छतों पर जितनी बैठने की जगह हो सकती है वहां बैठ कर चलते हैं। यह हालत वहां पर रेलवेज की हो रही है। मैं समझता हूं ट्रेन्स को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही एक्सीडेन्ट्स को रोकने की आवश्यकता है। साथ ही पंक्चुएलिटी लाने की बहुत आवश्यकता है। साथ-ही-साथ जो दूर से आने वाली ट्रेन्स है उनमें सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है। इन सारी चीजों की तरफ ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है।

आज ट्रैक के इम्प्रूवमेंट और कोलिंग स्टाक के इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता को तो हम मानते ही हैं। आज जब सभी लोग इस बात को मानते हैं और दुनिया में जाकर कहते हैं कि एक और दूसरे कन्ट्री में इम्बैलेन्स नहीं होना चाहिए और इस आधार पर हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको लोन दें तब क्या यह जरूरी नहीं है देश के ही अन्दर एक स्टेट और दूसरी स्टेट में जो जबर्दस्त गैप है, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर का भारी गैप है उसको भी दूर किया जाना चाहिए? आज पावर और ट्रांसपोर्ट-यह दो ऐसी चीजें हैं जिन पर बहुत कुछ किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट निर्भर करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे प्रेशर्स डेवलप हो जाते हैं जिनकी वजह से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े बड़े शहरों में ही रेलवे का ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च हो जाता है। कहीं पर तो लाइन को डबल करने में और कहीं पर स्टेशन्स का इम्प्रूव करने पर रेलवे का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस देश के जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है।

हमारे राजस्थान में आपको स्टेट रेलवेज हैण्डोवर की गई थीं। दूसरी जगह की जो रेलवेज थीं उन पर तो गवर्नमेंट का रुपया खर्च हुआ था लेकिन हमारे यहां तो प्राफिट करती हुई रेलवेज आपको सौंपी गई थी। उसके 30-32 साल बाद आज तक वहां पर रेलवेज पर कितना खर्चा किया गया है? हमारे रेल मंत्री जी और रेलवे बोर्ड इस बात को देख लें कि राजस्थान में जो पहले रेलवेज चलती थीं उसमें राजस्थान के लोगों का क्या एम्पलायमेंट था और आज रेलवे में राजस्थान के लोगों के एम्पलायमेंट का क्या रेशियो है? पहले जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और बीकानेर की रेलवे में वहीं के लोगों को एम्पलायमेंट मिलता था लेकिन आज दुर्भाग्य से एक तो वेस्टर्न रेलवे के नीचे राजस्थान आता है और दूसरे नार्दन रेलवे के नीचे आता है। एक रेलवे का रेक्रूटमेंट सेन्टर बम्बई में है और दूसरे का रेक्रूटमेंट सेन्टर इलाहाबाद में है। आज रेलवेज में रेक्रूटमेंट के बारे में आम शिकायत राजस्थान के लोगों को हो रही है कि एम्पलायमेंट रेलवेज में राजस्थान के लोगों को मिलना चाहिए वह रेक्रूटमेंट सेन्टर्स दूर होने की वजह से नहीं मिल रहा है।

इसी प्रकार से मैंने बार-बार कहा है कि बाम्बे और दिल्ली को जोड़ने के लिए ब्राडगेज को कोटा से होकर निकलना पड़ रहा है वरना हिन्दुस्तान की जितनी भी बड़ी स्टेट्स की राजधानियां हैं वह बड़ी लाइन से कनेक्टेड हैं, केवल जयपुर ही ऐसी एक राजधानी है जोकि ब्राडगेज से कनेक्टेड नहीं है। पता नहीं यह कैसे किया जायेगा। कोई दस मील का टुकड़ा भी नहीं बन पा रहा है। आप दिल्ली से लगाकर जयपुर तक बड़ी लाइन से जोड़ने का प्रोजेक्ट पूरा

करना चाहते हैं लेकिन कोटा नीमच सेक्शन जो सैंक्शन हुआ था आप बतायें कि उस पर कितना खर्चा हुआ है ? बहुधा धीमी गति से वह कार्य चल रहा है। श्री कमलापति जी के समय में भी मैंने यह बताया था कि उदयपुर से दिल्ली 450 मील है और दिल्ली पहुंचने में 20 घण्टे का समय लग जाता है। कमलापति जी ने भी कहा कि हम जल्दी करने वाले हैं और पाण्डे जी ने भी कहा कि जल्दी करने वाले हैं। कुछ टाइम टेबल भी तैयार हुआ, लेकिन आज तक उसके सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय होकर कार्यवाही नहीं हुई, जिससे बीच के स्टेशनों में रेलवे को बढ़ाया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध हों।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो चितौड़ नीमच ब्राडगेज किया है, इसके बारे में आपने पिछले दिनों इकनामिक टाइम्स में भी पढ़ा होगा कि जिंक लैंड के जितने डिपाजिट्स राजस्थान में मिले हैं, उससे आपको इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सब आपको राजस्थान से ही मिल सकता है। ब्राडगेज उदयपुर का सर्वे करें, चितौड-भीलवाड़ा-अजमेर तक का सर्वे करें, इससे वहां का आर्थिक विकास होगा। वहां का आर्थिक विकास मिनरल्स से ही हो सकता है नहीं तो कल मौका आएगा आप कहेंगे कि मिनरल्स तो है, लेकिन ब्राडगेज नहीं है इसलिए इन्डस्ट्री दूसरी जगह जायेगी। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने किराए में बढ़ोतरी का है, खाने-पीने की चीजों के अदर आप मेहरबानी करके बढ़ोतरी न करें. इससे आपके बजट के अंदर कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि आपकी सारी अलग-अलग झोन्स की रिपोर्ट आने में देर हो, लेकिन राजस्थान का हित तो तभी होने वाला है जब राजस्थान में मीटरगेज झोन्स का सेन्टर स्थापित हो, जिससे सारी चीजों को ठीक तरह से चलाया जा सके वरना राजस्थान के बारे में मैं यह कहूं तो गलत नहीं होगा कि यह प्रदेश एक तरह से पीछे रह जाता है और कम्प्लीटली इग्नोर होता है। इस तरीके की स्थिति राजस्थान में है और मैं आशा करता हूं कि माननीय रेलवे मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, रेल मंत्री ने अनुपूरक बजट के रूप में भारी धनराशि की मांग की है, क्योंकि इसकी कीमतें बढ़ने के कारण हुए घाटे को पूरा करने के लिए जरूरत है और महंगाई भत्ते के रूप में बड़ी धनराशि देने के लिए धन की आवश्यकता है। श्रीमन्, यह एक कुचक्र है। कीमतें बढ़ती हैं फिर लागत बढ़ती है और उसके बाद आप किराया बढ़ाते हैं जिससे फिर मूल्य वृद्धि होती है। यह एक कुचक्र है। इसे कैसे समाप्त किया जाए ? हम आपको बता रहे हैं कि चूंकि आपने किराया बढ़ाया है इसलिये कीमतें अवश्य बढ़ेंगी और चूंकि कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए आपको अनूपूरक बजट लाना होगा।

श्रीमन्, मैं रेलवे कर्मचारी के परिवार से संबंधित हूं और मैं जानता हूं कि रेलों के सामने भारी आर्थिक संकट है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट का पता चलता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रेलों के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है। अब आपने विश्व बैंक से ऋण लेकर इसका समाधान ढुंढा है। विश्व बैंक के ऋणों के साथ बहुत-सी शर्तें हैं और ये शर्तें हमारे लिए अच्छी नहीं है। आप विदेशों से कम्प्यूटर मंगा रहे हैं इससे देश के उद्योगों को नुकसान होगा। मेरा सुझाव है कि रेल मंत्री को वित्त मंत्री को यह बता देना चाहिए कि कम से कम आगामी 10 वर्षों तक रेलवे विभाग सामान्य बजट में कोई योगदान नहीं करेगा। विपक्षी दल

रेल मंत्री का इस बारे में समर्थन करेंगे। यदि आपने ऐसा नहीं किया कि श्री वेंकटरामन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के पास जायेंगे और श्री केदार पांडे विश्व बैंक जायेंगे और देश विनाश की ओर जायेगा।

मैं रेलवे बोर्ड को बधाई देता हूं—हालांकि मैं रेलवे बोर्ड का आलोचक हू कि उन्होंने पहली बार मिजोरम तक एक रेलवे लाइन बनाई है। आपने यह अच्छा कार्य किया है। रेलवे बोर्ड और उसके अध्यक्ष के इस दावे में कुछ दम है कि रेल भाड़े में अधिक से अधिक वृद्धि कर दी गई है' जो भाड़ा 31 मार्च तक होना चाहिए था वह अब 30 नवम्बर तक लागू रहेगा। इससे अतिरिक्त आय होगी। यहां तक तो यह एक उपलब्धि है। परन्तु ये सभी उपलब्धियां रेलवे प्रणाली के भविष्य की अवहेलना करके प्राप्त की जा रही हैं। यह मेरा आरोप है। आप मेरे जग प्रलय। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रिटायर होने के बाद रेलवे विभाग की दशा खराब हो गई है। आप एक पुराने घोड़े पर चाबूक लगा रहे हैं और इस पर अधिक से अधिक बोझ डाल रहे हैं। परन्तु साथ ही आप इस घोड़ को कुछ भी नहीं खिला रहे हैं। आप नया घोड़ा भी नहीं खरीद रह हैं। आप जानते हैं कि रेल की पटरियों की हालत बहुत खराब है। अपने बजट में जो आपने मार्च, 1981 को सभा में पेश किया था, आपने कहा था कि लगभग 6 से 7 हजार किलोमीटर रेल पटरियां खराब हालत में हैं। अब इन खराब पटरियों की लम्बाई 10 हजार किलोमीटर हो गई है। अब रेकों की भारी कमी है। पूरी पैसेंजर गाड़ी के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक समय इसमें 11 से 13 रेक थे। अब ये 6 और 7 रह गये हैं। आप उड़ीसा से आने वाले किसी भी संसद सदस्य से पूछिए और वह आपको बताएगा कि इन 6 और 7 में से 2 या 3 पार्सल गाड़ियां हैं। उड़ीसा के यात्रियों की दशा बहुत खराब है। बम्बई एक्सप्रेस गाड़ी में जो कि भारतीय रेलों की एक महत्वपूर्ण गाड़ी है पहले 3 या 4 प्रथम श्रेणी के डिब्बे होते थे। अब प्रथम श्रेणी का कोई डिब्बा नहीं है। जब यात्री इसकी शिकायत करते हैं तो रेलवे अधिकारी कहते हैं कि आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। टी. टी. ई. और यात्रियों के बीच झगड़ा होता है। यह हम हर रोज हावड़ा और बम्बई के प्लेट फार्मों पर देखते हैं।

दुर्घटनाओं के बारे में बहुत-सी बातें कही गई हैं। मैं उनके बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहूंगा। परसों (अर्थात 13 तारीख को) कलकत्ता में भूमिगत रेलवे से एक दुर्घटना हुई जिसके कारण पानी की सप्लाई रुक गई। यह कलकत्ता निगम की किसी गलती के कारण नहीं हुआ। भूमिगत रेल टूट गई जिससे कारण पानी का पाइप टूट गया जिसकी वजह से लोगों को बहुत-सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा।

रेल गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं इतनी हो रहीं हैं कि अब अधिकारियों ने उसका रिकार्ड रखना ही बन्द कर दिया है। ये घटनाएं रेल पटरियों की खराबी के कारण हो रही हैं। टाटा मार्सलिंग यार्ड में एक वर्ष के अन्दर रेल गाड़ियों के पटरी से उतरने की 773 घटनाएं हुईं। इसी प्रकार खड़गपुर मर्सालिंग यार्ड में एक वर्ष में ऐसी 557 घटनाएं हुईं। लोको रखरखाव की स्थिति बहुत खराब है। आप उन्हें फालतू पुर्जे नहीं देते। आप जो पुर्जे उन्हें देते हैं वे घटिया किस्म के होते हैं। आपके अधिकारी जो इस माल को खरीदते हैं वे उन कंपनियों को भली भांति जानते हैं जो ऐसा घटिया माल सप्लाई करती हैं।

जहां तक यात्रियों की सेवा का प्रश्न है इसमें दिनोंदिन गिरावट आ रही है। गाड़ियों में

आपको पानी, बिजली, पखे आदि का अभाव मिलता है। रेल डिब्बों में घटिया किस्म का खाना दिया जाता है। यदि आप वहाँ जायें और खाना खायें तो आप कहेंगे : राम नाम सत्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले भगवान का नाम लीजिये और फिर खाना खाइये। यह बेहतर होगा।

श्री नारायण चौबे : जलपान विभाग के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं आप ठेका प्रणाली शुरू कर रहे हैं। आप यह क्यों कर रहे हैं ? यह पहले कभी नहीं किया गया। कालका मेल में भी आपने जलपान विभाग में ठेका प्रणाली शुरू की थी। मुझे पता नहीं कि रेलवे बोर्ड या रेलवे मंत्रालय को इन ठेकेदारों से कोई कमीशन भी मिलता है या नहीं। मैं 27-11-1981 को 82 डाउन द्वारा दिल्ली से हावड़ा गया था। मैंने हावडा से दिल्ली तक 81 अप द्वारा यात्रा की थी। अपनी यात्रा के समय मैंने ए. सी. सी. दो टायर वाले डिब्बे में बहुत-सा कूड़ा-कर्कट पाया। हमने स्वीपर को बुलाया किन्तु स्वीपर उपलब्ध नहीं था। जब गाड़ी मुगलसराय पहुंची तो कंडक्टर स्वीपर को बुलाने गया तो वहां कोई स्वीपर नहीं था। माइक पर घोषणा की गई। फिर भी स्वीपर नहीं आया। पहले इस गाड़ी के साथ मुगल सराय से हावड़ा तक एक स्वीपर जाया करता था। अब इसे बन्द कर दिया गया है क्योंकि रेल अधिकारी स्वीपरों को ओवरटाइम नहीं देते और बिना ओवरटाइम स्वीपर हावड़ा नहीं जाते। अब ओवरटाइम से बचने के लिये अधिकारियों ने यह आदेश दे दिये हैं कि स्वीपर गया तक ही जायेगे। परन्तु स्वीपर गया तक भी नहीं जाते। इसलिए डिब्बों में काफी कूड़ा-करकट रहता है।

18-12-1981 को हमने कलकत्ता से यात्रा की और हमें बिस्तर लेने में कुछ कठिनाई हुई। अधिकारियों ने कहा चूंकि जिन डिब्बों में हम यात्रा कर रहे थे वे पश्चिम रेलवे के हैं इसलिए पूर्वी रेलवे पश्चिमी रेलवे के डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बिस्तर नहीं देगी। गाड़ी कलकत्ता से रवाना हुई और सभी 46 यात्रियों को बिस्तर नहीं दिये गये यद्यपि उसके लिए अधिकारियों से अनुरोध किया गया था।

आप अपना वचन पूरा करने से असफल रहे हैं। आपने इस सभा में जो वचन दिया था उसे आपने पूरा नहीं किया है। आपने कहा था कि पुरूलिया-कोटशिला लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जायेगा। परन्तु आपने यह काम अभी तक शुरू नहीं किया है। हमारे साथ धोखा किया गया है। धनाभाव के कारण हावड़ा-अमटा सेक्शन पर काम रोक दिया गया है। आप इस बात को जानते हैं। इसी प्रकार तालुक-दीक्षा और नाकुरा-मजिया सेक्शनों पर भी काम रोक दिया गया है। अब उस क्षेत्र में एक बड़ी कोयला खान पट्टी बन रही है। इसलिए बंकुरा को रेल मार्ग द्वारा मजिया होते हुए रानीगंज से जोड़ दिया जाये।

आपने 1980 और 1981 में मुझे बतया था कि खड़कपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत की एक डीजल वर्कशाप बनाई जायेगी। आपने इस आशय का एक पत्र भी मुझे लिखा है। परन्तु इस सबन्ध में कोई कार्य आरंभ नहीं किया गया है। आपने अपने पत्र संख्या 80/डब्लू02/21/60 (एम. आर.-23) दिनांक 29 अक्तूबर, 1981 में पुराने रद्दी क्वार्टरों (132 यूनिट) और पुराने बाजार के टाइप II क्वाटरों (64 यूनिटों) के बदले में 18 लाख रुपये की लागत पर टाइप I के क्वाटरों के 50 यूनिट बनाने का वचन दिया है। मैंने अधिकारियों से पूछा कि ये क्वार्टर क्यों नहीं बनाये गये हैं परन्तु अब आपने इस वर्ष केवल 10,000 रु. की मजूरी दी है।

अधिकारीगण इस दस हजार रुपये से कैसे काम शुरू कर सकते हैं? इस प्रकार आप सभा को गुमराह करने के जिम्मेदार हैं। मुझे लिखे गये पत्र में बताया गया काम शुरू नहीं किया गया है। यह केवल सभा को गुमराह करना है।

दूसरी बात रेलवे कालोनियों में रेलवे कर्मचारियों की दशा के बारे में है। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। किसी भी सरकारी उपक्रम में काम करने वालों की तुलना में उनका वेतनमान बहुत कम है। उन्होंने समान वेतन की मांग की है और अब वे अपनी इस मांग को भूल गये हैं। दूसरी ओर उन्हें दिया जाने वाला अतिरिक्त महंगाई भत्ता भी रोक दिया गया है। पांच वर्ष से अधिक की सेवा वाला कोई भी रेलवे कर्मचारी बड़े ऋण से मुक्त नहीं है। 90 प्रतिशत रेलवे कर्मचारी कर्जे में हैं। इसके अलावा रेलवे कालोनियों में बेरोजगारी विद्यमान है। रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या उनके लड़कों और आश्रितों की बेरोजगारी है। यदि आप मुगलसराय, खड़गपुर और अन्य स्थानों जैसी बड़ी-बड़ी रेलवे कालोनियों में रेल कर्मचारियों के लड़कों और आश्रितों को रोजगार देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो इससे उनमें भारी भ्रष्टाचार होगा और इन कालोनियों में अपराध होने का डर रहेगा। उनके नौजवान लड़के अपराध की ओर प्रवृत्त होंगे। अब रेलों में एक वास्तविक अघोषित आपात-स्थिति है। बहुत से रेल कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है।

आपने भारतीय रेल अधिनियम की धारा 14(2) लागू करके 1200 लोको रनिंग कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया है। अभी हाल ही में 24 अक्तूबर, 1981 को दन्तन पी. डब्लू. आई. में खड़गपुर डिविजन के दक्षिण-पूर्व रेलवे के दो गेंगमैनों को भारतीय रेल अधिनियम की धारा 14(2) लागू करके नौकरी से निकाल दिया गया है। यह स्थिति आपके सत्ता में रहते हुए चल रही है। आप एक कार्मिक संघ नेता हैं। आपके नेतृत्व में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इन गैंगमैनों की गलती यह थी कि उन्होंने महीने की 24 तारीख को अपना वेतन माँगा था उन्हें वेतन की अदायगी इसी तारीख को होती है। रेलवे अधिकारी यह अदायगी नहीं कर सके और जब इन गेंगमैनों ने इसका विरोध किया तो उन्हें नौकरी से हटा दिया गया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों में घोर निराशा है। उनका मनोबल टूटा हुआ है और यद्यपि वे इस समय हड़ताल नहीं कर रहे हैं तथापि ऐसा मत समझिये कि वे स्थिति से खुश हैं। रेलवे कर्मचारी इसका अवश्य विरोध करेंगे। आल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन हड़ताल के बारे में फैसला करने के लिए फरवरी के महीने में एक बेलेट कर रहा है। आप अपनी मान्यता प्राप्त फेडरेशनों पर निर्भर हैं परन्तु रेलवे कर्मचारी इन फेडरेशनों को मान्यता दे रहे हैं। यदि आप रेलों को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, जैसा कि आपके पूर्वाधिकारी श्री एल. एन. मिश्र ने किया था तो आप कृपया रेलवे कर्मचारियों की सभी मान्यता प्राप्त अथवा गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों की एक बैठक बुलायें और उनकी कठिनाइयों को सुनें और उनके लिए कुछ करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अतत: रेलवे कर्मचारियों का धैर्य टूट जायेगा और वे आपके ई. एस. एम. ए., एन. एस. ए. और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 14(2) के बावजूद हड़ताल करेंगे।

श्री शान्तु भाई पटेल (साबरकंटा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, रेल मन्त्री जी ने जो सप्लीमेंटरी बजट यहां रखा है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। रेल का काम

सारे देश में बढ़िया चलता है। इसमें कस्ट्रक्शन के काम के लिये ज्यादा पैसे की जरूरत है, इसलिये यह सप्लीमेंटरी बजट इधर लाया गया है। इस बजट का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन मेरे चुनाव-विस्तार के एक-दो प्रश्न हैं जिनके बारे में मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

इस हाउस में माननीय सदस्यों ने रेलों के एक्सीडेंट्स, लेट चलना व माल-वहन के बारे में अनेक मुद्दे उठाये गये हैं लेकिन मेरे चुनाव-क्षेत्र में जो एक बड़ी नई लाईन के निर्माण के काम में एक्सीडेंट हुआ है, उसके बारे में मैं रेल मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

साबरकंटा गत विस्तार (चुनाव-क्षेत्र) गुजरात में आया है। यह आदिवासी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें बैकवर्ड तालुका ज्यादा हैं। यहां के विकास के लिये 4 साल पहले नडियाड़ से कपड़वंज व मोडासा में रेल का निर्माण काम शुरू हुआ था जो कि तीन साल तक चला। उस 3 साल में ब्रिजेज का काम हुआ, अर्थ-वर्क हुआ, छोटे नाले का काम हुआ। यह क.म 1980-81 तक हुआ। 1981-82 के रेल बजट में इसके लिए 10 लाख का प्रावीजन किया गया था। अब 8-10 महीने होने के बावजूद भी वहां काम शुरू नहीं किया गया है बल्कि उस पैसे को दूसरे काम के लिये एलाट कर दिया गया है। इस निर्माण काम पर देढ़ करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। यह बड़ी इम्पार्टेन्ट लाइन है। इसमें नडियाड से कपड़वंज तक नैरोगेज लाइन को ब्राडगेज बनाना है और कपड़वंज से मोडासा तक नई लाइन के निर्माण का काम है। इस काम का प्राविजन तीन साल पहले से बजट में किया जाता रहा है। इस पिछड़े आदिवासी क्षेक्ष के डेवलपमेंट के लिए इस लाइन का प्राविजन किया गया है। मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस काम को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी आदेश देदें।

रेलवे की कनसल्टेटिव कमेटी में मन्त्री महोदय ने बताया था कि 1981-82 में इस काम पर 60 लाख रुपये ज्यादा खर्च किये जाएंगे। मगर रेल मन्त्रालय के एक आफिसर ने बताया है कि इस बारे में कोई प्राविजन नहीं हुआ है और अभी यह काम चालू नहीं होगा। मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि यह काम करना बहुत जरूरी है। पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए यह काम करना बहुत जरूरी है। अगर इस काम को पूरा न किया गया, तो जो डेढ़ करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है, वह फिजूल जाएगा। इस लिए इस काम को जल्दी से जल्दी चालू करके पूरा करना चाहिए।

वहां पर जो स्टाफ रखा गया था—एक्सीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और डिपुटी इन्जीनियर आदि, उसको वहां से हटा कर दूसरी जगह भेज दिया गया है। इसी तरह वहां पर जो सामान, मैटीरियल और रेलवे लाइन आदि थी, उन्हें भी उठा कर दूसरी जगह ले गए हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम जल्दी से जल्दी चालू किया जाए।

चालू वर्ष के बजट में 10 लाख रुपये का प्राविजन किया गया है। इसके अलवा मन्त्री महोदय ने कनसल्टेटिव कमेटी में 60 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने की बात कही है। वह काम जल्दी से जल्दी चालू करके यह सारी रकम 1981-82 वर्ष के समाप्त होने से पहले खर्च की जानी चाहिए।

जो गाड़ियां इर्रेगुलर चलती हैं, समय पर नहीं चलती हैं, उसके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन टाइम नहीं है। आखिर में मैं फिर कहना चाहता हूं कि नडियाड-कपड़वंज-

मौडास रेलवे लाइन के निर्माण-कार्य को जल्दी से जल्दी चालू करके पूरा किया जाए। इस नम्र निवेदन के साथ मैं इस सप्लीमेंटरी बजट का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी। मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य श्री शान्तु भाई पटेल के उदाहरण पर चलें।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : श्रीमन जब हमारा दल सत्तारूढ़ दल बन जायेगा तो मैं भी कम समय लिया करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो अपने दल में भी विद्रोही हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : श्री स्वामी देश के बारे में बात करें, चीन के बारे में नहीं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमन मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि मुझे क्या बोलना चाहिए।

श्री विलास मुत्तेवार : वह कभी रेल पर चलते ही नहीं हैं, उन्हें रेलों के बारे में क्या मालूम है?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आपकी पार्टी को डीरेल करने में लगा हूं।

श्री विलास मुत्तेमवार : वह तो नहीं हो सकता।

डा सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमन, रेल मन्त्री ने कहा है कि पिछले एक वर्ष में जब से उन्होंने कार्यभार सम्भाला है, रेलों में कुछ सुधार हुआ है। आंकड़ों में कुछ सुधार दिखाया जा सकता है परन्तु प्रश्न यह है कि क्या आंकड़ों में दिखाये गये इस सुधार का रेल मन्त्रालय के वास्तविक विचार से भी कोई सम्बन्ध है या नहीं। 1977-78 की तुलना में जो रेलों के पिछले 34 वर्षों के कार्य निष्पादन को देखते हुए सबसे अच्छा वर्ष है, श्री पांडे के पिछले एक वर्ष का कार्य कुछ भी नहीं है।

आप धन का प्रश्न लीजिए। छठी पच वर्षीय योजना में रेलों के जो वास्तविक लक्ष्य रखे गये हैं, उनके लिए अनुकूल धन का आवंटन नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए इस योजना में 10,000 डिब्बों का लक्ष्य है जबकि उसके लिए 5,000 रु. रखे गये हैं। जितनी राशि रखी जानी थी यह उसका 50% है। बैगनों के मामले में 60% और लकड़ी के स्लीपरों के सम्बन्ध में 33% और रेल लाइनों के मामले में यह राशि केवल 30 प्रतिशत बैठती है। अतः छठी योजना में रेलों के लिए उनके लक्ष्यों के अनुपात में बहुत कम राशि रखी गई है। अतः आगामी वर्षों में रेलों के कार्य में गड़बड़ी हो सकती है।

इसके साथ ही रेलों के अनुरक्षण का स्तर भी गिरता जा रहा है। 10 हजार किलोमीटर रेल लाइनों 20% यात्री डिब्बों तथा 65000 बैगनों के बदले जाने की जरूरत है। लेकिन इस बारे में कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया। बैगनों के लिए नये डिजाइन बनाने का भी कोई कार्यक्रम नहीं है। रेल कर्मशालाएं 95% तक क्षमता का उपयोग कर रही हैं लेकिन उनके आधुनिकीकरण का कोई कार्यक्रम नहीं है। वास्तव में एक श्री झा हैं जिन्होंने 'टाइम्स आफ इंडिया' में एक लेख में लिखा है कि कालका रेल कार्यशाला में एक मशीन ऐसी है जो 1901 में लगाई गई थी अर्थात वह 80 वर्ष पुरानी है। पता नहीं शायद आप उस समय पैदा हुए थे या नहीं। मशीन इतनी पुरानी है।

जब आप अन्य क्षेत्रों को देखते थे तो भी स्थिति नहीं नजर आती है। उदाहरण के लिए

बम्बई उपनगरीय रेल यातायात के अनुरक्षण में भी बिल्कुल कमी है। दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यह खतरा है कि बम्बई उपनगरीय रेलों के डिब्बों के फर्श किसी दिन भी टूट सकते हैं जिससे सैंकड़ों यात्री रेल लाइनों पर ही बिजली का करंट लगने से मर जायेंगे। लेकिन रेल विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है।

रेलों को अभी नई लाइनों सम्बन्धी कार्यक्रम लागू करना है। अब पटना के लिए कई नई गाड़ियां हैं। आपसे पहले मंत्री जी के समय में वाराणसी के लिए कई नई गाड़ियां चलाई गयीं थी। अब श्री सुखाडिया की आपके मंत्रालय पर दृष्टि है। वह जयपुर से दिल्ली तक बड़ी लाइन चाहते हैं। यह सब राजनीति के हिसाब से हो रहा है। जहां काम होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है।

असम में रेल लाइनों का क्या हुआ? पूर्वोत्तर क्षेत्र में छः लाईने मंजूर की गई थीं। मैं असम गया था। वे कहते हैं कि हमारी अवहेलना की गई है। मैंने पूछा कि इसका प्रमाण क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि जनता शासन के समय छः रेल लाइनें चालू की गई थीं लेकिन तब से कोई नई लाइन नहीं मिली है।

इसी प्रकार बम्बई नगर को पर्याप्त गाडियां नहीं मिल रही हैं। हम मानखुर्द-पानवेल-बेलापुर रेल लाइन चाहते हैं योजना आयोग ने इसकी अनुमति दे दी है। मध्य रेलवे ने इसकी योजनाबनाई थी। लेकिन रेल मंत्रालय ने छठी योजना में इसके लिए इकार कर दिया है। यदि यह लाइन रुकी है तो उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा क्योंकि यदि बम्बई को कष्ट होता है तो समूचे देश को कष्ट होगा। बम्बई अपने बुद्धिजीवियों मेहनती और गतिवान लोगों के लिए प्रसिद्ध है। बम्बई से पैसा भी मिलता है। बम्बई से ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? इस लाइन को रोकने का क्या स्पष्टीकरण है? जनता शासन के समय तो सब निश्चित हो गया था। क्योंकि बम्बई ने जनता को मत दिया इस लिए उन्हें यह लाइन नहीं मिली।

लेकिन श्री पाण्डे, आप बहुत समझदार और अच्छे आदमी है। मैं चाहता हूं कि जब तक आपके दल का मन्त्रिमण्डल रहे आप मंत्री बनें रहें यद्यपि मंत्रिमंडल अधिक दिन तक नहीं चलेगा। आप इस लाइन को उच्च प्राथमिकता दें।

महोदय, रेल मंत्रालय के अन्दरुनी स्रोतों से मुझे यह जानकर खेद हुआ कि लेखों की प्रक्रिया बदली जा रही है ताकि रेल मंत्रालय की अच्छी स्थिति पेश की जा सके। यह अन्तिम बात कह कर मैं चुप हो बैठ जाऊंगा। यह बात काफी गम्भीर है। उन्होंने संतुलन दिखाया है या अगला घाटे का बजट दिखायेंगे जो वास्तविकता से काफी कम है। वे कैसे कर रहे हैं? उन्होंने मूल्यह्रास सम्बन्धी ढंग ही बदल दिया है। सामान्तया मूल्यह्रास रोलिंग स्टाक के वर्तमान मूल्य का 3% होता है। उन्होंने इसे रोलिंग स्टाक के खाते में दर्ज मूल्य का .7 प्रतिशत कर दिया है। खाते में दर्ज मूल्य का अर्थ है उसकी मूल लागत वर्तमान स्थिति से उसका कोई संबंध नहीं। दूसरी बात यह है कि .7% मूल्यह्रास का अर्थ है कि रोलिंग स्टाक 140 वर्ष तक चलेगा। क्या कोई वस्तु इतनी देर तक चलती है। कोई रेल का डिब्बा या बैगन 30 वर्ष से अधिक नहीं चलता। वे बढ़िया चित्र प्रस्तुत करने हेतु ऐसा कर रहे हैं। संसद को धोखा देने का यह एक और ढंग है। यदि वह .7% मूल्यह्रास के साथ रेल बजट प्रस्तुत करते हैं तो हम उनके

विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव लायेंगे। मैं यह अग्रिम सूचना दे रहा हूं। मैं यह अन्तिम बात कह कर बैठ रहा हूं। क्या मुझे और समय मिल सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं आप समाप्त करें।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा उनसे आग्रह है कि बम्बई उपनगरीय यातायात के लिए एक महाप्रबन्धक के अधीन अलग विभाग बनाया जाये और पश्चिम रेलवे तथा मध्य रेलवे को मिला कर एक महा प्रबन्धक के अधीन कर दिया जाये लेकिन बजट में इसके लिये अलग आवटन किया जाये। छठी योजना में कम से कम 500 करोड़ रुपये इस कार्य हेतु रखे जायें अन्यथा बम्बई में संकट पैदा हो जायेगा और लोगों में असंतोष फैल जायेगा और आपकी सरकार का पतन हो जायेगा। मैं आपको चेतावनी देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : उपाध्यक्ष जी, माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हूं। हमारे विरोधी पक्ष के बहुत से लोग तरह-तरह की बातें यहां पर कर रहे थे लेकिन मैं सोचता हूं एक शायर ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा है :

तस्बीह तोड़ने में उनका ही हाथ था,
जो रो के कह रहे हैं कि दाने बिखर गये।

हमने इस देश में जो तरक्की की है, श्रीमती इन्दिरा जी के नेतृत्व में, इमरजेन्सी के समय और उससे पहले तथा उसके बीच में जो दो साल आये जनता पार्टी के शासन के, उसमें सिवाय वाहवाही लूटने के न तो कोई ट्रेक में सुधार किया गया और न ही कोई नयी रेलवे लाइनें बिछाने का काम किया गया, न तो वर्कशाप्स को बढ़ाया गया और न मेन्टीनेन्स में ही कोई तरक्की हुई। मैं मानता हूं दण्डवते जी बड़े लायक आदमी हैं लेकिन जो 11 भाइयों की खेती थी उसमें एक भाई अकेला क्या कर सकता था ?

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

हमारे पांडे जी को अभी एक साल से जो रेलवे का बर्डन मिला है इसमें मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि रेलवे फ्रेट और ट्राफिक बढ़ा है। पिछले साल के मुकाबले इन 8 महीनों में 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार से पिछले बजट में जो अनुमान साल भर का लगाया गया था, जो कमाई होने वाली थी उससे 140 करोड़ की ज्यादा कमाई इन 8 महीनों में हुई है। इसके लिए हमारे रेल मंत्री बधायी के पात्र हैं कि वे रेलवे को प्राफिट में लाये हैं।

विरोधी पक्ष की ओर से बहुत से आरोप लगाये गये हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज रेलवे के कारण ही हर पावर स्टेशन के पास 20 दिन के कोयले का स्टाक बन सका है। रेलवे के कारण ही पूरे देश में एसेंशियल कमाडिटीज लोगों तक पहुंचाई जा सकी है। केवल पैसों की बात नहीं होती, अगर वास्तविक मूल्य जोड़ें तो मुझे कहने में फक होता है कि हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और श्री पान्डे जी का कार्यकुशलता के कारण रेलवे ने काफी तरक्की की है और इसको आगे बढ़ाया है। सप्लीमेंट्री डिमांड तो तरक्की की निशानी है। माननीय सभापति महोदय, जो काम करता है, उसे पैसे की जरूरत भी पड़ती है और जो काम

नहीं करेगा, उसे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय मंत्री महोदय ने पिछले बजट में जो प्रोग्राम्स दिये थे मुझे खुशी है कि 1500 किलोमीटर ट्रैक्स का रिपेयर और 1,000 पुराने वैगन्स को तोड़ फोड़ कर अलग किया जा रहा है और वर्ष 1984-85 तक 1 लाख 10 हजार नये वैगन्स हमारे पास आ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेनुफैक्चरर हैं, उन पर नियंत्रण रखें, ताकि वर्ष 1984-85 तक जो नये वैगन्स मिलने वाले हैं, उनसे कोई रुकावट न हो।

इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि 250 करोड़ रुपये का प्रावधान रेलवे ट्रैक्स को ठीक करने, डब्लिंग करने और एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए तथा अन्य विकास कार्यों के लिए किया है। एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं ? एक्सीडेंट्स होते हैं ट्रैक के खराब होने की वजह से, उनका मेंटीनेंस ठीक नहीं होता और जनता पार्टी के शासन में काम में कमी आ गई थी, मुझे खुशी है कि उस कमी को फिर से नए सिरे से पूरा किया जा रहा है और तरक्की हो रही है। इससे एक्सीडेंट्स को रोकने में मदद मिलेगी।

माननीय मंत्री महोदय ने वर्ष 1981-82 में फ्रेट लोडिंग का 215 मिलियन टन का टारगेट रखा था। मुझे कहने में बहुत खुशी होती है कि अभी तक उस टारगेट को पूरा कर लिया गया है और इतना ही नहीं, बल्कि इस साल 220 मिलियन टन लोडिंग होगा और इससे 170 करोड़ रुपए की ज्यादा आमदनी होगी। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जब हमारे लायक मंत्री महोदय ने बजट पेश किया, उसके बाद स्टील, कोयला डीजल और बिजली आदि के भाव बढ़े हैं और एडीशनल डी. ए. की दो किश्तें देनी पड़ीं जिससे 60 करोड़ रुपया अतिरिक्त भार आया। इसके साथ-साथ चीजों की कीमतें बढ़ीं और कोर्टस में जो दावे, अवार्ड्स और डिग्रियां इत्यादि थे, उनके कारण भी खर्चा बढ़ा। इन सबकी वजह से सप्लीमेंट्री डिमांड्स लानी पड़ी। 60 करोड़ रुपया दो डी. ए की किश्तों के लिए देना पड़ा। 50 करोड रुपया फ्युअल और इलेक्ट्रिसिटी पर खर्च अतिरिक्त हुआ और 30 करोड़ रुपया अधिक जो लोडिंग हुआ है, उस पर खर्च करना पड़ा है। 70 करोड़ रुपया एडीशनल कास्ट आफ मिसलेनियस आइटम्स, स्टील, कोयला आदि के जो भाव बढ़े हैं उसके लिए राजस्थान में बाढ़ आने के कारण 10 करोड़ रुपया तथा तीन करोड़ रुपया कुम्भ मेले के कारण खर्च हुआ। आर पी. एफ और आर. पी. एस. एफ. में 50 रुपये प्रति माह राशन सब्सीडी देना पड़ा, जिसके कारण 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इस प्रकार 225 करोड़ रुपया होता है और 20 करोड़ रुपया प्राइवेट रेलवे लाइनों के नेशनलाइजेशन पर खर्च हुआ।

इस प्रकार 425 करोड़ रुपया खर्च आया और जो मांगें माननीय मंत्री जी ने रखीं हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ये मांगें अभी न रखते तो हमारे बहुत से विकास कार्य रुक जाते और कौन चाहेगा इस देश में चाहे इस पक्ष में बैठने वाले हों या उस पक्ष में बैठने वाले हों, हम सब यही चाहते हैं कि कार्य और तेजी से हो। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी प्लानिंग कमीशन पर जोर देकर इस बात की मांग करें कि और भी पैसा रेलवे के लिए दिया जाए। ताकि नए ट्रैक्स और नई रेलवे लाइनों

की जो मांग संसद सदस्य बार-बार करते हैं उनकी पूर्ति हो सके और साथ ही साथ जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उनमें नई जान फूंक कर उनको पूरा किया जा सके। साथ-ही-साथ विशेषकर जो आदिवासी और पिछड़े हुये क्षेत्र हैं चाहे वे मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में हों या बिहार में उन इलाकों के लोगों को अधिक से अधिक सुविधायें दी जा सकें।

मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने जेहलम एक्सप्रेस को मेरी मांग पर बरहानपुर में रोकने की कृपा की है। साथ ही मैं उनका इसलिये भी आभारी हूं कि केले पर जो सरचार्ज लगाया गया था और जिसको हटा दिया गया था उसके कारण-किसानों को लगभग अस्सी हजार रुपये प्रति दिन का लाभ हुआ है। किसानों की ओर से इसके लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

मैं यह भी इसके साथ-साथ मांग करता है कि जिस प्रकार से बरहानपुर में आपने जेहलम एक्सप्रेस को रोकने की कृपा की है उसी प्रकार के महानगरी वाराणसी यानी 193-194 एक्सप्रेस को भी बरहानपुर में रोकने की कृपा करें।

हरसूद में बम्बई लखनऊ एक्सप्रेस को रोकने की बहुत दिनों से मांग चली आ रही है। जनता पार्टी के शासन में इसके लिए वहां के लोगों ने आन्दोलन किया था। अब हमारा शासन है। बालहठ के कारण ही सही इस गाडी को हरसूद में रोकने की आप कृपा करें।

मेरी यह भी मांग है कि खडवा और निम्बोला में आप एक ओवर ब्रिज बनाएं। ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाने के लिये मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार से कनाडा में पाँड बनाया गया है उसी प्रकार से यहां भी बनाया जाये। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि बहुत से एक्सीडेंट लेवेल क्रासिंग अनमैंड होने की वजह से हो जाते हैं। हमारे देश में लगभग 41 हजार रेलवे क्रासिंग हैं। उनमें से बहुत से अनमैंड हैं। इस कारण भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार पी डब्ल्यू डी नदियों पर पुल बनाकर टोल टैक्स लेती है उसी प्रकार से आप भी एक फंड बनायें और जहां रोड और रेल जाकर मिलती हैं वहां पर ओवर या अडर ब्रिज बनाने के लिए इस फंड में से पैसा खर्च करें। हर तीन किलोमीटर पर कहीं न कहीं रोड और रेल जाकर मिलती है। वहां अंडर या ओवर ब्रिज आप बनायें। कई बार ड्राइवर की जिद्द के कारण और कई बार गेटमैन चूंकि अनपढ़ होता है, ये एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये ब्रिज बनाने से इन एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। इससे जो ट्रैफिक की मूवमेंट में देरी होती है वह भी नहीं होगी।

खण्डवा दोहद और खण्डवा बेतूल की नई रेलवे लाइन की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। मेरा निवेदन है कि इस मांग की आप पूर्ति करें।

बरहानपुर में एक लूप लाइन डालने की बहुत आवश्यकता है। वहां केले का काफी ट्रैफिक है और फास्ट ट्रेंज के कारण वहाँ पर दूसरी गाडियों को काफी रुकना पडता है।

वहां पर बम्बई जाने के लिये दिन भर में कोई गाडी नहीं है। या तो वह सुबह है या रात में है। मेरा निवेदन है कि टाइम टेबल को इस तरह से बनाया जायें कि बरहानपुर के तथा दूसरें क्षेत्रों के लोगों को दिन में और दोपहर के समय भी बम्बई और दिल्ली जाने के लिये गाडी मिल सके।

मेरी यह भी मांग है कि प्रत्येक ट्रेन में कम-से-कम दो-दो सीटें बरहानपुर रेलवे स्टेशन के लिये आप रिजर्व करें।

ओंकारेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग एक बड़ा तीर्थ स्थान है। वहां उस स्टेशन में सुविधाओं की बहुत कमी है। वहां सुविधायें उपलब्ध कराने के बारे में भी आप आदेश दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

***श्री ईरा मोहन** (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय, अपने दल द्रमुक की ओर से मैं माननीय रेल मंत्री श्री केदार पाण्डे द्वारा इस सभा के समक्ष प्रस्तुत अनुपूरक रेल बजट के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

माल भाड़े के किराये 10% से 15% किए गए हैं। यह वृद्धि इतनी अचानक और इतनी अधिक की गई है। ऐसी वृद्धि तो रेल बजट के माध्यम से की जानी चाहिए। उसके स्थान पर इस महान सभा पर एक वक्तव्य के माध्यम से ऐसा किया गया है। रेल मंत्री जी ने उन परिस्थितियों के बारे में बताया है जिनके कारण उन्हें यह ढंग अपनाना पड़ा। माननीय अध्यक्ष को भी इस बात से दुःख हुआ कि इस प्रकार गलत ढंग से महसूल बढ़ाया गया है। यह ढग तो सभा की पीठ में छुरा घोंकने के बराबर है। मैं चाहता हूं कि ऐसा पहली और अन्तिम बार होना चाहिए और आगे से कभी भी सभा में वक्तव्य के माध्यम से यात्री किराया या माल-भाड़ा नहीं बढ़ना चाहिये।

कोई दिन भी दुर्घटना से खाली नहीं जाता। सुबह समाचार पत्र खोलते ही देश के किसी न किसी भाग में रेल दुर्घटना का समाचार मिलता है जिसमें बहुत से लोग मरते हैं। किसी दिन दुर्घटना न हो ऐसा आराम का दिन हमें नहीं मिलता। यदि दुर्घटना नहीं होती तो डकैती या चोरी हो जाती है। हमारे पास राज्य पुलिस और रेल सुरक्षा बल दोनों हैं। आजादी के 34 वर्ष बाद भी हम रेल दुर्घटनाओं को कम नहीं कर सके हैं। हम भारतीय रेलों पर यात्रा करने वाले लोगों के जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षित नहीं रख सकते। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में डकैतियां आम बात हो गई हैं। इन राज्यों में विशेषकर कुछ क्षेत्रों में जहां डकैतियां रोज होती हैं, रेल प्रशासन को, हमारी सेना की, जिसे बनाये रखने के लिए लोगों को कर देना पड़ता है, सेवाएं लेने से नहीं झिझकना चाहिए। जब राज्य पुलिस बल और रेल सुरक्षा बल अवसर के अनुकूल सिद्ध नहीं होती और जब उनकी कार्यकुशलता पूरी नहीं है तो सेना की सहायता लेने में क्या बुराई है। वास्तव में रेल मंत्री जी को स्वयं सेना की सहायता के लिए कहना चाहिए ताकि देश के विभिन्न भागों में बढ़ रही डकैतियों और चोरियों को कम किया जा सके।

महोदय, डाकुओं को पता रहता है कि किस वैगन में मूल्यवान वस्तुएं हैं। वे उन्हीं वैगनों को चुनकर उनका ताला तोड़ते हैं। उन्हें कैसे पता लगता है कि माल के किस डिब्बे में मूल्यवान वस्तुएं हैं। मुझे संदेह है कि रेल प्रशासन के लोग उन्हें ये जानकारी देते हैं। मैं तो यह भी कहूंगा कि डाकू, चोरों में तथा रेल सुरक्षा बल और रेल कर्मचारियों में मिली भगत है।

* तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अन्यथा हमारी गाड़ियों में चोरियां नहीं हो सकती । रेल प्रशासन को इस मामले की पूरी जांच करानी चाहिए ।

एक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रेल गाड़ियों में रक्षक नहीं तैनात किए जाते। इससे रेल अधिनियम जिसमें, यह व्यवस्था है कि प्रत्येक गाड़ी में रक्षक होना चाहिए, का उल्लंघन होता है । रेल प्रशासन अपने ही कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता । दक्षिण रेलवे में बाणिअम्बादी दुर्घटना में गाड़ी रक्षक के बिना चल रही थी । रेल अधिकारियों ने स्वयं यह माना है कि रेलें बिना रक्षकों के चलती हैं । ऐसी परिस्थितियों में कोई आश्चर्य नहीं कि एक वर्ष में 1029 दुर्घटनाएं हुई हैं । यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी गाड़ी बिना रक्षक के ना चले यदि कानून में कोई त्रुटियाँ हैं तो उन्हें दूर करना चाहिए ।

मद्रास से मदुरै तक चलने वाली वायगाई एक्सप्रेस 100 किलोमीटर की गति से चलती है । यह रेल नियम है कि यदि गाड़ी इस स्पीड से चलती है तो दोनों ओर संकेतक होने चाहिए । रेल अधिकारियों को गंभीर दुर्घटनाएं होने का भय था । वास्तव में तमिलनाडु एक्सप्रेस जिसकी हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुई है दोनों ओर के संकेतकों के होने पर गंभीर दुर्घटना का शिकार हुई । यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मद्रास के मदुरै तक 100 किलोमीटर की गति से चलने वाली वायगार्ड एक्सप्रेस दोनों ओर के संकेतकों की सुविधा दी जानी चाहिए । सुरक्षा के लिए जो भी उपाय आवश्यक हों उन्हें तत्काल किया जाना चाहिए ।

मैं रेलवे में हो रही एक अन्य अरुचिकर बात का उल्लेख करना चाहता हूं । जब एक अहिन्दी भाषी, विशेषकर दक्षिण से उत्तर की यात्रा करने वाला दक्षिणवासी उत्तर रेलवे स्टेशन की पुलिस चौकी पर यात्रा के दौरान खोए अपने सामान की रपट करना चाहता है उसे अपनी शिकायत हिन्दी में लिखने के लिए बाध्य किया जाता है । अंग्रेजी में की गई उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जाता । यह हिन्दी न जानने वाले लोगों को अनावश्यक रूप से तंग करना है । यदि ऐसा चलता रहना है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं । ऐसा करना राष्ट्रीय एकता की अवहेलना करना है । आप उन्हें हिन्दी में, जो वह नहीं जानते, लिखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते । यात्रियों द्वारा क्षेत्रीय भाषा में अपनी शिकायतें उत्तर रेलवे स्टेशनों पर पुलिस स्टेशनों पर करने से क्या होगा ? रेल बोर्ड उत्तर रेल के स्टेशनों में पुलिस स्टेशनों को यह आदेश दे दें कि गैर-हिन्दी भाषी यात्रियों की अंग्रेजी में की गई शिकायतों को अस्वीकार न करें। जोर जबर्दस्ती से हिन्दी नहीं बढ़ सकती तथा हिन्दी कट्टरपंथी इस बात को समझ लें ,

अब मैं वास्तविक व्यापारियों द्वारा अपने माल के खो जाने पर किए गए दावों का निपटान करने सम्बन्धी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का उल्लेख करना चाहता हूं । इसमें अनावश्यक विलम्ब होता है । रेलवे झूठे दावों का निपटान शीघ्रता से करने वाला रेलवे में एक गिरोह है, जिसमें रेल कर्मचारियों का हिस्सा होता है । रेल प्रशासन द्वारा इसकी तुरन्त जांच की जानी चाहिए ।

तमिलनाडु को वैगनों की अनियमित सप्लाई के कारण कोयले, कच्चे लोहे, "जवारिसी" आदि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वहां के उद्योगों को नहीं हो पाती, जिसके कारण वे बन्द होने की स्थिति में आ गये हैं । इसी प्रकार वेदारण्यम यार्ड में 2.5 लाख नमक के बोरे पड़े हुए हैं । उनकी ढुलाई के लिए बन्द वैगनों के स्थान पर खुले वैगन आवंटित किए जा रहे हैं । अब आप स्वयं ही इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि खुले वैगनों में नमक भेजने से वर्षा ऋतु

में उसकी क्या हालत होगी। रेल प्रशासन तमिलनाडु उद्योग के प्रति उदासीन लगता है, तथा उसे नहीं मालूम कि किस सामान के लिए कैसे वैगन दिए जाने चाहियें। वह इस ओर ध्यान दे। 31 प्रतिशत वैगन ठीक स्थिति में नहीं होते और इस कारण उनकी अत्यन्त कमी रहती है। यदि उनकी तुरन्त मरम्मत कर उन्हें लाईन पर डाला जाए तो वैगनों की यह कमी समाप्त हो जाए।

करूर-डिंडीगुल रेल लाइन का कार्य गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जा रहा। कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली के बीच कोई गाड़ी नहीं है। कोयंबटूर-सत्यमंगलम-चामराजनगर परियोजना पर, जिसका सर्वेक्षण ब्रिटिश राज्य के दौरान किया गया था, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मद्रास महानगर में परिवहन प्रणाली में शीघ्रता से सुधार किया जाना चाहिए। यह कार्य इस समय चींटी की चाल से हो रहा है।

सभापति महोदय : मैं अगले सदस्य को बुला रहा हूं। आपके लिए केवल 6 मिनट थे परन्तु मैंने आपको 10 मिनट तक बोलने दिया।

श्री ईरा मोहन : मुझे कृपा कर 2 मिनट और दें और मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं।

श्री ईरा मोहन : केवल एक मिनट और दें और मैं अपनी महत्वपूर्ण बात कह कर समाप्त करूंगा। पोडानूर में एस. एण्ड टी. वर्कशाप में 75 सुपरवाइजरों द्वारा केवल एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने पर उनकी सेवा में व्यवधान आ गया है। जिसके कारण रिटायर होने वालों को अत्यधिक हानि हो रही है। एक सुपरवाइजर जो 25 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर हुआ है को केवल 200 रुपये मिले हैं जबकि उसे इतनी लंबी सेवा के बाद 20 हजार रुपये मिलने चाहिए थे। यह अन्याय है और रेल प्रशासन को चाहिए कि वह इस एक दिन की हड़ताल को माफ कर दे तथा कर्मचारियों के रिटायर होते समय इस अनावश्यक हानि से बचाये। सलेम में रेल डिवीजन की स्थापना की जानी चाहिये। सभा में यह घोषणा की गई थी कि पेंशनभोगियों का एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जायेगा। इसकी स्थापना की जानी चाहिए, जिससे रिटायर होने वाले रेल कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि बिना चौकीदार वाले फाटकों को, जो कुल फाटकों का 70 प्रतिशत है, चौकीदार वाले फाटकों में बदला जाये जिससे दुर्घटनाओं को घटाया जा सके।

श्री रामनगीना मिश्र (सलेमपुर) : सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने जो अनुपूरक बजट पेश किया है, मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जैसे एक डाक्टर किसी आदमी की नब्ज पकड़ कर कह सकता है कि वह आदमी बीमार है या स्वस्थ्य है—जिस आदमी की नाड़ी ठीक चलती है, वह स्वस्थ्य कहलाता है और जिस आदमी की नाड़ी ठीक नहीं चलती है, वह अस्वस्थ्य कहलाता है, उसी तरह राष्ट्र रूपी शरीर की नाड़ी है ट्रेन—अगर ट्रेनें ठीक चलती हैं, तो राष्ट्र की स्थिति ठीक है और अगर ट्रेनें ठीक से नहीं चलती हैं, तो राष्ट्र की स्थिति भी ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, चूंकि आपने बहुत कम समय दिया है- इसलिए अन्य बातों की तरफ

आपका ध्यान खींचने से अच्छा है कि मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूं। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भाड़ा बढ़ाने की आलोचना की है। आज सब तरफ से यह मांग की जाती है कि अधिक वैगन दिये जाएं, अधिक ट्रेनें चलाई जाएं, अधिक पुल बनाये जाएं और मजदूरों की तन्ख्वाह बढ़ाई जाए। इस काम के लिए पैसा कहां से आएगा ?

हमारे मंत्री महोदय बिहार प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का घनिष्ठ संबन्ध है। हमने देखा है कि बड़े-बड़े नेताओं की हालत यह होती है कि अपने घर की उपेक्षा कर दो और दूसरों को अधिक साधन दे दो। मंत्री महोदय उसी प्रकार चारों तरफ तो उदारता का परिचय दे रहे हैं, हर जगह ट्रेनें चला रहे हैं और रेलों की अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं और अपने घर पर कम ध्यान दे रहे हैं। यदि आदमी अपने घर को रोक कर दूसरे घर को पहले खाना देता है तो यह उसकी ईमानदारी का परिचायक है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि पांच सात साल से छितौनी का पुल बन रहा है। गत बजट में भी उसका समावेश था। लेकिन वहां के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि छितौनी में रेलवे पुल बनेगा या नहीं और बगहा तथा गोरखपुर जाने के लिए रेलवे लाइन बनेगी या नहीं। अगर मंत्री महोदय अपने जवाब में इसका उल्लेख करें, तो अच्छा है।

हमारे यहां बड़ी लाइन बनी। हम लोग इसके लिए बहुत लालायित थे। यह एक शुभ कार्य था। किन्तु बहुत तकलीफ इसलिए हो रही है कि लखनऊ, गोरखपुर और देवरिया जाने के लिए बहुत कम ट्रेनें हैं। आश्चर्य होगा कि एक ट्रेन लखनऊ से गोरखपुर जाती है तो उसमें केवल चार बर्थ हैं गोरखपुर के लिए। एम. पी. को भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, औरों की बात तो दूर है। जब ट्रेन चलती है तो सीन देखने लायक होता है। ऊपर छतों पर इतने लोग चढ़े होते हैं कि देखकर आश्चर्य होता है। इतनी कम ट्रेनें उस लाइन पर हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर देश भर में गाड़ियां चला रहे हैं, हर घर में दीपक जल रहा है तो अपने घर में भी जला दीजिए, वहां भी ट्रेनों की संख्या बढ़ा दीजिए।

इससे पहले बजट में था कि बनारस से भटनी होते हुए गोरखपुर होते हुए बड़ी लाइन जायगी। तो बड़ी लाइन भटनी से छपरा होकर तो बन गई। बनारस और भटनी के बीच कुछ काम हुआ लेकिन वह अधूरा पड़ा हुआ है। अब आने जाने की समस्या बड़ी विकट है। जो इलाहाबाद से या बनारस से चलते हैं उनके लिए कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिसमें बैठकर वह गोरखपुर और लखनऊ जा सकें। वह काम अधूरा पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने उत्तर में जरा यह भी कह दें जिसमें वहां के लोगों को भी विश्वास हो जाय कि यह बड़ी लाइन कब बनेगी ?

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं—गोरखपुर एक बहुत बड़ा नगर है। आश्चर्य यह है कि गोरखपुर से कोई ऐसी ट्रेन नहीं है कि जो दिल्ली तक आ सके। बड़ी लाइन हो गई। लेकिन वहां के लोगों को ट्रेनों के अभाव में बड़ी तकलीफ है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें छपरा से होते हुए गोरखपुर से होते हुए दिल्ली तक डायरेक्ट ट्रेन हो। आज इसका बहुत अभाव है।

इसके पहले बजट में यह भी आ चुका है कि देवरिया से छितौनी तक पडरौना और कुशीनगर होते हुए रेलवे लाइन बनेगी। यह बजट में पिछले दो-दो साल से आ रहा है लेकिन

मालूम नहीं कि सचमुच में उस पर काम होगा या नहीं? अगर होगा तो कब होगा? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसके बारे में भी कुछ कहेंगे तो हमारे इलाके के लोगों को भी संतोष हो जायेगा कि यहां से ट्रेन चलेगी। कुशीनगर विश्व का प्रसिद्ध स्थान है। विश्व के लोग वहां जाते हैं। बहुत दिनों से मांग है। माननीय पांडेय जी देखे हुए हैं अपनी आंख से कि वहां क्या हालत है। तो मैं चाहूंगा कि जहां तक हो सके उस रेलवे लाइन को बनाने पर ध्यान दिया जाय।

जहां तक ट्रेन्स के आवागमन और माल की ढुलाई का सवाल है, इसमें दो राय नहीं कि माल की ढुलाई में ट्रेन के द्वारा काफी प्रगति हुई है। किन्तु उसके सा -साथ यह भी आम लोग महसूस करते हैं कि सवारी गाड़ियां बहुत कम हैं। उनमें लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से माल की ढुलाई के लिए मंत्री महोदय न काफी प्रयास किया है उसी तरह से जन-साधारण के आने जाने के लिए ट्रेनों की भी अच्छी व्यवस्था करें। संयोग की बात ऐसी है कि हमारे यहां जो बड़ी रेलवे लाइन बनी तो दक्षिण के जिन्हें कूड़ा-करकट डिब्बे और इंजन वगैरह थे वहां भेज दिए गए। तो यह बात कब तक हम लोग रोयेंगे? हम लोगों को आशा थी कि बड़ी लाइन बन रही है तो अच्छी ट्रेन्स चलेंगी और अच्छे डिब्बे मिलेंगे लेकिन इसका आज वहां बड़ा अभाव है। मैं महसूस करता हूं, इसके पहले मंत्री जी ने बताया कि देश में बहुत पहले से डिब्बों की और इंजन की कमी रही है, जितना हम चाहते हैं उतना नहीं कर पाये हैं, यह बात सत्य है किन्तु यह बात भी सत्य है कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक मां दूध नहीं पिलाती। अगर समूचे देश में सब कुछ हो और हमारे यहां न हो, उस पर भी हम लोग कुछ न कहें तो शायद मंत्री जी को भी उसका ध्यान न आए। इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान करें। अगर मंत्री जी सोचते हैं कि यह तो अपना घर है, अपने लोगों को मना लेंगे, बाहर जरा ज्यादा विकास का काम कर दें तो वह ठीक है लेकिन घर वाले भी उम्मीद करते हैं कि अधिक सुविधा नहीं तो कुछ सुविधा तो उनको भी मिलनी चाहिए।

एक निवेदन और है। आप गोरखपुर स्टेशन पर जाकर देखें। एक बार आपने सुना होगा अखबारों में आया था कि देवरिया का प्लेट फार्म ऐसा है कि जहां पर पचासों आदमी घायल होकर प्लेट फार्म पर गिर गए। गोरखपुर प्लेट फार्म ऐसा है—अगर वहां कोई लोग गए होंगे तो देखा होगा कि कोई साधारण बुजुर्ग आदमी अकेला, बिना कुली के सहारे के उस पर नहीं उतर सकता है क्योंकि वह प्लेट फार्म बहुत ही नीचा है। इतना बड़ा जंक्शन और उसका प्लेट फार्म इतना खतरनाक हो जिस पर आए दिन दुर्घटना होने की सम्भावना रहे—यह उचित नहीं है। मैं चाहूंगा मंत्री जी गोरखपुर और देवरिया स्टेशन्स के लिए नई व्यवस्था करें।

इसके अलावा कानपुर और लखनऊ से जो ट्रेन जाती हैं वह केवल गोरखपुर तक ही रह जाती हैं—देवरिया और भटनी तक कोई ट्रेन नहीं जाती है। मैं चाहूंगा कि कानपुर और लखनऊ से जो ट्रेन्स गोरखपुर तक जाती हैं वह देवरिया और भटनी तक जाया करें। अभी ऐसा न होने से वहां के लोगों को बड़ी सुविधा होती है।

इसके साथ-साथ इलाहाबाद और बनारस से जो ट्रेन्स भटनी आती हैं उनमें कोई मेल ट्रेन चलाई जाए जिससे कि लोग गोरखपुर और लखनऊ तक जा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनके परिश्रम की तारीफ करता हूं। साथ ही मैं अपने विरोधी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि केवल हल्ला मचाने से ही कुछ

नहीं होगा। सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हमारे मन्त्री जी की है इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि वे निःसंकोच होकर सारी व्यवस्था करें।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। एक प्वाइन्ट और रह गया था। हमारे विरोधी भाइयों ने धमकी दी है कि रेलों में हड़ताल कराई जायेगी लेकिन यह देश के हित में नहीं होगा। इसलिए विरोधी भाइयों को ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए।

सभापति महोदय : आपके पास 5 मिनट का समय है।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई-उत्तर) : मैं 5-6 मिनट लूंगा। मैं यथा-संभव संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयत्न करूंगा।

सभापति महोदय, मुझे अनुभव हो रहा है कि रेल मंत्री को सभा के समक्ष अनुदानों की अनुपूरक मांगें पेश करते समय कुछ अप्रसन्नता हो रही है। उन्हें उस समय कहीं अधिक प्रसन्नता होती यदि वे अतिरिक्त करों की घोषणा कर सदन को बातों में प्रसन्न करते। परन्तु संविधानिक बाध्यताओं ने उनके सामने कोई विकल्प नहीं था और अप्रसन्नता के बावजूद सदन के समक्ष आना पड़ा है।

उनकी प्रशंसा की गई है परन्तु मैं उन लोगों की श्रेणी में नहीं आना चाहता। श्री सुखाड़िया ने उनकी प्रशंसा में कहे वाक्य को, "परन्तु के आरंभ किया और इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। तथापि वे अपनी तिकड़ी पूरी करने जा रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक तीन घाटे के बजट सदन में पेश किए हैं। प्रति वर्ष भाड़े और किराये में वृद्धि की गई है। भाड़े में की गई वृद्धि के ब्यौरे में मैं नहीं जा रहा क्योंकि हाल ही में बोले मेरे माननीय मित्र इस पर बोल चुके हैं। परन्तु मैं रेलों पर सुरक्षा के सम्बन्ध में, जिसका उल्लेख कुछ मित्रों ने किया है, कुछ कहना चाहूंगा। इसमें भी मुझे भय है कि मेरे मित्र दुहरी गति की तलाश में हैं। यह क्रिकेट का मौसम है, इसलिए मैंने इस भाषा का उपयोग किया है। वे अपने 1000 रन और 100 विकेट शीघ्र ही पूरा करना चाहते हैं परन्तु ऐसा वे जनता के मूल्य पर करना चाहते हैं। हाल ही में एक प्रश्न के उत्तर में उनके मंत्रालय ने सभा को सूचित किया था कि 1 जनवरी, 1981 से 30 नवम्बर, 1981 तक भारतीय रेलों में 1029 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 500 से अधिक लोग मरे। मैं यह दोहराना नहीं चाहता कि कितनी डकैती की घटनाएं हुईं और कितने लोग इस कारण पिछले 1 साल में रेलों में मरे। परन्तु 1029 दुर्घटनाओं की संख्या छोटी नहीं है। मेरे मित्र जो बेरहामपुर से आते हैं उन्होंने ये कहने का प्रयत्न किया कि जनता पार्टी के जमाने में लाइनों की देखभाल की उपेक्षा की गई और इसी कारण आजकल रेलवे में अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। जब जनता सरकार सत्ता में थी और मेरी बाईं ओर बैठे मेरे माननीय मित्र रेल मंत्री थे, तो मेरे मित्र इस बात को स्वीकार करेंगे कि उस समय दुर्घटनाओं की संख्या बहुत कम थी। यह संख्या पिछले एक साल में हुई 1029 दुर्घटनाओं की तुलना में बहुत कम थी। इसके कुछ कारण हैं जिनकी ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

पहले, इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से लाइनों की देखभाल में बड़ी कमी आई है। दूसरे, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि इस समय बहुत सी मालगाड़ियां बिना गार्ड के चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि वे इस तथ्य से इन्कार करें। तीसरे

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि ड्राइवरों के यह कहने पर भी कि इन्जनों में ब्रेकों की शक्ति पर्याप्त सीमा तक नहीं है, उन्हें उच्चाधिकारियों द्वारा बाध्य किया जाता है कि वे इसके बावजूद भी इन्जनों को चलाएं। मैं चाहता हूं कि वे इस तथ्य से भी इन्कार करें। चौथे, कुछ मामलों में सवारी, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां ऐसे इन्जन ड्राइवरों और फायरमैनों द्वारा चलाई जाती हैं जो योग्य और प्रशिक्षित नहीं है। पांचवें, लोको स्टाफ के बहुत से कर्मचारियों, विशेषकर ड्राइवरों को 10 घंटे से अधिक समय तक काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। जब एक व्यक्ति पर अधिक शारीरिक दबाव पड़ेगा तो क्या यह इस बात के लिए सहायक नहीं होगा कि दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो।

अब मैं बिना चौकीदार वाले फाटकों के प्रश्न पर आता हूं, जहां पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। एक वर्ष में बिना चौकीदार वाले फाटकों पर औसतन लगभग 100 दुर्घटनाएं होती हैं। नियमों के अनुसार पहले यह जिम्मेदारी उस क्षेत्र के निगमों अथवा स्थानीय निकायों की होती थी कि वे फाटकों पर चौकीदार रखने के लिये वित्तीय सहायता दें। परन्तु जब जनता पार्टी सत्ता में आई उन्होंने इस नियम में परिवर्तन किया और यह निर्णय किया कि शहरी तथा अन्य क्षेत्रों में जहां फाटक हैं और जहां एक वर्ष में दुर्घटनाएं औसत से अधिक होती हैं, रेलवे प्रशासन स्वयं इन फाटकों पर चौकीदार रखने की जिम्मेदारी निभाये। इस दिशा में क्या कोई कदम उठाया गया ? ऐसी कोई कार्यवाही न करने पर यह स्पष्ट है कि दुर्घटनाएं बढ़ेंगी।

माल की ढुलाई की मात्रा के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है कि इसकी मात्रा में वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 2250 लाख टन हो गया है। पर क्या मन्त्रालय ने कन्टेनर व्यवस्था लागू करने की दिशा में कुछ सोचा है। यह व्यवस्था यूरोप के सभी विकसित देशों में लागू की जा चुकी है। जैसाकि मेरे मित्र प्रो. रंगा जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार की लाइनें हैं, कम से कम 2 प्रकार की लाइनों, बड़ी लाइन और सामान्य लाइन का उपयोग यहां होता है। जब एक प्रकार की लाइन से दूसरे प्रकार की लाइन पर माल बदला जाता है तो इसमें विलम्ब होता है और इसमें चोरी होने की भी सम्भावना रहती है तथा अन्य कई प्रकार की समस्याएं रेलवे के सामने आती हैं। इसलिए यदि सम्भव हो तो रेलवे प्रशासन कन्टेनर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में सोचे और तब उन्हें इसमें कुछ कुशलता लाने में सहायता मिलेगी।

मैं कोंकण रेलवे, जिसके सम्बन्ध में मेरे मित्र डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने उल्लेख किया है, के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। परन्तु आप मुझे यह कहने की आज्ञा देंगे कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में रेलों के कार्यकरण के बारे में कुछ कहूं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा इस सम्बन्ध में मैं सभा में बार-बार कह चुका हूं। आप कहेंगे कि आप इसे न दोहरायें परन्तु जब इस पर गहरी चुप्पी साध ली गई है और दूसरा पक्ष अकुशलता का परिचय दे रहा है तो आप इस बात से सहमत होंगे कि मेरे लिए इसके अलावा और कुछ करना सम्भव नहीं होगा कि मैं इस सम्बन्ध में अपनी मांग को सभा में बार-बार उठाऊं।

बम्बई की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। परन्तु जनसंख्या में यह वृद्धि आई कहां से ?

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : उसका योगदान तो बहुत थोड़ा सा है।

जब आप ये कहते हैं कि शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ी है तो इसका मतलब है कि यह वृद्धि उप-नगरों में हुई है। शहर के पुराने भागों में नहीं। आप शहरी क्षेत्र में इस वृद्धि से पूर्णतयः अवगत है। इसलिए यह आवश्यक है कि उप-नगरीय रेलों के आने जाने में वृद्धि की जाए और यह वृद्धि उन क्षेत्रों में की जाये जहां जनसंख्या बढ़ रही है मुख्य शहर में नहीं। यदि आप चर्च गेट से अन्धेरी चलने वाली गाड़ियों की तुलना चर्च गेट से विरार या अन्धेरी से आगे बोरीविले अथवा विरार जाने वाली गाड़ियों से करें तो आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। परन्तु आपको पता लगेगा कि इन क्षेत्रों में गाड़ियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि वहां जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यदि आप गाड़ियों की संख्या में वृद्धि नहीं कर सकते तो कम-से-कम आप मिलाने वाली शटल सेवाओं में वृद्धि तो कर सकते हैं। बार-बार माँग किए जाने के बावजुद यह नही किया गया और कुछ नहीं तो आप डिब्बों की संख्या में ही वृद्धि कर दें। परन्तु यह भी नहीं किया गया। एक मांग यह की जाती रही है कि बान्द्रा पर एक ऊपरि पुल पर काम शुरू होना था, जिससे सेन्ट्रल रेलवे और पश्चिम रेलवे के बीच यात्रियों के आने जाने में सुविधा होती। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है।

यह तर्क बार-बार दिया जाता रहा है कि गाड़ियों की संख्या में वृद्धि इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि टर्मिनल सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। क्या सरकार ने और मेरे मित्र ने टर्मिनल स्टेशनों को अलग अलग करने के सम्बन्ध में कुछ विचार किया है। जिससे कि उपलब्ध टर्मिनल सुविधाओं अथवा अन्य सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके ?

चर्च गेट से विरार के बीच लाइनों को चौहरा करके उनकी सख्या बढ़ाने की माँग की जाती रही है। कुछ मित्रों का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में तो एक भी लाइन नहीं हैं और आप एक क्षेत्र में लाइनों को चौहरा करने की बात कह रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश इस देश में यह तथ्य है कि 40 प्रतिशत यात्री उप-नगरीय रेलों में चलते हैं। इसलिए लाइन को चौहरा किया जाना आवश्यक है।

मैं यात्रियों और उस क्षेत्र से आने वाले सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को दोहराना नहीं चाहता। मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि वे यह नहीं समझें कि वे राज्य का कोई गुप्त भेद प्रकट कर रहे हैं अथवा जनहित में वे मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सकें। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे मुझे यह बताएं कि क्या उन्होंने पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक को यह हिदायत दे रखी है कि वह संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की ओर ध्यान न दें और उनको लिखे गये पत्रों का उत्तर न दें। यदि ऐसा नहीं है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक को यात्रियों की शिकायतों और उनकी समस्याओं के बारे में संसद सदस्यों तथा मेरे अपने द्वारा भी बार-बार लिखे गये पत्रों का उत्तर क्यों नहीं दिया जाता ?

मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता परन्तु मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र रेल मन्त्री हृदय से प्रयत्न करें और उन परिस्थितियों की ओर ध्यान दें जिनमें यात्रियों को यात्रा करनी पड़ती है। और इसके साथ ही मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : उन्होंने, जो कुछ आपने कहा है, वह सुना है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इसलिए मैं आशा करता हूं कि वे, जो मैंने कहा है वे उस पर विचार करेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापर) : माननीय सभापति जी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। रेलवे मंत्री माननीय पाण्डे जी रेलवे विभाग की स्थिति को सुधारने में जो कठोर परिश्रम कर रहे हैं, उसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। माल ढुलाई की मात्रा में वृद्धि हुई है और पैसेंजर्स की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। इससे रेलवे विभाग की आमदनी बढ़ी है। रेलवे विभाग की स्थिति को सुधारने में माननीय मंत्री जी, उनके सहयोगी और उनका विभाग, सब मिलकर कठोर परिश्रम कर रहे हैं, इसके लिए वे बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं।

रेलवे विभाग कोई छोटा मोटा विभाग नहीं है। 32-33 हजार गाड़ियां यह रोज चलाता है, माल और पैसेंजर दोनों मिला कर। 17 लाख कर्मचारी रेल विभाग में काम करते हैं। इस विभाग को चलाना, इसको सम्भालना कोई आसान बात नहीं है। कितनी मुश्किल से इस विभाग को सम्भाला और सुधारा जा रहा है, यह शायद मेरे इन साथियों को पता नहीं है (इंटरप्शंज) कई यूनियनें रेल विभाग में है, रेलवेमैन फैड्रेशन है, मजदूर यूनियन है, मजदूर सघ है, किसी के नेता श्री जार्ज फानन्डिीस हैं और किसी के श्री मधुदंडवते, किसी के सी. पी. आई. के लोग हैं और किसी के सी. पी. एम. के लोग और किसी के संघ के लोग। क्या ये सब ट्रेनों को चलने देंगे ? पांडे जी तो रेलों को चलाना चाहते हैं लेकिन ये क्या रेल गाड़ियों को चलने देंगे ? ये तो देश की गाड़ी को चलने नहीं देना चाहते हैं, रेल गाड़ियों की बात को तो आप छोड़ दें। वही काम इन्होंने फिर शुरू कर दिया जो 1974 और 1975 में किया था। गुजरात में नव निर्माण के नाम पर, बिहार में समग्र क्रान्ति के नाम पर इन्होंने वावेला मचाया था। वही काम फिर इन्होंने शुरू कर दिया है। पांडे जी तो सुधार लाना चाहते हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी तो देश को आगे बढ़ा रही हैं। वह तो सुधार लाना चाहती हैं लेकिन ये डैस्ट्रक्टिव अपोजीशन की तरह के बिहेव कर रहे हैं। हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता था। मैं चाहता नहीं था कि ये सब बातें कहूं। लेकिन ये हाउस को भी चलने नहीं देते हैं। चूंकि ये बाधा डाल रहे हैं इसलिए मुझे मजबूर हो कर कहना पड़ा है। इस देश की गाड़ी को ये प्रतिपक्ष के लोग चलने नहीं देना चाहते हैं। हाउस में बोलने नहीं देना चाहते हैं, रेलों को चलने नहीं देना चाहते हैं। आपके बावजूद देश आगे जाएगा, देश आगे बढ़ेगा। आपकी बाधा डालने से हम भी चुप होने वाले नहीं हैं हम बोलते रहेंगे।

श्रीमन् रेल मंत्री जी को बधाई देते हुए मैं थोड़ी सी मांगे उनकी सेवा में रखना चाहता हूं जो बहुत जरूरी हैं। मेरी मान्यता यह है कि केन्द्रीय सरकार हो या प्रान्तीय या रेल विभाग हो या कोई और विभाग हो देश के जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहां विकास की रोशनी नहीं पहुंची है और वहां पर रोशनी पहुंचनी चाहिये और उन क्षेत्रों को विकास के हर मामले में प्राथमिकता देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि रेल, बिजली जहां पहुंच जाती है, वहां विकास हो जाता है। यह सब विकास की रोशनी है। जहां रेलवे पहुंची वहां विकास हुआ, जहां बिजली पहुंची वहां विकास हुआ। और ये चीजें वहां जाती हैं तो उन इलाकों में उद्योग लग सकते हैं। वहां रेलवे पहुंचे बिजली तो भी लग सकती है। इस वास्ते मैं दो तीन बातें मंत्री महोदय की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

बहुत दिनों से मांग चली आ रही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच से वाराणसी से गाजीपुर, बलिया, छपरा होते हुए जो मिथिला की तरफ रेलवे लाइन है अयोध्या से, काशी होते हुए और जो मीटर गेज है, छोटी लाइन है इसको बड़ी लाइन में तबदील कर दिया जाए। ऐसा आपने कर दिया तो उस इलाके का विकास तेजी के साथ होगा। इस सम्बन्ध में वादा भी किया गया था लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। मेरी मांग है कि काशी से गाजीपुर बलिया होते हुए मिथिला तक बड़ी लाइन बना दी जाए छोटी लाइन के स्थान पर।

हमारे जिले और निर्वाचन क्षेत्र से लगता हुआ विन्ध्य क्षेत्र है। सभापति महोदय आप तो विन्ध्य क्षेत्र की एक विभूति रहे हैं। विन्ध्य प्रदेश एक स्टेट हुआ करती थी चार पांच जिलों की जिन में सीधी जिला था, रीवा जिला था, सतना वगैरह थे।

सभापति महोदय : आठ जिले थे उस में।

श्री उमाकान्त मिश्र : मुद्दत से वह इलाका रेलवे लाइन की सुविधा से वंचित है। हमारे और इस इलाके की पीड़ा एक समान है, संस्कृति एक समान है। हमारा और उनका आना जाना है माल की ढुलाई, पत्थर, बांस, लकड़ आदि की ढुलाई होती है और वह एक दूसरे के यहां आती जाती है। पूरा विन्ध्य क्षेत्र रीवा, सीधी आदि और मिर्जापुर का दक्षिणी हिस्सा, सतना का पूर्वी हिस्सा शहडोल का उत्तरी हिस्सा सारे का सारा आज भी रेलवे की सुविधा से वंचित है। संगरोली में थर्मल पावर स्टेशन केन्द्रीय सरकार बना रही है, वहीं कोल फील्ड्ज हैं। मेरी मांग है कि मिर्जापुर से महुगंज सीधी, रीवा आदि को लाइन से जोड़ दिया जाए। तो सारे पिछड़े हुए इलाके का पिछड़ापन दूर हो जायगा और उसका विकास हो जायगा। इस बात की मांग वहां की जनता करती रही है मगर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। आशा है कि रेल मंत्री जी उस पिछड़े इलाके की तरफ ध्यान देंगे।

अंतिम बात यह है कि हमारे यहां ऐसा है कि लोहे को दुर्गा का प्रतीक मानते हैं। जो रेल लाइन है वह लोहे की होती है और लोहे के पहियों पर ही चलती है। तो सारी रेल दुर्गा की प्रतीक है। मंत्री जी दुर्गा की उपासना करेंगे तो उत्तरोत्तर रेलें ठीक चलेंगी। विन्ध्याचल में दुर्गा जी विराजमान हैं प्रत्यक्ष रूप से। उसके आसपास बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है मिर्जापुर में भूतपूर्व रेल मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी जी जब गये थे तो वहां की जनता ने मांग की कि इस पिछड़े हुए इलाके में आप रेलवे के स्लीपर्स का एक कारखाना खोल दें। वैगन के कारखाने की मांग की थी, बाद में पता लगा कि वह कारखाना कहीं और चला गया। लेकिन उन्होंने वायदा किया था कि रेलवे के स्लीपर का कारखाना विनन्ध्याचल के पास 10, 15 करोड़ रु. की लागत से खोल दिया जायगा। आज पडित जी के स्थान पर माननीय पांडे जी रेल मंत्री हैं, और हमारी प्रधान मंत्री जो दुर्गा की प्रतीक हैं और हम मानते हैं कि वह वास्तव में दुर्गा की प्रतीक हैं, वह भी जब विन्ध्याचल में गयीं थी तो उनके समाने भी वहां की जनता ने मांग की थी कि यहां एक रेलवे स्लीपर का कारखाना खोल दिया जाय तो विन्ध्याचल और मिर्जापुर की तरक्की हो जायगी। हर दृष्टिकोण से उत्तम होगा अगर वहां यह कारखाना खोल दिया जाता है। हमने इस बारे में मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि यह बहुत बड़ी योजना नहीं है, यदि विन्ध्याचल के पास उस कारखाने को खोल दें तो आपकी यादगार रहेगी, देवी दुर्गा प्रसन्न रहेंगी और रेलें ठीक चलेंगी और देश का भी विकास होगा।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स का समर्थन करता हूं। यह डेवलपिंग इकोनामी का लक्षण है, किसी भी विकासशील में ऐसा होता है। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : सभापति महोदय, अभी हमारे कांग्रेस के चित्र ऐसा लगता था कि सप्लीमेंटीरी ग्रान्ट पर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि माननीय मंत्री जी की स्तुति करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कोई घर की शिकायत करता था, कोई अन्दर की शिकायत करता था। मंत्री जी की स्तुति से बढ़ते बढ़ते दुर्गा जी की स्तुति तक पहुंच गये। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो सप्लीमेंटरी डिमान्ट्स पेश की हैं यह इनकी अक्षमता का नमूना है। जिस वक्त इन्होंने मुख्य बजट बनाया था उस वक्त इनको पता नहीं लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम को बाद में सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के रूप में यहां आना पड़े। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जो 120 करोड़ रु. का इस देश की जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं आखिर उसका असर किस पर पड़ेगा ? वह आधी रोटी खायेंगे इन्दिरा जी को लायेंगे, उसकी हालत क्या होगी कभी विचार किया आपने ?...

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : सभापति महोदय, यह "डाक" शब्द असंसदीय शब्द है, इसको यह वापस लें। असल में डंकती डालते डालते आदत पड़ गई है। आप इसको वापस लें।

श्री फूलचन्द वर्मा : वापस तो जनता बुला लेगी आपको। हम तो आप की छाती पर दनदनाते हुए आये हैं।

श्री राम नगीना मिश्र : अब डंकती डालते डालते डाका ही याद रहेगा। सभापति महोदय, यह असंसदीय शब्द है।

सभापति महोदय : हम देख लेंगे अगर होगा तो।

श्री फूलचन्द वर्मा : मिश्रा जी पहली बार आये हैं...

श्री राम नगीना मिश्र : आप पहली बार नहीं, कई वार आये हैं इसलिये गाली देना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं जानते।

श्री फूलचन्द वर्मा : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस देश की जनता से जो 120 करोड़ रुपये वसूलना चाहते हैं। इन तीन महीने के अन्दर, जिसके कारण माल भाड़ें में 10 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी, आखिर वह भार किस पर पड़ने वाला है ? बड़े लोगों पर इसका असर नहीं होने वाला है।

श्री बी. के. गधावी (बनासकांठा) : मेर एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक सदस्य दूसरे सदस्य से यह कह सकता है कि वह पहली बार बोलने आया है और स्वयं दूसरी बार अथवा तीसरी बार ? क्या यह ठीक है ?

एस माननीय सदस्य : इसमें कोई गलत बात नहीं है।

श्री फूलचन्द वर्मा : इसमें गलत क्या है ?

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री फूलचन्द वर्मा : सभापति जी, मैं आपके माध्य से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब आप पूरे साल का वजट बनाते हैं तो आपके अधिकारी रेलवे बोर्ड के लोग और दूसरे

अधिकारी जो इससे सम्बन्ध रखते हैं, चाहे ला डिपार्टमैंट के हों या तकनीकी या फाइनेन्स डिपार्टमेंट के हों, सब मिलकर बनाते हैं, तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि मंत्री महोदय को फिर 3 महीने के लिये सप्लीमेंटरी बजट लेकर सदन में क्यों आना पड़ा ? में उनसे कहूंगा कि वह इसकी जांच करायें और जो अक्षम अफिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें ।

हमारे जो रेल मंत्री हैं, यह बोगस घोषणा करने में माहिर हैं । इन्होंने अक्तूबर, 1980 में भोपाल में जब पधारे थे तो एक प्रेस काफरेंस में कहा था कि मध्य प्रदेश के रांची-एक्सप्रेस दे रहे हैं । आज सन् 1982 शुरू हो गया है, माननीय सदस्य श्री शेजवल्कर जी यहां बैठे हैं, सदन में इनके प्रश्न में मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि जब आपको ज्ञान नहीं, आपको मालूम नहीं तो इस प्रकार की घोषणा आप बाहर क्यों करते हैं ?

दूसरी बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी 9 तारीख के दिन नासिक में आपके जो संचार उपमंत्री श्री विजय पाटिल हैं, इन्होंने घोषणा की कि बम्बई, इन्दौर होते हुए नासिक मनमाड होते हुए फास्ट ट्रेन चलवाई जायेगी । मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार की आप घोषणा करते हैं, उसी प्रकार की घोषणा आपके उपमंत्री करते हैं ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।)

श्री विजय एन पाटिल (इरन्दोल) उपाध्यक्ष महोदय, पेपर में अगर कोई गलत बात निकल आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं । हमने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अगर 200 किलोमीटर डिस्टेंस कम होता है तो सर्वे करायेंगे और फिर देखेंगे ।

श्री फूल चन्द वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं जो कि रेलवे के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है । अभी हमारे माननीय साथी बोल रहे थे कि विस्तर का जो हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों को यह मालूम नहीं कि रेल क्या होती है रेल की कल्पना कैसी होती है । उससे भी वे लोग वंचित हैं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश के वस्तर के इलाके में जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां वहां पर रेल की जो योजना विचाराधीन है, उसका सर्वे कराने की जो कोशिश की है, मंत्री महोदय, उसको मूर्त रूप देने का प्रयास करें ।

इसके अलावा इन्दौर से रतलाम के लिये मीटरगेज लाइन है वह औद्योगिक नगर है, वहां से रतलाम के लिये डबल लाइन बिछा दें तो इससे लोगों को काफी लाभ होगा ।

इसके अलावा उज्जैन से अगर वे एक नैरोगेज लाइन थीं जो कि 1977 में उखाड़ दी गई थी । उस समय भी मैं इस सदन का सदस्य था, रेल मंत्री जी ने उस वक्त भी आश्वासन दिया था कि नैरोगेज लाइन को उखाड़कर मीटर गेज लाइन डाली जाएगी, लेकिन आज ऐसा नहीं किया गया है ।

मूह एक सैनिक छावनी है । वहां पर कालेज आफ कम्बैट, सिग्नल्ज स्कूल और इनफेन्ट्री स्कूल है । मैंने इस सदन में इन्दौर मूह रेलवे लाइन के बारे में कई वार प्रश्न पूछे हैं । दो वार उसका सरवे हो चुका है । लेकिन उस 22 किलोमीटर मीटरगेज लाइन को ब्राडगेज में कन्वर्ट किया गया है ।

मुझे आशा है कि जिन बातों की ओर मैंने ध्यान दिलाया है, मंत्री महोदय उनके बारे में तुरन्त कार्यवाही करेंगे और बजट में उनके लिए व्यवस्था करेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज रेल-यात्रा सब से असुरक्षित हो गई है. उसके दो खास कारण हैं : एक तो दुर्घटनाएं और दूसरे, चलती गाड़ी में डकैतियां और लूट-पाट। रेल दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं, उन्हें सारा मुल्क जानता है, रेल मंत्री भी जानते हैं और रेल मंत्रालय को उन्हें जानना चाहिए इस बारे में इस सदन में सदस्यों ने बार-बार सुझाव दिए हैं ऐसे सदस्यों ने भी, जिनकी रेलों के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन यह कहते हुए मुझे खेद है कि उन पर कोई तवज्जुह नहीं दी गई है।

दुर्घटना के मुख्य तीन कारण मैं मानता हूं। एक तो यह है प्रति-दिन सेफ्टी रूल्ज का वायलेशन हो रहा है। मंत्री महोदय की निगाह में ये बात बहुत बार आई हैं सेफ्टी के कुछ नियम बने हुए हैं जिनका उनके अधिकारियों के आर्डर के तहत रोज वायलेशन हो रहा है। जैसे. गार्ड के ब्रेक में जो वैक्यूम गेज होती है, वह एक निश्चित स्टैंडर्ड तक होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई गार्ड उससे कम स्टैंडर्ड पर गाड़ी ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसे ले जाने के लिए लाचार किया जाता है। अगर वह नहीं जाता है, तो उसके विरूद्ध कार्यवाही होती है और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैंने इससे पहले भी मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाया है, लेकिन पता नहीं क्यों, सेफ्टी रूल्ज को ताक पर रख कर रेलें चलाना चाहते हैं।

मंत्री महोदय वास्तव में चाहते हैं कि रेलों में सेफ्टी हो, लेकिन उनके पदाधिकारी प्रति-दिन उनके सामने यह बात रखते हैं कि किस तरह सेफ्टी न बरती जाए और उसको रेलों में लाना चाहते हैं। मंत्री महोदय ने पहले भी कहा है कि हम रेलवे एक्ट में संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। जो नियम बने हुए हैं, उनके मुताबिक किसी एक्सिडेंट में मरने वाले के लड़के या पत्नी को कम्पेन्सेशन मिलता है। मंत्री महोदय को जानकारी होगी कि बागमती एक्सिडेंट में. जो दुनिया का सब से बड़ा रेलवे एक्सिडेंट है, ऐसे लोग भी थे, जिनका सारा परिवार स्वाहा हो गया। वह अंबिका बाबू को जानते होंगे। उनका सारा परिवार खत्म हो गया है। जो आदमी मरा है, यदि उसकी पत्नी या बच्चे नहीं हैं, तो कानून के मुताबिक कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाता है। मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय इस तरफ तवज्जुह दें और जिन नियमों में संशोधन करने की जरूरत है, उनमें संशोधन करें (**व्यवधान**) उनके परिवार में और लोग हैं, उनके फादर हैं, पेयरेंट्स हैं।

मंत्री महोदय कहते हैं कि यदि सेफ्टी रूल्ज को माना जाए, तो गाड़ी नहीं चल सकती तो फिर ऐसे रूल्ज को क्यों नहीं बदलते ? मंत्री महोदय ने कहा है कि वह ऐसे नियमों को बदलना चाहते हैं, और ऐसे नियम बनाना चाहते हैं, जो माने जा सकें और रेल-यात्रा सेफ हो सके, लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया जा सका है।

जहां तक मेनटेनेंस का सम्बन्ध है, आज रेल मंत्रालय में होड़ लगी हुई है कि किस तरह गाड़ियां तेज से तेज चलें। गाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं, लेकिन रेल अधिकारी चाहते हैं कि गाड़ियां कैसे तेज चलें। अब इसके लिए आवश्यक है कि उतना मेंटिनेंस भी हो। आप जानते

होंगे पहले एक नियम बना हुआ था कि गुड्स ट्रेन की 250 किलोमीटर के बाद चेकिंग होती थी और मेटिनेंस होता था। आज कहते हैं एकोनामी के नाम पर हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना है। इसलिए वहां के नीचे के कर्मचारियों को हटा दिया गया, उनकी पोस्ट्स एवालिश कर दी गई और टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। एक के बदले तीन तीन जी. एम. और एक जी. आर. एम. के बदले चार चार डी. आर. एम. बन गए। तो आज सोचने की जरूत है कि जो आप ने अधिकारियों को बढ़ाया और टाप हैवी ऐडनिनिस्ट्रेशन किया उसके द्वारा परफार्मेंस अच्छा हुआ या नहीं हुआ ? नहीं हुआ तो आप को उसे बदलना होगा। हकीकत यह है कि वास्तव में उसके बाद ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ी हैं. रेल उनी उसके बाद अनसेफ हुई है। इसलिए आप को इस बिन्दु पर फिर से सोचने की जरूरत है।

रेल दुर्घनाओं का एक खास कारण यह है कि आज आपके कर्मचारी अन्सतुष्ट हैं। उसका जो भी कारण हो, आप ने इतने लोगों को निकाला है चाहे वह आपके ड्राइवर्स हो या टी. टी. ईज हों या और लोग हों यह भी उसका एक कारण है। हम यह आप से अवश्यक कहना चाहते हैं कि जब तक वह सेटिस्फाइड नहीं होंगे यह काम ठीक तरह से नहीं हो सकेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप का नियम बना हुआ है दस घंटे तक काम करने का। तो दस घंटे के बाद आप क्यों वाध्य करते हैं उनको काम करने के लिये ? इसके बारे में हमने लिख कर आपको दिया है, मैंने एक चिट्ठी आपको लिखी है, 23-23 घंटे तक लोगों को मजबूर किया जाता है और ऐसे लोगों को जैसे ड्राइवर्स को, तो अन्दाज कर सकते हैं कि उनकी पुनःस्थिति क्या होगी और उनसे आप क्या एफिशेंसी की उम्मीद कर सकते हैं ?

दूसरी बात मैंने कही कि आज रेल यात्रा असुरक्षित हो गई है। रेल में आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। अभी हम यहां बात कर रहे हैं, पता नहीं कहां क्या दुर्घटना हो गई होगी ? दूसरी तरफ चलती गाड़ियों में डकैती और लूट पाट बढ रहीं है। आप कह देगें कि यह स्टेट मैटर है लेकिन आप पैसा लेते हैं तो आप फर्ज बनता है कि लोगों को सेफली जहां का उन्होंने टिकट लिया है वहां पहुंचाएं। इसमें बात आती है कि स्टेट कोआपरेट नहीं करते हैं। लेकिन में दूसरी बात कहता हूं। आज जो रेल दुर्घटना और चोरी डकैती आदि बढ़ रही है उसका मुख्य कारण यह है कि वह आदमी जो समाज में अपने लिए कुछ नहीं पाता है, जिसका कोई इटरेस्ट नहीं रह गया है, जिसका पेट नहीं भरता है वह जब देखता है दूसरी तरफ चाहे पदाधिकारी हों या मंत्री या मुख्य मंत्री हों, सब के यहां जो भ्रष्टाचार का आलम बन गया है, उसको देख कर वह कहता है कि तुम दिन दहाड़े लेते हो तो हमें भी तुम नहीं रोक सकते हो। तो इसे भी देखने की जरूरत है कि वास्तव में उसको किसी तरह कम किया जाय ? यदि नहीं कम कर पाएगे तो समाज में इस तरह से जो अत्याचार बढ़ रहा हैं इसको आप रोक नहीं सकेंगे। ये सारी बातें समाज में होती रहेंगी · (व्यवधान)

अभी इन्होंने कहा और आपकी निगाह में भी हम यह बात लाए हैं कि बहुत-सी गुड्स ट्रेन्स तो विना ब्रेक वैन के चलती हैं···

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : आप बिना ब्रेक के चलते चले जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : जैसे आप अमेरिका में कपड़े खोलकर चलते हैं, वह शर्म की

बात है। समझने की बात करिए।···(व्यवधान) वह अगर इंटरप्ट करेंगे तो मैं समय लूंगा, यह आप समझ लीजिऐ।

आचार्य भगवान देव : हम ब्रेक लगाएंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : ब्रेक सब पर लगेगा। कपड़े पर भी ब्रेक लगना चाहिए। मैं यह कह रहा था, हमने लिखकर बहुत से उदाहरण दिए हैं जिसमें गुड्स ट्रेन्स बिना ब्रेक वैन के चलाई जाती है और उसकी कंडीशन ऐसी है जिसमें आदमी कम से कम नहीं चल सकते हैं। आपने कहा था कि मैं स्वयं एक दिन चलूंगा ब्रेक वैन पर। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कोई समय आप निकालें ताकि देख पायें कि वह आदमी के चलने लायक हैं या नहीं ?

एक दो बातें और कहकर मैं खत्म करता हूं। आज दस वर्ष से गधेपुरा से सिंहेश्वर नौ किलोमीटर को मिलाने की बात हो रही है। मैं आग्रह करूंगा कि उसे आगे के बजट में इन्क्लूड करें और आप यदि चाहते हैं कि वास्तव में बिहार में रेल का कुछ काम हो तो सहरसा से दरभंगा को मिलाइए और जो कोसी पर ब्रिज है उसको बनाइए चाहे उस पर जितना भी खर्चा हो। आदरणीय ललित नारायण मिश्र ने उसके लिए आश्वासन दिया था। हमें समझते हैं कि उसको आप करेंगे तभी वहां का उद्धार हो पाएगा।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्य महोदय, मैं कल से इस सदन में सुन रहा हूं कि हमारी भारतीय रेलों में बड़ी डकैतियां और कत्ल हो रहे हैं और सारे देश का बेड़ा गर्क हो रहा है लेकिन मैं समझता हूं हमारे विरोध पक्ष के लोगों को मालूम नहीं है कि रेलवे क्या चीज है। आज पांडे जी की रहनुमाई में भारतीय रेलें जो तरक्की कर रही हैं वह काबिले तारीफ है। अगर कोई रेल के डिब्बे पर चढ़कर मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आप हमारे उपर क्यों डालना चाहते हैं ? ये विरोधी पार्टियां जो जुलूस निकालती हैं उसके लिए मुख्तलिफ प्रान्तों से लोगों को डिब्बों के ऊपर चढ़ाकर लाती हैं और उसी दौरान ही ज्यादातर एक्सीडेन्ट्स होते हैं। भारतीय रेलवेज इस मुल्क का सबसे बड़ा उद्योग है जिसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं। विरोधी पार्टियां कहती हैं कि कर्मचारी ठीक नहीं हैं। लेकिन अगर किसी कर्मचारी को निकाला जाता है तो उसके लिए ये सत्याग्रह करते हैं। इस तरह से दोनों हाथ से लड्डू मारने का काम यह करना चाहते हैं। इन लोगों ने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उनके मार्ग पर चलने की कसम खाई थी लेकिन यह सारे काम उल्टे ही कर रहे हैं। आज रेल मंत्री जी ने इस सदन के सामने जो मांग रखी है वह अगर पास नहीं होगी तो रेलवे का खर्चा कैसे चलेगा और कैसे रेल कर्मचारिकों की तनख्वाह निकल सकेगी। आपको नेशनल तौर पर सारी बातें सोचनी चाहिए और अपना सहयोग भी देना चाहिए तभी वरक्की हो सकती है। आज सारे देश में रेलों का जाल बिछा हुआ है। इसलिए यह कहना कि कुछ हुआ ही नहीं है, यह गलत बात होगी।

अब मैं अपने क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। अंग्रेजों के जमाने में जितनी रेलवे वहां पर थीं वह वहीं की वहीं रह गई हैं, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ी हैं। हमारे शिमला में ही कांग्रेस का जन्म हुआ था लेकिन वहां से आगे रेलवे नहीं पहुंच सकी है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कहा है कि देहरादून-खड़ा, पत्थर-कलसी तक रेलवे लाइन का सर्वे कराया जाए उसकी तरफ आपको पूरा ध्यान देकर कार्यवाही करनी चाहिए।

इसी तरह से पांउंटा साहब से जगाधरी लाइन की प्रपोजल हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आई हैं। जगाधरी से चंडीगढ़ लाइन के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है और चंडीगढ़ से लुधियाना का प्रपोजल पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है। आज हरियाणा और पंजाब ही इस देश को सबसे ज्यादा अनाज देते हैं। मैं मांग करूंगा कि इन रेलवे लाइनों की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि आप सारी जगह तो देने वाले हैं नहीं इसलिए कम से कम जो हिमाचल का बैकवर्ड इलाका है और पहाड़ी क्षेत्र है वहां बैकवर्डनेस के लिहाज से जरूर ध्यान दें। हमारे यहां 1926 में अंग्रेजों के शासन काल में नालागढ़ के लिए बड़ी लाइन बिछी थी लेकिन वह उठा ली गई। आप नालागढ़ से रोपड़ तक अगर लाइन का निर्माण कर दें तो उससे वह इलाका खुशहाल हो जायेगा और पहाड़ी क्षेत्र भी खुशहाल हो सकेगा।

जहां तक कर्मचारियों का ताल्लुक है, मैं एक बात कहना चाहूंगा। श्री जयप्रकाश नारायण के पास रमगलर्स ने भी कसम खाई थी कि आगे से वे स्मगलिंग का काम नहीं करेंगे परन्तु वह नहीं रुके उसी तरह से रेल कर्मचारी भी करेंगे। हम समझते हैं कि 1975 में जिन कर्मचारियों को हटा दिया गया था वे दोबारा वहां पर आ गए हैं और रेलों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उनके कारण यह सब हो रहा है जांच होनी चाहिए। हमारी प्रधान मंत्री और सारा हिन्दुस्तान इस बात को जानता है उन लोगों ने हड़ताल करके रेलवे को कितना नुकसान पहुंचाया था। ये लोग जो गड़बड़ी पैदा करने वाले लोग हैं ये मुल्क के अन्दर न रेबाजी करके देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, इनसे आपको होशियार रहना चाहिये।

इन शब्दों के साथ में इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, समय के अभाव में विस्तार से मैं उन सारी बातों की तरफ मंत्री जी का ध्यान नहीं दिला सकूंगा जिनके बारे में मैंने सोचा था, फिर भी मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, आपको याद होगा—पं. कमलापति त्रिपाठी जो आपसे पूर्व रेल विभाग के मंत्री थे, उनको यह कहकर हटाया गया था कि रेल की व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब हो गई है

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : हटाया नहीं गया था।

श्री राम लाल राही : उसके बाद आपने जब से इस व्यवस्था को सम्भाला है तब से इस विभाग की क्या हालत हो गई है, यह स्वयं आपका दिल जानता होगा या देश की जनता जानती होगी। जिम्मेदार कौन है—इसका फैसला स्वयं आपको करना है। मैं तो आपसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा—अगर आपको यह महसूस होता हो कि नहीं, हम तो कमलापति जी से भी निकम्मे साबित हो गये हैं, तब फिर ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिये कि प्रधान मंत्री आपको भी उसी तरीके से हटावें जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग नेता माननीय कमलापति जी को हटाया गया। मैं तो ऐसा मानकर चलता हूं

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वे कह रहे हैं कि श्री कमलापति त्रिपाठी, जो इस देश के एक सम्माननीय नेता हैं "निकम्मे हैं!" इसका अर्थ है वे किसी काम के नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त को देखूंगा और इस पर ध्यान दूंगा। श्री राही, यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप अशोभनीय भाषा का उपयोग न करें।

श्री राम लाल राही : मान्यवर, मेरा समय बरबाद न किया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं—मेरी तो यह धारणा है कि पं. कमलापति त्रिपाठी जी को इसलिये नहीं हटाया गया था कि रेलवे की व्यवस्था ठीक से नहीं चला पा रहे थे, उसका कारण राजनीतिक था। राजनतिक कारणों से उनको हटाया गया और आप अगर हटाये गये तो निश्चिति रूप से जो आज रेलवे के अन्दर अपराध हुए हैं, अव्यवस्था है, हत्यायें हो रही हैं, एक्सीडेंस हो रहे हैं, लोग यही जानेंगे कि पांडे जी रेल मंत्रालय चलाने में सक्षम नहीं हो पाये।

आपके इस विभाग में जितने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोग काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं, कानून के जरिये आपने उनको संरक्षण दे रखा है कि प्रमोशन में, नियुक्तियों में हम उनके आरक्षण को पूरा करेंगे, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। जो लोग वहां पर निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिनकी चरित्र-पंजिका अच्छी लिखी जाती है, उनको पदोन्नति नहीं दी जाती है। मैंने एक केस के बारे में आपको लिखा था—श्री पी. एल. भृगु एक अनुसूचित जाति के बी. टी. आई. हैं, उनको पदोन्नति केवल इस आधार पर नहीं दी गई कि वे अनुसूचित जाति के थे और अधिकारी बनने के बाद वे दूसरे लोगों के साथ बंगले में रहना चाहते थे उस बंगले में जिसमें पहला अधिकारी रहता था। वह बंगला आपके अधिकारी उसको नहीं देना चाहते थे। इस पर विवाद हुआ, तीन साल के बाद उसको वह बंगला दिया गया। मैंने यह मिशाल इसलिये दी है कि इस आधार पर उसकी पदोन्नति रोकी गई।

आज जितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के आपके यहां काम कर रहे हैं वे उत्पीड़न के शिकार हैं। आपको लिखते हैं, आपसे मिलते हैं, लेकिन आप सुन नहीं पाते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि आपके मन में उनके प्रति, हरिजनों के प्रति प्यार है या नहीं है। उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप आप काम करना चाहते हैं या बगुला भगत जैसा रोल अदा करना चाहते हैं—मैं इस बात को कह नहीं सकता, लेकिन मुझे इसका बहुत दर्द है। मैं कहना चाहता हूँ—अगर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो यह बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। बगावत की स्थिति पैदा होगी।

सभापति महोदय, हम सब लोग दिन-रात रेलवे से सफर करते हैं। हम लोगों को कोच-अटेंडेंड की क्या स्थिति है, इस पर ध्यान देना चाहिए। पूर्वी रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे में लंबी यात्री गाड़ियों पर जो कोच अटेंडेंट चलते हैं, उनके लिए कोई विश्रामालय नहीं बनाए गए हैं। वे रात दिन चलें, यात्रियों की सेवा करें उसके बाद प्लेटफार्म पर खुले नल पर नहाएं, खुले पाखानों में जाए और खुले स्थानों पर खाना खाएं और फिर चल दें। उनके लिए आराम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा बड़े-बड़े अधिकारियों के लिए बड़े-बड़े विश्रामालय जगह-जगह बने हुए हैं। मंत्री महोदय के लिए तो एक चलती-फिरती रेल ही विश्रामालय बनी हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने विभाग में देखिए कि कमजोर वर्ग और नीचे के स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की क्या हालत है। किस प्रकार की सुविधाएं उनको दी जा रही हैं और किस तरीके से उनकी उपेक्षा की जा रही है। मैंने इस बारे में चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, इसका मुझे खेद और दुख है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति पत्र लिखता तो आप ध्यान देते।

इसके अलावा मैं थोड़ा सा रेलवे लाइनों के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप 600 करोड रुपया विश्व बैंक से कर्जा ले रहे हैं और माल-भाड़ा बढ़ा दिया है। आपने कह दिया कि विकास के लिए यह सब कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप कैसा विकास करेंगे। मुझे आपकी विकास की नीति पर संदेह है। आप क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं ? प्रभावशाली लोगों ने जैसा कहा, उसी प्रकार से आपका विकास कार्य होता रहा। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीतापुर जनपद जो कि लखनऊ और दिल्ली मेन रोड पर पड़ता है, शाहजहांपुर से सीतापुर एक ब्राडगेज ब्रांचलाइन जाती है और दूसरी ब्राडगेज ब्रांच लाइन बालामऊ से सीतापुर को जाती है। हमारे यहां की जनता ने चाहा था कि यह लाइन बुढ़बल तक बढ़ा दी जाये और थोड़े से मीटर गेज के टुकड़े को ब्राडगेज में कवर्ट कर दिया जाए इससे पूर्वी भारत से चलने वाली गाड़ियाँ जो लखनऊ, कानपुर होकर जाती हैं, वे पश्चिम भारत को सीधी जाने लगेंगी और पश्चिमी भारत से आने वाली गाड़ियाँ पूर्वी भारत को जाने लगेंगी। इस लाइन का सर्वे होने के बावजूद तीन-तीन इस तरह की पोथियाँ सदन में रखी जा चुकी हैं, लेकिन कहीं भी इस लाइन का जिक्र नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया जाता है, क्या यह पिछड़ा इलाका नहीं है ? यही नहीं सीतापुर जनपद और उसके पड़ौसी जिला मुख्यालय रेल-लाइन से नहीं जुड़े हैं—हरदोई, सीतापुर और बहराइच। बहराइच से सीतापुर और सीतापुर से हरदोई तक एक नयी रेल लाइन की माँग की गई थी और श्री कमलापति जी के समय में सर्वे भी कराया गया था और उसका व्यय 25 करोड़ रुपये आंका गया था और कहा गया था कि अगली बार इसको देखेंगे। कब तक अगला समय आएगा ? उस वक्त 25 करोड़ खर्च आता था, आज 30 करोड़ आयेगा और कल 60 करोड़ आएगा, फिर कब तक बनेगी यह रेलवे लाइन।

मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह पिछड़ा इलाका है और गांवों में आज तक ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने कभी रेल नहीं देखी है। इस इलाके के विकास और उन्नति के लिए इस पर पुनर्विचार करें और बहराइच से सीतापुर होते हुए हरदोई को रेलवे लाइन देने की कृपा करें और इससे पिछड़े इलाके को लाभ होगा और वहाँ के लोगों को तरक्की करने का अवसर मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सत्ताधारी दल के कुछ सदस्यों को बोलना है तथा विपक्ष के कुछ दलों को भी दूसरा मौका देना है। परन्तु हम इन अनुपूरक माँगों को आज पास करना चाहते हैं। अतः जो सदस्य बोलना चाहते हैं वे कृपया मुझे क्षमा करें। मैं मंत्री महोदय को बुला रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : एक-एक, दो-दो मिनट सब को दे दें तो क्या फर्क पड़ता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह संभव नहीं है। आपके दल का समय समाप्त हो गया है। सत्ताधारी दल के सदस्यों के नाम भी बाकी ले लिए हैं। यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे अन्य दलों को भी दोबारा समय देना पड़ेगा। अब मन्त्री महोदय अपना भाषण दें।

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : जब मैंने बजट पेश किया था तो फ्रेट 215 मिलियन टन रखा था। गत वर्ष में 214 मिलियन का टारगेट था। हमने इसके बदले 195 मिलियन टन अचीव किया। इस वास्ते लास्ट इअर हमें ज्यादा घाटा हुआ। 201 करोड़ का हुआ। जब यह

बजट आया तो मैंने 215 मिलियन टन का टारगेट रखा 214 के बदले। इसका मतलब यह है कि बीस मिलियन टन पूरा करके तब आगे हम बढ़ें। मुझे खुशी है कि जो मैंने रिस्क लिया उसमें हमें सफलता मिली। आज जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, अर्निंग जैसी अच्छी हमारी हो रही है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हम अहैड आफ दी टारगेट हैं। मैं आशा करता हूं कि 215 के बदले 220 तक यह हो सकता है। यह मामूली अचीवमेंट नहीं है। आप भी महसूस करते होंगे कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो फ्रेट ट्रैफिक तो नहीं चल सकता है ज्यादा और तब पैसेंजर ट्रैफिक भी नहीं चलेगा। पैसेंजर ट्रैफिक को तो हम सबसिडी पर चलाते हैं। दडवते जी जरूर इस चीज को जानते होंगे। और माननीय सदस्यों ने भी इसका जरूर अध्ययन किया होगा। यह आर्थिक पहलू है। इसको अगर देखा नहीं जाता है तो सारी बात बदल जाती है। इसी दृष्टिकोण से इसको से देखा जाना चाहिये। इसी के द्वारा हम हिन्दुस्तान की गरीबी को भी दूर कर सकते हैं और जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग हैं उनको ऊपर उठा सकते हैं। जब तक अर्निंग्ज नहीं होंगी, इनफ्रा स्ट्रक्चर देश का मजबूत नहीं होगा, प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ेगा, कोयले का नहीं बढ़ेगा, दूसरा नहीं बढ़ेगा। इस वास्ते जब तक फर्स्ट क्लास ट्रांस्पोर्ट सिस्टम फ्रेट के बारे में नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि 215 मिलियन टन से भी इस साल हम आगे जाएंगे। अर्निंग्ज हमारी अच्छी हो रही हैं। मैं समझता हूं कि 220 मिलियन टन भी हो सकता है। ऐसा हो गया तो 170 करोड़ एडीशनल अर्निंग हमारा हो जाएगा। यह दिसम्बर महीना है। मार्च तक मैं समझता हूं यह हो जाएगा। ट्रेंड यही जा रहा है। तीन महीने अभी बाकी हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो हमने कैलकुलेट किया है कि 170 करोड़ एडीशनल अर्निंग हमारा होगा। लेकिन इधर ऐसी बात हो गई पोस्ट बजट फैक्टर्ज कुछ हो गए जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं था···

प्रो मधु दण्डवते : आपकी सरकार का तो था।

श्री केशर पांडे : प्राइसिस की बात हैं। हमारा एक बिजिनैस कंसर्न है। एक इंडस्ट्री है, रेलवे पब्लिक सैक्टर है, कामर्शियल अन्डरटेकिंग है। इसके मुताल्लिक मैं आपसे कहता हूं कि जो पोस्ट बजट फैक्टर्स आ गए हमारे सामने उनको जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें 245 करोड़ रु. ऐडीशनल ऐक्सपेंडिचर हो गया, जबकि ऐडीशनल अरर्निंग हुई 170 करोड़ रु. की। इसलिये 75 करोड़ का गैप हो गया। अगर मान लीजिये हम फ्रेट ट्रैफिक नहीं बढ़ाते तो जो ऐस्कलेशन आफ प्राइसेज इधर हुए हैं उस वजह से, नाट दी फाल्ट आफ दी रेलवेज, अरर्निंग में ज्यादा कमाया लेकिन कमाने के बाद जो पोस्ट बजट फैक्टर्स हुए उनकी वजह से 75 करोड़ रु. का हमको डेफिसिट हो रहा है। मान लीजिए कुछ नहीं करते, छोड़ दें, आगे जनरल बजट में देखेंगे, तो इतना डेफिसिट होता। इसीलिए केवल फ्रेट की बात की। फेयर की बात नहीं की क्योंकि उससे कामनमैन कंसर्न्ड होता है। और फ्रेट में जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन हैं, सामान ढोते हैं उन्हीं को देना पड़ेगा। एक और स्टेटिस्टिक्स मैं आप को दूं कि ट्रक से कोयला ढोते हैं, एक ट्रक में जितना कोयला ढोते हैं उसके लिए 6 रु. देने पड़ते हैं तो उतना ही कोयला अगर रेल से ढोयें तो केवल 1 रु. ही लगता है। इसलिए थोड़ा रेल भाड़ा बढ़ा दें तो कोई ज्यादा नहीं होगा ट्रक के भाड़े को देखते हुए। इसलिए मैंने प्रपोज किया है कि 10 परसेंट 500 किलोमीटर्स तक और उसके ऊपर 15 परसेंट। किसी को इसमें तकलीफ नहीं है। जो इतना कमाते

हैं और 6 रु. देते हैं ट्रक से ढोने का और रेल से 1 रु. ऐसे लोगों पर अगर थोड़ा बढ़ा दें 10 परसेंट कर दें तो उनको वह मालूम नहीं होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यह थोड़ा है 10 परसेंट ?

श्री केदार पांडे : थोड़ा तो है ही जो ट्रक में देते हैं उसकी तुलना में। इसीलिये मैं कहता हूं कि एक ही पाइंट पर इतनी बहस की कोई जरूरत नहीं थी। अर्न तो किया बहुत, लेकिन खर्च बढ़ गया ड्यू टू ऐस्कलेशन आफ प्राइसेज। आगे मैन बजट ला रहे हैं तीन महीने बाद, दिल खोल कर बात कीजियेगा। हम भी बात करेंगे। एक ही पोइंट को लेकर तो चला रहे हैं बीटी पर। 245 करोड़, ऐडीशनल ऐक्सपेंडिचर हो गया, 175 करोड़ रु. अर्न किया, 75 करोड़ का गैप रह गया इसको क्लिज करने के लिए 10 परसेंट और 15 परसेंट कर रहे हैं। इसमें हमारे परफारमेंस के बारे में सारी कहानी राम से रहीम तक की कह गये। यह कहानी तो हमने सुनी है। कोई कहानी बाकी है जो हमने न सुनी हो। जब यहां पार्लियामेंट बैठी तो हमने फर्ज किया ऐक्सीडेंट पर हुई बहस के वक्त। वही कहानी तब कही गई और वही आज भी कही गई। रेलवे ऐक्सीडेंट्स पर दिन भर बहस हुई, मैंने पूरे फैक्ट्स और फिगर्स दिये, फिर वही कहानी। जो बदलाघाट रेलवे ऐक्सीडेंट हुआ था, वह बहुत बड़ा घटना हुई थी जिससे हमको बड़ी तकलीफ हुई थी। उसकी रिपोर्ट आयी कि नैचुरल फैक्टर्स उसके लिए जिम्मेदार थे। बागमती नदी में गाड़ी गिर गई थी जिसमें 270 आदमी मारे गये।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : बजट प्रोपोजल्स में आपने जिन-जिन रेलवे लाइन्स के लिए सर्वे स्वीकृत किया था उसका काम आज तक नहीं चला।

श्री केदार पांडे : ऐसी बात नहीं है, जितनी लाइनों का सर्वे हमने स्वीकार किया है उनमें से बहुतों का सर्वे का काम शुरू हो गया है। और जो ऐंगजीक्यूट करने की बात है वह हम करने जा रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : नहीं, नहीं। आपने हमारे यहां की दो लाइनें सर्वे के लिए रखी हैं लेकिन काम शुरू नहीं हुआ।

श्री केदार पांडे : तो जहां तक ऐक्सीडेंट्स की बात है हमने फिगर्स दिए थे। ऐक्सीडेंट्स तो बहुत हुए, हर साल होते हैं। 1950-61 में देखें कहीं भी एक हजार, डेढ़ हजार, दो हजार ऐक्सीडेंट्स हुए हैं। शुरू से फिगर दे रहे हैं 1960-61 का, लेकिन मैं वह देना नहीं चाहता, इस लिए कि पहले दे चुका हूं, अब उसके देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक्सीडेंट पहले भी हुए हैं। और उसका कारण है 50 परसेंट स्टाफ की नैग्लीजैंस। उसमें कमी है, यह मैं मानता हूं।

इसके अलावा जितने ट्रैक्स हैं, उनमें भी कुछ कमी है, उसको भी मानता हूं। उस पर मैं लगा हूं और उस काम को करूंगा।

उसी तरह से दो माननीय सदस्य श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी और श्री रवीन्द्र वर्मा ने बताया है कि बम्बई में कोंकण लाइन आप्टा से मंगलौर का डिस्टेंस 6 या 8 किलो मीटर का है। इसमें फर्स्ट फेज हमने कंपलीट कर लिया है। आप्टा से रोहा प्रोग्रेस में है, और मैं उमीद करता हूं कि जल्दी ही यह कंपलीट हो जायेगा। इसलिए बम्बई कैसे नैगलैक्टेड है, गुजरात और महाराष्ट्र कैसे नैगलैक्टेड है ? अगर आप ऐसे ही बात कहेंगे तो लोग समझेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : बिहार में कुछ नहीं हुआ ?

श्री केदार पांडे : बिहार में भी बहुत बड़ा काम हुआ है। यू. पी. बिहार में छितौनी ब्रिज के बारे में कहा तो उसके बारे में भी काम जारी है, उसके लोकेशन की जांच-पड़ताल हो रही है, दो–तीन महीने बाद इस ब्रिज का काम शुरू हो जायेगा। इसलिए परफोरमेंस काफी हुआ है, जहां नहीं हुआ है, उसका जिक्र मैंने किया है।

नंगल से तलवाड़ा लाइन हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है। उसका जवाब पाराशर जी ने दिया ही है। मैंने कोई स्टेट ऐसा छोड़ा नहीं।

राजस्थान भी एक पिछड़ा हुआ इलाका है, कोटा से चित्तौड़गढ़ लाइन देना चाहते हैं। सही बात यह है कि यह काम जारी हो गया है, माननीय सदस्य श्री सुखाडिया जी ने कहा था कि उसमें देरी हो रही है, उसको हम एक्सपीडाइट करेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : कहां काम हो रहा है ? कुछ नहीं हो रहा है।

श्री केदार पांडे : यह स्कीम तो है ही, काम हो रहा है, कोटा से चित्तौड़गढ़ अंडर-कंस्ट्रक्शन है। काम हो रहा है, कहां पीछे है ?

चेतक ट्रेन में डीजल इंजन हमको देना है। उसके लिए स्टापेज कहीं-कहीं कम करने पड़ेंगे। इतने स्टापेज से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए डीजल इंजन हम जल्दी लगा देंगे लेकिन स्टापेज कम कर देंगे।

आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष महोदय, विदेशी पर्यटकों के लिए जो ट्रेन नहीं चली है, जिसमें विदेशी करेंसी का लाभ अधिक हो सकता है, मंत्री महोदय उसको बनावें। अजमेर में दरगाह शरीफ है, पुष्कर जैसे तीर्थ स्थान हैं, बहुत से विदेशी यात्री यहां आते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि अजमेर में इसका स्टापेज रखा जायेगा या नहीं ;

श्री केदार पांडे : अजमेर उसमें नहीं है। मैं इसकी जांच करा लूंगा, देखेंगे अगर उसमें रैवेन्यु ज्यादा मिलेगा तो यहां स्टापेज डाल देंगे, लेकिन रैवेन्यु मिलना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : विदेशी भी आते हैं, देशी भी आते हैं। कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है।

श्री केदार पांडे : जो आपने जिक्र किया है, सब की जांच करा लेंगे तब कोई कार्यवाही करेंगे।

जो मैंने कहा कि खर्चा बढ़ा है, मालूम है कि किस पर खर्चा बढ़ा है ? लोग मुझे ट्रेड-यूनियनिस्ट कहते हैं। मेरे ट्रेड-यूनियनिस्ट की पहली पहचान यह है कि मैं अपने कर्मचारियों को डीअरनेस एलाउन्स की 4 किश्तें दे चुका हूं, 5 अभी देनी हैं। चार इंस्टालमेंट पर 60 करोड़ रुपया खर्च हुआ है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) 2 बाकी कब देंगे ?

श्री केदार पांडे : देने जा रहे हैं। 60 करोड़ की राशि मजदूरों को दे रहे हैं डीअरनेस एलाउंस के इंस्टालमेंट की, ट्रेड यूनियनिस्ट की पहचान इससे ज्यादा क्या होगी ? क्या मजदूरों के प्रति हमें प्रेम नहीं है क्या इसमें आपका ही ठेका है ? क्या हम गरीबों और श्रमिकों की

खिदमत नहीं कर सकते हैं ? क्या और करते हैं, सबूत यह है कि उसके अलावा आज तक यह नहीं हुआ है ।

एक बात और कहूंगा । रेलवे में 65,000 की आर. पी. एफ. है । वे बराबर बोनस मांगते थे, लेकिन आज तक नहीं मिला था । हमने राशन मनी के रूप में पचास रुपये महीना सबका बढ़ा दिया है । हमने एक नया इतिहास बनाया है । क्या यह मजदूर-सेवक का लक्षण नहीं है ? क्या मैं मजदूर-सेवक नहीं हूं ? मंत्री हो गया, तो क्या मैं मजदूर की सेवा से हट जाऊंगा ? यह एक नया काम है ।

माननीय सदस्यों ने सेलवे लाइनों की बात कही है । हाल में मैं मिजोराम गया था । मिजोराम एक ऐसी स्टेट है, जो हिन्दुस्तान से कट आफ है । सारी स्टेट में कहीं बिजली नहीं है, कहीं एक इन्च भी रेलवे कम्युनिकेशन नहीं है । अभी वहीं से आ रहा हूं । जानते हैं कि वहां क्या किया ? वहां पर लाल बाजार से, जो आसाम में कछार एरिया में है, भैरवी तक—बहुत लोगों को उसके बारे में मालूम भी नहीं होगा, कोई उधर ताकता भी नहीं है, वह मिजोरम में दो किलोमीटर इनटीरियर में है—एक नई रेलवे लाइन की मैंने नींव डाली है । क्या यह परफार्मन्स नहीं है ? उधर के माननीय सदस्यों का नेगेटिव रीएक्शन रहता है । श्री चौबे ने इसका जिक्र किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि कम से कम इसका जिक्र तो किया । हमने मिजोराम को हिन्दुस्तान से जोड़ दिया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : वह हिन्दुस्तान में तो है ।

श्री केदार पांडे : रेलवे कम्युनिकेशन में नहीं है । वह हिन्दुस्तान का तो है, लेकिन वहां के लोगों को भी फील होना चाहिए कि देश के लोग वहां आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी सेवा करते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बाकी हिन्दुस्तान को भी जोड़िए ।

श्री केदार पांडे : हमने मिजोराम को मेन लाइन से जोड़ दिया है । एक तरफ बर्मा है, एक तरफ बंगलादेश है, एक तरफ चाइना है । बीच में वह है । जब मैंने वहां पर रेलवे स्टेशन की नींव डाली, तो लोगों में बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि वहां पर रेल आ जाएगी । हमने वहां के लोगों में इतना कोतूहल देखा । क्या यह अच्छा काम नहीं है ? यह एक अच्छा काम है । हम 11 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं ।

श्री अटल बिहार वाजपेयी : वह कब तक बन जाएगी ?

श्री केदार पांडे : वह 1984-85 तक बन जाएगी ।

नार्थ ईस्टर्न रिजन में मणिपुर में भी रेलवे कम्युनिकेशन नहीं है वहां भी देने जा रहे हैं । नार्दर्न रिजन के डेवेलपमेंट के लिए भी हम रेलवे कम्युनिकेशन देने जा रहे हैं और उस पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं । क्या यह नया काम नहीं है ? क्या यह रुपये का इस्तेमाल नहीं है ? आपोजीशन के लोग केवल डार्क साइड की बात कहते हैं । उनका काम है कि ब्राइट साइड की बात भी कहें । वे उधर भी देखें ।

हम डीयरनैस एलाउन्स के सम्बन्ध में 60 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं । फयुअल कास्ट बढ़ा है डीजल का दाम बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ा है । उस पर 50 करोड़ रुपए एक्सट्रा

खर्च हुए हैं । इसके अलावा एक्सट्रा लोडिंग पांच मिलियन टन पर हमारे 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एडीशनल कास्ट आफ जैनरेल परपज स्टार्ज पर 70 करोड़ खर्च होंगे । राजस्थान में बाढ़ आ गई तो हमारे 10 करोड़ रुपये लगे । समूचा राजस्थान डिमाशिल हो गया । सब कुछ बनाने में हमने 10 करोड़ रुपये खर्च किए । हम खुद वहां गए और देखा । अगर कोई कैलेमिटी आ जाए, तो खर्च करना पड़ेगा । उसके लिए बजट में तो व्यवस्था थी नहीं । कहां से आए ? इस लिए थोड़ा फ्रेट बढ़ा दिया । (व्यवधान) इस काम में रुपया लगता है ।

राजस्थान की तरफ जरूर ध्यान देते हैं । राजस्थान में और भी काम होना चाहिए । उसके लिए हम प्रयास करेंगे । और जगहों की तरफ भी हम ध्यान देंगे । राजस्थान की आवश्यकताओं को हम एप्रिशिएट करते हैं और जहां तक हो सकेगा, हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे ।

वर्ल्ड बैंक की बात कही गई । आई. एम. एफ. से अलग है वर्ल्ड बैंक । आई. डी ए. इन्टरनेशनल डैवेलपमेंट एसोसियेशन—से 700 मिलियन डालर्ज का क्रेडिट मांगा है । वह वर्ल्ड बैंक का पार्ट एण्ड पार्सल है । वर्ल्ड बैंक का यह पार्ट है । उससे बातचीत चल रही है । 700 मिलियन डालर की रेलवे को जरूरत है । हमारे प्रोजेक्ट्स उसके लिए बन गए हैं । वह कौन-कौन प्रोजेक्ट्स हैं मैं बतलाए देता हूं :—

मद	प्रस्तावित अमरीकी ऋण लाख डालरों में (अनुमानित)
1. पटियाला में डीजल कम्पोनेंट्स वर्क्स की स्थापना :- इस कारखाने के लिए आवश्यक मशीनें और संयंत्र	400
2. रेल की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के किए अधिक क्षमता वाले वैगनों (बाक्स वैगन) के निर्माण के लिए	1400
3. इस प्रकार के इंजनों के परीक्षण और देश में इनके निर्माण के लिए बिजली के नए इंजिनों का आयात (में इंजिन बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा की बचत होगी तथा वे सुधरे हुए ढग से कार्य करेंगे)	400
4. पहियों के सेटों, पहियों, धुरों और डीजल तथा बिजली के इंजनों के हिस्सों का उस सीमा तक आयात जहां तक उनको स्थानीय स्त्रोतों से प्राप्त न किया जा सके (सहायता कार्यक्रम में इन वस्तुओं का आयात 2-3 वर्षों तक करना)	1900
5. रेलों के विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए	2850
6. तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण	50
योग	डालर 7000 लाख

इनके लिए निगोशिएशंस चल रहे हैं । अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए । आइ. एम. एफ. से इसका कोई सरोकार नहीं है। डिस्कशन हो रहा है और इसका कोई रास्ता जरूर निकलेगा । बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि आइ. एम. एफ. अलग है और वर्ल्ड बैंक अलग है। लोगों को फुल इन्फर्मिशन नहीं है कि वर्ल्ड बैंक से बात हो रही या आई. एम. एफ. से बात हो रही हैं । आई. एम. एफ. के बारे में

तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया और उस पर काफी बहस हुई है। इतनी बहस हुई, उस के बाद तो आपको कंविंस्ड होना चाहिए और उसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के बारे में जो बातें चलीं, रवीन्द्र वर्मा जी ने कहा और दूसरे लोगों ने कही, उसके बारे में यह मैंने बताया।

एक बात यह है कि इतना बड़ा काम हुआ—समस्तीपुर से बाराबंकी तक 603 किलोमीटर कन्वेशन कम्पलीट हो गया, बन गया। आप जानते हैं कि नई लाइन जब बनती है तो कभी लाइन सेट नहीं करती है ठीक से, उसमें कुछ समय लगता है। इसलिए वह लाइन अभी ठीक से सेट नहीं कर पायी है. ट्रेन उस पर चलती है। जैसे माननीय मिश्र जी ने कहा कि वह तो बनी लेकिन अभी काम ठीक नहीं कर रही है, तो यह बात कुछ दूर तक मैं मानता हूं, इसलिए कि अभी बनी है लाइन, अभी पूरी सेट नहीं कर सकी है, इसलिए स्पीड कम है। इस लिए इस पर और बड़ी बड़ी ट्रेन चलाने में हमको डर है। लेकिन जरूर हम चाहेंगे कि समस्तीपुर से गोरखपुर होते हुए एक ट्रेन दिल्ली आए। यह तो मैं खुद चाहता हूं। मैं तो उस इलाके का रहने वाला हूं तो मैं नहीं चाहूंगा? आप जानते हैं उसमें कुछ कठनाई है। वह कठिनाई दूर हो जाएगी तो करेंगे क्योंकि मैं भी तो आदमी हूं और मैं रेल मन्त्री हूं। फिर यह केवल हमारी बात नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार को इससे जोड़ते हैं, वैसे वह पहले से जुड़े हुए हैं, कोई नयी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को इसके लिए खुशी मनानी चाहिए कि यह काम हुआ। आप जानते हैं कि 90 करोड़ ले कर एल. एन. मिश्रा जी ने इसकी स्कीम बनाई थी और वह पूरी हो गई।

ऐसे ही और भी जिनने सुझाव हैं और जो बातें कही गई हैं, जैसे आपने नंगल तलवाड़ा के बारे में बताया, वह हम करने जा रहे हैं, प्लानिंग कमीशन से जल्दी ही आजकल में अप्रूवल ले कर काम प्रारम्भ करेंगे। ऐसे ही कुरूर डड़ियाल भी बनाने जा रहे हैं। बंगलौर वाला एक सर्वे कर रहे हैं। यह सब हम करेंगे। जहां जहां हमें प्लानिंग कमीशन से सैंक्शन लेना है वह ले कर करेंगे। इसी तरह से सहरसा के अन्दर वह कौन सी जगह उन्होंने बतायी, सिहेश्वर तक नौ किलोमीटर की जो बात है उसको भी आगे के बजट में करने की कोशिश करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से कहता हूं कि यह मामूली सी और छोटी सी बात है, क्योंकि इसके लिए यहां हाउस में आना था और अप्रूवल लेना था, इसलिए हम यहां आए, कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इसू इस में नहीं है, मैं चाहूंगा कि एक राय से इसको आप पास कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1979-80 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुये वर्ष के दौरान संबन्धित अनुदानों से अतिरिक्त राशि को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

मांग संख्या 3, 4, 9, 11, और 16

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

1979-80 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल) लोक सभा द्वारा स्वीकृत

मांग संख्या	मांग का नाम	मांग की रकम रु०
1	2	3
3.	सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	1,29,30,311
4.	रेल-पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	1,08,10,836
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	1,52,34,456
9.	परिचालन व्यय—यातायात	4,00,16,557
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	40,42,479
16.	परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव	27,32,08,575

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं वर्ष 1981-82 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों, (रेल) को मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा द्वारा स्वीकृत 1981-82 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

कार्य सूची के अनुसार

मांग संख्या	मांग का नाम	मांग की रकम
1	2	3
2.	प्रकीर्ण व्यय (साधारण)	3,00,000
3.	सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	9,25,00,000
4.	रेल-पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	26,44,53,000
5.	रेल इजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	11,85,94,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	28,61,52,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	11,31,24,000
8.	प्रचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	8,30,81,000
9.	परिचालन व्यय—यातायात	11,38,15,000
10.	परिचालन व्यय—ईंधन	55,07,70,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	8,59,96,000
12.	विविध संचालन व्यय	17,95,03,000
16.	परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव अन्य व्यय	369,74,76,000

विनियोग (रेल) संख्याँक 6 विधेयक, 1981

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : महोदय, मुझे 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री केदार पाण्डे : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

मुझे माननीय सदस्यों से रेल बजट की अनुपूरक अथवा अतिरिक्त मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर बोलने की उनकी इच्छा की सूचना मिली है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि ऐसी सूचना 10 म. पू. तक भेज दी जानी चाहिए थी ताकि रेल मंत्री को सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों के सम्बन्ध में उत्तर देने का मौका मिल सके।

मैं नियम 215 के उप-नियम (6) की ओर भी माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और मैं यह भी चाहूंगा कि सदस्य वर्तमान मांगों की विषय वस्तु तक ही अपनी टिप्पणी सीमित रखेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) उपाध्यक्ष जी, पांडे जी ने बहुत हंसने के लहजे में सारी बातों का यहां पर जिक्र किया है। उन्होंने माल भाड़े में जो वृद्धि की है उसका तो मैं जोरदार विरोध करता ही हूं लेकिन मुझे इस दूसरे प्रश्नों पर ही बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस विषय की सूचना नहीं दी है। आपने सिर्फ दो विषयों की

सूचना दी है। कृपया उन दो विषयों तक ही सीमित रहें। अन्यथा, वे आपको उत्तर देने की स्थिति में नहीं रहेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : पहली बात तो यह है कि पटना बिहार की राजधानी है, वहां पर बहुत दिनों से मांग चल रही है कि एक सर्कुलर रेलवे का निर्माण किया जाये। इसमें आप पटना के साथ इधर गया को ले लीजिये दक्षिण में, पूरब में मुकामा या क्यूल और उधर पश्चिम में ले लीजिये तिवारी जी का क्षेत्र बक्सर। फिर यह सब मिला कर सर्कुलर रेलवे की बात होनी चाहिये। मैंने इसलिये यह सवाल उठाया है कि अगले बजट में आप फीपेग्रर होकर आइये कि इसके बारे में आपकी नीति क्या है। बिहार के मुख्य मंत्री ने भी इसके बारे में आपको लिखा है। वह ज्यादातर गड़बड़ काम करते हैं, लेकिन यह अच्छा काम किया है आपको लिखा है कि सर्कुलर रेलवे बनें ...।

आचार्य भगवान देव : चीफ मिनिस्टर के बारे में "गड़बड़" शब्द कहना, मुझे इस पर आपत्ति है, इसको निकाल दीजिये।

श्री रामावतार शास्त्री : यह अन-पार्लियामेंट्री शब्द नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्डों को देखूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री : सर्कुलर रेलवे वहां बनाइये, इसके बिना वहां के दैनिक यात्रियों को बहुत परेशानी है इसकी वजह से जो तेज गाड़ियां आती हैं वे अनावश्यक रूप से विलम्बित हो जाती हैं। इसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये तथा जो जमीन लेनी हो बिहार सरकार से बात करके इस दिशा में शीघ्रता से कार्यवाही होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं मरीन सर्विस के बारे में कहना चाहता हूं। पानी के जो जहाज वहां चलते हैं उनको आप उठा रहे हैं। बीहपुर का आपने उठा दिया, महादेवपुर घाट में जहाज चलना रोक दिया, उसी तरह से महेन्द्रूघाट के उठाने के चक्कर में हैं और बच्चाबाबू से आपकी दोस्ती ज्यादा बढ़ रही है। ऐसा मत कीजिये, पानी के जो जहाज चलते हैं उनको ठीक से चलाइये।... (व्यवधान) बच्चाबाबू एक बहुत बड़े कान्ट्रैक्टर हैं, सोनपुर के हैं, उनके बेटे को पिछले चुनाव में असेम्बली का टिकट मिला था। वे बहुत बड़े प्राइवेट पानी के जहाज चलाने वाले हैं। उनको मत दीजिये और जो मरीन सर्विस आपकी वहां चलती है उसकी ठीक कीजिये।

श्री टी. आर. शमन्ना (बंगलौर-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तत्कालीन रेल मंत्री श्री दण्डवते द्वारा दिया गया उचित आश्वासन था कि बंगलौर और मैसूर के बीच बड़ी लाइन का निर्माण एक साल के भीतर कर लिया जायेगा, बशर्ते मैसूर सरकार सुविधाओं की व्यवस्था कर देगी। तीन वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी काम पूरा नही हुआ है—काम बहुत धीमी गति से हो रहा है—यदि इसी गति से काम होता रहात है स्कीम को पूरा होने में 10 वर्ष से अधिक समय लग जायेगा। मेरा रेल मंत्री से अनुरोध कि बंगलौर और मैसूर के बीच बड़ी लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया जाये तथा इसे अतिशीघ्र पूरा किया जाए।

बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों को दिल्ली से केरल अथवा बंगलौर के. के. एक्सप्रेस से जाना पड़ता है। यह प्रति एक दिन बाद चलती है। इससे यात्रियों को परेशानी होती है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यात्रियों की मांग को देखते हुए इसे रोज चलाया जाए। मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस कठिनाई को अविलम्ब दूर किया जाए।

महालक्ष्मी एक्सप्रेस 1 घंटे से लेकर 5 घटे तक विलम्ब से चला करती है। एक दिन यह 12 घंटे लेट थी। मेरा कहना है कि गाड़ियों की समय-सीमा का पालन किया जाए तथा गाड़ियों, विशेषरूप से के. के. एक्सप्रेस तथा महालक्ष्मी एक्सप्रेस को विलम्ब से चलने से रोका जाए।

हमें आश्वासन दिया गया था कि रेल प्रणाली का इस तरह आधुनिकीकरण किया जायेगा कि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यात्रियों को काफी कठिनाइयां हो रही हैं। मेरी राय है कि रेल प्रणाली सुव्यस्थित होनी चाहिए और आरक्षण के सम्बन्ध में यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को दूर की जानी चाहिए।

श्री मोतीभाई आर. चौधरी (मेहसाना) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस समय लाया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। मंत्री जी ने कहा कि हम ने फेअर नहीं बढ़ाया है, लेकिन क्या किया गया है कि जो 50 पैसे से कम का टिकट था उसको 50 पैसे कर दिया है। जहां जहां मेले लगते हैं, वहां पर 50 पैसे का एक्स्ट्रा टिकट, जैसे मुगल बादशाहों के जमाने में लगाया जाता था, लगा दिया है मेरा आप से अनुरोध है कि कृषि की पैदावार के लिऐ जो इनपुट भेजा जाता है, उसको ढोने का रेट न बढ़ाया जाए। दूध की ढुलाई पर रेट न बढ़ाया जाए, खाद की ढुलाई का भाड़ा भी न बढ़ाया जाए और कैटल-फीड पर भी यह बढ़ौतरी न की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान और गुजरात के बारे में सालों से मांग चली आ रही है। अहमदाबाद और दिल्ली के बीच मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज में परिवर्तित किया जाये। इसके लिये कहा जाता है कि इतना पैसा खर्च होगा, क्या और लाइनों पर पैसा खर्च नहीं होता? राजस्थान और गुजरात ये दो ही ऐसे राज्य हैं, जिनकी राजधानियां ब्राडगेज से नहीं जुड़ी हुई है हैं और इनको हर बार नजर अन्दाज कर दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसके लिये बजट में प्रावधान किया जाए और जल्दी से जल्दी डब्लिंग का काम शुरू कर दिया जाए। अगर यह काम एक साथ शुरू नहीं किया जा सकता तो टुकड़ों में तो किया जा सकता है। पहले जमीन का समतलीकरण कर दिया जाये, इसके बाद आगे का कार्य किया जाये। सीमेंट के कई कारखाने राजस्थान में लग रहे हैं, इसलिए यह काम जल्दी से जल्दी हाथ में लिया जाये।

दूसरा मेरा कहना यह है कि आप नए जोन बनाने जा रहे हैं। पश्चिमी रेलवे का जोन गुजरात में गांधी नगर में होना चाहिए। यह मांग सालों से चली आ रही है, इसको मंजूर किया जाए।

एक बात की ओर मैंने बार-बार ध्यान खींचा हैं, 377 के माध्यम से भी मैंने ध्यान आकर्षित किया था और हर बार ध्यान खींचता हूं कि कोयले की कमी के कारण जो गाडियां रद्द कर दी जाती हैं, जिनके कारण ऐसे लोग जो प्रतिदिन रोजगार के लिये जाते हैं, विद्यार्थी जो पढ़ने जाते हैं, उन सब को परेशानी होती है। इस तरह की कार्यवाही से लोग आन्दोलन के लिए और सत्याग्रहों के लिये प्रेरित होते हैं, इसलिए इस तरह से गाड़ियों को बन्द न किया जाए और यदि बहुत आवश्यक हो तो इस प्रकार की गाड़ियों को बन्द न किया जाए, जिनसे लोग प्रतिदिन आते-जाते हैं।

इसी प्रकार से एक साबरमती एक्सप्रेस गाड़ी है जो तीन दिन में अहमदाबाद पहुंचती

है। इसको बीच में लोकल कर दिया जाता है। इसलिये लोगों को परेशानी होती है। यह गाड़ी जल्दी से जल्दी पहुंचे, ऐसी व्यवस्था की जाये।

रेल मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : आप हमसे मिल लेना।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देगें। वे अब उठाये गये मुद्दों का भी उत्तर देंगे और सामान्य भाषण नहीं देंगे।

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : मान्यवर, शास्त्री जी ने जो बात उठाई, बिहार की बात है, पटना की बात है। वहां पर दिल्ली की तरह सरकुलर ट्रेन की बात नहीं है, वहां पर हम सबरबन शटल ट्रेन चलाना चाहते हैं। दिल्ली की तरह रिंग रेल की बात वहां पर नहीं है। हम चाहते हैं कि वहां पर सबरबन शटल ट्रेन्स चला कर जो कंसेशन बहुत है, उसे खत्म किया जाये। पटना से बक्सर, पटना से मुकामा और पटना से गया, यही तो तीन लाइनें हैं जहां पर कंजेशन बहुत होता है, क्राउड बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग प्रतिदिन पटना नौकरी करने आते हैं और शाम को फिर अपने स्थान पर चले जाते हैं। दूसरी वहां पर फास्ट ट्रेन्स चलती हैं, ये भी वहीं चलती हैं तो लोगों को परेशानी होती है और लोग छतों पर बैठ जाते हैं। उसका इलाज करना है, इसके बारे में चीफ मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी है कि हम जमीन जरूर देंगे। इस पर हम विचार करेंगे। इसमें कांग्रेस या कम्युनिस्ट की बात नही है, डेवलपमेंट की बात है।

दूसरा शामन्ना जी ने बंगलौर मैसूर जो गेज कन्वर्शन है, उसके बारे में काम हो रहा है और जल्दी से जल्दी इसको हम एक्सपीडाइट करेंगे। यही दो मुख्य बातें हैं। इसके अलावा जो बातें होंगी, उसके बारे में मुझसे मिलकर बात करें, जहां तक हो सकेगा जरूर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : बच्चा बाबू के बारे में क्या हुआ?

श्री केदार पाण्डे : बच्चा बाबू की बात न कही जाये, आपको भ्रम है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री केदार पाण्डे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विनियोग (रेल) संख्यांक ७ विधेयक, १९८१

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : महोदय, मुझे रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों की संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दीं जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री केदार पाण्डेय : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवांओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का सदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री केदार पांडे : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई

(श्री हरिकेश बहादुर)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष को पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली के दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 के निम्नलिखित आशय के संदेश प्राप्त हुए हैं :—

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैंने श्री हरिकेश बहादुर सदस्य लोक सभा को जिन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लागू की गई निषेधाज्ञा का अपने दल के अन्य 14 कार्यकर्ताओं के साथ राजपथ,र फी मार्ग चौराहे पर लगभग 2. 10 म. प. स्वेच्छापूर्वक उल्लंघन किया, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली के मामला प्रथम सूचना रपट संख्या 6.2 दिनांक 15-12-1981 के संबंध में गिरफ्तार किये जाने का आदेश देना अपना कर्तव्य समझा। उन्हें क्षेत्रीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है।"

मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष को पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला नई दिल्ली के दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 के निम्नलिखित आशय के संदेश प्राप्त हुए हैं :—

"कृपया इस कार्यालय का दिनांक 15-12-81 का पत्र देखें, जिसके द्वारा आपको सूचित किया गया था कि श्री हरिकेश बहादुर, सदस्य, लोक सभा को पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली मामला प्रथम सूचना रपट संख्या 632 दिनांक 15-12-81 के सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था।

संसद सदस्य को दल के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली के न्यायालय में 15. 30 बजे पेश किया गया। न्यायालय ने उनकी तथा लोक सभा के सदस्य की भर्त्सना की और उन्हें रिहा कर दिया।"

18.09 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 16 दिसम्बर, 1981 25 अग्रहायण, 1903 (शक) के 11 म. पू. तक के लिए स्थगित हुई

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स,472 साईकिल मार्किट दिल्ली-6